राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

शुक्रवार,

28 जून 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल में कोई नहीं। कृपया बैठें।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बैठें।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): चारों तरफ बैठे हैं लोग, न कोई इधर दिखाई दे रहा है, न इधर कोई दिखाई दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, सुनें आप प्लीज। आप सीनियर लीडर हैं। प्रश्नकाल शुरु होगा। श्री ज्ञानचंद पारख।

तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिले में फसल बीमा का मुआवजा

1. **श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की रोहट तहसील के किस-किस गांव में वर्ष, 2018 में खरीफ की किस-किस फसल को कितना-कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में वर्ष, 2018 में हुए फसल खराबे के विरुद्ध प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस-किस गांव के, किस-किस काश्तकार का, किस-किस फसल का, कितनी-कितनी राशि का मुआवजा बनता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(3) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में किये गये प्रावधानानुसार बीमा कंपनी को कितनी अवधि में काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान करना होता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मई, 2019 तक भी बीमा कंपनी द्वारा फसल खराबे की क्लेम राशि का भुगतान बीमित काश्तकार को नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन कारणों से व उक्त भुगतान अब कब तक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (1) खरीफ 2018 में पाली जिले की रोहट तहसील के गांव बान्डाई, दनासनी, मुकनपुरा, चोटीला, सवाईपुरा, धोलरिया जागीर, धोलरिया सासन, नेहरा, फेनकरिया, माण्डावास, नया चेण्डा, हीरावास, खाण्डी, साजी, खुण्डावास, सुकरलाई, लालकी, रामपुरा, राणा, दुदली, मोरिया तथा सिंगारी गांवों में बाजरे में नुकसान दर्ज किया गया।

भाकरीवाला, सांवलताखुर्द, गजनगढ़, खारडा तथा कुलथाना गांवों में तिल की फसल में नुकसान दर्ज किया गया।

दिवान्दी तथा खुटाणी गांवों में ज्वार फसल में नुकसान दर्ज किया गया। बाजरा फसल में बान्डाई, दनासनी तथा मुकनपुरा गांव में 11.89 प्रतिशत, चोटीला तथा सवाईपुरा गांव में 7.58 प्रतिशत, धोलरिया जागीर, धोलरिया सासन, नेहरा, फेनकरिया, माण्डावास तथा नया चेण्डा में शत-प्रतिशत तथा साजी गांव में 40.20 प्रतिशत, खुण्डावास तथा सुकरलाई गांव में 11.16 प्रतिशत, लालकी तथा रामपुरा गांव में 6.03 प्रतिशत, राणा गांव में 16.89 प्रतिशत, दुदली, मोरिया, तथा सिगांरी गांव में 21.84 प्रतिशत नुकसान दर्ज किया गया है।

तिल की फसल में भाकरीवाला तथा सांवलताखुर्द गांव में 24.47 प्रतिशत, गजनगढ़ तथा खारडा गांव में 3.96 प्रतिशत, कुलथाना गांव में 13.88 प्रतिशत नुकसान दर्ज किया गया।

ज्वार की फसल में दिवान्दी तथा खुटाणी गांव में 57.76 प्रतिशत नुकसान दर्ज किया गया।

(2) खरीफ 2018 में पाली जिले की रोहट तहसील के अन्तर्गत प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइड लाइन के अनुसार बान्डाई, दनासनी, मुकनपुरा, चोटीला, सवाईपुरा, धोलरिया जागीर, धोलरिया सासन, नेहरा,

(कृषि मंत्री)

फेनकरिया, माण्डावास, नया चेण्डा, हीरावास, खाण्डी, साजी, खुण्डावास, सुकरलाई, लालकी, रामपुरा, राणा, दुदली, मोरिया तथा सिगांरी गांवों में बाजरे में, भाकरीवाला, सांवलताखुर्द, गजनगढ़, खारडा तथा कुलथाना गांवों में तिल की फसल में एवं दिवान्दी तथा खुटाणी गांवों में ज्वार फसल में बीमा क्लेम देय है।

1003 लाभान्वित बीमित किसानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, जिन्हें 73.55 लाख के बीमा क्लेम का वितरण किया गया है।

(3) राज्यांश तथा केन्द्रीयांश प्रीमियम अनुदान जारी होने पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार 21 दिवस में बीमा दावों का निस्तारण बीमा कम्पनियों द्वारा किये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) पाली जिले की रोहट तहसील के खरीफ 2018 के बीमा क्लेमों का वितरण 1003 कृषकों को राशि रुपये 73.55 लाख का कर दिया गया है। लाभान्वित किसानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सर्वे करता है, उसमें खराबा ज्यादा बताता है और जो कृषि विभाग की क्रोप कटिंग का रिकार्ड है, वह जो बीमा कंपनी ने खराबा बताया है, उससे ज्यादा है। सन् 2016-17 में भी बीमा कंपनी ने कम आकलन किया था और बाद में जब हमने दस्तावेज पेश किये तो बीमा कंपनी को उससे कई गुणा ज्यादा राशि देनी पड़ी थी तो एक बार आप वापस अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से जांच करवा लें कि इन्होंने जो क्लेम तय किया है, वह वास्तविक क्लेम है या बीमा कंपनी ने कम किया है, एक तो यह जांच करवा लें आप।

एक आपने प्रश्न के बिन्दु संख्या-3 में उत्तर दिया है कि राज्यांश और केन्द्रीयांश जमा होने के बाद 21 दिन में भुगतान होना होता है, लेट भुगतान किया है यह तो आपको पता है और उसमें प्रावधान है बिलकुल, कि बीमा कंपनी अगर लेट भुगतान करेगी तो किसान को ब्याज देगी। वह ब्याज आप दिलवाओगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न इसी संदर्भ में लगा हुआ है 2016 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 2018 का पूछ रहे हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यही प्रश्न है, यही। माननीय मंत्री महोदय ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुराने जो पैसे बकाया हैं न, इसी का बकाया है, 2018 की राशि तो आपने दिलवा दी, आपको धन्यवाद। 2016 में पाली तहसील की निम्बली उर्स ग्राम पंचायत, उसमें बाकी जिंस हैं, उनका क्लेम तो आ गया, मूंग का क्लेम बाकी है, और जो पता लगाया दिल्ली जाकर, तो हमारे यहां कहीं कमी रही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 2018 का प्रश्न है, प्रश्न भी रिलेवेंट है। आप 2018-19 का प्रश्न पूछ रहे हो, और बात 2016 की कर रहे हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यह फसल बीमा का ही है, जो अटका हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, यह जनरल डिबेट नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे बताया गया कि राज्यांश आना बाकी रह गया कोई भूल से, तो राज्यांश आप भिजवा देंगे न, तो वह क्लेम उन्होंने तय कर रखा है ढाई करोड़ का, वह इनको मिल जायेगा और इसी प्रकार 2017 का भी कुछ पटवार सर्कल में क्लेम बाकी रह गया तो आप पीछे पड़कर, इसमें जिस प्रकार आपने मेहनत की है न, वह मेहनत कर लोगे न तो किसानों का भला हो जायेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं और मुझे यह कहते हुए खुशी है इस बात की कि आपने खुद भी व्यक्तिश: भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से काफी प्रयास किये और आपने जो बात की है निम्बली उर्स ग्राम पंचायत की, 2016 की पाली जिले में, इसमें निम्बली उर्स ग्राम पंचायत में 2051 कृषकों को 75.03 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है एवं ग्राम पंचायत निम्बली उर्स का कोई भी क्लेम बकाया नहीं है। पर फिर भी आप कह रहे हैं, ऐसा कोई पटवार सर्कल बचा है तो मैं उसको और दिखवा लूंगा और उनको क्लेम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।

रही बात, यह योजना भारत सरकार की गाइडलाइन से चलती है, अभी हाल ही में, क्योंकि इसमें जितना भी व्यवधान मैंने देखा सरकार आने के बाद में, तो 2016-17 का भी भुगतान बकाया है, 2017-18 का भी बकाया है,

(श्री लालचन्द कटारिया)

चाहे वह रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो। इसके लिये हमने प्रयास किये हैं। मैंने भारत सरकार को खुद ने डी.ओ. लिखा है और बार-बार जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा, किसान संगठनों द्वारा यह बात आती है कि यह जो स्वैच्छिक और कम्पलसरी कर रखा है लोन के अदंर, उसके बारे में किसान बार-बार यह कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है, इसको मेंडेटरी नहीं किया जाये। इसके लिये मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा है। इसमें हम आपका भी सहयोग चाहेंगे कि उसमें आप भी कुछ हमारा सहयोग करें। रबी 2018-19 का जो बकाया था 1050, उसमें से साढ़े 300 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट का शेयर था। 2017-18 में रबी और खरीफ, उसमें 463 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में किसानों के पास पैसा पहुंच जायेगा। NEFT द्वारा किसानों को पैसे का भुगतान किया है, जिसकी मैंने सूची आपको दे रखी है। अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दे दो, डी.ओ. लैटर मेरे हाथ में है, जो मैंने 24 तारीख को लिखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, विराजें। माननीय सदस्य, कोई अन्य प्रश्न।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 2017 का आप वापस जवाब दे देते, 2017 का कुछ पटवार सर्कल का बाकी रख दिया, जो करोड़ों में बनता है तो 2017 का भी आप मेहरबानी करके करवा दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): हां, मैं यही कह रहा हूं। 2017-2108 में रबी और खरीफ, इसका जो बकाया था, उसका 463 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है, उसका भी हम भुगतान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंहजी।

जवाजा पंचायत समिति में रायल्टी वसूली बंद करने की योजना

2. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति जवाजा के गरीब काश्तकारों व पट्टियों, कातलों और मोड़िया से मकान बनाने व आजीविका चलाने वालों से रायल्टी वसूल की जा रही है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत समिति में गरीब काश्तकारों से उक्त पर रायल्टी बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) वर्तमान में जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में खनिज पट्टी-कातला का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से पट्टी-कातला/मोड़िया का खनन अनुमत नहीं है, अत: वर्तमान में इनसे किसी भी प्रकार की रायल्टी वसूल नहीं की जा रही है। पूर्व में भी किसी भी सरकार द्वारा खनिज पट्टी-कातला एवं मोड़िया पर किसी भी नियम के तहत रायल्टी में छूट प्रदान नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। राजस्व एकरूपता की दृष्टि से किसी क्षेत्र विशेष में वर्तमान में रायल्टी बंद करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि रायल्टी में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई है, मैं छूट के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता, पूछा भी नहीं है, मेरा क्वेश्चन ही नहीं है।

मेरा इतना निवेदन है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जवाब में बताया कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रायल्टी वसूल नहीं की जा रही है लेकिन मौके पर जवाजा, सारोठ चौराहा, कानपुरा चौराहा, अतीतमंड चौराहा, सिंगाड़िया, मालपुरा, मानेड़ा, बलाड़ इत्यादि स्थानों पर रायल्टी के अवैध नाके लगाकर चौथ वसूली की जा रही है। क्या आप अवैध नाकों को, अवैध वसूली को बंद करने के लिए उचित कार्यवाही करने का विचार रखेंगे, बंद करने का मानस है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन को लेकर माननीय मुख्य मंत्री बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही सतर्क हैं। अवैध खनन को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस, यातायात, खनिज विभाग को संयुक्त जिम्मेदारी निहित की गई है, संयुक्त रूप से पूरे राजस्थान में अभियान चलाकर जहां-जहां शिकायत मिलेंगी वहां-वहां पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(श्री प्रमोद भाया)

इसी सम्बन्ध में अभी कोटा में अवैध खनन से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई, वहां के माइंस विभाग के ए.डी.एम., एस.एम.ई., एम.ई., जो भी दोषी थे, उनके खिलाफ सीसी नियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं, उनको ए.पी.ओ. किया है।

माननीय सदस्य जी ने जो अपनी बात रखी है, अवैध खनन के बारे में आपने जो प्रश्न उठाया और ध्यान आकृष्ट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

राज्य में अवैध खनन वसूली की आपने आपके क्षेत्र में जो बात कही वहां पर आपने जो अवैध नाकों की बात कही, मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि वहां पर विशेष दल भिजवाकर इसकी जांच करायी जायेगी और जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइन का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बलवान पूनियां जी, एक मिनट।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, आपने अवैध खनन के बारे में कहा, मैंने अवैध खनन के बारे में नहीं पूछा है, मेरे यहां पर अवैध चौथ वसूली की जा रही है उन गरीब ट्रैक्टर वालों से जो भरकर, अपना काले पत्थरों का जो वेस्टेज जा रहा है, अवैध नाके लगा करके वसूली की जा रही है, उसकी रोक लगाने के लिए पूछना चाहता हूं। अब आप जांच में देंगे तो बहुत लम्बा देंगे, साहब।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को यह आश्वस्त किया है कि जो शिकायत मिली है उसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): नाके हटा देंगे?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): चाहे वो अवैध खनन की हो चाहे वो अवैध वसूली की हो, इसमें जो भी दोषी होगा, उससे कतई कोई समझौता नहीं होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): साहब, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये, आप सीनियर आदमी हैं, ऐसे नहीं।

सहकारी बैंकों के कार्मिकों का वेतनमान

3. **श्री बलवान पूनियां** (भादरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या प्रदेश के सहकारी बैंकों में कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान भुगतान के लिए कोई स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं? यदि हां, तो मानदेय एवं वेतनमान के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के वेतनमान निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा वेतनमान समझौते हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं जिसकी पालना में बैंक प्रबंधन तथा पंजीकृत कार्मिक संगठनों द्वारा वेतन समझौता हस्ताक्षरित होकर वेतनमान निर्धारित होता है। 14वें वेतन समझौते के अन्तर्गत वर्तमान में देय वेतनमान बाबत निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

नियमानुसार लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रहने वाले बैंकों में ही यह समझौता लागू होता है। वर्तमान में टोंक व भरतपुर सीसी बैंक में यह समझौता लागू नहीं है। सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्त विभाग की शर्तों के अधीन 14वां वेतन आयोग लागू किया जा चुका है व 15वें वेतनमान की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। समझौते के अधीन वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं संशोधित प्रक्रिया के अधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, साथ में मेरा यह प्रश्न है कि समितियों के कार्मिकों का वेतनमान और सहकारी बैंक के कार्मिकों का वेतनमान क्या एक समान है? अलग-अलग है तो कैसे? इसमें यह सूचना नहीं है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जो वेतनमान तय किया जाता है समझौते के अनुसार ही होता है और बैंक कर्मी संगठन और सरकार द्वारा बैठकें करके नियमों के एवं समझौते के तहत ही वेतनमान लागू किया जाता है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया। मेरा पूछना यह है क्या सहकारी बैंक के कर्मचारियों का और अपेक्स के अनुसार समितियों के व्यवस्थापक, सह-व्यवस्थापक का वेतनमान कितना है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आपने बैंकों के वेतनमान के मामले में पूछा है, सहकारी समितियों के अध्यक्ष के मामले में नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न कोआपरेटिव बैंक नहीं है, आपका प्रश्न सहकारी बैंक के सम्बन्ध में है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इसमें भी मेरा निवेदन यह है कि मुझे जो कागज दिये गये हैं इसमें लिखा है कालम नम्बर दो में कि यह समझौता 5 वर्ष की अवधि (दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2013 तक) के लिए मान्य होगा, आज हम 2019 में हैं, मंत्रीजी, स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कौनसा समझौता, जो उत्तर दिया है ...(व्यवधान) उत्तर दिया उसमें तो यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वेतनमान के सम्बन्ध में। आपके पास जो उत्तर है ...(व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो पूरा हो गया है, इसमें सहकारी समितियों का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कन्फ्यूज कर रहे हैं। आपका प्रश्न सहकारी समिति के सम्बन्ध में है या बैंक के सम्बन्ध में है?

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सर, मेरा प्रश्न बिलकुल बैंक के सम्बन्ध में है। जो स्थिति पैदा हो रही है प्रदेश में बैंक और सहकारी समिति की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले समझें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): लेकिन, अध्यक्ष जी, जो उत्तर मुझे दिया गया उसमें कन्फ्यूजन है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट आप बैठो।

(श्री अध्यक्ष)

आपका जो प्रश्न है, क्या प्रदेश के सहकारी बैंकों में कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान के भुगतान के सम्बन्ध में कोई निर्देश हैं? कोआपरेटिव बैंक के जो एम्प्लॉयी हैं, आप कोआपरेटिव सोसायटी के बारे में पूछना चाहते हैं, दो चीजें मिक्सअप नहीं करें। आप अभी बैंक के सम्बन्ध में बात करें और वो जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अलग पूछिये। अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

टोंक जिले में रेलवे लाइन हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

4. **श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा से गुजरने वाली अजमेर वाया टोडारायसिंह, टोंक होते हुए सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, व रेलवे की अधिगृहीत जमीन का आधा पैसा केन्द्र सरकार दे चुकी है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त अधिगृहीत जमीन का आधा पैसा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा से गुजरने वाली अजमेर वाया टोडारायसिंह, टोंक होते हुए सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, परन्तु रेलवे की अधिगृहीत जमीन का आधा पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है।

वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा परियोजना लागत के 50 प्रतिशत राशि वहन करने की शर्त को स्वीकार किया था परन्तु वर्ष 2016 में, आपकी सरकार थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन लें न।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 2016 में आपकी सरकार नहीं थी क्या?

श्री अध्यक्ष: आप नहीं सुन सकते क्या? आप पेशेंस रखिये न।

एक माननीय सदस्य: नहीं, हम बोलते हैं तो आप बोलने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, मान्यवर।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): परन्तु वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने निर्माण लागत की 50 प्रतिशत सहभागिता देने में असमर्थता व्यक्त की एवं रेलवे को अपने स्तर से परियोजना क्रियान्वित करने का आग्रह किया है।

अध्यक्ष जी, इन्होंने यह स्टेट के हित का सवाल उठाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न तो पूछने दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अब पूछ लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को सिर्फ उत्तर पढ़ना है, उसके बाद माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप किस का समर्थन कर रहे हो? माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि 2013 में आपकी सरकार ने यह समझौता किया था कि हम फ्री में भूमि देंगे और 50 परसेंट लागत का देंगे। केन्द्र सरकार ने 2015-16 में 873 करोड़ रुपये इसमें बजट दे दिया, केन्द्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये इसके सर्वे के लिए पूरा कर दिया। पिछले समय में राजस्थान सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, उसकी वजह से हमारे टोंक, केकड़ी, उनियारा सब जगह से हमारी सरकार, हमारे विधायक हारे। माननीय उप-मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी के क्षेत्र से भी यह जाती है। उप-मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद में इसका पैसा हम देंगे।

तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें आपने जो जमीन फ्री में देने का वादा किया था, उसमें देने को तैयार हैं या नहीं हैं? यह बताएं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। यह राजस्थान के हित में है। राजस्थान की सरकार जमीन नि:शुल्क देने के लिए तैयार है। 2013 में जब राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत थे, तब उन्होंने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा और यह कहा कि हम 50 प्रतिशत राशि भी देंगे, नि:शुल्क जमीन भी देंगे। वह पत्र मेरे पास उपलब्ध है वह मैं आपको दिखा सकता हूं।

जब तय हो गया, उसके बाद 2016 में तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने पत्र लिखकर कहा कि राजस्थान की सरकार, जो

(श्री प्रताप सिंह खचरियावास)

मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने फैसला लिया है, उसके अनुसार आधा पैसा देने में सक्षम नहीं है। हम आधा पैसा नहीं देंगे। 2016 में वसुंधरा जी ने, अशोक गहलोत जी का पत्र जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पैसा देने को तैयार हैं, नि:शुल्क भूमि देने को तैयार हैं, उसको डिनाई करते हुए केन्द्र सरकार को लिखा कि आप इसमें पूरा पैसा लगाइए। हमारे पास पैसा नहीं है। पूरा पैसा केन्द्र सरकार वहन करे। उसके बाद पीयूष गोयल जी ने, वापस मुख्य मंत्री जो उस वक्त 2016 में आदरणीय वसुंधरा जी थीं, उनको जवाब लिखा कि आपने जो मेरे से डिमांड की है, वह भी पत्र मेरे पास है पीयूष गोयल जी का, वह डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता।

बाद में रघु शर्मा जी ने सवाल उठाया लोक सभा में, उस वक्त भी पीयूष गोयल जी ने मना किया। अब आपका मौका है। अध्यक्ष जी, यह राजस्थान के हित की बात है। 25 लोक सभा की सीटें आपको मिली हैं। सब जाओ और पैसा लेकर के आओ केन्द्र सरकार से। मैं रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस, बीजेपी से ऊपर, राजस्थान के हित की बात है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस, बीजेपी से ऊपर बात कर रहा हूं। कई मामलों में हमें आगे बढ़कर सदन के नेता के नेतृत्व में, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चलते हैं। आप सभी भी चलिए और प्रधान मंत्रीजी से रिक्वैस्ट करते हैं। 25 लोक सभा की सीटें मिली हैं! डूंगरपुर, रतलाम वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन प्रोजेक्ट, अजमेर, नसीराबाद, सवाईमाधोपुर वाया टोंक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यही, उन्होंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष: ना, ना, please be specific to question.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): नहीं, नहीं, क्वेश्चन नहीं, उन्होंने पूछा है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): आपके उप मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया था कि मैं इसमें पूरा पैसा दिलाऊंगा राज्य सरकार से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि क्वेश्चन का ही स्पेसिफिक रिप्लाई दें। प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यह रेल लाइन कैसे आयेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जी, धौलपुर, सरमथुरा वृद्धिकरण, गंगापुर सिटी आमान परिवर्तन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात आ गई माननीय मंत्रीजी। प्लीज स्पेसिफिक क्वेश्चन है माननीय मंत्री ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): इसको हम शुरु करना चाहते हैं। केन्द्र सरकार से हम भी डिमांड करेंगे, मुख्य मंत्रीजी भी करेंगे और पूरा सदन करेगा। आप सभी से भी कहूंगा कि आप सब को भी राजस्थान के हित में मटके फोड़ने की बजाय, हमारे साथ चलकर के डिमांड करनी चाहिए ताकि यह रेल लाइन का प्रोजेक्ट शुरु हो सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। कटारिया जी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। कन्हैया लाल जी, बैठें। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने, हमने मना कर दिया और इस कारण से प्रोजेक्ट रुक गया। अब आपकी सरकार अपने पुराने आश्वासन को मानने को तैयार है या नहीं है? इतना ही जवाब दे दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, सदन में विपक्ष के नेता आदरणीय कटारिया साहब बड़े एक्सपीरिएंस्ड हैं। सदन की पूरी भावना है कि वसुंधरा जी ने, 2013 के जो आदरणीय मुख्य मंत्री ...(व्यवधान) मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जो पूछा है, उसको सुनना नहीं चाहते ...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): जवाब नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो मिनट, मेरा काम आप मत करिए ...(व्यवधान) मेरा काम तो मुझे ही करने दें ना।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पूरा जवाब दूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें ...(व्यवधान) आपका काम नहीं है, प्लीज ...

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) सीनियर हैं आप। मैंने कटारिया जी को बोलने का मौका दिया। प्लीज, ऐसे नहीं। I'll not allow. मंत्रीजी, प्लीज वैरी स्पेसिफिक क्वेश्चन है सरकार देगी या नहीं, दैट्स आल। बाकी, उसकी भूमिका का नहीं है। सरकार देगी या नहीं देगी। बात खतम होती है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मान गया मैं, अध्यक्ष जी की डांट पर ताली तो बजानी पड़ी ना आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2016 में आदरणीय वसुंधरा जी ने यह कहा, आप मुझे यह बताइए, उन्होंने कहा कि हम केन्द्र सरकार से...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। माननीय मुख्य मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तीनों जो जिक्र किया है माननीय मंत्रीजी ने, उस पर हम लोगों ने एग्री किया था कि हम लोग आधा पैसा देंगे और जमीन फ्री देंगे। जमीन अधिगृहीत भी हो गई बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तो और यहां भी आपने अभी बताया। दुर्भाग्य से हमारी सरकार बदल गई। दुर्भाग्य से बदल गई और आप एकतरफा जीतकर के आ गए, जो कि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि इस प्रकार से भारी विजय होगी। आपके हैलीकाप्टर खड़े थे कि जरूरत पड़ेगी तो इंडिपेंडेंट लोगों को लेकर के आ जायेंगे, लेकिन कुदरत का खेल है, डेमोक्रेसी है, एकतरफा आप लोग जीते। हम लोग 21 पर आ गए। आप बताइये मुझे, उस वक्त में हालात थे, वित्तीय स्थिति हमारी अच्छी थी। हमने चलाकर के आफर किया। हिन्दुस्तान के इतिहास में, आजादी के बाद में हमारी गवर्नमेंट उन 2-3 सरकारों में होगी, जिसने कहा कि हम पैसा लगाएंगे। आधा पैसा आप दीजिए और आधा हम देने के लिए तैयार हैं। आप बताइए कि क्या कारण थे कि सरकार बदल गई तो, हाकिम बदलता है लेकिन हुक्म नहीं बदलता है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने हमारी खाली इन योजनाओं को ही नहीं, जो-जो काम हमने हाथ में लिए थे, रिफाइनरी हो, रेलवे के हों, और भी प्रोजेक्ट थे, तमाम प्रोजेक्टों को जान-बूझकर के, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के उनको बंद कर दिया। उसका नतीजा है कि आपने पत्र लिखा कि हम वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं पैसा देने के लिए। क्या लिखने की जरूरत थी? उस

(श्री अशोक गहलोत)

वक्त में आपकी स्थिति अच्छी थी। हम वित्तीय स्थिति अच्छी छोड़कर के गए थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो इतना बता दें ...(व्यवधान) हमने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, कटारिया जी, विराजें ...(व्यवधान) माननीय कटारिया जी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार अपने पुराने वादे को निभाने को तैयार है या नहीं है। इस सवाल का जवाब चाहिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, प्लीज ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजनीतिक भाषण देंगे तो हम भी बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी, प्लीज। अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आपको यह अधिकार नहीं है। आप बैठ जाये, प्लीज बैठ जाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर बोलना चाहते हो तो एक दिन इस पर रख लो कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह अधिकार नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय कटारिया जी प्लीज, माननीय कटारिया जी प्लीज ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप इसका फायदा उठाकर, इधर की बात, उधर की बात, सीधी बात करें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, माननीय कटारिया जी, आप बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या सरकार अपने पुराने वादे को निभाने को तैयार है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, बैठें प्लीज। माननीय सदस्य बैठें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह तानाशाही है क्या जो आपकी ...(व्यवधान) आपकी चलेगी तानाशाही सारी।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्रीजी। आपको अधिकार नहीं है, प्लीज। मुख्य मंत्रीजी ने यील्ड नहीं किया है। आप सीनियर लीडर हैं, please don't intervene. It is his prorogative to speak. माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि नेता, प्रतिपक्ष सदन के बहुत सीनियर नेता हैं और जब नेता, सदन बोल रहा है तो तब आपको इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं कि जब आपको गुस्सा आता है तो तब आप किसी की परवाह नहीं करते हैं। आप क्या बोल जाएं, आपको खुद को ही मालूम नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वह सरकार हमारी थी, सरकार चली गई और आपने पूरी योजना को बंद कर दिया। यह तो आप स्वीकार करेंगे? आप नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा करेगी। स्वीकार तो करना पड़ेगा आप सबको। इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपके माननीय सदस्य चूरू से आने वाले हों, चाहे कोई भी हो कि किस प्रकार के काम रोके गए। उस समय हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी थी। आगे बढ़कर के हमने आफर किया, जो देश के अंदर सम्भव नहीं था। आधा पैसा हम देंगे क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम तक का। अजमेर से सवाईमाधोपुर जायेगे तो टोंक जुड़ जायेगा। जिला मुख्यालय जुड़ जायेगा। सरमथुरा से गंगापुर सिटी वाया करौली, तो करौली जुड़ जायेगा। तीन जिला मुख्यालय जुड़ जाएंगे। मुझे दु:ख है कि उस वक्त आप लोगों ने केन्द्र सरकार को मना कर दिया। ईवन धौलपुर की योजना को भी जान-बूझकर के ठंडे बस्ते में डाल दिया।

अध्यक्ष महोदय, अब आप मुझे बताइए, आपकी सरकार आ गई थी तो आप किस प्रकार से छोड़कर के गए हो वित्तीय स्थिति को? पूरे राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया है। वित्तीय स्थिति की हालत इतनी खराब हो गई कि हम किसी तरह से स्थिति को संभाल रहे हैं। कर्जा माफ करने के बाद में हम और ज्यादा टाइट हो गए। अब आप यह उम्मीद करो कि 10 साल पहले मैंने क्या वादा किया था। आज हमारी स्थिति क्या बनती है, अगर स्थिति अच्छी बनेगी तो हम अब भी आफर करेंगे। जो हमने कहा है वह करके

(श्री अशोक गहलोत)

दिखाएंगे। यह डिपेंड करता है कि आज हमारी वित्तीय स्थिति क्या है। वह तो ट्रांसपेरेंसी होती है, आप देख सकते हो कहीं भी। अगर पहले जैसी वित्तीय स्थिति अच्छी बनेगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष आपका सहयोग भी हम लोग लेंगे। जैसा अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा है हम जायेगे और आप भी चलिए। सब तमाम एम.पी, 25 जीतकर आये हो, 25 जीते हैं आप लोग, आप भी चलिए साथ में, मैं चलूंगा आपके साथ में। हम जायेगे और केन्द्र से बात करेंगे और कहेंगे कि राजस्थान की स्थिति वह नहीं है जो 10 साल पहले थी। अब कृपा करके आप खुद अपने संसाधनों से तीनों रेल प्रोजेक्टों को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए आगे आइए। यह रिक्वेस्ट करेंगे आपके माननीय रेल मंत्रीजी से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न आज आया है, प्रश्न का जवाब आज का हां या ना में देना होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): दे दिया न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वर्ष 2013 में आपको जो राशि और जमीन देनी थी वह आज की तारीख में, प्रश्न के जवाब में बताएं, आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? आपका क्या जवाब है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमीन खां। अगला प्रश्न, श्री अमीन खां जी।

अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक के मानदण्ड

5. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों के क्या मानदण्ड हैं?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक चौहटन ही है?

(4) क्या उक्त जिले के ब्लॉक रामसर व पाटोदी अल्पसंख्यक बहुल का मानदण्ड पूर्ण करते हैं?

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) प्रधान मंत्री

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान के 15 ब्लॉक्स चयनित हैं। सूची परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत जारी गाइड लाइन के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार जनगणना 2011 के आधार पर ऐसे क्षेत्र जहां पर 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी हो तथा पिछड़ेपन के मापदण्ड पर राष्ट्रीय औसत से नीचे होने पर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक में सम्मिलित/चयन किया जाता है। पीएमजेवीके योजना की गाइड लाइन का बिन्दु संख्या 4 परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार से सम्बन्धित है। रामसर एवं पाटोदी के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा अल्पसंख्यक बहुल के मापदण्ड का निर्धारण भारत सरकार के स्तर पर किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आपने जवाब दिया है कि भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखे जाने चाहिए थे। क्या यह प्रस्ताव आपने हकीकत में भारत सरकार को भेजा है या यह अभी तक आपके पास है?

नम्बर दो, ब्लाक रामसर और पाटोदी की 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है? प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) की गाइड लाइन के अनुसार सारे मापदण्ड ये दोनों ब्लाक पूरा करते हैं या नहीं? क्या आपकी सरकार का विचार है कि इनको अल्पसंख्यक ब्लाक घोषित करेंगे? करेंगे तो कब तक करेंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चाहा है, मेरा निवेदन है कि इसमें खास तौर से हमारी तरफ से जो प्रस्ताव भेजे जाने हैं, क्योंकि 2013 में ये नए ब्लाक्स बने हैं, उससे पहले बाड़मेर जिले का केवल चौहटन ही ब्लाक था। अब नए ब्लाक बनने के बाद में 2013 में रामसर और पाटोदी के प्रस्ताव आये हैं। वहां के तमाम माननीय सदस्यों ने भी मांग की थी, हमने वहां पर जिला स्तर पर जो डीएलसी है, वहां के सांख्यिकी अधिकारी हैं उनसे तमाम जो इसके

(श्री शाले मोहम्मद)

मापदण्ड जो चाहिए होते हैं, वह सब मंगवाए हैं। डीएलसी मीटिंग के बाद में एसएलसी भेजेगी, भारत सरकार के जो तमाम कार्य हैं, वह प्रक्रिया में हैं, हम चाहेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा करके करें। यह चूंकि भारत सरकार को ही फाइनल करना है तो जनसंख्या के आधार पर मैं समझता हूं कि मापदण्ड हम पूरा करेंगे। इसके अलावा भी जो दूसरे मापदण्ड हैं, वह तमाम मापदण्ड पूरे होने के बाद यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें।

श्री अमीन खां (शिव): इसमें पहले से ही स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की आबादी होनी चाहिए, जबकि दोनों ब्लाक में 50 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यकों की है। नम्बर दो, भारत में सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर नीचा राजस्थान में है और राजस्थान में शिक्षा का स्तर सबसे नीचा है, बाड़मेर एरिया में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, प्रश्न।

श्री अमीन खां (शिव): तो कौनसे नोर्म्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सीधा प्रश्न यह है, दोनों ब्लाक यदि गाइड लाइन्स को फालो करते हैं तो आप भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? दैट्स आल।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या के आधार पर नोर्म्स पूरे हो रहे हैं। दूसरे काफी मापदण्ड हैं, वह सब हमारे प्रक्रियाधीन हैं। तो मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि दो महीने में हम प्रक्रिया पूरी करके भारत सरकार को भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

अगला प्रश्न, श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। अलाउ नहीं, प्लीज बैठें। माननीय बैठें। I have not allowed it.

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आपको यह बताना होगा।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। बैठें, प्लीज। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। Please sit down.

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपको बाई नेम लूंगा। प्लीज, सिट डाउन। प्लीज, बैठें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह कोटा का प्रश्न नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय सदस्य। कटारियाजी। I'll not tolerate it. माननीय सदस्य, प्लीज। यह कोई तरीका नहीं है। यह जैसलमेर, बाड़मेर का प्रश्न है, कोटा वाले खड़े हो जायेगे। नहीं, प्लीज, कोई जरूरत नहीं है।

अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा सवाल इतना ही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, आई एम सारी। अगला प्रश्न। माफ कीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूं। आई एम सारी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा सवाल इतना ही है..।

श्री अध्यक्ष: मैं गलत परम्पराओं को बिलकुल स्टार्ट नहीं करने दूंगा, मैं निवेदन कर चुका हूं कि मैं गलत परम्प्राओं को नहीं स्टार्ट होने दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इनका पूछना इतना था कि अल्पसंख्यकों में कौन-कौन आते हैं?

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी, आप गलत परम्परा न डालें। मैं लीडर आफ अपोजिशन को चांस दे सकता हूं, दो प्रश्न इनके हो गए। पर इनके प्रश्न का कोई रिलेवेंस ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इनका पूछने का भावार्थ था कि अल्पसंख्यकों में कौन-कौन हैं?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्लीज, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं पर मैं लिबर्टी नहीं दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अल्पसंख्यक कौन-कौन हैं, यह तो बताओ। अल्पसंख्यक हैं कौन जिनका ब्लाक बनेगा?

श्री अध्यक्ष: न। कोई प्रश्न ही नहीं है। आप इतने सीनियर आदमी हैं,

(श्री अध्यक्ष)

यह प्रश्न से सम्बन्धित ही नहीं है। माननीय कटारियाजी, यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं हैं, सिख भी अल्पसंख्यक हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर हैं मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे अंकित न करने के लिए कहना पड़े। यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अगला प्रश्न। (व्यवधान) प्रश्न लिखकर भेजें। आपने प्रश्न लिखकर भेजा है? यह प्रश्न से सम्बन्धित है? आप सीनियर लीडर हैं, मंत्री रहे हुए हैं। प्रश्न से सम्बन्धित है क्या?

प्लीज, अगला प्रश्न।

महिला बाल विकास विभाग हेतु संचालित योजनाएं

6. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय बाल नीति, 2017 क्या है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) समेकित बाल एवं महिला विकास हेतु संचालित योजना कौन-कौनसी है और उनके क्रियान्वयन हेतु कौनसा तंत्र कार्य कर रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत पांच वर्षों में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, कितनी व्यय हुई और कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बाड़मेर-जैसलमेर एवं आदिवासी क्षेत्रों में मानदण्डों में शिथिलता प्रदान कर मिनी/आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) राष्ट्रीय बाल नीति 2017 जारी नहीं की गई है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की प्रति परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(2) महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत दो विभाग क्रमश: महिला अधिकारिता विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यरत हैं। जिनके द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) उक्त योजनाओं के संचालन हेतु विगत 5 वर्षों में महिला अधिकारिता की 13 योजनाओं के लिए राशि रुपए 29072.43 लाख रुपए स्वीकृत की गई जिसके विरुद्ध राशि रुपए 27473.21 लाख व्यय की गई।

इसी प्रकार समेकित बाल विकास सेवाएं की 09 योजनाओं के लिए राशि रुपए 605018.61 लाख स्वीकृत की गई जिसके विरुद्ध राशि रुपए 569238.51 लाख व्यय की गई।

इस प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग की कुल 22 योजनाओं के लिए कुल राशि 634091.04 लाख स्वीकृत की गई एवं कुल राशि रुपए 596711.72 लाख व्यय की गई।

जिसका विवरण परिशिष्ट- 'स' पर संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी खोलने के मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट- 'द' पर संलग्न है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर रोक लगाई हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जवाब में आया है कि भारत सरकार द्वारा नए केन्द्र खोलने पर रोक लगी हुई है। क्या अपनी तरफ से कब भारत सरकार को पत्र लिखकर या अन्य प्रयास किया है कि नए केन्द्र खोले जायेगे। भारत सरकार ने क्यों रोक लगाई है?

यह विभाग इतनी राशि खर्च होने के बावजूद अधिकारियों को, सरकार चाहे किसी की भी हो, अमूमन दूसरे विभागों की तुलना में इतनी राशि व्यय होने के बावजूद भी जनता की नजरों में यह बदनाम है। इसके लिए माननीय मंत्रीजी क्या ठोस कदम उठाएंगे?

माननीय मंत्रीजी, आज आपका जन्म दिन है, आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के साझे से कार्य किया जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का है और 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार का है। केन्द्र सरकार हमें 60 प्रतिशत का जब भी अलाउ करेगी हम 40 प्रतिशत से हिसाब से विभाग को आगे बढ़ाने और नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।

(श्रीमती ममता भूपेश)
सरकार बनते ही हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा कि राजस्थान एक अति पिछड़ा राज्य है और यहां पर हर स्तर पर कई आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की मांग सभी माननीय सदस्य देते रहे हैं, इसके लिए हमने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है और जब भी हमें केन्द्र सरकार की अनुमति मिलेगी, निश्चित रूप से हम नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मदन दिलावर।

मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के विस्थापित ग्राम

7. **श्री मदन दिलावर** (रामगंजमण्डी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा की लाडपुरा पंचायत समिति के कितने गांव मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं? क्या उक्त गांवों को विस्थापित अथवा दूसरी जगह शिफ्ट करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो गांवों के नामों की सूची मय जनसंख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों को कब तक विस्थापित कर मुआवजे का वितरण कर दिया जायेगा तथा विस्थापितों को क्या-क्या सुविधाएं देय होंगी व इनके मकान, कृषि भूमि का मुआवजा डीएलसी दर का कितना गुणा देय होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि शिफ्ट करने में देरी हो रही है तो उक्त में से कुछ गांवों में विकास कार्यों पर क्यों रोक लगाई हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त गांवों में बिजली, पानी, सड़क व आवास निर्माण पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा) (राज्य मंत्री, वन के स्थान पर): (1) मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व अंतर्गत कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति के 13 गांव क्रमश: लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी, दामोदरपुरा, गिरधरपुरा, रूपपुरा, कोलीपुरा, अखावा (भूखी), चांदबावड़ी, जसपुरा (नयागांव), हरीपुरा, केशोपुरा, मंदरगढ़ एवं रेल आते हैं।

उक्तानुसार 7 गांव मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आने के कारण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार उनका

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विस्थापन प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित है। अवशेष 6 गांव भी बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा गांव वालों की सहमति होने पर विस्थापित किए जा सकते हैं। गांवों की जनसंख्या संलग्न परिशिष्ट- 'ए' अनुसार है।

(2) उक्त गांवों से विस्थापन स्वैच्छिक है तथा इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश-2008 के अनुसार प्रस्तावित विस्थापन पैकेज दिया जाता है। विस्थापन पैकेज के अनुसार विकल्प 1 में एकमुश्त 10 लाख रुपये प्रति परिवार एवं विकल्प 2 में 10 लाख रुपये प्रति परिवार के समतुल्य कृषि भूमि, आवास भूमि एवं निर्माण, सामुदायिक सुविधा, अधिकारों का निर्धारण एवं प्रोत्साहन देय है।

डी.एल.सी. दर के आधार पर मुआवजा भूमि अधिग्रहण हेतु दिया जाता है। यह स्वैच्छिक विस्थापन प्रक्रिया है अत इसमें अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं होती है।

(3) मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्थित गांवों में ग्रामीणों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास कार्यों के निर्माण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। टाइगर रिजर्व में होने के कारण उपरोक्त गांवों में विकास कार्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ही कराये जा सकते हैं।

(4) जी नहीं। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पड़ने वाले अनेक गांवों में वर्तमान में बिजली, पानी, सड़क व आवास की मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास कार्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कराये जा सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर, तो प्राथमिकता क्या है थोड़ा स्पष्ट करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि विस्थापन स्वैच्छिक है, यदि किसान परमिशन देगा तो। यदि वहां का किसान परमिशन नहीं देता है तो आप क्या

(श्री मदन दिलावर)

करेंगे? विस्थापित करेंगे या नहीं? यदि नहीं करते हैं या करते भी हैं तो आज उन्हें बिजली, पानी और रोड से क्यों वंचित किया जा रहा है? पिछले 15-20 सालों से वहां किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। न वहां बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है और न ही रोड है। इसके कारण वे ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं। मुझे यह देखकर बहुत कष्ट हुआ कि कोटा जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जो दूरदराज के जंगलों में भी नहीं होंगे। यदि उदयपुर के कोटड़ा के आगे भी जाये तो भी ऐसे गांव नहीं मिलेंगे। वे इतना बुरा जीवन जी रहे हैं।

आपने यह भी बताया कि वहां बिजली, पानी तथा रोड की सुविधा दी जा रही है, तो कोर में जो 7 गांव हैं और बफर में 11 गांव हैं, इनमें बिजली, पानी तथा रोड के क्या-क्या काम हो रहे हैं, उसकी जानकारी दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला तो पूछा कि प्राथमिकता क्या रहेगी? 7 गांव जो कोर में आते हैं, वे पहली प्राथमिकता हैं और बफर में आने वाले शेष गांवों की प्राथमिकता बाद में है। यह इस एक्ट के मुताबिक है। दूसरा, आपने कहा कि रोक लगा रखी है। रोक नहीं है, लेकिन जब गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद जो भी सक्षम स्तर पर कार्यकारी एजेंसी होती है, वह अनुमति के लिये आवेदन करती है और अनुमति के लिये नियम तथा प्रक्रियाएं बनी हुई हैं और उनके तहत अनुमति मिल जाती है।

तीसरा, आपने कहा कि विस्थापन स्वैच्छिक है, तो इसके लिये तो एक्ट में ही प्रोविजन है और सब-कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सैटल किया हुआ है। लॉ के हिसाब से मोनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट भी करता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इसमें जो पैकेज है, उसके लिये 60 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देती है और शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। अत: केन्द्र सरकार जब भी 60 प्रतिशत पैसा रिलीज कर देगी, हम पुन: आवेदन करेंगे। माननीय प्रधान मंत्रीजी और वन मंत्रीजी से पुन: रिक्वैस्ट करेंगे। अगर वे 60 प्रतिशत पैसा दे देते हैं तो 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी तथा हम इन विस्थापितों को स्वैच्छिक रूप से मोटिवेट करेंगे। इसमें दिक्कत यह आ गई कि जब आपकी सरकार थी तो उसने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिख दी कि हम इस पैकेज को रिवाइज करके बढ़ाना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चाहते हैं। न तो आप बढ़ा पाये न केन्द्र की सरकार कर पायी। न तो पैसा दिया, न ही गाइडलाइन चेंज की।

मैं समझता हूं कि अगर वहां कोई भी जरूरी आवश्यकताएं हैं जैसा कि आपने बिजली, पानी और सड़क के बारे में कहा, तो जो भी सड़क की मरम्मत बिना चौड़ाईकरण के आर.ओ., ओ.एफ.सी. केबल, पानी की पाइप लाइन आदि की स्वीकृति के लिये भारत सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। राज्य वन्यजीव मंडल के स्तर पर ही यह स्वीकृति दी जा सकती है। जो भी सुविधा कार्यकारी एजेंसी को चाहिये, उसके लिये आनलाइन आवेदन किया जायेगा और स्वीकृति की जो प्रक्रिया है, उसके तहत हम स्वीकृति जारी करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: मदन जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत जवाब दिया है। इन्होंने कोर और बफर का अलग-अलग बताया है। इन्होंने जवाब दिया है- "उक्तानुसार 7 गांव मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आने के कारण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार उनका विस्थापन प्राथमिकता पर प्रस्तावित है।" इन 7 गांवों को ही प्राथमिकता है और ये 7 गांव एक ग्रुप हैं, पर इन्होंने जवाब दिया है कि जो दो ग्रुप हैं, उनमें से अलग-अलग प्राथमिकता मानेंगे। ये अलग-अलग जवाब दे रहे हैं। या तो मंत्रीजी को समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्ट करें कि प्राथमिकता क्या है? इन 7 गांवों की प्राथमिकता बताएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 7 गांवों की प्राथमिकता नहीं, कोई भी क्षेत्र गजट नोटिफाइड होता है तो उसमें बाकायदा कोर ग्रुप अलग नोटिफाइड होता है और बफर अलग होता है। कोर का मतलब है मेन, बीच का और उसके बाहर का होता है बफर। हमारी इस गाइड लाइन के अनुसार जो प्राथमिकता है, उसमें कोर ग्रुप को पहले विस्थापित किया जाता है और उसके बाद दूसरे को किया जाता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं पढ़ लें, इन्होंने अपने उत्तर में लिखा है- "उक्तानुसार 7 गांव मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आने के कारण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार उनका विस्थापन प्राथमिकता पर प्रस्तावित है।" इन 7 गांवों में से प्राथमिकता है। ये बता रहे हैं जो दो ग्रुप- कोर और

(श्री मदन दिलावर)

बफर, उसके बारे में। विषय यह है कि इन 7 गांवों में प्राथमिकता क्या रखेंगे? या तो ये समझे नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है, मैं आपके माध्यम से इन्हें समझा देता हूं। मैंने जवाब में भेजा है, आप परिशिष्ट-ए को पढ़ लीजिये, अच्छी तरह समझ में आ जायेगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): मैं पढ़ चुका हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं पढ़ा है आपने। अगर केन्द्र सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिये 60 प्रतिशत पैसा देंगे तो जो कोर ग्रुप के 7 गांव हैं, इन्हें हम पहले विस्थापित करेंगे। हमारे मुख्य मंत्रीजी 40 प्रतिशत पैसा देने को तैयार हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। आपके चार प्रश्न हो चुके हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। अगला प्रश्न। Please don’t support it.

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): मैंने यह भी पूछा था कि इन 11 गांवों में क्या-क्या काम हुए हैं? उनका जवाब इन्हें देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे साथ ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर लीडर हैं। आप प्लीज बैठें।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, सीनियर होना कोई पाप थोड़ी न हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठिये। आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बैठे, बैठे कमेंट नहीं, सीनियर लीडर हैं आप। गलत और सही को छोड़िये, Don’t put aspersions on the Chair. Please be seated. आप बैठे-बैठे अध्यक्ष पर एस्पर्शन कर रहे हैं, आप सीनियर लीडर हैं। आप सीनियर लीडर हैं, don’t set up a wrong precedent. अगला प्रश्न। कुछ अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न। आप सीनियर लीडर हैं और गलत परम्परा डाल रहे हैं।

कौशल विकास योजनांतर्गत छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन

8. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निर्माण श्रमिक, शिक्षक व कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जानी वाली छात्रवृत्ति के नियमों में सत्र के दौरान कोई बदलाव किया गया है? यदि हां, तो क्यों? तथा इस सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में सरकार द्वारा संचालित शुभ शक्ति, श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना, सुलभ आवास योजना के पात्रताधारी कितने प्रकरणों की राशि आबंटित नहीं होने के कारण से लम्बित है? उक्त राशि कब तक आबंटित कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं के बजटीय प्रावधान की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता के स्थान पर): (1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु नियमों में संशोधन नहीं किया गया है। इस सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु 285145 आवेदन पत्र लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। पैंडेंसी निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें 126503 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(2) बीओसीडब्ल्यू मंडल के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु जिलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाता

(श्री टीकाराम जूली)

है, बजट की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले से उपयोगिता प्रमाण-पत्र व मांग प्राप्त होने पर और बजट आरटीजीएस के मार्फत तत्काल हस्तांतरित कर दिया जाता है। चूरू जिले को 41.79 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु सहायता राशि की वित्तीय व्यवस्था भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य करा रहे नियोजकों से उपकर राशि एकत्रित कर की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, आपने कहा कि यह जो श्रमिक, शिक्षक व कौशल विकास योजना है इसके नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया। आपको भी यह मालूम है कि 1996 का यह अधिनियम बना है और हमारे यहां 2009 के नियम बने हुए हैं। अगर आपके पास नीति है तो 2009 के नियम 6 के अन्दर आपने जो आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का उल्लेख किया है उसमें जो आनलाइन सरल 2017 प्रफोर्मा है उसके तहत आपने आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे। क्या यह सही है कि 19 फरवरी, 2019 को जब आपने जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिये तब आपने आवेदन पत्र के साथ एक संशोधित घोषणा पत्र अ, ब, स, द उन उद्घोषकों से लेने के लिए आपने संशोधन किया। उसमें भवन मालिक हो, ठेकेदार हो, श्रमिक यूनियन हो, उनके पैन नम्बर, जीएसटी नम्बर, भवन निर्माण की स्वीकृति वैध है या नहीं, उपकर तथा उसके साथ-साथ यह उद्घोषणा भी करवा ली कि अगर कोई भी जानकारी वो दे रहे हैं और वह गलत है तो उन पर 420 का मुकदमा चला जाये जिस पर वो सहमत हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके साथ ही आपने खण्ड 1 में 2 लाख 85 हजार 145 आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लम्बित माने हैं। मंत्री महोदय, आप परिशिष्ट-1 का मुलाहिजा फर्माएं कि आपने उसमें जो सूचना मुझे दी है उसमें लिखा कि आवेदन पत्र कुल 5 लाख 87 हजार 362 प्राप्त हुए और आपने सिर्फ 67191 स्वीकृत किये हैं। यह आपकी ही सूचना है। यानी 12 प्रतिशत आवेदन पत्र उन गरीब मजदूरों के बच्चों के स्वीकृत किये हैं और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

41990 निरस्त किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो 2 लाख 85 हजार 145 लम्बित हैं और आपने परिशिष्ट में लिखा है कि 1 लाख 93 हजार 36 पैण्डिंग एट सिटीजन हैं तो इन सबकी छात्रवृत्ति आप कब दे दोगे और इसके लिए कितना बजटीय प्रावधान है, कितने पैसों की आवश्यकता है? यह जो आपने 2 लाख 85 हजार 145 लम्बित बताये हैं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दस प्रश्न एक साथ पूछोगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आंकड़ों के जाल में उलझाना चाह रहे हैं। मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि इस योजना में कोई नियमों में फेरबदल नहीं है। नियोजक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए और प्रक्रियात्मक एकरूपता बनाये रखने के लिए चार घोषणा पत्र हमने मांगे हैं जिनमें से नियोजक और ठेकेदार को उसको आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मोबाइल नम्बर, बीओसीडब्ल्यू का पंजीयन नम्बर, जीएसटी नम्बर, टिन नम्बर और पैन नम्बर में से कोई भी एक चीज वो उपलब्ध करा दें। मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पिछले समय में हुआ है। ईमित्र पर लोगों ने अपनी दुकान खोल ली, वहीं से प्रमाण पत्र बनाकर जारी कर देते हैं और उसका नतीजा यह है कि आज इतनी ज्यादा पैण्डेंसी श्रमिकों की बनी हुई है। सही मायने में सरकार की जो मंशा है कि हम श्रमिकों को लाभ दें उसमें वो श्रमिक तो उस चीज का लाभ नहीं उठा पाते वरन् दूसरे लोग जालसाजी करके, फ्राड करके उसमें शामिल होकर उसका लाभ उठा लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से यह कहना चाहूंगा कि यह जो भामाशाह, आधार कार्ड या पैन नम्बर हैं इनमें से एक चीज हमने लागू की है इससे इसमें जो नियोजक हैं उनका हम यह तय कर पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यह सर्वे कराया गया कि फिजिकल सर्वे वहां पर हो, सोशल आडिट हो उसमें उदयपुर में सोशल आडिट की गई जिसमें 39 प्रतिशत के आस-पास जो नियोजक हैं उनके पंजीयन फर्जी पाये गये। उसके बाद पूरे प्रदेश के अन्दर हमने इसकी जांच करायी और सोशल आडिट में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया। उस फर्जीवाड़े के सामने आने

(श्री टीकाराम जूली)

के बाद में हमने 12 ई-मित्र पर विभागीय कार्यवाही की है, 123 जो संदिग्ध सिटीजन हैं उन पर हमने कार्यवाही की है और हमारे डिपार्टमेंट के भी 6 विभागीय अधिकारी, 4 श्रम निरीक्षक और 6 मंत्रालयिक कर्मचारियों के विरुद्ध भी हमने अनुशासनात्मक कार्यवाही की है।

आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन चूरू के सम्बन्ध में है उसके लिए भी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चूरू का जो आपका बजट है जिसमें पंजीयन हुआ है उसका पिछले पांच वर्षों का आपको बताऊं तो उसमें 23 करोड़ 59 लाख रुपये चूरू में दिये गये हैं। सिर्फ एक वर्ष के अन्दर हमने इसमें 21 करोड़ 37 लाख रुपये चूरू को हमने दिये हैं और आज भी चूरू जिला मुख्यालय में एक करोड़ से अधिक की राशि का बजट उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सीधा प्रश्न यह है कि जो पैण्डेंसी है उसमें वैरिफिकेशन करके बात डिस्पोज करोगे या नहीं करोगे? बात सीधी है। एक सैकण्ड प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पैण्डेंसी जो है उसमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम स्थापित किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सुनिये। आपने वैरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड वगैरह आधार बनाये तो इसका वैरिफिकेशन होने के बाद जो एप्लीकेशंस पैण्डिंग हैं उनको डिस्पोज करोगे या नहीं करोगे? सीधा प्रश्न है बस।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि बजट भी इसके अन्दर जहां भवन निर्माण होता है वहां से एक प्रतिशत सैस के रूप में आता है और वही पैसा हम श्रमिकों को देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो प्रकरण हमने निस्तारित किये हैं उनके रिजैक्ट होने के बाद में आज की तारीख के जो हमारे आंकड़े हैं उनमें 2 हजार करोड़ के आस-पास राशि देय है और हमारे पास जो उपकर, सैस आया है वह 1200 करोड़ के आस-पास हमारे पास है तो यह राशि की भी पैण्डेंसी है। दूसरा, मैं एक डिफरेंस यहीं पर बताना चाहूंगा कि चूरू की हम बात करें तो चूरू से सैस जो हमें आया है वह तो 4 करोड़ 87 लाख रुपये आया है और वहां से जो श्रमिकों की डिमाण्ड है वह 21 करोड़ 37 लाख रुपये की है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो इतना बड़ा डिफरेंस है इसको देखने

(श्री टीकाराम जूली)

में समय लग रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आगामी तीन महीने में सारे प्रकरण निस्तारित करके कोई प्रकरण हमारे पास पैण्डिंग नहीं रहेगा तथा टोटल बजट हम उनके अकाउंट में डाल देंगे जितना बजट हमारे पास उपलब्ध रहेगा।

श्री अध्यक्ष: Not allowed.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने स्वीकार कर लिया कि आपके पास जितने आवेदन पत्र हैं उससे बहुत कम आपके पास बजट है। मेरा सीधा सवाल इतना-सा है जिसके लिए मैंने सवाल लगाया कि आपने बच्चों से जो आवेदन पत्र लिये, क्योंकि बच्चा आवेदन पत्र जून, जुलाई, अगस्त में देता है और उसमें आपने जो प्रफोर्मा लगाया वह, प्रफोर्मा सरल 2017, आपके यहां पेश कर रहा है। उसके बाद अचानक आपने 12 फरवरी, 2019 को इस प्रफोर्मा को बिल्कुल बदल दिया तो मेरा सवाल यह है कि 2 लाख 85 हजार 145 जिन लोगों ने आवेदन पुराने प्रफोर्मे से कर दिये और क्योंकि आपने फरवरी में बदला है तो क्या आज उनको नये प्रफोर्मा के आधार पर पुन: आवेदन पत्र देने पड़ेंगे?

नम्बर दो, आपने उद्घोषकों से एक नहीं, मल्टीपल जानकारी ली है और यह जो आप कह रहे हो न कि हमने परिवर्तन नहीं किया तो यह जो आपकी 2009 की नीति है, जो हमारे राजस्थान के रूल्स 2009 में बने हैं उनके अन्दर आपका सैक्शन 6 है जिसमें लिखा है आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदन के साथ आप कौनसे दस्तावेज लेंगे। आपने उसमें बदलाव किया इसका मतलब नीति में आपने परिवर्तन किया। आज जो पैण्डेंसी है उस पैण्डेंसी के आधार पर क्या आप बजटीय प्रावधान जो आपके पास सैस का पैसा है उससे इतर सरकार से लेकर छात्रवृत्ति बांटोगे या नहीं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आप छात्रवृत्ति के प्रकरण बता रहे हैं, तो जो पुराने आवेदन हैं वो तो पुराने फार्मेट से ही हम मान रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि चूंकि रिजल्ट मार्च, अप्रैल और मई में आता है और यह पैण्डेंसी अभी इसलिए ज्यादा हैं कि ये जितने भी फार्म हैं वो अभी अपलोड हुए हैं तथा इनके अन्दर पुराने फार्म नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आधे घंटे की चर्चा की मांग कर रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर भी मैं बताना चाहूंगा कि पहले दिसम्बर तक का समय था और अब मार्च तक का भी समय कर दिया है कि 31 मार्च तक श्रमिक अपने बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, आप सीनियर लीडर हैं, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसको आप अलग ढंग से उठाएं, उसमें सोचा जायेगा, कैसे किया जाये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफ नहीं करने से हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर परिसर में श्री सुरजाराम पुत्र श्री रामकिरालिया द्वारा फांसी लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफ न किये जाने के कारण कुंठित किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से प्रदेश में खरीफ की फसल बुआई का समय आने के बावजूद भी कृषि ऋण न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम ठाकरी में दिनांक 23 जून, 2019 को किसान सोहन लाल मेघवाल द्वारा कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में कर्ज माफी की घोषणा के बावजूद कर्जा माफ न होने से किसानों के आत्महत्या की ओर अग्रसर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री अविनाश गहलोत एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के उपखण्ड मुख्यालय स्थित सी.एच.सी. में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफ नहीं करने से हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर परिसर में श्री सुरजाराम पुत्र श्री रामकिरालिया द्वारा फांसी लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री जोगेश्वर गर्ग एवं अन्य तीन सदस्यों की ओर से प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से पुलिस थाना उनियारा के थानाधिकारी द्वारा षड्यंत्रपूर्वक श्री हरभजन पुत्र हरपाल की हत्या को दुर्घटना में बदल देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में टमाटर व प्याज का उचित मूल्य न मिलने से किसानों को हो रही आर्थिक हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं अन्य 15 सदस्यों की ओर से बाड़मेर जिले के जसौल ग्राम में रामकथा के दौरान तूफान व वर्षा के कारण हुए हादसे के मृतक एवं घायलों को आर्थिक सहायता व तुरन्त उपचार नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री कालीचरण सराफ, श्री अशोक लाहोटी एवं श्री वासुदेव देवनानी सदस्यों की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत कम्युनिटी हैल्थ वर्कर के पच्चीस सौ पदों पर होने वाली भर्ती को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री राजेन्द्र राठौड़ (138) एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं द्वारा अवैध बजरी खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर

(श्री अध्यक्ष)

भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री कालीचरण सराफ, श्री अशोक लाहोटी, श्री वासुदेव देवनानी एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से वित्तीय स्वीकृति व कार्यादेश जारी होने के बावजूद भी कतिपय सड़कों का कार्य पूर्ण न होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों की सम्पूर्ण पैदावर की खरीददारी न किये जाने से किसानों को हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के अति प्राचीन गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोविंद राम, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर एवं उसकी वितरिकाओं की मरम्मत न किये जाने से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के किसानों को पर्याप्त पानी न मिलने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की कमी तथा जांच मशीनों के खराब होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के आसीन्द व गुलाबपुरा सी.एच.सी. पर डाक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में।

(7) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बानसूर कस्बे को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।

(8) श्री मोहन राम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर के ट्रोमा सेन्टर में महिला प्रसव हेतु बने भवन के आपरेशन थियेटर को चालू न किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर शहर की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्री अविनाश गहलोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सीवरेज परियोजना के कार्य में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

(11) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चम्बल पेयजल परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सीवरेज लाइन डाले जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 28 जून, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 24 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**नाम माननीय विधायक**	**विषय**
1.	श्री संजय शर्मा	आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के अन्तर्गत जारी होने वाले प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2.	श्री संदीप शर्मा	पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3.	श्री नारायण सिंह देवल	प्रदेश में बलात्कार के प्रकरणों में पुलिस प्रशासन की नाकामी से कानून व्यवस्था बिगड़ने के संबंध में।
4.	श्री हमीर सिंह भायल	पोकरण, फलसूण्ड, बायतू, बालोतरा एवं सिवाना पेयजल योजना के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची पर अपनी बात प्रारम्भ करेंगे, सबसे पहले श्री संजय शर्मा। अच्छा, सॉरी। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव पर, फिर...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मेरा भी स्थगन है। उस पर भी दो मिनट बोलने दें। मेरा भी स्थगन है एक, मुझे दो मिनट दे दें प्लीज।

एक माननीय सदस्य: कर्ज माफी बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पत्रकार दीर्घा खाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम यहां बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैसेज राजस्थान में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी आप देख रहे हैं पत्रकार दीर्घा बिलकुल खाली है। ऐसा मैंने कभी राजस्थान की विधान सभा में नहीं देखा, कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूं।

अध्यक्ष द्वारा संबोधन

विधान सभा के सुचारु संचालन के लिए नियमों की पालना आवश्यक

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, आप बैठें। मुझे प्रसन्नता है कि आपने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है विधान सभा अध्यक्ष के रूप में, विधान सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। विधान सभा की कार्यवाही चलाने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। चाहे वे पत्रकार हों, चाहे माननीय सदस्य हों, चाहे पक्ष में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे सरकारी अधिकारी हों। सबसे अपेक्षा की जाती है कि विधान सभा के नियमों का पालन किया जाए। एक अध्यक्ष के रूप में, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि विधान सभा का कार्य ठीक ढंग से चले, इसलिए मैंने कुछ निर्णय लिए। उन निर्णयों से अवगत कराने के लिए मैंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। सर्वदलीय मीटिंग में भी मैंने उनसे इन सब चीजों पर चर्चा की। जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की मीटिंग में चर्चा करने के बाद हमने कुछ निर्णय लिए। उन निर्णयों में वे भागीदार हैं। मैंने अध्यक्षीय निर्णय नहीं लिए हैं। वे निर्णय मैंने सलाहकार समिति बनाने के बाद उनसे चर्चा करने के बाद निर्णय लिए हैं और निर्णय लेने के बाद कुछ चीजें, जिनकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह हम सबके लिए चिन्ता का विषय

(श्री अध्यक्ष)

है, इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि ये जो हमारा सदन है। इस सदन की जो गैलरी है, इस गैलेरी के अन्दर यदि हमारे विधान सभा के जो साथी हैं, सदस्य हैं, उन्हीं को प्रिविलेज है कि हाउस में बैठें। इस बाउण्ड्री के बाहर आने के लिए पांच साल तक जनता की सेवा करनी पड़ती है, मैंडेट लेना पड़ता है। तब हाउस में आने का मौका मिलता है। इस गैलेरी के अन्दर जिस तरह की व्यवस्था है हां पक्ष में, ना पक्ष में सदस्यों के अलावा लोग आकर बैठते हैं। ये जो हमारी अफसर दीर्घा है। इस अफसर दीर्घा में जिस तरह की व्यवस्था है। उन सबको देखकर हमने कुछ निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में एक निर्णय यही है। यह निर्णय मेरा नहीं है। पत्रकार दीर्घा के लिए पत्रकारों को कोई बंदिश हमने नहीं की है। पत्रकार दीर्घा के अन्दर पत्रकारों को पास देने की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमने रेग्युलेट किया है और रेग्युलेट करने के लिए लोक सभा की जो प्रक्रिया है, उसको हमने मंगाया कि किस तरह के आधार पर वहां पर पत्रकारों को पत्रकार दीर्घा में अलाउ किया जाता है। उसमें एक आधार था, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के आधार पर उन्हीं से बैठकर हमने चर्चा की कि राजस्थान जैसे छोटे प्रदेश में 10 हजार के सर्कुलेशन को हम आधार मानें। 10 हजार से ऊपर जिनका सर्कुलेशन है, उनको हम इस तरह के पास देंगे। 10 हजार से नीचे वाले को उनको इस तरह का पास देंगे और जो सदस्य यह अप्लाई करेगा, सदन में कार्यवाही के लिए, उनको भी हम पास देंगे।

मुझे यह कहते हुए तकलीफ है कि जब मैं अध्यक्ष बना तब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यहां पर दस साल से कुछ पत्रकारों को स्थाई पास जारी किये हुए हैं। अध्यक्ष बदल गये, मैं अध्यक्ष नया आ गया, लेकिन उनके पास स्थाई रहे। नियमों में कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है। जब भी सदन चले तब पत्रकारों को पास बनाने की व्यवस्था का नियम है। मैंने उन नियमों का पालन करने का काम किया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 600 पत्रकारों के पास बन रहे थे। 600 पत्रकार यदि इस पत्रकार दीर्घा में बैठें, आप स्वयं देखते होंगे कि जब सदन की कार्यवाही चार बजे-पांच बजे चलती है तो मुश्किल से दस-पन्द्रह पत्रकार यहां पर मिलते हैं, पर पत्रकार दीर्घा के नाम से घर बैठे हैं पास लेकर और हां पक्ष, ना पक्ष, विधान सभा में मंत्री के कक्ष में जाये तो विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। इसलिए मैंने, राजेन्द्र जी, उप नेता वहां मौजूद थे, हमने फैसला किया है कि जीरो आवर तक हमने यह आशा की कि हमारे सदस्य 295 उठाते हैं, पर्ची का प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

उठाते हैं, हमने सरकार से कहा है कि सरकार के सब मंत्री भी जीरो आवर समाप्त होने तक सदन में रहें जिससे उसकी गम्भीरता रहे कि जो 295 उठा रहा है सरकार उसका कोग्निजेंस ले रही है। यदि मंत्री सदन में नहीं बैठें चैम्बर में जाकर के बैठ जाये। वहां पर ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम हो तो फिर सदन चलाने की कोई महत्ता नहीं है फिर तो हमारा सेक्रेटेरिएट है। इसलिए कुछ अनकाल्ड-फोर निर्णय हमने लिये। कल भी मैंने चर्चा की कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विधान सभा अध्यक्ष के सामने धरना लगाया गया है। आज तो पत्रकारों ने धरना लगाया है कल न दर्शक दीर्घा में लोग आकर धरना लगाएंगे और कल न सदन में आकर लोग धरना लगाएंगे तो विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। इसलिए लोकतंत्र में मैं पक्षधर हूं पत्रकारों का, पर पत्रकारों के नाम पर यदि पत्रकार दीर्घा के अलावा जो नियम है, कानून है उनका पालन कराने की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में मेरी है। यह अनप्लैजेंट काम मेरा है। यदि दबाव में रहकर कोई निर्णय बदलना चाहे तो अध्यक्ष के रूप में मैं दबाव में आकर कोई भी निर्णय ऐसा नहीं करूंगा जिससे विधान सभा की गरिमा कम हो। इसलिए पत्रकार आये तो उनका स्वागत। पत्रकार नहीं आये तो उनका स्वागत।

मैंने कोई नियम बदला नहीं है। मैंने नियमों का पालन करने का कठोरता से काम किया है, वह करूंगा और इसीलिए मैंने आपसे भी निवेदन किया है कि माननीय सदस्य मैंने पहली बार आकर देखा। मेरा भी अनुभव है। हमने एक द्वार बनाया है। पश्चिमी द्वार में यह प्रोब्लम थी कि वहां से हमारे एमएलए आते हैं और वहीं हमारे दर्शक खड़े रहते हैं। सदस्यों को प्रोब्लम थी तो हमने एक नया द्वार बनाया है जिससे नये द्वार से दर्शक दीर्घा में आने वाले आदमियों को कोई तकलीफ नहीं हो वहां से आकर बैठ सकें। कल मैंने पत्रकारों से बात की और मैंने कहा कि यदि विपक्ष के नेता और किसी नेता से आपको बात करनी है तो आप हमें सूचना करें। हम आपको पास देंगे उनके पास जाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन 600 पास के आधार पर आपको छूट नहीं दे सकते कि आप विधान सभा में हर जगह घूमो। यह सम्भव नहीं है। मैंने भी अख़बार में पढ़ा है हमारे साथी कह रहे हैं कि आपातकाल लगा दिया। यह करा दिया। न तो आपातकाल लगाया, एक अध्यक्ष के रूप में अनुशासनप्रिय अध्यक्ष और सर्वप्रिय अध्यक्ष में अन्तर है। मैं अनुशासनप्रिय अध्यक्ष बनना चाहता हूं, सर्वप्रिय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता इसलिए मुझे

(श्री अध्यक्ष)

कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और कठोर निर्णय मैंने लिये हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चिन्ता नहीं करें। मुझे जानकारी है कि आपकी प्रोसिडिंग नहीं आयेगी, पर यू-ट्यूब पर आपकी प्रोसिडिंग जा रही है, डोंट वरी। जो भी हाउस में हो रहा है यू-ट्यूब पर लाइव जा रहा है। पत्रकार आये तो वैलकम है। पत्रकार नहीं आये तो वैलकम है। जमाना बदल गया है, टैक्नोलोजी बदल गयी है। पत्रकार नहीं आ रहे तो लाइव यू-ट्यूब के अन्दर आज की विधान सभा की कार्यवाही आ रही है। आप चिन्ता नहीं करें। आपकी पूरी कार्यवाही ठीक ढंग से जा रही है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए अनुशासन को लागू करने के लिए अनप्लेजेंट काम करने की मेरी जिम्मेदारी है, वह मैं करूंगा। कोई भी डिसिजन प्लैजर के लिए नहीं होता है, every decision is linked with displeasure. तो मुझे यह डिस्प्लैजर होने दीजिये। मैं आपको बैठाऊंगा भी सही। दो प्रश्न उठाने का मौका भी दूंगा। ज्यादा प्रश्न आये, यह भी काम करूंगा। मंत्री को भी रोकूंगा। यह सब काम मैं करूंगा। आप इस काम में मेरी मदद करें। आप उस काम में मदद नहीं करें। आप विधायक के रूप में हैं, पत्रकारों द्वारा आपकी जनता को आपकी जानकारी मिले, प्रसन्नता है। एक अध्यक्ष के रूप में मेरा फोटो आये यह जरूरी नहीं है, पर सदन सुचारु रूप से चले, सुव्यवस्थित ढंग से चले, सदन में चर्चा हो, सही ढंग से वाद-विवाद हो, जनता की समस्याओं का निराकरण हो, यह जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में मेरी है, उसको आप सबके सहयोग से पूरा करूंगा। आप भी मेहरबानी करके मेरी मदद करिये। मैं सदन को ठीक चलाऊंगा। धन्यवाद।

मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी है...। प्लीज। नीचे बैठें। प्लीज। माननीय सदस्य, नीचे बैठें। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): 000

श्री अध्यक्ष: आप सुन नहीं रहे हैं क्या? आप पहली बार आये हो सदन में? सदन की कार्यवाही के नियम समझिये। बैठिये आप। मुझे नाम लेना पड़ेगा। बैठिये आप। प्लीज बैठिये आप। आपकी पार्टी के नेता को मुझे कहना पड़ेगा सिखाएं आपको।

सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव। श्री रामलाल शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

टमाटर व प्याज उत्पादक किसानों को आर्थिक हानि

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा की प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो विषय आम आदमी से जुड़ा हुआ है। एक किसान से जुड़ा हुआ है। धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाला किसान है। सभी माननीय सदस्य किसान की चर्चा करते हैं। सभी माननीय सदस्य किसान की दशा सुधरे उसकी भी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, मंत्रियों से यह कहें कि सीट पर रहें शून्य काल में। अब उनकी सीट पर अगर वो बात करने लग जाये यहीं अपने आफिस का काम निपटाने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई मंत्रीजी कहां बैठे हैं, कोई मंत्रीजी कहां। इनको थोड़ा यह भी कहें।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित किया उसके लिए धन्यवाद। माननीय रामलाल जी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में सबसे ज्यादा सब्जी की पैदावार होती है और जयपुर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं, आमेर, झोटवाड़ा, बस्सी, शाहपुरा, विराटनगर क्षेत्र में जिस सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह टमाटर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान बीज उधार लेकर आता है, खाद उधार लेकर आता है और फिर अपनी पैदावार की शुरुआत करता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पूरा परिवार मेहनत और परिश्रम करने के उपरांत जब टमाटर की पैदावार शुरु होती है और वह मण्डी में लेकर जाता है तो उस किसान को उसका उचित भाव ही नहीं मिलता और आज जयपुर जिले की अगर स्थिति देखें तो जयपुर जिले में टमाटर उत्पादन करने वाले किसानों की दशा यह हो गई कि टमाटर खरीदने वाले व्यापारी दो रुपये किलो में भी टमाटर खरीदने की स्थिति में नहीं हैं और आज जब किसान इतनी मेहनत और परिश्रम करके अगर औसतन हम देखें तो एक बीघा जमीन में लगभग पचास हजार रुपये का खर्चा आता है। पचास हजार के खर्चे के बाद किसान को दस हजार प्रति बीघा भी टमाटर से नहीं मिल रहा है।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय भी एक किसान परिवार से आते हैं। वे किसान की पीड़ा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आज इस सदन में वे मुझे आश्वस्त जरूर करेंगे कि जो किसान की टमाटर की पैदावार की दुर्दशा हो रही है, कुछ दिनों पहले बरसात होने से भी किसान की टमाटर की फसल का नुकसान हुआ था। तेज हवाएं चलने की वजह से भी टमाटर की फसल का नुकसान हुआ था और उस नुकसान के बावजूद भी किसान जो कुछ उसके पास टमाटर बचा, उसको मण्डी में बेचने के लिए जाता है तो व्यापारी उसको लेने से भी इन्कार करते हैं। आधा टमाटर आज वो खेत में तोड़ने की स्थिति में भी नहीं है। आज किसान का टमाटर खेत में काफी मात्रा में पड़ा हुआ मिलता है। अध्यक्ष महोदय, आज किसान की जो दशा है उसमें मैं चाहता हूं कि जयपुर जिले में कई किसान इस दौर से गुजर चुके हैं। प्रदेश में कई माननीय सदस्य भी इस बात की चिन्ता जाहिर कर चुके हैं। चाहे वो हनुमानगढ़ की घटना हो, चाहे सीकर की घटना हो, चाहे जालौर की घटना हो, कई किसानों ने जिस प्रकार से आत्महत्या की है, मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में जयपुर जिले के किसानों को भी इस दौर से गुजरना पड़े और आज माननीय मंत्री महोदय से मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप भी किसान के बेटे हैं, खेत से जुड़े हुए हैं, किसान की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान को टमाटर का उचित भाव मिल सके इसकी आप समुचित व्यवस्था कराने का श्रम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाड़मेर के जसौल ग्राम दु:खान्तिका के मृतक एवं घायलों को आर्थिक सहायता

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-50 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दु:खद घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो जसौल गांव में बाड़मेर जिले में रामकथा के दौरान हुई जिसमें लगभग 15 व्यक्तियों का देहान्त हो गया और लगभग पचास से ऊपर

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लोग घायल हैं। चार लाख रुपये एनडीआरएफ के थ्रू दिये हैं मृतक के परिजनों को और एक लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिये हैं और जैसा कि बताया गया है पचास से ज्यादा लोग पीड़ित हैं जिनको मात्र दो-तीन हजार का चैक देकर आपने उस घटना को बहुत ही साधारण घटना मानते हुए इसका निष्पादन किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी घटना पर जहां केन्द्र सरकार ने चार लाख रुपये एनडीआरएफ से दिये हैं और राज्य सरकार ने मात्र एक लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे वक्त भी इसी प्रकार की मालपुरा में घटना हुई थी जहां बिजली से 18 लोगों की मृत्यु हुई, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने दस लाख रुपये का पैकेज दिया था। पांच लाख रुपये डिस्काम के माध्यम से दिये और पांच लाख रुपये एनडीआरएफ और मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से दिये। लगभग दस लाख रुपये मृतक के परिजनों को दिये थे।

मेरा आपसे अनुरोध है और खास तौर पर जो घायल लोग हैं, मुझे जो सूचना मिली है, उन व्यक्तियों को मात्र 2-4-5 हजार रुपये का चैक देकर इस घटना को साधारण घटना में तब्दील कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वहां बिजली का कनेक्शन था, भले ही अनआफिशियल कनेक्शन लिया हो लेकिन वहां बिजली के करंट से लोग मरे हैं, क्या डिस्काम उनको 5 लाख रुपये नहीं दे सकती? जो लोग उस टैंट में बिजली के करंट से मरे हैं तो डिस्काम का भी दायित्व है, बिजली के करंट से ऐसी कोई आपदा हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति डिस्काम भी दे सकता है। खास तौर से जो व्यक्ति अभी भी उपचार ले रहे हैं, उनको सहायता राशि उपलब्ध कराएं, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: आप खुद जानते हैं, सीनियर आदमी हैं। श्री कालीचरण सराफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अनुत्तरित सवाल जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि सरकार क्या करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, आप बैठें। माननीय राजेन्द्र जी, आप सीनियर लीडर हैं प्लीज। कालीचरण सराफ। (व्यवधान) आप बैठें प्लीज, आप विराजें। मुझे जानकारी है, आप विराजिए। कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आज तक यह परम्परा रही है कि जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव आता है तो उसमें संबंधित मंत्री उसका जवाब देते हैं, परन्तु यहां कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलें प्लीज।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हैल्थ वर्कर पदों पर भर्ती

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कम्युनिटी हैल्थ आफिसर्स की 2500 पदों की भर्ती निकाली गई और उनको आनन फानन में रद्द कर दिया गया, इससे उत्पन्न स्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 मई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में कम्युनिटी हैल्थ आफिसर्स के 2500 पदों की भर्ती निकाली गई और माननीय मंत्री महोदय ने 17 मई को स्वयं ने ट्विटर पर इन पदों की भर्ती की जानकारी दी और उन्होंने अपने Twitter पर लिखा कि चिकित्सा विभाग में बेरोजगारों के लिये बड़ी खबर 2500 पदों पर भर्ती होगी। जब 2500 पदों की भर्ती की बात की गई तो निश्चित रूप से इस घोषणा से बेरोजगार नौजवानों में आशा की किरण जगी कि चलो हमें रोजगार मिलेगा। परन्तु हमारे प्रदेश के बेरोजगारों का दुर्भाग्य है कि 21 जून को माननीय मंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट आया कि मेरे को इन पदों की भर्ती की जानकारी नहीं है और आनन फानन में 22 जून को जो इस भर्ती की परीक्षा होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया और एसीएस महोदय ने एनएचएम की पूरी एसआर सैल को और वरिष्ठ सहायक अशोक भंडारी जी को सस्पैंड कर दिया। यह कहा गया कि इसमें कुल 30 हजार आवेदन आये हैं और अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये डेढ़-डेढ़ लाख रुपया इसमें वसूल किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि 17 मई को आप स्वयं Twitter पर लोगों को यह जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य

(श्री कालीचरण सराफ)

मिशन (NHM) में 2500 पदों की भर्ती निकाली गई है, तो क्या कारण रहे कि आपने इस भर्ती को रद्द कर दिया? मैं आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब यह भर्ती केन्द्र की गाइड लाइन के हिसाब से राज्य के सक्षम स्तर पर अनुमति लेकर, चुनाव आयोग की अनुमति से निकाली गई और इसी माह मई माह की शुरुआत में केन्द्र की ओर से जो गाइड लाइन आई कि 30 जून को इस भर्ती को पूरा कीजिए और 30 जून तक इस भर्ती को पूरा नहीं किया तो जो 'Project implementation program' का 20 प्रतिशत पैसा जो पैनेल्टी के रूप में काटा जायेगा, मैं पूछना चाहता हूं कि 3 हजार करोड़ रुपये जो केन्द्रीय सरकार के 'Project implementation program' के लिये है, उसका 20 परसेंट 600 करोड़ रुपया जो काटा जायेगा, उसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक एमडी को हटा दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। जो +++ बोलकर मंत्रीजी ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है, मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे +++ बोलने वाले मंत्री को तुरन्त प्रभाव से बर्खास्त किया जाये और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाये और यह पूछा जाये कि मंत्रीजी का पहले ट्विटर पर यह कहना कि मुझे इसकी जानकारी है, वह जानकारी दे रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अशोक लाहोटी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उसके बाद उनकी क्या नीयत थी, क्या मंशा थी कि उन्होंने यह कहा कि मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। जो 600 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ है, उसके लिये कौन जिम्मेदार हैं और जो 2500 नवयुवकों को रोजगार मिलना था उनको अब रोजगार नहीं मिल रहा, उसके लिये कौन जिम्मेदार है? केवल एमडी को हटा दिया, इससे काम नहीं चलेगा, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिये और चिकित्सा मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिये, यह मेरी मांग है आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी। (व्यवधान) आप बैठें, आप बैठें, बहुत गम्भीर है, आप भी बहुत गम्भीर है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, कोई रिकार्ड नहीं होगा, अशोक लाहोटी।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: अशोक लाहोटी। माननीय कटारिया जी, डिबेट बंद करनी है, डिबेट बंद करनी है? यह अलाउ नहीं होगा, यह कोई तरीका नहीं है। डिबेट बंद करनी है, बंद कर देते हैं। न ही भाग लेते हैं, न नाम देते हैं, आप खड़े होकर बोल जाते हैं, सीनियर आदमी हैं। कोई परम्परा होती है, कोई नियम होता है, आपने दिया है इसमें कुछ, आपका नाम है इसमें? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिये, आप सीनियर आदमी हैं। माननीय अशोक लाहोटी जी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव में मुझ नये सदस्य को एक मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण जी ने बताया कि जिस प्रकार से यह पूरा घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, यह अपने आपमें एक अनोखा और अलग घटनाक्रम हुआ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई डिपार्टमेंट के मंत्री का इकबाल इतना खतम हो जाये कि मंत्री यह कहने लग जाये कि मेरे पास फाइल नहीं आई। मंत्री यह कहे कि मेरे पास कोई कागज नहीं आया, मुझे कोई जानकारी नहीं और जैसा अभी कालीचरण जी ने बताया और यह इनके Twitter का फोटो है, इन्होंने 17 मई को Twitter पर लिखा है कि इस प्रकार की हमने भर्तियां निकालीं और वाहवाही लूटने के लिये उस Twitter पर इनको लोगों ने फालो भी किया है। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आपमें एक जानकारी दी है। योग्यता के बारे में पूछा, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसके बाद 14 जून को यह नोटशीट लिखते हैं। अध्यक्ष महोदय, 14 जून को मंत्रीजी ने नोटशीट पर इस पूरे घटनाक्रम की योग्यता के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद अचानक जब मंत्रीजी को पता चला कि पता नहीं इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, इनकी बातें मानी या नहीं मानी, योग्यता में इनके लोग आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, 20 जून को ...(व्यवधान) अब एक डेढ़ लाख रुपये का तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे कहूं सदन है यह, लेकिन अख़बार में तो आया है। अध्यक्ष महोदय, 20 जून को मंत्रीजी अचानक यह कहते हैं कि मेरे पास तो कोई फाइल ही नहीं आई, मुझे जानकारी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, यह राजस्थान की 7 करोड़ जनता का अपमान है। यह सरकार में बैठे हुए मंत्री जनता के लिये उत्तरदायी हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कहना, +++ बोलना और खुद ही अपने एवीडेंस प्रूफ दे रहे हैं और इस प्रकार का असत्य बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो चिंता मंत्रीजी की

(श्री अशोक लाहोटी)

भी हो रही है। मंत्रीजी की चिंता इसलिए हो रही है कि हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि इनका पग फेरा ही गलत हो गया। यह मंत्री बने जब से राजस्थान में चिकित्सा में दुविधा ही दुविधा आ रही है। यह मंत्री बने तब पहले खुद बीमार हो गये। उसके बाद स्वाइन फ्लू के इतने केस आज तक कभी नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: वाइंडअप करें, वाइंडअप करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): एसएमएस हास्पिटल में आग लग गई। मैं तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से इतना कहूंगा कि उनकी कोई बड़े ओहदे पर जाने की चर्चा चल रही है, यदि मंत्री महोदय +++ बोलने में कलाकार हैं और इतने सक्षम हैं तो वह किसी बड़े पद पर जाये, राजस्थान को आजकल बड़ा पद मिल भी रहा है और ज्यादा लग रहा हो तो इनको मुख्य मंत्री बना दें। अगर उनको इतनी ज्यादा चिंता हो रही हो और लग रहा हो कि इतने सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य वासुदेव देवनानी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस तरह के घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, मंत्री को बर्खास्त करें ताकि राजस्थान का कोई मंत्री दुबारा इस तरह की गुस्ताखी न करे, कभी +++ बोलने की गुस्ताखी न करें, जनता को बेवकूफ समझने की गुस्ताखी न करें, 7 करोड़ जनता का अपमान न करें, अध्यक्ष महोदय, आप सदन से यह व्यवस्था दें, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: वासुदेव देवानानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीर घटना का जिक्र मेरे से पूर्व दो सदस्यों ने किया, वास्तव में बहुत गम्भीर बात है, क्योंकि इस मुद्दे पर सबसे पहले 15 जनवरी, 2019 को ये सारे कंपोनेंट्स की अप्रूवल के लिये भारत सरकार के पास प्रस्ताव गया। भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2019 को पूरी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कीं। 2005 में एक एमओयू हुआ है, जिसमें 40 परसेंट स्टेट और 60 परसेंट केन्द्र को देना है, फाइनेंस के साथ। उसके बाद दुबारा किसी अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होती है और आज मंत्रीजी और एसीएस कहते हैं कि हमको पता नहीं है। एसीएस ने 26 अप्रैल को, वहां पर एक्जीक्यूटिव की

(श्री वासुदेव देवनानी)

मीटिंग की अध्यक्षता की है, उस मीटिंग में यह सारी चर्चा होकर अप्रूव हुए हैं। इसके मिनिट्स 8 मई को अप्रूव हुए हैं। यह बिलकुल खुला है कि सारी चीजें जानकारी में थीं और फिर जब 16 मई को विज्ञप्ति अखबारों में आती है। क्या मंत्रीजी अख़बार नहीं पढ़ते? 16 मई से लेकर 21 जून तक उनको यह जानकारी ही नहीं है कि कुछ हुआ है और होने के बाद जब आपके पास बीएएमएस के डाक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल आता है। आप उनको एक पत्र के द्वारा सूचित करते हैं कि अनुभव की कमी और बाकी आपको क्या शामिल किया जा सकता है। आप उनको आश्वासन देकर डिपार्टमेंट से जानकारी मांगते हैं, लेकिन आप कहते हो कि मुझे जानकारी नहीं है। इस प्रकार का +++ आज तक कभी नहीं बोला गया। उसके साथ कभी अखबारों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कमप्लेटें कहां है, कमप्लेंटेंट कौन है, इसकी जानकारी दी जाए। उसकी जांच के लिये आपने क्या किया है? आपने फिर जांच अधिकारी एसीएस को बनाया। एसीएस तो खुद सारे प्रोसेस में इन्वाल्व है। यदि सस्पैंड होना चाहिए था तो एसीएस होना चाहिए था। यदि फाइल आप तक नहीं आयी तो यह जिम्मेदारी एसीएस की है। कौनसी फाइल कहां तक जानी है, यह एसीएस के माध्यम से आती है। उसको जांच देकर, केवल छोटे अधिकारियों को जो सज़ा देने का आपने प्रयास किया है, वास्तव में निंदनीय है, उसके अलावा 2500 लोगों के लिये 30 हजार आवेदनकर्ताओं के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, मैं समझता हूं इसके लिये जनता आपको माफ नहीं करेगी। चूंकि आपका केकड़ी ब्लाक नहीं आया, आपके लोग उसमें नहीं आ रहे थे। मैं आरोप लगाना चाहता हूं आपके पास उसका सारा हिस्सा नहीं आया। इसके कारण से आपने उसको रद्द किया है। निश्चित रूप से यह बर्दाश्त नहीं होगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद माननीय सदस्य। समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं मांग कर रहा हूं कि एसीबी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर हो सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय राजेन्द्र राठौड़, बजरी पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जवाब तो दिलवाओ आप। ये क्या बात?

श्री अध्यक्ष: जरूरी नहीं है। आप बैठें। माननीय राजेन्द्र राठौड़, आपको बोलना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बोलने दो फिर।

श्री अध्यक्ष: बोलो।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: बैठिए प्लीज बैठिए। डोंट कम्पैल। आप बैठिए। रिकार्ड नहीं होगा। राजेन्द्र राठौड़ आप बोलिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए प्लीज, हो गया बहुत। आप बैठिए। राजेन्द्र राठौड़ साहब, बोलना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय,

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। कटारिया साहब, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं। I've to take unpleasant call. ये सुबह से फैसला करके आये हैं। I don't want to set up a wrong precedent. पहली बार आये हैं, शायद इनको यही तकलीफ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जो संवेदनशील मुद्दा मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज बैठें। आप मंत्री रहे हैं। राठौड़ साहब, बोलिए प्लीज। राठौड़ साहब, बोलना है, मैं अगला शुरु करूंगा। आप बोलिए प्लीज, बोलना है तो।

बजरी माफिया द्वारा अवैध खनन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जो संवेदनशील मुद्दा मैं सदन के सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार उसका भी जवाब नहीं देगी। अध्यक्ष महोदय, हम रहें, न रहें, यह सदन रहता है। सदन का रिकार्ड सदियों तक लोग पढ़ते हैं और उस सदन के रिकार्ड पर जब यह बात आयेगी कि एक मंत्री पर पूर्व के मंत्री ने आरोप लगाया और मंत्रीजी अपनी सीट पर बैठे-बैठे मुस्कराते रहे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए प्लीज। आप ये बंद करिए। आप किस पर बोल रहे हैं? यह कोई तरीका नहीं है। आप जिम्मेदार आदमी हैं। नहीं बोलना तो बात अलग है, दूसरा शुरु करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपका भी इतिहास जब मैं पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप मेरा इतिहास बाद में पढ़ लेना, पहले आप स्थगन पर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप जैसे संवेदनशील और...

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया, माननीय सदस्य, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। आप बैठिए फिर। हो गया आपका। मान लिया गया, पढ़ लिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज एक प्रमुख समाचार पत्र ने एक विज्ञापन लिखा और उस विज्ञापन में लिखा 'फ्राइडे पोस्टर, कब होगा बजरी माफिया का गेम ओवर, देखते रहिये विधान सभा का एक्शन' अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन इसलिए लगाया है कि वह प्रमुख समाचार पत्र लिखता है - 'मुद्दा है, पर इनको टाइम नहीं, स्क्रिप्ट तैयार है, सब्जेक्ट तैयार है, बजरी माफियाओं का आतंक है, क्लाइमेक्स होना है, परन्तु विधान सभा मौन है।' अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अखबारों की सुर्खियों में बजरी माफियाओं का आतंक कोई नया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण यहां दिलवाया। संसदीय कार्य मंत्रीजी, उस समय आपने 17 जनवरी को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 27 के पैरा 66 में कहलवाया - 'विगत वर्षों से अवैध बजरी खनन से आदमी को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसे हल करने का प्रयास करेंगे। खनिज बजरी की खातेदारी भूमि में 4 हैक्टेयर तक के खनन पट्टे संबंधित खातेदार को आबंटित करने की कार्यवाही करेंगे और खनिज बजरी के विकल्प को भी ढूंढने का काम करेंगे, एम-सैण्ड पालिसी लेकर आयेगे' यह आपने इसी सदन के अंदर 17 जनवरी, 2019 कहा है। यही नहीं, जिस जन घोषणा-पत्र को आपने अपना नीति पत्र बनाया, उस जन घोषणा-पत्र के पृष्ठ-19 पर आपने लिखा - 'राजस्थान की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आवाम को प्रदेश में बजरी खनन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर यथोचित समाधान करने का हम आश्वासन देते हैं' यानी आज आपकी सरकार लगभग 190 दिन पूरा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हालत क्या है कि बजरी माफिया आतंक का पर्याय बन चुका है। यह मैं नहीं कह रहा। राजस्थान की पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी साहब 14 मई को कहते हैं कि बजरी माफिया राज्य में आतंक का पर्याय बन गया। अपने साक्षात्कार में कहा कि राजस्थान में बजरी माफिया पनप रहा है, सरकारी तंत्र माफिया को पनपाने में मददगार, हम लाचार हैं। यानी राजस्थान का डीजीपी कह रहा है कि बजरी माफिया के सामने हम लाचार हैं। हो क्या रहा है, अध्यक्ष महोदय, एक हजार से ज्यादा अपराधी, शराब तस्कर और हिस्ट्रीशीटरों के गठबंधन से ऐसा गठबंधन तैयार हो गया कि आज चाहे पुलिस हो, चाहे यातायात पुलिस हो, चाहे खनन विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, सारे इस गठबंधन के सामने नतमस्तक हो गये और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की पिटाई रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, हालात इतने बुरे हैं कि एसपी धौलपुर पर बजरी माफिया फायरिंग तक कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे भी बड़ी बात यह है कि इस राजस्थान की राजधानी के करधनी इलाके में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यातायात मंत्रीजी आप इस मामले में उस शोकाकुल परिवार के पास गये। किशोर सिंह का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका जो रिहायशी इलाका था, जिस सोसाइटी का वह अध्यक्ष था, वहां रोज बजरी के डम्पर दनादन चले आ रहे थे। उसने वहां कहा कि बजरी के डम्पर मेरे इलाके से नहीं जायेगे। उसको चेतावनी दी कि आपने रोका तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और किशोर सिंह को चेतावनी देकर कुचलकर मार दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदय, आपने कल समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा, एक नौजवान अजय मीणा और सुनिता मीणा की शादी होती है। लाल पोशाक के अंदर सुनिता मीणा विधवा हो जाती है और कारण बनता है कि बजरी का भरा एक ट्रोला आता है, सभी जगह बंधी देकर आता है, टोंक से आता है, सीकर हवाई अड्डे पर चढ़ता है, एक आरटीओ का कारिंदा, जिनको अपनी मंथली नहीं मिली, वह उसका पीछा करता है और वह ट्रोला आकर टक्कर मारता है। दूल्हे की मौत हो जाती है और दुल्हन का सुहाग उजड़ जाता है, इस प्रकार की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हालत है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली 20 जून को ब्यावर के अंदर एसडीएम जाते हैं। बजरी के ट्रक को रोकते हैं। बजरी का ट्रक उन्हें टक्कर मारता है। एक एफआईआर दर्ज होती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। आज अवैध बजरी एक सोना उगलने का माध्यम बन गया और राजस्थान की राजधानी में, अध्यक्ष महोदय, मैं रोज की बात कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, 6 करोड़ की बजरी 400 ट्रकों के माध्यम से सरेआम काला कारोबार हो रहा है। ऊपर तक बंधी है। अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े लोग मिले हुए हैं और यही नहीं राजस्थान के जो बड़े शहर हैं, प्रतिदिन 10 करोड़ की अवैध बजरी राजस्थान के बड़े शहरों में सवाईमाधोपुर और टोंक से निकलकर आती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, हालात इतने बिगड़ गये कि इसी 4 मई को राजस्थान का उच्च न्यायालय सरकार को नोटिस देता है कि सारे एसपी इसकी मोनिटरींग करें, चैक पोस्ट लगाएं, सीसीटीवी कैमरा लगाएं। आपने देखा होगा कि हमारा राष्ट्रीय घड़ियाल अभियान धौलपुर में है और घड़ियाल का वहां प्रजनन का समय 20 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में होता है। घड़ियाल तट पर आकर प्रजनन करते हैं। इस बार वह प्रजनन इसलिए नहीं हुआ कि बजरी माफियाओं ने चम्बल के किनारों को खोद डाला और चम्बल के किनारों पर अवैध बजरी के ट्रक के ट्रक खड़े कर दिए, इतने ढेर लगा दिए कि घड़ियाल वहां पहुंच नहीं पाया। मुख्य मंत्रीजी जून के दूसरे सप्ताह में समीक्षा करते हैं परन्तु ढाक के तीन पात। न्यायिक विवाद के कारण 17 नवम्बर, 2017 से आज राजस्थान में वैध बजरी बंद है और राजस्थान में वैध बजरी बंद होने का अगर मुख्य दोष किसी का है तो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय हुआ था। मैं जल्दी खतम करूंगा। मैं रिलेवेंट बात सदन को बताना चाहता हूं। राजस्थान की आवाम जानना चाहती है कि आज वैध बजरी क्यों बंद हुई? एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में दीपक कुमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा, उस पर 27 फरवरी, 2012 को एक निर्णय हुआ और वह निर्णय इसलिए हुआ कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर बजरी को रिवर बैल्ट के अंदर अनियमित तरीके से खोदा जा रहा था, पर्यावरण का सवाल खड़ा हुआ और उन्होंने यह कहा 27 फरवरी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2012 को कि रिवर बैल्ट में बजरी खनन के लिए स्पेसिफिक स्टेट वाइज परमिट दो। लीज के आधार पर दो और पर्यावरण संरक्षण के सुरक्षा मापदंडों को रेग्यूलेट करें। खनन तीन मीटर से ज्यादा नहीं हो और किसी पुल के समीप कोई सेफ्टी जोन हो, वहां खनन नहीं हो। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को जो 01.06.2010 को पत्र लिखा था, उसके आधार पर यह लिखा उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार के मंत्री के पत्र की पालना करो। लीज की न्यूनतम 5 हैक्टेयर होनी चाहिए, सारी चीजें उन्होंने लिखीं। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बैठाने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट से ज्यादा हो गए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 17 फरवरी, 2012 का निर्णय था, 6 महीने तक तत्कालीन गहलोत सरकार को इस आदेश के अनुसार बजरी के खनन की कार्यवाही करनी थी, परन्तु सरकार क्या करती है, मंत्री महोदय आप बता दो। आपकी सरकार थी। 21 जून, 2012 को आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया और सर्वोच्च न्यायालय को धता बताते हुए आपने पुराने तरीके से पूर्व में जो नियम थे बजरी के, वह नियम थे 1986 के आरएसएमएमसीआर उसमें न लीज की जरूरत थी, न कोई एनओसी की जरूरत थी, रायल्टी के आधार पर बजरी निकाली जाती थी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 जून, 2012 को सुप्रीम कोर्ट की अनुपालना नहीं करते हुए एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन पर हाइ कोर्ट ने स्टे किया। हाइ कोर्ट के स्टे के बाद यही सरकार जब गहलोत साहब थे, तब यह गये सर्वोच्च न्यायालय में 21 मार्च, 2013 को एक एसएलपी में और 25 नवम्बर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 82 लीज होल्डर जिन्होंने खुली नीलामी में बजरी की लीज ली है, उनको एक बार टेम्परेरी तौर पर अनुमति दी जाती है। उसके बाद सरकार बदल गई। यह सारा का सारा काम नई सरकार वसुन्धरा जी की सरकार पर आ गया और वसुन्धरा जी की सरकार ने जो फैसला इन्होंने किया, उसको लागू किया। आज की तारीख में अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव है मान्यवर, जनरल डिबेट नहीं है। प्लीज वाइंडअप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या वाइंडअप करूं अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव है। आप सीनियर आदमी हैं। कोई घंटा भर थोड़े ही बोलेंगे आप। दस मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार पर आरोप है कि सरकार बजरी माफियाओं के साथ गठजोड़ में है। सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठे। प्लीज वाइंडअप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब नहीं देती इसका मतलब यह है कि ....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गठजोड़ के सरगना थे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सभी बैठिए। प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य वाइंडअप करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठिए प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य अब आप वाइंडअप करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जो पाप पूर्ववर्ती सरकार ने किया .....

श्री अध्यक्ष: वाइंडअप करिए आप माननीय सदस्य। आधा घंटा थोड़े ही बोलेंगे। स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: अलग तरह से लेकर आइए। आप बैठिए प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह समस्या पिछले लम्ब समय से है और इसके कारण से सारा राजस्थान परेशान है। जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है वह परेशान है, जो लेकर आ रहा है और जो रोकने का प्रयास करता है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी अगर सरकार अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान के लिए नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप बोलें। क्या कहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: संयम जी, प्लीज बैठिए। समाप्त हुआ। सभी नीचे बैठिए।

शकुन्तला जी, प्लीज बैठिए। चर्चा समाप्त हुई 295, श्री जोराराम कुमावत।

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर इस विषय पर भी सरकार जवाब नहीं देती तो हम वाक आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत, श्री गिरधारी लाल। प्लीज आप सब बैठिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जब सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाए तो हमें बोलने दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): या फिर इसे बंद कीजिए। आप जो यह सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनको बंद कराएं नहीं तो हमें बोलने दीजिए। हमारे जवाब से डरकर भाग गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बैठिए प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब हम पर आरोप लगते रहें और हम चुपचाप बैठे रहें।

श्री अध्यक्ष: मैं चला जाऊं छोड़कर?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पर आरोप लगे और हम जवाब नहीं दे पाएं।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.49 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.19 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री जोगाराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अंतर्गत आपने मुझे सुमेरपुर की समस्या उठाने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

सबसे पहले तो निवेदन करूंगा, आपने जो नाम बोला, जोगाराम कुमावत, जोगाराम नहीं है, जोराराम कुमावत है। इसको थोड़ा संशोधित कर लें।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत, नम्बर 64।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

स्वीकृति के बावजूद भी सड़कों का कार्य पूर्ण न होने से आमजन को परेशानी

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से गत वर्ष स्वीकृत निम्न कार्यों बाबत निवेदन है:-

- रूपावास से पाली तक सड़क निर्माण
- जोधपुर हाई-वे घुमटी चौराहा से जवड़ीया व केरला तक सड़क निर्माण
- साली से चाणोद तक सड़क निर्माण
- डरी से भावनगर तक सड़क निर्माण

(श्री जोराराम कुमावत)

- गिरवर से कुरना तक सड़क निर्माण
- मनिहारी से लच्छानाडा तक सड़क निर्माण
- भांवरी से गोदावास तक सड़क निर्माण
- खेड से टेवाली तक सड़क निर्माण
- धनापुरा से नेहरू नगर सड़क निर्माण
- बांकली से भारुंदा तक सड़क निर्माण
- दुजाना गांव में गौरव पथ
- बलवना गांव में गौरव पथ
- गिरादड़ा गांव में गौरव पथ

इन सभी कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी, कार्यादेश भी जारी हो गये। संवेदकों ने कार्य भी शुरु कर दिये। कई जगह WBM कार्य हुआ है, कई स्थान पर खुदाई हुई है कई स्थानों पर निर्माण सामग्री रोड पर डाली हुई है और यह सभी कार्य आज भी बंद पड़े हैं। इन अधूरे कार्यों से आमजन का सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है, नित रोज दुर्घटनाएं होती हैं। यह सड़कें आमजन को सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृत हुई थीं परन्तु अब यह मौत का सफर बन गयी हैं। अधिकारियों से शिकायत करने पर यह हवाला दिया जाता है कि सरकार ने बजट नहीं दिया है, रोक रखा है।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि जनहित में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित कराएं, जिससे आमजन को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर जिले में किसानों को हो रही आर्थिक हानि

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि बीकानेर जिले में किसान बहुत बड़ी मात्रा में मूंगफली की पैदावार करता है, लेकिन सरकार किसान से समर्थन मूल्य पर केवल 25 क्विंटल मूंगफली ही खरीदती है, जिसके कारण किसान को अपनी पैदावार का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। परिणामस्वरूप किसान न तो समय पर बिजली का बिल चुका पाता है और न ही कर्ज की किस्त चुका पाता है।

(श्री गिरधारीलाल)

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक किसान की मूंगफली, सरसों, चना सहित सभी फसलों की सम्पूर्ण पैदावार की खरीद सरकार सुनिश्चित करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर के अति प्राचीन गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत राज्य सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक गंगलाव तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। सरकारी तंत्र की मिलीभगत और लापरवाही से इस तालाब के जल भराव क्षेत्र और तालाब के स्वयं के क्षेत्र पर गम्भीर अतिक्रमण करके आवासीय एवं व्यावसायिक इमारतें बना ली गईं और रही सही कसर तालाब में बेतहाशा मलबा डालकर इसे डम्पिंग स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया। वर्तमान में यह तालाब गंदे पानी के कीचड़ और शेष बचे क्षेत्र में अतिक्रमण और मलबे से अटा पड़ा है। इस मामले को मैंने स्वयं ने अनेक बार सरकार के हर स्तर पर उठाया है, परन्तु अतिक्रमियों को लाभ पहुंचाने और उनसे सांठ गांठ के चलते हितबद्ध नगर निगम के अधिकारियों और कार्मिकों ने सदैव उक्त अतिक्रमण हटाने से गुरेज़ किया है। इस कारण बार-बार योजना बनने के बावजूद उक्त तालाब का स्वरूप सुधरने के स्थान पर बिगड़ता ही जा रहा है। मेरी मांग है कि:-

- गंगलाव तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की समयबद्ध योजना बने और इस हेतु राज्य सरकार की ओर से विशेष बजट आबंटित किया जाये।
- गंगलाव तालाब के अतिक्रमियों को स्थानान्तरित किया जाये। अतिक्रमियों के बिजली पानी कनेक्शन काटे जाएं। इन अतिक्रमणों के लिये जिम्मेदार कार्मिकों, अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे। व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन वाले अतिक्रमण स्थलों को अविलम्ब सीज कर समतल कर दिया जाएं और वहां

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

नगर निगम सम्पत्ति का बोर्ड लगाया जाएं।

- गंगलाव तालाब के चारों ओर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाकर प्रभावी मोनिटरिंग की जाएं।
- गंगलाव तालाब के केन्द्र में तालाब का स्वरूप बरकरार रखते हुए प्राचीन मंदिरों का स्वरूप निखारा जावे और शेष बचे क्षेत्र में वाकिंग ट्रैक, चिल्ड्रन पार्क का विकास किया जाएं। सादर।

श्री सभापति: श्री गोविंद राम।

इन्दिरा गांधी नहर एवं उसकी वितरिकाओं की मरम्मत

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत आपका ध्यान आई.जी.एन.पी. नहर की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त नहर 1965-70 के बीच बनी थी। इसकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण 18000 क्यूसेक की नहर मात्र 11800 क्यूसेक पानी ले पा रही है। खाजूवाला व बीकानेर जिले की नहरें भी 1970 के आसपास बनी थीं, वे टूट चुकी हैं, जिसके कारण पूरा पानी लेने में सक्षम नहीं हैं। इस कारण, खाजूवाला क्षेत्र सभी नहरों के टेल पर है, इसलिये टेल के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने से उनकी फसलें पक नहीं पातीं, कई नहरों के टेल पर पीने का पानी भी नहीं मिलता, इस कारण किसान आर्थिक रूप से पिछड़ चुका है तथा खाजूवाला की KYD, KJD, BD, KLD, PB. DODD, DD, KHM, BLD, AD सभी नहरें इन्दिरा गांधी नहर से निकलती हैं। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इन सभी नहरों के लिये विशेष पैकेज बनाकर बजट देने का कष्ट करें तथा आई.जी.एन.पी. सहित सभी नहरों की मरम्मत के लिये केन्द्र सरकार से भी बजट की मांग करें। अन्यथा यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया तो नहरें और टूट जायेगी तथा अभी बारिश का समय आ रहा है, इसमें नहरें तीन-तीन जगह से टूटने का डर है। पिछले वर्ष भी वर्षा के समय कई जगह से नहरें टूटी थीं। इसलिये मेरी मांग है, यदि किसान को बचाना है तो नहरों की मरम्मत जरूरी है। चूंकि पिछली सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इस कारण नहर व माइनरों के हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ व मशीनों की अव्यवस्था

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों, नर्सों एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों एवं जांच मशीनों की खराबी के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ में काफी वर्षो से डाक्टरों के स्वीकृत पद 14 होने के उपरान्त भी वर्तमान में 3 चिकित्सक ही पदस्थापित हैं। इनमें कोई भी गायनिक व सर्जन नहीं है, 11 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं एवं नर्सो-कम्पाण्डरों के पद भी रिक्त रहते हैं। यहां प्रतिदिन लगभग 600 रोगी ओ.पी.डी. में आते हैं। डाक्टर्स नहीं होने के कारण उन्हें बीकानेर एवं गंगानगर जाना पड़ता है। बीकानेर एवं गंगानगर की दूरी 125-150 किलोमीटर रहती है। गम्भीर रोगियों के लिये तो इतनी लम्बी दूरी तय करना भी मुश्किल है। कई बार रास्ते में ही रोगी की मौत हो जाती है। अस्पताल में जांच उपक्रम सोनोग्राफी, रक्त जांच और एक्स-रे मशीनें या तो दिन-प्रतिदिन खराब रहती हैं या टेक्नीशियनों के अभाव में इन मशीनों से जांच भी नहीं हो पाती। कई बार गम्भीर रोगी को भी अस्पताल से बाहर ले जाकर एक्स-रे एवं सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। गरीब व्यक्ति के लिये ये जांचें कितनी महंगी हैं। कई बार तो महिलाओं की डिलीवरी के समय न तो अस्पताल में डाक्टर्स होते हैं और न ही नर्स होती है। ऐसी स्थिति में मरीज भगवान भरोसे ही रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से अनूपगढ़ अस्पताल में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं जो मशीनें खराब हैं उनको शीघ्र ठीक कराने के लिये और राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपगढ़ में नवीन सोनोग्राफी की मशीन लगवाये जाने हेतु चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रही हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द व गुलाबपुरा में डॉक्टरों के रिक्त पद

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

मानीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि सी.एच.सी. आसीन्द व सी.एच.सी. गुलाबपुरा में डाक्टरों के 14-14 पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान में दोनों जगह तीन-तीन डाक्टर लगे हुए हैं। प्रति दिन अस्पताल का आउटडोर 300 मरीजों का है। डाक्टरों के चैम्बर के बाहर मरीजों की लम्ब-लम्ब कतारें लगी रहती हैं। ज्यादातर मरीजों को रैफर कर दिया जाता है। गायनिक विशेषज्ञ का पद खाली होने से महिला मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ता है। यहां सर्जन भी नहीं है जबकि दोनों शहरों के पास हाई-वे रोड होने से प्रतिदिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। गम्भीर रूप से घायल मरीजों को अस्पताल में लाते हैं, जिनको प्राथमिक उपचार करने के बाद अन्यत्र रैफर कर दिया जाता है, इससे आम गरीब जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सरकार से आग्रह है कि दोनों शहरों में जल्द से जल्द रिक्त पड़े पदों पर डाक्टर्स की नियुक्ति कर आम जनता को राहत दिलाने की कृपा करें। क्या सरकार राहत दिलाने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

इसी आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर को नगरपालिका का दर्जा

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत निवेदन करना चाहती हूं कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका का अभाव है। बानसूर कस्बा नगरपालिका बनाने के सारे नियम पूरा करता है एवं सभी दस्तावेज सरकार को भिजवा दिये गये हैं, नक्शा भी भिजवा दिया गया है। बानसूर कस्बे में व्यापारी वर्ग अधिक निवास करता है, कृषि मण्डी भी है, कस्बे का भी विस्तृत क्षेत्र है।

अत: नगरपालिका बनाने से बाजारों का सुदृढ़ीकरण होगा व अनेकों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नगरपालिका बनने से व्यापारी वर्ग एवं कस्बे-वासियों को सुविधा भी मिलेगी। अत: सरकार से अनुरोध है कि पहले बजट में ही बानसूर कस्बे को नगरपालिका बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मोहनराम चौधरी।

नागौर में महिला प्रसव भवन में निर्मित आपरेशन थियेटर को चालू कराने हेतु

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर शहर में 1128.56 लाख रुपये की लागत से महिला प्रसूति भवन व दो करोड़ रुपये की लागत से ट्रोमा सेंटर बनाया गया है। ट्रोमा सेंटर में महिला प्रसव हेतु एक अलग भवन बनाया गया है, जिसमें एक शल्य चिकित्सा आपरेशन थियेटर बनाया गया है। महिला प्रसूति भवन का करीब दो वर्ष पूर्व लोकार्पण कर दिया गया परन्तु आज तक शल्य चिकित्सा आपरेशन थियेयटर चालू नहीं हुआ है जिससे शल्य चिकित्सा से होने वाले प्रसव जनरल आपरेशन थियेटर में किया जाता है। जनरल आपरेशन थियेटर ट्रोमा सेंटर के दूसरे भवन में दूसरी मंजिल पर स्थित है। शल्य चिकित्सा प्रसव से होने वाले बच्चे को जनरल आपरेशन थियेटर से महिला प्रसव भवन तक लाने में करीब 15 मिनट का समय लग जाता है। दोनों भवनों की दूरी व रास्ते में तेज धूप, बारिश व ठंड में बच्चे को लाना पड़ता है। 15 मिनट की अवधि में नवजात शिशु की आक्सीजन के अभाव, तेज धूप, बारिश व ठंड के कारण कई बार मृत्यु हो जाती है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रोमा सेंटर में बने महिला भवन में आपरेशन थियेटर को अतिशीघ्र चालू करवाने का श्रम करें ताकि महिला प्रसव भवन में बने शल्य चिकित्सा आपरेशन थियेटर में ही प्रसव करवाया जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। (अनुपस्थित)

श्री अविनाश गहलोत।

जैतारण में सीवरेज कार्य में अनियमितता

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के

(श्री अविनाश)

तहत निवेदन करना चाहता हूं कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र में जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत से गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज परियोजना का कार्य करवाया जा रहा है। उपरोक्त कार्य में घटिया निर्माण सामग्री, डी.पी.आर. में स्वीकृत क्षेत्रों के विपरीत कार्य करवाये जाना, जी.शिड्यूल के अनुसार कार्य नहीं करवाना व सक्षम तकनीकी अधिकारियों की देख-रेख के बिना कार्य करवाने के संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा यह मुद्दा विधान सभा में उठाया गया।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूर्ण करने की अवधि पूर्व में खतम हो चुकी है लेकिन नगरपालिका अधिकारियों/कर्मचारियों/जन-प्रतिनिधियों की मिलीभगत से अभी तक इस परियोजना का कार्य अधूरा पड़ा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो सीवरेज पाइप डाले गये उसमें से गंदा पानी बिना दबाव के आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जगह-जगह से पाइप लाइन जाम हो गयी है। सीवरेज परियोजना में जिन सी.सी. सड़कों का निर्माण करवाया गया वह भी घटिया क्वालिटी व गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण मात्र छह महीने में ही वाहन धंसने लगे व सड़कें क्षतिग्रस्त होने लग गईं एवं जो चैम्बर लगाये गये वह आज भी एक से डेढ़ फीट की ऊंचाई पर लगे हुए हैं।

उपरोक्त कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण आने वाले बारिश के दिनों में जैतारण शहर में कोई बड़ा हादसा हो जाये, इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। क्या सरकार सीवरेज जैसे महत्वपूर्ण कार्य में की गयी अनियमितता एवं लापरवाही के दोषी अधिकारियों व जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की मंशा रखती है या नहीं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

इसी आशा और विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप नियमों का ध्यान रखें, यह आपको अपना लिखा हुआ ही पढ़कर बोलना है।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: पर्ची के अलावा इन्होंने जो कुछ भी कहा है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में चम्बल पेयजल परियोजना से पेयजल की व्यवस्था

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर तहसील में जल स्रोतों में पानी समाप्त होने पर सरकार द्वारा कंटिंजेंसी योजना में अनेक ग्राम पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था नहीं की गयी, जिससे क्षेत्र में पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को भयंकर समस्या से जूझना पड़ रहा है।

चम्बल पेयजल परियोजना का पानी सम्पूर्ण जिले में मिल चुका है जबकि जहाजपुर तहसील पहाड़ी क्षेत्र एवं बीसलपुर पेयजल परियोजना के समीप होने के उपरांत भी क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अनेक ग्राम जैसे- पण्ढेर, रोपा, गन्धेर, बावड़ी, फलासिया ग्राम पंचायतों में फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है जिससे क्षेत्र में गम्भीर बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना है।

अत: सरकार से निवेदन है कि चम्बल पेयजल परियोजना का पानी शीघ्रातिशीघ्र प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं मजरे-ढाणियों को पेयजल योजना से लाभान्वित कर अनुगृहीत करें।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

फलौदी नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन डाले जाने हेतु

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत नगरपालिका क्षेत्र फलौदी में सीवरेज लाइन डाले जाने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

राज्य सरकार के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी के नगरपालिका क्षेत्र फलौदी के लिए शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.12.2013 के अनुसार यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत वर्ष 2013-2014 में 8297.78 लाख की सीवरेज योजना स्वीकृत की गयी।

(श्री पब्बाराम)

परियोजना के लिये राज्य स्तर पर रूडिफ्को द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गयीं, लेकिन कार्यादेश जारी नहीं किया गया एवं कुछ समय बाद केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना को समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करने पर उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि केन्द्र प्रवर्तित इस योजना को समाप्त कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के द्वारा इन शहरों के लिये नई सीवरेज परियोजना लायी जा रही है, तब फलौदी क्षेत्र में सीवरेज कार्य को शामिल किया जायेगा।

मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षण करते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में फलौदी शहर की आबादी 50 हजार से ऊपर है तथा फलौदी नगरपालिका को स्थापित हुए इस वर्ष 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। फलौदी शहर में नालियों में से हो रहे निरन्तर जल रिसाव के कारण शहर के निवासियों के मकानों एवं ऐतिहासिक हवेलियों के तहखानों में गंदे जल के भराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इससे लाखों-करोड़ रुपये की सम्पत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। फलौदी शहर की इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने हेतु फलौदी शहर में सीवरेज डाले जाने की अति आवश्यकता है।

नगरपालिका क्षेत्र फलौदी में कच्ची बस्तियों के लिये आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत सीवरेज का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु शहर के मुख्य क्षेत्र में सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण कच्ची बस्तियों में डाली गयी सीवरेज का उचित एवं पूर्णत: उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं।

मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि फलौदी शहर में सीवरेज लाइन डाले जाने हेतु प्रस्तावित योजना को अविलम्ब स्वीकृत किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री सभापति: आज दिनांक 28 जून, 2019 को शून्य काल में बोलने हेतु 24 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयी हैं, जो निम्नानुसार हैं:- श्री संजय शर्मा, श्री संदीप शर्मा, श्री नारायण सिंह देवल एवं श्री हमीर सिंह भायल। श्री संजय शर्मा, आप बोलिये।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आर्थिक आधार पर दिये गये आरक्षण के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री संजय शर्मा (अलवर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सदन का ध्यान मैं एक विशेष समस्या की ओर इंगित करना चाहूंगा कि भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी ने आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाओं की रक्षार्थ हेतु उनको 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात रखने के साथ-साथ संविधान में संशोधन करते हुए लोक सभा हो, चाहे राज्य सभा हो, उसमें सभी दलों के नेताओं के द्वारा, सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर उस बिल को पास करके आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। गत सत्र में हमारी ही विधान सभा में उस बिल को सर्वसम्मति के आधार पर राजस्थान में लागू करने के लिये भी राज्य सरकार ने उस बिल को प्रस्तुत किया और हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उस बिल को पास करके राजस्थान में भी लागू किया। लेकिन जिस प्रकार से जब हमारे सामान्य वर्ग के बालक-बलिकाएं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अधिकारियों के पास गये तो पहले तो उन्होंने यह कहा कि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट गाइड लाइन नहीं आयी है, जिसके आधार पर हम यह सर्टिफिकेट जारी करें। उसके बाद जब वह बार-बार जाने लगे तो जब सरकार ने स्पष्ट गाइड लाइन जारी की तो अधिकारी वर्ग, जो सक्षम अधिकारी हैं, सर्टिफिकेट जारी करने में आना-कानी करते हैं और जो हमारे युवक और युवतियां हैं, तमाम जानकारी करने के बाद, तमाम फाइल पूरी करने के बाद भी, जब उस सक्षम अधिकारी के पास जाता है तो वह कहता है कि आदेश में स्पष्टता नहीं है, इस कारण वह सर्टिफिकेट बनाने में आना-कानी करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के बालकबालिकाओं के हितों की रक्षा के लिये जिस प्रकार का बिल केन्द्र सरकार लाई है, उस बिल के माध्यम से, उस आरक्षण प्रमाण-पत्र के माध्यम से, जहां शैक्षणिक सत्र में उसको मौका मिल सकता है, जो उसे मौका मिलना चाहिये, वह अधिकारी वर्ग अपनी हठधर्मिता के कारण निश्चित रूप से उनके साथ दगा कर रहे हैं। आज हमारा युवा वर्ग, चाहे वह अलवर जिले की बात हो और जो जानकारी मैंने

(श्री संजय शर्मा)

साथी विधायकों से की है, सम्पूर्ण राजस्थान में हमारा युवा वर्ग इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिये सड़कों पर चक्कर काट रहा है, एक आफिस से दूसरे आफिस में चक्कर काट रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई राहत उन अधिकारियों के माध्यम से उनको नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाओं को राहत प्रदान करें। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि आर्थिक आधार पर कमजोर सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाओं को जो आरक्षण देने की संशोधन सूची है, उसमें जो भूमिका मापदण्ड है..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर): भूमिका मापदण्ड में शिथिलता देते हुए गुजरात पैटर्न पर आर्थिक आधार पर जो आठ लाख तक की सीमा है, उसको लागू करके सामान्य वर्ग के युवक-युवतियों को राहत प्रदान करेंगे, वर्ना ऐसी स्थिति हो जायेगी कि यह युवक-युवतियां सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, यह वास्तव में गम्भीर मामला है। उपखण्ड अधिकारी एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। सारे के सारे विद्यार्थी चक्कर लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप सरकार को इंगित करें कि राजस्थान के उपखण्ड अधिकारी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, जिनको बोलने के लिये कहा, उनके अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिये, उनको बोलने दीजिये। विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य आप, प्लीज। प्लीज को-आपरेट करें आप।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये। विराजिये। श्री संदीप शर्मा। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: आसन की अपनी मर्यादा है, सबको अलाउ नहीं करूंगा मैं। एक माननीय सदस्य ने कह दिया ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज, विराजिए आप।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, सरकार जवाब भी दे, पर्ची की प्रतिबद्धता समाप्त हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, पर्ची बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है जनता की समस्याओं को उठाने के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री सभापति: नहीं, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप जाइये। आप जाइये, मैं बात कर रहा हूं। आप जाइये। मैं बाध्य नहीं कर सकता, आप विराजिये। माननीय संदीप शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिये, आप लोग विराजिये। हाई-जैक नहीं करने दूंगा आसन को इस तरह से। विराजिये आप लोग। श्री संदीप शर्मा, आप लोग विराजिये। संजय शर्मा जी, आप भी विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: आप बात सुनिये। एक मिनट आप बात सुनिये। आप परम्पराओं को निभाइये, इतने सीनियर लोग हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, विराजिये आप लोग।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप जवाब दे रहे हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिये। आसन किसी को बाध्य नहीं कर सकता। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिये। (व्यवधान) विराजिये आप, विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष का जो निर्देश दिया हुआ है उसमें चार पर्चियों पर बोलने का है, विराजिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: मंत्री महोदय के बाद बोलें। आप नहीं सुनना चाहते?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: आप लोग जवाब नहीं सुनना चाहते? विराजिये आप। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये आप, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं न मंत्री महोदय।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फालो करते हुए राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के विभाग ने जो इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास का तय किया कि 10 परसेंट आरक्षण के अन्दर सर्टिफिकेट बनेंगे, उस सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमने अप्रैल में एक परिपत्र जारी किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज बोलिये मत, गम्भीर रहिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पहले सुन लीजिए। अप्रैल में परिपत्र जारी किया उसमें इस बात की थोड़ी-सी कमी रह गयी तो एस.डी.एम., जितने भी राजस्थान के एस.डी.ओ. हैं उन सबको इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि निश्चित तौर से समय पर जितने आवेदन आते हैं उनको आप तत्काल करें। वी.सी. के जरिये हमने उन एस.डी.ओज. को पाबंद कर दिया लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि कोई गलत हो गया तो हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी, हमने जून में पूरे राजस्थान के एस.डी.ओज. को लिखित में दे दिया कि आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। हमारा जो ग्राम विकास अधिकारी जो पहले ग्राम सेवक था, गांव का व्यक्ति है तो ग्राम विकास अधिकारी उस फार्म को सर्टिफाई करेगा और उसके बाद अगर नगर का है तो नगर का जो ई.ओ. है, कमिश्नर है, जो सर्वोच्च अधिकारी है वो अपने नीचे के अधिकारी के लेवल पर बात करके सम्बन्धित अधिकारी एस.डी.ओ. को देगा। तो कई ऐसे आवेदन उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिये कि पटवारी की रिपोर्ट नहीं थी, हमारे जो ग्राम सेवक थे उनको ग्राम विकास अधिकारी बनाया, उनकी रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए हमने जून में डाइरेक्शन दिये हैं कि अब एक भी जो फाइल पेंडिंग रही है, रिजेक्ट किया है उसको आप पुन: देखें और उनको सर्टिफिकेट जारी करें। यह हमने आदेश दे दिया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह मामला नया है, सब एस.डी.ओ. डरने लग गये लेकिन जो हमारे प्रमुख शासन सचिव हैं, हमारे डायरेक्टर हैं उन लोगों ने एक बार वी.सी. की, दो बार वी.सी. की और अंत में हमने यह तय कर दिया कि एस.डी.ओ. जो सर्टिफिकेट जारी करेगा उसमें कोई गलती भी रह जायेगी, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, केवल उसकी जांच होगी। यह हमने आदेश जारी कर दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिये। (व्यवधान) कोआपरेट करें। एक मिनट विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, पर्ची पर चर्चा नहीं होती है, न कोई प्रश्न पूछ सकता है, यह परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी के उत्तर के बाद यह सदन की सम्पत्ति बन गया। सवाल पूछने का अधिकार माननीय सदस्यों को है।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, उप नेता महोदय, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्रीजी के उत्तर के बाद माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं, यह सदन की सम्पत्ति है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, प्लीज, सिर्फ एक मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान का मसला है। आप इस बात को एन्श्योर करें कि किसी भी स्तर पर, किसी अधिकारी स्तर पर या किसी भी स्तर पर जो मामला है, किसी को परेशानी नहीं हो और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान तत्काल हो। राजस्थान का मसला है, आप स्वयं अपने स्तर पर इसको एन्श्योर करेंगे। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक मिनट। जब मेरे ध्यान में यह बात आयी तो मैंने मेरे सारे अधिकारियों की बैठक लेकर के इस बात के निर्देश जारी कर दिये कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। ग्राम सेवक जो ग्राम विकास अधिकारी या ई.ओ. या सम्बन्धित अधिकारी है उसने अगर गलत भी जारी कर दिया तो उसको आप सर्टिफिकेट जारी करें, आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी और उसके बाद अगर उसकी शिकायत होती है तो निश्चित तौर से आपकी जांच होगी और जांच के अन्दर जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है उसमें आपको रिव्यू करने का अधिकार है। आपके राजस्थान स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, उसको अधिकार है कि वो इस बात को रिव्यू करे और गलत है तो उसको सही करे।

श्री सभापति: माननीय जोगेश्वर गर्ग, संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। माननीय मंत्री महोदय। मैं इसे वाद-विवाद का विषय नहीं बनने दूंगा, पर्ची है,

(श्री सभापति)

उन्होंने बोल लिया, मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। संक्षेप में दो ही मिनट में आप अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान) विराजिये आप। मैं अलाउ नहीं करूंगा, विराजिये आप। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। आप सबको पता है कि पर्ची के माध्यम से आपको दो मिनट बोलना है, यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। संक्षेप में आपने अपनी बात करी, माननीय मंत्री महोदय ने अपनी बात कह दी। माननीय जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जिस भारत सरकार के आदेश का हवाला दिया है वो मेरे हाथ में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बिलकुल, सिर्फ दो मिनट, बोलने तो दें।

उसमें यह हवाला है कि 8 लाख की इनकम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्लस उसमें प्लाट भी है और कृषि भूमि भी है। उसी भारत सरकार के सर्कुलर का हवाला देकर गुजरात सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है, वो भी मेरे हाथ में है, उसमें सिर्फ 8 लाख इनकम का जिक्र है, प्लाट का, कृषि भूमि का कोई जिक्र नहीं है। जब गुजरात सरकार कर सकती है हम क्यों नहीं कर सकते?

श्री सभापति: राजस्थान सरकार काम्पीटेंट है और उसने अपना सर्कुलर जारी कर दिया, गुजरात सरकार का सर्कुलर अपने पास रखिये। राजस्थान सरकार काम्पीटेंट है और उसने अपना सर्कुलर जारी कर दिया। माननीय मंत्री महोदय ने एन्श्योर कर दिया, जो भी परेशानी होगी उसको दूर करेंगे। विराजिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जब गुजरात सरकार कर सकती है, छूट दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते?

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूं। इसको कोई अलाउ नहीं करेंगे। श्री संदीप शर्मा।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कोटा शहर से जुड़े और सिर्फ कोटा शहर से ही नहीं अपितु पूरे राज्य से जुड़े इस लोकहित के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पर्चियों पर बोलने का महत्व इसलिए रखा गया था कि वर्तमान में कोई भी ऐसी समस्या हो जो आज के दिन ही सदन में उठाना जरूरी है, उस पर चर्चा रखने के लिए आपको यह विशेष अधिकार दिया गया था, इसका दुरुपयोग नहीं करें। माननीय सदस्य जो भी अपनी महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं, सदन सुन रहा है, माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप सब एक साथ खड़े होंगे कैसे पार पड़ेगी, वाद-विवाद का विषय नहीं है। संदीप शर्मा बोल रहे हैं, उसके बाद नैक्स्ट नाम पुकारूंगा इसलिए कोई वाद-विवाद का विषय नहीं होगा। श्री संदीप शर्मा।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। आप इतने वरिष्ठ साथी हैं इनके।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहे थे वर्तमान में अधिकांश कामों को या तो रोक दिया गया है या स्वीकृत कामों को, जिनके बजट पास हो गये थे उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं बात करूं जलदाय विभाग की तो स्मार्ट शहर योजना के तहत चम्बल के किनारे कोटा शहरवासियों को पानी पिलाने के लिए कई योजनाएं बनायी गयीं जिसमें इन्टैक्ट वैल, 30-40 वर्षों से जो पाइप लाइनें जीर्ण-शीर्ण पड़ी थीं उनको बदलकर नई पाइप लाइन लगाने का कार्य, साथ ही अकेलगढ़ में वो पम्पसैट जो बहुत पुराने समय से जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं जिनसे पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो रही, उन्हें बदलने का कार्य, साथ ही एक हजार एम.एम. की वो बड़ी पाइप लाइन जिनके अन्दर 40 परसेंट पानी छीजत के रूप में निकल जाता है और आज कोटा वासी चम्बल नदी के किनारे रहकर भी पानी के लिए तरस रहे हैं, बड़ी बुरी स्थिति है, वो सिर्फ

(श्री संदीप शर्मा)

इसलिए है कि पानी की इन योजनाओं को जो अभी तक गतिशील हो जानी चाहिए थी उन पर और रोक लगा दी गई है, जो स्मार्ट शहर के अन्तर्गत आती थीं।

मैं बात करूं यदि चिकित्सा विभाग की तो मेडिकल विभाग में सारे कार्यों की गति धीरे हो चुकी है, सारे विकास कार्यों को रोक दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी जिसमें 150 करोड़ रुपये की लागत से हमें सुपर स्पेशलिटी विंग तैयार करनी थी, वो सुपर स्पेशलिटी विंग तैयार भी हो गयी, जिसमें 120 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दे दिये। 30 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को देने थे। उसमें से 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दे दिए गए, लेकिन अभी तक पास नहीं हुए। शेष रहे 15 करोड़ रुपयों का अभी कोई कार्य नहीं हुआ। सभापति महोदय, यही कारण है कि सुपर स्पेशलिटी जैसी महत्वपूर्ण सुविधा का लोग वहां उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। जबकि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ तक के लोग इस सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वहां पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उनको नहीं लगाया गया है। नर्सिंग स्टाफ नहीं लगाया गया। बहुत बड़ी सुपर स्पेशलिटी विंग तैयार होकर के खड़ी है लेकिन वहां पर मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

(14.00 बजे)

इसी प्रकार से विज्ञान नगर में 5 करोड़ की लागत से 2018 में सीएचसी का कार्य प्रारम्भ होकर उसमें मरीजों के लिए चिकित्सा उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज महीनों हो गए वहां कोई काम नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार के कार्य की प्रगति की जानकारी भी वहां नहीं होगी। यह स्थिति है। अगर वहां यह तुरन्त प्रारम्भ हो जाये तो हमारे स्थानीय मरीजों को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।

किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 8 करोड़ रुपए से कार्य प्रारम्भ हो चुका था। लेकिन अभी वह कार्य भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। उसमें थोड़ा-सा पैसा लग जायेगा तो मैं समझता हूं कि कोटा जैसे शहर में किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य चालू हो जायेगा। लोगों को दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं बात करूंगा नगर

(श्री संदीप शर्मा)

निगम और नगर विकास न्यास के क्षेत्र की। मेरे समय में 2013 से 2018 में 570 करोड़ के ऐसे कार्य जो लोगों की मूलभूत समस्याओं से संबंधित थे, जिसमें नाली, पटान, पार्कों का सौंदर्यीकरण, सीवरेज के कार्य कराए गए थे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, कुछ कार्य उसमें से अभी भी पड़े हुए हैं जिनको या तो निरस्त कर दिया गया है, या उन पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। मोदी कालेज फ्लाई ओवर की यह स्थिति है कि इसको 18 फरवरी को पूर्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसमें कोई कार्य आगे बढ़ नहीं रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यह तो पर्ची का माध्यम है। थोड़ा तो बताएंगे।

श्री सभापति: समय सीमित है इसके लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): थोड़ी बात तो बताने दीजिए।

श्री सभापति: बता दी, काफी बता दी आपने।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं बात करूं स्मार्ट शहर की सारी योजनाओं को रोक दिया गया है। यह सिर्फ कोटा शहर में ही नहीं हो रहा है। पूरे राजस्थान में सारे कार्य चाहे वह गौरव पथ हों, चाहे अन्य कार्य हों, लग ही नहीं रहा है कि सरकार के द्वारा कोई काम हो रहे हों।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। नारायण सिंह जी देवल।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं जवाब चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल। आप बोलना नहीं चाहते। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: मंत्रीजी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। श्री नारायण सिंह देवल, बोलिए आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप सहयोग करें माननीय सदस्य। विराजें आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजें, विराजें। सहयोग करें। पहली बार आप आये हैं, सीखिए। माननीय श्री देवल।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं आप?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, हां, दे रहा हूं। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि कोटा में 2013 से लेकर के 2018 तक जो काम आपकी सरकार के द्वारा चालू किए गए थे, उनको रोक दिया गया है। आपकी सूचना या तो गलत है, या आपने गलत तथ्य बताकर के सदन को गुमराह किया है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अमृत योजना का सबसे पहले सवाल उठाया, यह आपकी जानकारी में है कि अमृत योजना में जो भारत सरकार का पैसा आना चाहिए था, उसको रोक दिया गया है। उसकी वजह से उस ठेकेदार ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से मैंने काम रोका है। यह आपकी जानकारी में है।

नंबर दो, जितने काम आपके टाइम में चालू हुए थे, आपकी जानकारी में यह भी है कि जो 570 करोड़ रुपए के काम आपने शुरु किए थे, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन आपको काम चालू करना था। आप जानते थे कि सरकार बदलने वाली है, हम तो काम चालू करें और आने वाली सरकार भुगतेगी। उसी का नतीजा है कि यह 13-14 काम जो बड़े-बड़े आपके द्वारा लिए गए थे, वह आज हमारे द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। मैं आपको एक-एक करके बता देता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, स्वामी दयानन्द कम्युनिटी हाल, कम्युनिटी हाल सुभाष नगर, एसटीपी आफिस बिल्डिंग, ओपन एयर एमपी, शौर्य गैलेरी, गणेश उद्यान, यह आपके ही विधान सभा क्षेत्र में हैं। देवलिया स्मृति वन विकास, डीसीएम रोड, उद्योग नगर थाने के पास

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उद्यान विकास, डीसीएम पुलिया पर 80 फीट रोड की रिपेयर, रिपेयर भी और नई रोड भी बनाना, मुख्य मंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत रायपुरा में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउसेस का निर्माण। यह जो आपके द्वारा शुरु किए गए थे, यह सब आज की तारीख में चालू हैं।

इसके अलावा भी मैं बता रहा हूं कि लेवल क्रासिंग, एलसी, जो आपने रंगपुर का ओवर ब्रिज बनाया, वह भी आज की तारीख में चालू है। केशोपुरा का दादाबाड़ी से केशोपुरा वाला जो आपने ओवर ब्रिज बनाने का काम शुरु किया जिसको पैसे की वजह से रोक दिया गया। वह भी आज की तारीख में चालू है। अबेरा बायोलाजिकल पार्क भी आज तक चालू है।

अब आप मुझे बता दें कि नाली, पटान के काम जो आपने छोटे-छोटे करवाए होंगे, जिनका तख़मीना पास नहीं हो पाया। वह काम रुके हुए हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कामों की बात करनी है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप तो मुझे यह बता दें कि जिस यूआईटी को हमने आपको संभलवाया था, जो 500 करोड़ रुपया छोड़कर गए थे, उस यूआईटी का आज कर्जा 700 करोड़ रुपया है। यहां तक कि आपने 3 साल तक उस यूआईटी का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। उसका नतीजा यह हुआ कि इनकम टैक्स के द्वारा सारे के सारे खाते सीज कर दिए गए। आपने तो इस बुरी हालत में यूआईटी को छोड़ा है कि पूछो मत। आज 700 करोड़ रुपया कर्जा है यूआईटी पर। यह आपकी ही सरकार की देन है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। श्री नारायण सिंह देवल।

प्रदेश में बलात्कार के प्रकरणों में पुलिस प्रशासन की नाकामी से बिगड़ती कानून व्यवस्था

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

सभापति महोदय, प्रदेश में पिछले 6 महीने से लगातार बलात्कार की गम्भीर घटनाएं हो रही हैं। उसमें भारी बढ़ोतरी हो रही है। यह पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। पिछले 6 महीनों में पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। पूरा प्रदेश इसके बारे में गम्भीर रूप से चिंतन करता है, जानता है। चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट और हत्या आदि अपराधों में भारी बढ़ोतरी भी हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले 6 महीनों के अंदर जो राजस्थान में गम्भीर अपराध हुए हैं वह 1000 के करीब हैं और उसमें से 293 मामले बलात्कार के हैं, 113 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें 2 महीनों से ज्यादा समय होने के बाद भी उनके चालान आज दिन तक पेश नहीं किए गए हैं। बलात्कार के मामलों में 2 माह के भीतर-भीतर चालान पेश करना होता है। यह कानूनी प्रावधान है। राजस्थान के अंदर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।

कई जिलों के अंदर गैंग रेप हो रहे हैं। आप क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का अगर प्रतिवेदन देखें तो जनवरी, 2019 से 30 अप्रैल, 2019 तक राजस्थान में 4 माह में 22 प्रतिशत अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। महिला अपराध में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों अलवर के अंदर थानागाजी में जो सामूहिक बलात्कार हुआ, पूरे देश को इसने हिला रखा है। 26 अप्रैल की घटना थी और सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए 29 अप्रैल को, लोक सभा के चुनाव थे इस कारण उस घटना की एफआईआर दर्ज नहीं होना बहुत ही गम्भीर बात है। कहीं सरकार को ऐसा नहीं लग रहा था कि थानागाजी की घटना लोक सभा चुनाव में हमारा सारा हार का कारण बनेगा? घटना के चार दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि ऐसी गम्भीर घटना जिसमें थानागाजी का एसएचओ समेत एसपी समेत, आपने इनको 16 सीसीए का नोटिस दे दिया, आपने उनको पोस्टिंग से हटा दिया, आपने उनको फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया, यह उनको कोई सज़ा नहीं है। मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्यवाही की जाये या उनकी सेवाएं समाप्त की जाये ताकि राजस्थान में अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि थानागाजी की जो घटना हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षजी थानागाजी आये, मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी और सारे मंत्रियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस पीड़िता को पुलिस में नौकरी दी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो 293 घटनाएं हुई हैं, उनको आप नौकरी कब दे रहे हैं? उनके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अप्रैल और मई में बलात्कार के 180 मामले दर्ज हुए हैं। यह प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और मैं कहना चाहूंगा कि बलात्कार और गैंग रेप के कई मामले थानों में दर्ज भी नहीं किए जा रहे हैं। नहीं तो शायद यह आंकड़ा बढ़कर कहीं और भी जाता। सीकर की तरह पिछले एक माह में दो जगह, लौटती बारात से दुल्हन को गुण्डों ने किडनैप किया, यह राजस्थान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहां के मंत्री, यहां के विधायक आज पुलिस थानों के सामने धरने पर बैठते हैं, मंत्री पुलिस की कार्य शैली पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, यह बहुत ही गम्भीर बात है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बजरी खनन का जो काला और गोरख धंधा चल रहा है, चूंकि माननीय सदस्य, राठौड़ साहब ने इस पर बहुत-सी बात कही, मैं इसके ऊपर और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि हर महीने में 50 मामले दर्ज हो रहे हैं। आज ही राजस्थान पत्रिका में जयपुर का एक लेख है, 36 करोड़ रुपया साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों का लूट लिया गया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी दबी जुबान में यह स्वीकार करते हैं कि इसका हमारे ऊपर अपराधियों को पकड़ पाना मुश्किल है। धौलपुर में औरत को निर्वस्त्र करके घुमाया, ऐसे कई मामले हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसका मुख्यमंत्रीजी के माध्यम से सदन में जवाब दिलाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल। (व्यवधान) श्री हमीर सिंह भायल। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, जवाब तो दिलवाओ।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। सहयोग करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, जवाब दिलवाएं, जवाब नहीं है तो हम बैठ जायेंगे। पूरा राजस्थान प्रदेश जानता है कि इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): जवाब तो दिलवाना चाहिए, इतना गम्भीर विषय है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। पूरा प्रदेश चाहता है कि इसका जवाब दिया जाये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): पूरा सदन चाहता है कि सरकार जवाब दे, बहुत गम्भीर मामला है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह पूरे प्रदेश का मामला है, आप ही विपक्ष को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कौन देगा? (व्यवधान) कानून व्यवस्था पर जवाब दिलवाया जाये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): इसका जवाब दिलाया जाये, यह हमारी मांग है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) इतना अच्छा अवसर जनता ने आपको दिया है। कुछ सीखने के बजाय आप इस तरह से कर रहे हैं। (व्यवधान) विराजिए आप। (व्यवधान) किसी को अलाउ नहीं करूंगा मैं। बैठिए। (व्यवधान) विराजिए। कुछ सीख लो, काम आयेगा आपके आगे। (व्यवधान) नए सदस्य हैं, बोलने दें आप इनको। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री हमीर सिंह भायल।

पोकरण, फलसूण्ड, बायतू, बालोतरा एवं सिवाना पेयजल योजना

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पोकरण, फलसूण्ड, बायतू, सिवाना जल परियोजना, यह 2003 में बनी। 2015 तक पूरा इसको करना था। करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 4 पार्ट में इसका विभाजन करके 2013 से 2018 में इसका कुछ काम हुआ। बायतू में कुछ पानी मिला, बालोतरा तक पानी पहुंचा, सिवाना के 101 गांव, मेरे सिणधरी के 56 गांव, इसी परियोजना से हैं। हालत यह हो गई है कि सिणधरी के अंदर सिर्फ 400 मीटर पाइप की व्यवस्था 6 माह में नहीं होने की वजह से जो कार्य चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। सिवाना के लिए 10 किलोमीटर की जो लाइन है, वह काम भी बंद कर दिया गया, छह माह में एक फीट भी पाइप नहीं लगा, अब सिणधरी के अंदर 20 से 25 दिन तक सिवाना में 15 से 20 दिन तक पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है पशुओं के लिए पीने के लिए पानी की, पहले तो सरकार ने चारा डिपो नहीं खोलकर चारे की व्यवस्था नहीं की, पशुओं और इंसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था बिलकुल नहीं है। इसलिए मैं यह जो स्कीम है इस परियोजना को 2015 में पूरा होना था इसका कार्यकाल भी 2017 तक बढ़ाया गया, बढ़ाने के बाद जितने भी हैंडपम्प बने हुए थे उन्होंने भी जवाब दे दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में यह हालत है कि 101 गांव और 56 गांव में पीने के लिए पानी एकदम नसीब नहीं हो रहा है। यह योजना आज दिन तक यूं की यूं पड़ी है। जिस हिसाब से, जिस गति से काम चल रहा है, उस काम के हिसाब से यह कब पूरी होगी, मुझे अंदाज नहीं लग रहा है। 2030 तक भी पूरी होगी कि नहीं होगी, इसकी यह स्थिति बन गई

(श्री हमीर सिंह भायल)

है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि टैंकरों की जो सप्लाई है उसका समय पर टेंडर होना चाहिए था, वह भी नहीं हो पाया और आज भी टैंकरों की सप्लाई सही समय पर नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के जितने भी अधिकारी हैं उनका हैडक्वार्टर फील्ड में होना चाहिए, वह या तो जोधपुर में रहते हैं या जयपुर में या बाड़मेर में और किसी तरह की कोई मोनिटरिंग नहीं है, जीरो प्रतिशत मोनिटरिंग है। और इस हालत में पीने के पानी की यह स्थिति बन गयी है कि कोई इसे संभालने वाला नहीं है। आदरणीय प्रभारी मंत्रीजी अभी बाड़मेर में जो मीटिंग ले रहे थे, उस समय भी मैंने निवेदन किया था और इस गर्मी में बारिश नहीं होने की वजह से पशुओं के लिये पीने के पानी की बहुत बुरी स्थिति हो गयी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत, जो कि 1454 करोड़ रुपये की है, इसमें से 587 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं तथा 20-25 दिन से पानी न मिलने की वजह से एचपीएमएल कंपनी और गैमन कंपनी ने सब कांट्रैक्ट आगे दे रखा है। इसका कोई धणी-धोरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।

10 किलोमीटर की सिवाना की लाइन और एक नेशनल हाई-वे 325, उसके अंदर पाइप लाइन बिना परमिशन पहले ही डली हुई है और रोड के नीचे दो किलोमीटर तक आ गयी है। वह भी काम रुका हुआ है। मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि आप इस काम को शीघ्र करवाकर जहां 400 मीटर पाइप लाइन की आवश्यकता है, उसे अगर आप तुरन्त करवा लें तो कम से कम 56 गांवों में जो पेयजल की इतनी दिक्कत है, उसमें सहारा मिल सकेगा। मैंने आपसे व्यक्तिगत निवेदन भी किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की लगातार मोनिटरिंग होनी चाहिये। सिवाना में 101 गांवों में पानी देने के लिये जो बड़ी एस.आर. बननी है, उसकी फारेस्ट से परमिशन मिलने के बाद भी किस कंपनी के पास आज की तारीख में है, अभी तक कोई कार्य शुरु नहीं हुआ है।

अगर 10 किलोमीटर पाइप लाइन भी डल गयी तो उसके बाद में 101 गांवों को पानी देने के लिये जो पहाड़ी पर एस.आर. बननी है, जब तक वह तैयार नहीं होगी तो आगे पानी नहीं होगा। आज से तीन-चार साल पहले हर

(श्री हमीर सिंह भायल)

गांव में एस.आर. बन गयी है। बिना पानी के वह एस.आर. इस तरह से धराशायी हो जायेगी कि पाइप लाइन आज से चार साल पहले आगे तो डल गयी, पर पीछे से पानी नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे विनती के साथ निवेदन है कि पेयजल की इतनी दिक्कत सिवाना विधान सभा क्षेत्र में है। सिणधरी और सिवाना को पेयजल की उपलब्धता मंत्रीजी पूरा जोर देकर करवाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, भाखरी से सिवाना-सिणधरी तक आधारभूत कार्य योजना जो है, इसका 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और हम मार्च, 2020 से पहले-पहले इस कार्य को पूरा करवा देंगे। इसके साथ-साथ इन्होंने बाड़मेर जिले के 152 गांव, 2 कस्बे- बालोतरा और सिवाना क्लस्टर के कार्य के बारे में जिक्र किया, 57 प्रतिशत कार्य इसका पूर्ण हो चुका है। इसे भी मार्च 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

अब इन्होंने जो बातें बताईं गैमन कंपनी वगैरह के बारे में, ये सब इन्हीं के राज के परिणाम हैं। इनके वक्त में ही वह गैमन कंपनी आउट हो गयी। हमने कल ही उसका फैसला किया है और कुल-मिलाकर के जब से हमारी सरकार बनी है,...

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा..

श्री सभापति: बैठ जाये, पहले मंत्री महोदय को सुन लें आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, गैमन कंपनी ने कब काम करना बंद किया, इन्हें सब पता है। कल ही हमने उस गैमन कंपनी के बारे में फैसला लिया है। इस काम को हम आगे कराएंगे। कुल-मिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लगभग तीन महीने तो आचार संहिता के चले गये और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कल ही एक आई.ए.एस. लेवल की बाडी ने उस गैमन कंपनी के बारे में फैसला कर इस कार्य को कैसे आगे करना है, उसकी नीति तय कर ली है और मैंने आपके माध्यम से सदन को बता दिया है कि यह काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा। काम इन्होंने नहीं किया और दोष हमें दे रहे हैं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री हमीर सिंह भायल)

से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 400 मीटर पाइप लाइन जो है, वह आप अगर शीघ्र करवा लें तो वास्तव में सिणधरी में जो प्राब्लम है, उसका समाधान हो जायेगा, 400 मीटर में कोई ज्यादा नहीं है। आप कह रहे हैं किसने करवाया।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। माननीय सदस्य ने जो कुछ भी पूछा, मंत्री महोदय ने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद भी आपकी और कोई परेशानी है तो आपस में मिल लें उनके कक्ष में जाकर। प्लीज को-आपरेट करें। अधिसूचनाएं। श्री बुलाकी दास जी कल्ला।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/123 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क) विनियम, 2018 विरचित किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/124 दिनांक 11.1.2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया) विनियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/125 दिनांक 11.1.2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/126 दिनांक 05.3.2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा

(श्री बुलासी दास कल्ला)

प्रमाण पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/127 दिनांक 05.3.2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (रूफ टाप तथा लघु सौर ग्रिड पारस्परिक क्रिया तंत्र हेतु संयोजिता तथा नेट मीटरिंग) विनियम, 2015 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/129 दिनांक 05.3.2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों-बायोमास, बायोगैस तथा बायोमास गैसीफायर ऊर्जा के लिये टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2015 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/130 दिनांक 05.3.2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सम्बद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 विरचित किये गये हैं; एवं

(8) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम/131 दिनांक 14 फरवरी, 2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) (पंचम संशोधन) विनियम, 2019 विरचित किये गये हैं।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

परिवहन विभाग

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या: प.6(96)परि/कर/मु./10/3298 दिनांक 28.2.2019 जिसके द्वारा दिनांक 1.3.2019 से 20.3.2019 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये रुपये 6500/- से अधिक के करों का परिहार किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(75)परि/कर/मु./08/18587 दिनांक 10.9.2018 जिसके द्वारा दिनांक 11.9.2018 से 25.9.2018 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) को आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये रुपये 6000/- से अधिक के करों का परिहार किया गया है।

श्री सभापति: श्री हरीश चौधरी।

राजस्व विभाग

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की दस अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.6(30)राज-6/2000/11 दिनांक 21.1.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि राजस्व गौशालाओं को भूमि का आबंटन नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/12 दिनांक 25.1.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि राजस्व (लैंड रिकार्डस) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.6(26)राज-6/2014/14 दिनांक 8.2.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.6(1)राज-6/14/17 दिनांक 21.2.2019, जिसके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी (भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर) की अनुपस्थिति में कतिपय लिंक अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.6(14)राज-6/95/18 दिनांक 20.2.2019, जिसके द्वारा प्रादेशित अधिकारिता क्षेत्र (रेंज) के भीतर स्थित वन भूमि पर सहायक वन संरक्षक के पदों पर पूर्णकालिक रूप से पदस्थापित राजपत्रित अधिकारियों को तहसीलदार की शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग बाबत् प्राधिकृत किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.6(24)राज-6/2001/46 दिनांक 9.4.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.9(17)राज-6/2018/58 दिनांक 17.5.2019, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

(श्री हरीश चौधरी)

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/2006/पार्ट/59 दिनांक 17.5.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भू- राजस्व (लैंड रिकार्ड्स) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.6(54)राज-6/2001/पार्ट/62 दिनांक 28.5.2019 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है; एवं

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.6(25)राज-6/2014/66 दिनांक 7.6.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं-

राजस्थान पुलिस हाउसिंग एवं कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का पांचवां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत राजस्थान पुलिस हाउसिंग एवं कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(2) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का अठारहवां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं-

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अंतर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री सभापति: डा. रघु शर्मा।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का सातवां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का सातवां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का

(श्री टीकाराम जूली)

विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-27(5) के अंतर्गत राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्रम मंत्रीजी ने जो अभी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखे हैं, आप मुलाहिजा फर्माएंगे 2013-14 और 2014-15 निश्चित तौर पर आडिटेड अकाउंट्स जब आते हैं तो एक साल का विलम्ब होता है। आज सुबह भी सवाल इसी मामले में लगा था। सैस का पैसा है, आडिट हो नहीं रहा है, इन्हें पता नहीं पैसा कितना है और आडिट अकाउंट रख रहे हैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का 2013-14 और 2014-15 छह साल पहले।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आपको इन्हें हिदायत देनी चाहिये।

श्री सभापति: जब आप इधर विराजे हुए थे, तब आपको यह बात ध्यान में नहीं आयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, चाहे इधर बैठें या उधर, बात तो व्यवस्था से ही की जाती है।

श्री सभापति: आपने जो अपने समय में अव्यवस्थाएं की थीं, उन्हें अब व्यवस्थित कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। हर बात में खड़े होना जरूरी नहीं है आपका। विराजिये। माननीय सदस्य, नये-नये आये हैं, सीखिये कुछ। हर बात में खड़ा होना ठीक नहीं। विराजिये। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

श्री बुलाकी दास कल्ला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन), विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाये।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन), विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री परसादी लाल, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी

(श्री परसादी लाल)

अनुमति से, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, सुकरीकरण थोड़ा स्पष्ट करवा दें। किसी भी सदस्य के समझ में नहीं आ रहा है इसलिए सुकरीकरण थोड़ा स्पष्ट करवा दें मेहरबानी करके।

श्री सभापति: मंत्री महोदय से मिल लेना आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यहां सदन में स्पष्ट कर दो न। सदन में करवा दो न आप।

श्री सभापति: आपके पास में इतने उच्च जानकार बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा ज्ञान तो है ही नहीं। आप बैठकर इनको समझाना। उप नेता महोदय, जरा इनके ज्ञान में वृद्धि करना आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इनको कौन समझाएगा पहले यह तो तय कर लो आप, इनको ही पता नहीं है।

श्री सभापति: आप जो समझ रहे हो वह नहीं है यह। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 5)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसमें है क्या यह तो बताओ न। प्रतिवेदन में है क्या? सभापति महोदय, इनको ट्रेनिंग दें, भेजो सभापति महोदय। मुख्य सचेतक हैं, पढ़ें तो सही कि क्या है प्रतिवेदन।

श्री सभापति: प्रतिवेदन को पढ़कर बता दीजिये आप।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 जून, 2019 को मध्याह्न पूर्व 11.25 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019 को राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति के सम्बन्ध में सदन में विचार किये जाने का निर्णय लिया।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री अंजना उदयलाल, सहकारिता मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर विचार किया जाये।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर विचार

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर विचार किया जाये।

घोषणा

राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर चर्चा हेतु समय का बंटवारा

श्री सभापति: मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्य में किसानों के कर्जे के सम्बन्ध में चर्चा हेतु 04 घण्टे उपलब्ध हैं। मैं, विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

क्र.सं.	पार्टी/दल का नाम	आबंटित समय
1.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	02 घण्टे
2.	भारतीय जनता पार्टी	1 घण्टा 27 मिनट
3.	बहुजन समाज पार्टी	7 मिनट
4.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	03 मिनट
5.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट)	03 मिनट
6.	भारतीय ट्राइबल पार्टी	03 मिनट
7.	राष्ट्रीय लोकदल पार्टी	01 मिनट
8.	निर्दलीय	16 मिनट
	कुल समय	**04 घण्टे**

श्री राजेन्द्र राठौड़।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऐसे सम-सामयिक विषय पर, जिसकी चर्चा राजस्थान की गली-कूंचों से निकलकर गांव और ढाणियों तक है उसके बारे में आज आपने सदन में विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री विराजे हैं, राजस्थान में ऋण माफ करने के लिए जो मंत्री मण्डलीय समिति बनी है उसके आप अध्यक्ष भी हैं। आपके कई बार सार्वजनिक तौर पर यह बयान मैंने पढ़े कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में राजस्थान के अन्दर 72 किसानों ने कर्जे में दबकर आत्महत्या की। सभापति महोदय, यह दीगर बात है कि इन्होंने जो बयान दे दिया उसके बाद जब यह मामला विधान सभा में आया, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब सवाल किया तो उसके उत्तर में इन्होंने कहा कि 72 की संख्या घटकर 4 हो गई।

सभापति महोदय, जन घोषणा पत्र के अन्दर, जो सरकारी दस्तावेज में तब्दील हो गया था, उसमें इन्होंने राजस्थान के किसान से वादा किया था कि राजस्थान के किसान का दस दिन में सम्पूर्ण कर्जा माफ हो जायेगा। इसी के साथ इन्होंने 29 दिसम्बर को, यानी 190 पहले राज्य के मुख्य सचिव से एक आदेश भी जारी करवाया। सभापति महोदय, आज हालत यह है कि राजस्थान में कर्जा माफ करना तो दूर, आज राजस्थान के अन्दर पहली बार, पहले रबी के अन्दर राजस्थान के किसानों को फसली ऋण नहीं मिला, खरीफ के अन्दर राजस्थान के किसानों को फसली ऋण नहीं मिला और इसलिए नहीं मिला कि उनके खाते में जो पहले उन्होंने ऋण लिया जिसका दावा सरकार कर रही है कि हमने ऋण को माफ कर दिया, एक फूटी कौड़ी भी उसका अपलेखन नहीं हुआ। सभापति महोदय, इस बात की कलई तब खुली कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी 13 दिन पहले यानी 15 जून को दिल्ली में गये और दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिले और आपने वहां कहा कि हमने राजस्थान के 24 लाख किसानों का 15679 करोड़ का ऋण माफ कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, यह सदन जानना चाहता है, राजस्थान जानना चाहता है कि मंत्री महोदय, आपने 15679 करोड़ का ऋण माफ किया इसके लिए वित्तीय संसाधन आपके पास कहां से आये? आपने कितने किसानों का ऋण माफ करके उनके खाते का अपलेखन करा लिया। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति क्या है कि लोक सभा का चुनाव आ गया और यह पहला मौका है कि सत्तारूढ़ दल के अन्दर कोई दल जीरो पर आउट हो, एक रन भी नहीं पाये,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

185 विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी, क्योंकि आपकी बात पर विश्वास नहीं। मंत्रीजी, क्या यह सही नहीं है कि आपने जो कैम्प लगाये उन कैम्पों के माध्यम से आपने राजस्थान के किसान को 6200 करोड़ रुपये के ऋण राहत प्रमाण पत्र दे दिये पर खाते में उसको एक पैसा भी माफ नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्रीजी केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिले तो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से फसली ऋण लेने वाले किसानों के एनपीए ऋण की फसली ऋणों की 2 लाख रुपये तक की सीमा तक राज्य सरकार माफ कर रही है। चूंकि वित्तीय संस्थान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है अत: केन्द्रीय सरकार सहयोग करे। यही नहीं, इसके बाद मुख्य मंत्रीजी 25 जून को यानी 3 दिन पहले आनन्दपुर पंचायत में एक मोडल स्कूल का उद्घाटन करने गये और वहां क्या बयान देते हैं कि हमने सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के ऋण माफ किये हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों से बात चल रही है, मतलब बात चल रही है।

यह बैंक केन्द्र सरकार के अधीन है। हमने केन्द्र सरकार को कहा उद्योगों को राहत दे सकते हो तो इनको राहत क्यों नहीं?

सभापति महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं, जो इन्होंने आदेश जारी किया। उस आदेश के अन्दर, यह आदेश है 19.12.2018 का, मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मुलाहिजा फर्माएं। इसमें लिखा है राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी कृषकों को जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है। अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, डिफाल्टर हैं, उनका सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र पाए जाने पर 30.11.2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की सीमा का ऋण अवधिकालीन माफ किया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं, इन्होंने ऋण माफ कर दिया, ऊपर कोआपरेटिव का कह रहे हैं।

सभापति महोदय हुआ क्या कि मध्य प्रदेश में जो आदेश निकला। मैं वह आदेश भी लेकर आया हूं। मंत्री महोदय, पढ़े-लिखे हो, मध्य प्रदेश के आदेश को यूं का यूं छाप दिया। आपने कहा कि ऋण माफ किया जाता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया जाता है का मतलब कि आपने ऋण माफ कर दिया। आपके इस सदन के नेता तीन दिन पहले ये बयान देते हैं कि हम 2 लाख रुपये तक का राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ करने के लिए केन्द्र सरकार को कहेंगे। उद्योगों का ऋण माफ कर रहे हो, तो इसका ऋण क्यों माफ नहीं कर रहे?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं वोट की फसल काटे यें, किसान को गुमराह करे यें और मांग कर रहे हैं केन्द्र से। पहले क्यों नहीं कहा इस आदेश को जारी करने से पहले, मैं पूछना चाहता हूं, ये राजस्थान पूछना चाहता है। आपने क्यों नहीं कहा कि ऋण हम नहीं करेंगे, केन्द्र की सहायता लेंगे।

सभापति महोदय, अभी सरकार ने फसली ऋण देने के लिए आनलाइन ऋण देने का ढोंग रचा है। यानी, खरीफ की फसल आपको पता है आप अच्छी तरह जानते हो मंत्री महोदय, एक अप्रैल से 31 अगस्त तक यह ऋण मिलता है। आपने 3 जून से 25 लाख किसानों को ऋण देने की बात कही है। जुलाई के अंदर बरसात आ जाती है। किसान को फसली ऋण बीज के लिए चाहिए, खाद के लिए चाहिए और पिछली बार मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके पास रिकार्ड होगा आप पता कर लेना। जब 15 जून पिछली बार 2018 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब इस वक्त तक 6334 का ऋण माफ हमारी सरकार ने किया था। अब हालात क्या हैं सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं किसान के मन में आया, उसका ऋण माफ हो गया, असल में ऋण माफ हुआ नहीं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बता दें साथ का साथ ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसान का ऋण माफ हुआ नहीं, कुंठाओं से ग्रसित होकर सभापति महोदय, ये जिन्होंने हम पर आरोप लगाया था, आत्महत्या करने का अब तो प्रमाण है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को और गंगानगर में एक जगह है रायसिंहनगर और रायसिंहनगर में एक गांव है ठाकरी, ठाकरी गांव में सोहन लाल कडेल, जो कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करता है। ये हिन्दुस्तान में पहला मौका है। मरने से पहले वो किसान वीडियो वायरल करता है, वीडियो वायरल करके डाइंगडिक्लेरेशन देता है, डाइंगडिक्लेरेशन लिखता है।

सभापति महोदय, हमारे कानून में भी सुप्रीम कोर्ट की कई नजीर हैं। सब कुछ झूठा हो सकता है डाइंगडिक्लेरेशन झूठी नहीं हो सकती और साक्ष्य के तौर पर आप खुद बड़े विद्वान वकील रहे हैं। साक्ष्य के तौर पर उसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोर्ट एज इट इज स्वीकार करता है। अब वो क्या कहता है, ये मेरे पास उसका लिखा हुआ है। वो बोलता है, मृत्यु पूर्व जो बयान देता है। मैं सोहन लाल कडेल आज अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस मौत के जिम्मेवार गहलोत और सचिन पायलट हैं। उन्होंने वादा किया था 10 दिन में आपका कर्जा माफ होगा। हमारी सरकार आई तो अब उनके वादों का क्या होगा। भाइयों से मेरी विनती है, मेरी लाश को तब तक मत उठाना, जब तक सभी भाइयों का कर्जा माफ नहीं हो। आज सरकार को झुकाने का वक्त आ गया है। इनका मतलब निकल गया। मेरी सभी भाइयों से विनती है, मैं किसान भाइयों के लिए मरने जा रहा हूं। सबका भला होना चाहिए, किसान की एकता को आज दिखाना है। मेरी मौत का मुकदमा अशोक गहलोत पर कर देना, यह आपसे विनती है। मेरे गांव ठाकरी के वासियों से विनती करता हूं, गांव की एकता बनाये रखें। मेरा घर और परिवार आप लोगों के भरोसे मैं छोड़कर जा रहा हूं। सभापति महोदय, मन रो रहा है, इससे दर्दनाक बात नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, यहां कानून का राज है। यहां सीआरपीसी और आईपीसी मुझ पर भी लगती है और आप पर भी लगती है। मैं आपकी आज्ञा से आईपीसी की धारा 306 को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आईपीसी की धारा 306 कह रही है कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो वह 10 वर्ष के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ये किसने उकसाया, सोहन लाल कडेल क्यों मरा? उसकी आत्महत्या के कारक क्या थे? उसकी आत्महत्या का कारक एक ही बात थी कि सरकार ने वादा कर दिया, कर्जा माफ करने का, कर्जा माफ हुआ नहीं और वह डाइंग डिक्लेरेशन में वीडियो के सामने भी कहकर गया, जो वायरल हुआ और यह बात कहकर गया।

सभापति महोदय, यही नहीं उसके बाद खेल चालू हो गया। उसके सुसाइड नोट को छुपाने का। वहां के एसएचओ किशन सिंह ने कहा सुसाइड नोट नहीं मिला है। डिप्टी सीएम, सीएम का नाम नहीं है। मामला हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में गूंजा। सभापति महोदय, तब उस वक्त में पुलिस के डिप्टी एसपी हेमंत शर्मा को मानना पड़ा कि उसका सुसाइड नोट हमें मिल गया। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि मैंने जो कानून पढ़कर सुनाया 306, 306 के अंदर मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है राजस्थान सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की अगुवाई करने वाले और राजस्थान की सरकार के दूसरे नम्बर के मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों आज कानून की नजरों में दोषी अपराधी हैं। अब उनको अपराध की सज़ा ये पुलिस देगी या नहीं देगी, आने वाले समय में ईश्वर और अवाम जरूर देगा। एक सज़ा तो अभी सूपड़ा साफ करके वे भुगत चुके हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूं इसी तरह एक बात नहीं गंगानगर जिले के अंदर हनुमानगढ़ में इसी मई के अंदर रावतसर के किकरायलिया गांव के सूरजाराम जिला कलेक्ट्रेट में जाकर फांसी लगाते हैं पेड़ पर और मरते हैं। उनके फांसी के समय में उनका जो एक नोट मिलता है, कर्जे का नोटिस मिलता है, बयान होते हैं। उनके फूफा भंवर लाल का बयान मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उनके फूफा भंवरलाल ने कहा कि सूरजाराम ने उससे कहा था कि मुझे मरना ही होगा। मैंने सोचा कि लोक सभा के चुनाव के बाद सरकार 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देगी। वह किया नहीं, अब मुझे मरना ही होगा। यह कहकर सूरजाराम घर से निकल गया और दूसरे दिन उसकी लाश जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर लटकी नजर आई। सभापति महोदय, यह साफ है कि सरकार झूठा वादा नहीं करती कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का हमने ऋण माफ कर दिया है। ये बात नहीं करती तो आज सूरजाराम को उसके परिवार के लोग भाई-बंध कहते तेरे पर कर्जा है, हम तेरी मदद करेंगे। वो मौत को गले नहीं लगाता। अब हुआ क्या एस पी ने बैंक कर्मियों पर एक मामला दर्ज कर लिया। बैंक कर्मियों ने कहा कि सरकार ने हमारे खाते में अपलेखन नहीं किया। इसलिए हमारा काम है, हमने नोटिस दिया। मैं समझता हूं यह एक बात नहीं है।

इसी तरह सभापति महोदय, आज आपने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्रों में है। राधापुरा गांव है किशनगंज में, अर्जुन कंडारा है। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अर्जुन के बेटे हेमराज ने पुलिस को बताया कि एसबीआई से केसीसी में साढ़े तीन लाख रुपये कर्जा लिया, इसलिए आत्महत्या कर ली। यही नहीं टोंक में दूनी के अंदर निवारिया निवासी किसान बालूराम हो, चाहे बीकानेर में स्वरूप देसर का किसान मानाराम हो, चाहे पीलीबंगा का ब्रजलाल हो, नारेवाली का राधेश्याम हो, चाहे प्रतापगढ़ का अब्दुल गनी हो। ये लम्बी फ़ेहरिस्त है, एक के बाद एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या कर रहा है, उसमें सरकार को आरोपित कर रहा है। या तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसान की जेब में जो सुसाइड नोट मिल रहा है। उस सुसाइड नोट के अंदर यह लिखा मिलता है कि उसने आत्महत्या कर्जे के कारण से की है या बैंक का नोटिस मिल रहा है। यह सरकार खुद दोषी है।

सभापति महोदय, इन्होंने अब एक और सब्जबाग दिखाना चालू किया। इन्होंने कहा कि इसी 17.05.2019 को मंत्रीजी आपने सहकारी फसल ऋण आनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 सरकार लेकर आई है। 3 जून से 25 लाख किसानों को फसली ऋण देने के लिए आपने विज्ञापन जारी किया। आपकी सरकार है, करो पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप फसली ऋण दे रहे हो खरीफ का, 1 अप्रैल से ऋण मिलना चाहिए। डेढ़ महीने बाद तो आपको होश आया है। मैं निवेदन करूं ये ऋण आप दे रहे हो। राजस्थान में 8 हजार से ज्यादा जीएसएस लैम्पस हैं, पैक्स हैं और ये सारी की सारी, सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के नियम 2003 और पंजीकृत समिति के उप नियमों के अनुसार चलती हैं।

ऋण वितरण करने का पूरा अधिकार उस जीएसएस के बोर्ड आफ डाइरेक्टर का है। आपने आनलाइन में जो नीति बनाई है उसमें बोर्ड आफ डाइरेक्टर को जीरो कर दिया। मैं निवेदन करूं कि आज की तारीख में राजस्थान में एक जीएसएस बता दो, एक पैक्स बता दो जो कम्प्यूटरीकृत है। चालीस परसेंट से ज्यादा व्यवस्थापक के पद खाली हैं। किस प्रकार आप ऋण दे दोगे और मैं आपका ध्यान आपकी नीति की शर्त संख्या-6(1) की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने लिखा है, 'यदि आवेदक अवधिपार ऋण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत है तो ऐसे आवेदक किसानों का पंजीयन पोर्टल पर नहीं किया जायेगा।' अब ऐसे कितने हैं। आपने अपलेखन किया नहीं, 24 लाख किसान हैं जो आपके शिकार इसलिए हो गये कि आपने उनको झुनझुना पकड़ा दिया। ऋण माफ करने की बात कही। खाते में ऋण बोल रहा है। ये 24 लाख किसान एक झटके से इस ऋण राहत योजना से, जो आप लेकर आये हैं, बाहर चले गये और फिर आपकी शर्त संख्या-13 क्या कहती है, 'ऋण समिति की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत किया जायेगा। मुझे एक जीएसएस बता दो आप जो आज की तारीख में, अब आप बोलोगे कि हम नाबार्ड से पैसा ले रहे हैं। अब 1200 करोड़ रुपये ले रहे हैं आईडीपीसी से मतलब ऋण बांटने की बात कर रहे हैं, 24 हजार करोड़ देने की और कर्जा ले रहे हो 1100 करोड़। मैं निवेदन करूं इसके साथ आपने क्या शर्त रख दी, शर्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संख्या-5 में, 'शाखा द्वारा उपलब्ध नकद संसाधनों के अनुसार समिति के सदस्यों को डाइरेक्ट मैम्बर रजिस्ट्रैशन पर ऋण देगा। अब नकद संसाधन किसके पास है बताइये मेरे को। आपने नयी साख सीमा बना दी 2019 की। पहले 2016 से 2021 तक पुरानी जो साख सीमा थी आपने उसको रद्द कर दिया। अब नये काम में आपने क्या किया है मैं निवेदन करूं कि 11.7.18 को जो साख नीति भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी थी उसमें नोशनल आधार पर अगर पिता के चार बेटे हैं तो उनको भी एक यूनिट मानते हुए ऋण मिला करता था। आपने उसको उड़ा दिया। मतलब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि येनकेन-प्रकारेण आपने तय कर लिया कि आप चाहे आनलाइन हों, चाहे आफलाइन हों आपकी गाड़ी लोन देने वाली लाइन पर तो चलेगी नहीं।

एक आपने कृषक मित्र योजना के साथ क्या किया है। कृषक मित्र योजना में राजस्थान में 2018-19 में 800 करोड़ रुपये का ऋण मिला था लगभग अस्सी हजार किसानों को। ये सारे किसान सीसीबी बैंक से जो एक हजार रुपये के सदस्य बनते हैं और सौ रुपये की अलग से रसीद कटती है, आपको मालूम होगा। सात परसेंट के आधार पर इनको ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुका देते हैं तीन लाख तक तो तीन परसेंट भारत सरकार उनको अनुदान दे देती है और चार परसेंट पर ऋण मिलता है। सब किसानों ने ऋण चुका दिया, आपने एक पैसा भी नहीं किया। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि आज की तारीख में यह सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान का किसान ठगा हुआ है। राजस्थान के किसान को आत्महत्या करने के लिए यह सरकार मजबूर कर रही है। सरकार ने अब तक जो आदेश निकाले, खोटे आदेश निकाले और इसीलिए राजस्थान में पहली बार यह हुआ है कि कोई भी सत्ता में बैठा दल लोक सभा के चुनाव में जो जनमत था उसमें आपका सूपड़ा साफ हो गया। आज मैं कह रहा हूं कि यह राजस्थान के किसान की आह आपको खा जायेगी। आपको साफ कहना चाहिए हमारे पास पैसा नहीं, संसाधन नहीं। सरकार के पास संसाधन हैं नहीं और आप ऋण राहत करने की बात कर रहे हो और अब हमसे बात कर रह हो आप। केन्द्र सरकार से बात कर रहे हो कि केन्द्र सरकार दो लाख रुपये तक के उद्योगपतियों का ऋण माफ कर देती है तो हमारा ऋण भी माफ करे। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। आपके झांसे में किसान आयेगा नहीं। किसान उठ खड़ा हुआ है। किसान की आह आपको खा जायेगी मंत्री महोदय और मैं समझता हूं कि अच्छा रहे कि आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस सदन में खड़े होकर सदन के नेता को कहें कि वे राजस्थान के किसान से यहां खड़े होकर क्षमा मांगें कि मुझसे गलती हो गई तो शायद राजस्थान का किसान माफ कर देगा।

आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति:...(व्यवधान) विराज जाइये। गम्भीर विषय है। श्री नरेन्द्र बुड़ानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था और मैं यह सोच रहा था ...

श्री सभापति: इसमें वह बात भी शामिल है जो माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के बीच में हुई। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने भी इनको बोल कर बता दिया कि मुख्य मंत्रीजी के साथ क्या वार्ता हुई है। खास बात यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आज का जमाना ऐसा है वीडियो और टेलीविजन पर मुख्य मंत्रीजी बोलते हुए सुने थे। आप कहो तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। इन्होंने आनन्दपुरी में क्या भाषण दिया और वहां उन्होंने क्या कहा यह सब वहां रिपोर्ट हुआ है। ऐसे मजाक बनाने की बात नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम भी बराबर बोल देंगे कि आपके वक्त में क्या-क्या हुआ और क्या-क्या नहीं हुआ है और जिस तरीके के आपने फैक्ट्स यहां रखे हैं न उनके बारे में भी मैं सदन को अवगत करा दूंगा अभी। (व्यवधान) बिलकुल करा दूंगा।

श्री सभापति: आप बीच में कहां कूद रहे हो। विराजिये। श्री नरेन्द्र बुड़ानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): इतने अनुभवी माननीय सदस्य जब सदन में बोल रहे थे तो मैं यह अपेक्षा करता था उनसे। मन से तो नहीं बोल रहे थे यह तो मैं भी कह सकता हूं। मैं उनसे यह अपेक्षा करता था कि इतना महत्वपूर्ण विषय है जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि इतना महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा के लिए रखा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें। हस्तक्षेप नहीं करें बीच में।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): और जब आप बोल रहे थे माननीय सदस्य तो मेरी कल्पना मेरी सोच के विपरीत आपने अपना वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया। आपके भाषण में किसान का दर्द कहीं नजर नहीं आ रहा था। आपके भाषण में किसान के प्रति उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो। आज किसान मजबूत कैसे हो। किसान आत्महत्या से कैसे रुके इन सारी चीजों पर गम्भीरता से आप बोलते। आप सरकार को अवगत कराते कि आपको किसानों के लिए ये काम करने होंगे। आप यह भी बताते कि हमने क्या किया पांच साल में किसानों की समस्याओं के लिए। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, माननीय राठौड़ साहब ने आत्महत्याओं का जिक्र किया। यह सही है कि जब किसान अपनी लीला समाप्त करता है किसी दु:ख के कारण तो पूरे प्रदेश को तकलीफ होती है। सबके दिलों में दु:ख होता है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं मेरे विपक्ष के साथियों से कि क्या आत्महत्याएं इन 6 महीनों में ही हुई हैं? आपसे मैं उम्मीद करता था कि पिछले पांच साल में आपके राज में कितनी आत्महत्याएं हुई वो आज सदन में बताते आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें उनको।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): लेकिन दु:ख का विषय यह है सभापति महोदय, कि जहां हम उपस्थित हैं आज किसान हमसे उम्मीद करता है। जब ऐसी चर्चाएं हो रही हैं तो पूरा राजस्थान अपने टीवी के आगे बैठा है और मैं सोचता हूं कि राठौड़ साहब, आपका भाषण सुनकर के किसान बहुत निराश हुआ होगा।

सभापति महोदय, मैं बहुत रचनात्मक तरीके से किसान के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं एकदूसरे की कमियां निकालने में विश्वास कम रखता हूं। मैं किसान के बारे में आज किसान को क्या चाहिए किसान हमसे क्या उम्मीद करता है, ये सारी बातें मैं बोलना चाहता हूं। कर्जे की बात आयी।, कर्जा माफी की बात आयी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव होते ही उन्होंने किसान का सहकारी बैंकों का कर्जा माफ कर दिया। (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, इतना +++ इस सभा में असत्य बोला जा रहा है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): इससे यह प्रतीत होता है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री किसानों के प्रति इतने चिंतित हैं, किसान के लिए बात की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इतना गम्भीर विषय है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी, सदन ने भी ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए प्लीज, इस महत्वपूर्ण विषय को बड़ी गम्भीरता से समझा और इधर सरकार के पक्ष की तरफ से भी यह बात विशेष रूप से रखी गई, किसान की वास्तव में कोई समस्या है, उस पर चर्चा होगी। आप क्यों इसे मजाक का विषय बना रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए। आप मेरे इतने वरिष्ठ साथी हैं, इसलिए हर बात में मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप विराजें, कोई इंटरवीन नहीं करेगा। इतना गम्भीर विषय है, थोड़ी गम्भीरता रखिए आप लोग। कोई नहीं बोलेगा, माननीय सदस्य, आप आसन से मुखातिब होंगे। आप प्रोवोक नहीं करेंगे, आप इधर देखकर बात कीजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, ऋण माफी की बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज किसान महसूस करता है कि सरकार उसकी मदद करे और इस दिशा में कदम उठाया राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जो सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया और वह चिंतित हैं, मुख्य मंत्री चिंतित हैं इस बात के लिये कि उनका केसीसी का कर्जा भी माफ हो और इस दिशा में वह भारत सरकार के पास गये हैं। भारत सरकार से निवेदन किया है कि आप बड़े खजाने के मालिक हो, किसान आपकी तरफ देख रहा है, हमने सहकारी बैंकों के लोन माफ किये, हम केसीसी में भी मदद करना चाहते हैं लेकिन हम इसमें आपकी मदद चाहते हैं। मैंने कुछ बैंकों से बात की, जो सरकार के प्रस्ताव हैं मैंने वह उनके सामने रखे। मुझे उन्होंने बताया कि यह जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं यह केन्द्र के बिना कोई काम नहीं कर सकते। आज मुख्य मंत्रीजी इस सोच के साथ वित्त मंत्रीजी के पास गये, आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ हो जाता है, उनका कर्ज माफ हो जाता है तो किसान का क्यों नहीं? क्या हम भारत सरकार को याद नहीं दिलाएं कि आप बने किसान के वोटों से हैं, आज आप इस पद पर बैठे हैं किसान के वोटों से, आज किसान आपसे उम्मीद करता है ऋण माफ करने के लिये।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सबको साथ चलकर, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये और

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभायेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि इसमें एक राजनीति है कि राजनीतिक लाभ कैसे हो, राजनीतिक फायदा कैसे हो। आज इन्होंने फसली ऋण की बात की, मैं हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह किया कि कम्प्यूटरीकृत आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात ही फसली ऋण मिलेगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए करना पड़ा कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें कर्ज माफी में अनेक अनियमितताएं हुईं। 21 बैंक शामिल थे, 5013 ऐसे लोगों का ऋण माफ हुआ जो उसके पात्र नहीं थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अनियमितताएं नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, पारदर्शी हो, यह आनलाइन लेकर मंत्रीजी आये हैं। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के हित में होगा। कई कमियां हो सकती हैं, सिस्टम बनाने में टाइम लग सकता है, उसका भी सरकार ध्यान रखेगी, ऐसा मैं मानता हूं। एक बार फिर मैं इनको बहुतबहुत धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान) आप अपने प्रधान मंत्रीजी को भी तो बोलिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): यह वादा किया था जब प्रधान मंत्रीजी को पूछकर किया था क्या? सभापति महोदय, आज सदन में असत्य बोला जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): घोषणा तो आप कर दो चाहे जैसे और उसके बाद प्रधान मंत्री ऋण माफ कर दें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, जब इनके माननीय सदस्य बोल रहे थे पूरा सदन उनको शांति से सुन रहा था, जब से मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तब से माननीय सदस्यों को मेरी बात पच नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुनने का माद्दा रखिए और अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो जब आपका नंबर आये तब आप मेरी बात को कह सकते हैं।

सभापति महोदय, आज हम सब लोग यहां पर किसानों की समस्याओं के लिये, किसानों को कैसे ताकत मिले, यह सारी बातें आज हम

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

यहां पर करने वाले हैं। महोदय, किसान एक वोट बैंक बनकर रह गया है। सारी पार्टियां किसान को वोट बैंक मानती हैं। जब चुनाव आता है तो बड़े-बड़े वादे होते हैं, घोषणा पत्रों में लिखते हैं। (व्यवधान) मैं पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहा हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं वही बात करूंगा जो किसान के हित में है, आपकी तरह राजनीति नहीं करूंगा। आज जो चुनाव के वक्त किसानों के बारे में सोचते हैं तो चुनाव के बाद भी उनको प्रोटेक्शन देना चाहिये। उनको प्रोटेक्शन देंगे तो हम इस देश को मजबूत रख सकते हैं।

सभापति महोदय, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हमारे बहुत बड़े कृषि अर्थशास्त्री हैं स्वामीनाथन जी। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ मार्केट में गये और पत्नी ने कहा कि मैं साड़ियां खरीदूंगी। वह साड़ियों की दुकान पर चले गये और जब दुकानदार पत्नी को साड़ियां दिखा रहा था तो वह बता रहा था कि यह फलानी किस्म की साड़ी है, अलग-अलग साँड़ियों के नाम बता रहा था। स्वामीनाथन जी ने सोचा कि यह जो सारी साड़ियां दिखा रहा है यह तो सारी-सारी प्लास्टिक रेशों की बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सूती और रेशम की साड़ी कहां हैं, आप वह क्यों नहीं बेचते? आज हम सबको स्वामीनाथन के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। आज हमारा रेशम कहां गया, आज हमारा सूत कहां गया, उसका उत्पादन क्या रह गया? आज हमारे पास बाहर का माल आ गया और उसका उपयोग हो रहा है और हमारे किसान के बारे में कोई सोचने वाला ही नहीं है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान 30 प्रतिशत है। किसान बहुत ही मेहनत करके हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन जीडीपी दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 2012-13 में राजस्थान में कृषि का जीडीपी में 23 प्रतिशत का योगदान था, लेकिन 2018 में घटकर 19.5 प्रतिशत रह गया है। 2011-12 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुल आउटपुट 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये था और अब घटकर 1 लाख करोड़ रुपया हो गया।

महोदय, आज सबसे बड़ी चिंता क्या है कि कृषि और अलाइड्स यानी कृषि संबंधित, इनकी पैदावार दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। 2013 के बाद लगातार यह घट रही है और जबकि पिछले पांच सालों में मानसून 90 से 96 प्रतिशत रहा है, फिर भी हमारी पैदावार कम होती जा रही है। महोदय, हमारी

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

जो बागवानी है, आज वह दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है, यह बहुत चिंता का विषय है। बड़ा अनाज की बात अलग है। यह हमारा बागवानी का जो काम है, वह दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है, यह हमारे लिये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं बताना चाहता हूं कि 2013 में 6.82 लाख मैट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ था, जो घटकर अब 5.73 लाख मैट्रिक टन रह गया है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। सब्जियां जो 2013 में 19.87 लाख मैट्रिक टन थीं, अब वे घटकर 17.96 लाख मैट्रिक टन रह गयीं। फूल जो 0.61 मैट्रिक टन था, वह घटकर 0.42 मैट्रिक टन रह गया। मसाले जो राजस्थान की पहचान हैं, मथानिया की मिर्च पूरे विश्व में फेमस है। आज चिंता का विषय है कि हमारे राजस्थान में जो मसाले पैदा होते हैं, वे घट रहे हैं। 2012-14 में इनका उत्पादन 10.56 मैट्रिक टन था जो घटकर 08.96 मैट्रिक टन रह गया है। महोदय, राजस्थान की विशेषता रही है कि औषधीय पौधे, जो कि राजस्थान ने बहुत दिये हैं और उनका उत्पादन 1.7 मैट्रिक था जो अब 2018 तक 0.90 मैट्रिक टन हो गया है। महोदय, ये सब चीजें हमको बहुत ही परेशान करने वाली हैं। आज इन चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदयपुर में रेशम का बड़ा उद्योग था। यह जो रेशम का उद्योग था, इसमें 2013 में पूरे देश में राजस्थान तीन नंबर पर था। मेरे भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पांच वर्ष राज किया। आज रेशम की क्या स्थिति है? जहां तीसरे स्थान पर थे, वहां आज हम जीरो पर हैं। आज हनुमानगढ़, गंगानगर जहां हमारा कपास, किन्नू, ये सारी चीजें जो इतने जबर्दस्त तरीके से होती थीं, लेकिन आज इसकी पैदावार दिन-प्रतिदिन घट रही है। 2013 में 14 लाख बैल्स कपास थी और आज घटकर 11.56 लाख बैल्स बच गयी है। महोदय, हमारा जो राजस्थान है, उसमें अलग-अलग तरह की अलग-अलग फसलें पैदा होती हैं। आज सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि हम इन फसलों का प्रोटेक्शन दे सकें। हमने प्रोटेक्शन नहीं दिया तो धीरे-धीरे इस रेशम की तरह हमारी सब पैदावार में गिरावट हो जायेगी। जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। महोदय यह कब होगा? यह कैसे होगा? आज एमएसपी केन्द्र सरकार लगा सकती है, यह राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पिछले पांच सालों में केन्द्र सरकार ने किसानों के साथ क्या किया, लेकिन मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो पैदावार घटती जा रही है, उसमें हमारे

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

स्टेट को भी आगे आना होगा। उसका मूल्य निर्धारण करना होगा। यदि उसका मूल्य निर्धारण नहीं किया तो धीरे-धीरे सब चीजें चौपट हो जायेगी। आज जो किसान अपने आपको कमजोर समझता है, यह इसी का कारण है। महोदय, आप तो सीकर के हैं। सीकर का प्याज, चौमूं का टमाटर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): चर्चा किस पर है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, गम्भीर बात है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): आपकी ककड़ी। आज ये सारी चीजें लुप्त हो रही हैं। किसान को कुछ नहीं मिल रहा। उस रोड पर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि दोनों तरफ..

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): केन्द्र में 60 वर्षों तक शासन किया। कर्ज माफी पर चर्चा चल रही है। कर्ज माफ करने के बारे में तो कोई विचार नहीं हो रहा है। हमने वो किया, हमने कुछ भी नहीं किया। आप कुछ करते तो आपकी नौबत यह नहीं होती।

श्री सभापति: आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): कर्ज माफी का मतलब समझते हैं?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इस्तीफा देकर आओ तब पता चल जायेगा कि कितनी सीटें आती हैं। आपने धोखा देकर राजस्थान में सत्ता हासिल की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा। आप विषय की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं। बार-बार मना करने के बाद खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करुंगा। आप विराजिए। आपका जब वक्त आये तब आप अपनी बात कहिए। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, उसकी बहबूदी के लिये हम चर्चा कर रहे हैं। आप मजाक का विषय मत बनाइये। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप विराजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): महोदय, मैंने तो अभी शुरु ही किया है।

श्री सभापति: प्लीज को-आपरेट करें। 26 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। सहयोग करें या रात को 10 बजे तक बैठने का विचार है, वह भी आप बता दें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): प्याज, आलू, टमाटर, मसाले, अमरूद का उत्पादन करने वाले किसान के लिये जब तक इनकी वाजिब कीमत तय नहीं होगी तब तक हमारे किसान को लाभ नहीं मिल सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आपको किसान को एश्योर करना पड़ेगा कि आपको हम सिंचाई के लिये इतना पानी दे सकते हैं और यदि हम किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाये और हम इस पर आगे नहीं बढ़ पाये तो मैं समझता हूं कि हम किसान के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। प्रधान मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम आय दोगुनी कर देंगे, कहां से कर देंगे। पैदावार गिर रही है। सिंचाई का क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहा है तो कहां से हो जायेगा? आज हमारे राजस्थान के अंदर यमुना जल परियोजना, परवन योजना, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, ब्राह्मणी, ईसरदा, इसमें क्या है?

सरकार आती-जाती है, यह सब यहीं पड़ी हैं। इतनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, इनके ऊपर सदन को विचार करना चाहिए। सदन को विचार करना चाहिए कि इन परियोजनाओं से सदन को कैसे लाभ मिल सकता है। महोदय, मैं एक विशेष चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी कैनाल ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मैं समाप्त कर रहा हूं। इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान की सबसे बडी सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना से 6 लिफ्ट कैनाल भी बनी हैं, रेगिस्तान को पानी देने के लिए, इन 6 में से एक लिफ्ट कैनाल कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के नाम से जानी जाती है। इस कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से 2 लाख 40 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित रखी गई थी, जब यह योजना बनी। मुझे बहुत अफसोस है यह कहते हुए कि सन 2005 में हमारे इस ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कर्जा माफी का विषय है, जिस दिन सिंचाई पर बहस हो उस दिन बात करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इकोनोमी का बहुत बड़ा हिस्सा यह फ़सलें भी हैं। किसान की फसल यदि अच्छी होगी तो उसकी इकोनोमी भी अच्छी होगी। कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय सदस्य को आप बोलने दें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्ज माफी किसान को मजबूत करने का काम नहीं है। हम किसान को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इन चीजों पर सोचना पड़ेगा। मैं यह बात कहना चाहता हूं। सुनने की हिम्मत रखिए। महोदय, 2 लाख हैक्टेयर सिंचित में से 2005 में 1 लाख 38 हजार सिंचित भूमि को असिंचित कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं 3.25 पर दूसरा नाम पुकार लूंगा। आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): अब उसको असिंचित घोषित कर दिया। माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने आत्महत्या की बात की थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जहां से आप विधायक रहे, तारानगर से वहां एक किसान की मौत हो गई धरना देते-देते। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं यह चाहता हूं कि इस कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की जो भूमि असिंचित हो गई है, उसको सिंचित करने से किसान की मजबूती बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को लोन की, कर्ज की जरूरत नहीं रहेगी। इस दिशा में हमको सोचना चाहिए। सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। जो सिंचाई का रकबा काट दिया, उसको पुन: जोड़ना चाहिए। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इतना रकबा काटने के बाद भी 1 लाख 2 हजार जो बचा, उसमें भी 10 हजार हैक्टेयर जमीन में आज तंत्र बना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं बना? जो स्वीकृत है, पानी की कोई कमी नहीं है तो किसान को लाभ मिलना चाहिए। महोदय, मेरे हाथ में एक पत्र है जो इंदिरा गांधी विभाग ने लिखा है कि इस कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में तारानगर विधान सभा क्षेत्र में जो पानी का सिंचाई तंत्र नहीं बना है, वहां सिंचाई तंत्र बनाना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): साहब, लास्ट ही है। उन्होंने लिखा है कि सरदारशहर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेलासर माइनर, बिल्लू माइनर, दिनवास

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

सबमाइनर, दुर्गापुर माइनर, माय माइनर, देवगढ़ माइनर और शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, इसका 14 हजार 261 रकबा है, जिसमें पानी दिया जा सकता है। पानी की कोई कमी नहीं है फिर भी बार-बार आंदोलन किसानों के द्वारा किये जाते है। इस काम को चालू करने के लिए आज भी किसान इंतजार कर रहा है। मुझे दर्द इस बात का है कि जो अधिकारी वर्ग है, वह यह सोचता है कि हमने इस किसान के लिए कुछ कर दिया तो और लोग भी मांग करेंगे। मांग करनी चाहिए। किसान अपनी मांग क्यों नहीं करेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): जब उन लोगों का क्षेत्र स्वीकृत है, पानी की कोई कमी नहीं है तो उसको पूर्ण बनाया जाये ताकि एक सकारात्मक कदम, जो मैंने पिछली बार कहा था कि बीजेपी की सरकार में एक इंच जमीन सिंचित नहीं हुई। हम पांच साल बाद कहें कि कांग्रेस के राज में इतनी भूमि सिंचित हुई। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है मुख्य मंत्रीजी पर। मुख्य मंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले यमुना समझौता किया और केन्द्र में जाकर चर्चा की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य प्लीज समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति, मैं लम्बी बात नहीं करके समाप्त करना चाहता हूं। इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि किसान को जिन्दा रखिए। आज सरकारी कर्मचारी एक महीने की तनख्वाह से साल भर का अनाज इकट्ठा कर सकता है लेकिन एक किसान जब अनाज बोता है तो 6 महीने बाद फसल तैयार होती है और जब फसल तैयार होती है तो उसको कुछ नहीं मिलता। बकरी पालन, भेड़ पालन, गाय और भैंस पालन, मछली पालन कितने ऐसे काम थे जो खेती से अलग थे। खेती में धन पैदा नहीं होता था तो किसान उससे काम चलाता था। आज हमें आवश्यकता है कि किसान को लोन नहीं लेना पड़े, किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े तो आपको यह सब चीजें पैदा करनी होगी, दोबारा से किसान को संरक्षण देना पड़ेगा। यही बात मैं सोचता हूं और मुझे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमंडल पर पूरा विश्वास है कि वह आने वाले समय में किसान के हित में अनेक कदम उठायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के तहत जो किसानों का ऋण माफ किया, उस पर चर्चा में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। चुनाव के समय में वर्तमान सरकार ने घोषणा की कि हम प्रदेश के किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। निश्चित तौर पर किसान अपने आपको बहुत खुशकिस्मत मान रहा था और किसान ने सोचा था कि मेरा कर्जा जो माफ होगा, वह मुझे मिल जायेगा। वर्तमान सरकार ने दस दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात कही थी। यह हम सभी को मालूम है। आज हम देख रहे हैं कि कितने महीने हो चुके हैं, खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैं सरकार का ध्यान उस घोषणा पत्र की तरफ ले जाना चाहूंगी, उस बात की तरफ ले जाना चाहूंगी जिसमें सरकार ने यह भी कहा कि किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ किया जायेगा। यह कृषि प्रधान देश है। किसान हमारा अन्नदाता है। हम जिस बारिश में छत के नीचे बैठकर आराम करते हैं, उस बारिश में किसान हमारे लिए धान पैदा करता हैं, खेत में पानी भरता रहता है, पौधारोपण करता है। जब हम भरी गर्मी में ए सी के अंदर बैठते हैं, तब किसान तपती धूप के अंदर हमारे लिए फसल पैदा करता है, गेहूं की फसल को काटता है। जिस सर्दी में हम रज़ाई में दुबक कर बैठते हैं, उस समय किसान कड़कती हुई ठंड के अंदर रात के अंधियारे में बिजली के इंतजार में खेत को पानी पिलाने के लिए अपना दम तोड़ देता है।

न जाने कितने केस लगातार सामने आते हैं, लेकिन किसान की बदकिस्मती मानें कि जो किसान हमारा अन्नदाता बनकर हमारे सामने खड़ा है, वह बिजली मांगे तो लठ्ठ मिले, वह खाद मांगे तो लठ्ठ मिले, कर्जा माफी की बात आए, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वह ठगा सा महसूस कर रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि भले ही आपने कर्जा माफ कर दिया, लेकिन सरकार बनने के बाद आपने जिस फ़सली ऋण को माफ किया, आपको भी जो वास्तव में मालूम होना चाहिए, मुझे भी मालूम होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुन्धरा जी की सरकार थी, उन्होंने भी प्रत्येक किसान का 50 हजार तक का कर्जा माफ किया था। हम भी सोच रहे थे कि गांवों में शिविर लगेंगे और शिविरों के माध्यम से जल्दी से जल्दी उनको प्रमाण पत्र सौंपे जायेंगे। जब गांव में जाते हैं तो किसान हमसे भी पूछ रहे हैं। किसान हमसे सवाल-जवाब कर रहे हैं कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आखिर हमें यह बताया जाये कि सरकार ने हमारा कौनसा कर्जा माफ कर दिया, क्या बैंकों को इस तरह का आदेश दिया कि बैंक के माध्यम से बैंक में इस तरह की बात पहुंचे कि उनका सम्पूर्ण कर्जा माफ हो चुका है।

मैं आज बड़े दुःखी मन से कहना चाहूंगी कि सरकार की घोषणा मात्र काग़ज़ों में घोषणा बनकर रह चुकी है। चाहे इस बात के लिए हम कुछ भी सोचें, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहती। हम कुछ भी सोच लें, हमारे मन में खुश हो जाएं कि हमने कर्जा माफ कर दिया या हम यह आरोप लगा दें कि केन्द्र सरकार से हमें मदद नहीं मिल पा रही है लेकिन किसान इसको सुनने वाला नहीं है। किसान को रिलीफ चाहिए। किसान को राहत चाहिए। किसान से जो वादा किया गया है और जिस वादे के लिए किसान ने आशा भरी निगाह से आज सरकार बनाकर आपको यहां बिठाया है, निश्चित रूप से उस किसान को हमें न्याय देना ही पड़ेगा, न्याय देना ही पड़ेगा।

मैं कहना चाहती हूं कि बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। पहले भी हमने ऋण माफी देखी है। मेरे पास एक किसान आया, उसका कहना था कि बहन जी मेरे चाचा के तीन बेटियां हैं, तीनों एम पी में रहती हैं, वह बार-बार चक्कर काट रही हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश में रहते हो, राजस्थान में आपका कैसे कर्ज माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या पिछली गवर्नमेंट के समय जो कर्जा माफ हुआ उसमें भी क्या इस तरह का कोई नियम था, या हमने अभी इस नियम को लाद दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यदि ऐसे मामले हैं तो ऐसे मामले में भी किसान को रिलीफ दिया जायेगा।

दूसरी प्राब्लम आ रही है, आपने बोल दिया कि एक ही परिवार का कर्जा माफ किया जायेगा। आज हम लगातार देख रहे हैं, किसान के खाते के नाम हैं वह अनेकों हो सकते हैं, कितने ही भाई भी हो सकते हैं, इस तरह की बात भी लगातार सामने आ रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि क्या हम इन सारी बातों की तरफ अपना ध्यान ले जाते हुए उस किसान को लाभ देने का काम कर सकते हैं।

दूसरा, भूमि विकास बैंक में जो माफी योजना लागू की गई है उसमें आठ बीघा से अधिक भूमि वाले किसानों को इस दायरे में नहीं लिया गया। पूरे राज्य में ऐसे किसानों की भूमि विकास बैंक के द्वारा लगातार कुर्की,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

नीलामी के आदेश चस्पा हो रहे हैं। मैं मानती हूं कि यह किसान का अपमान है, घोर अपमान है। हमने सम्पूर्ण कर्ज का गुणगान किया और कर रहे हैं जबकि सेन्ट्रल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, स्टेट बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण को भी माफ नहीं किया गया है। जबकि चुनावी घोषणा में हमने सम्पूर्ण कर्जा माफी की बात कही थी। आज प्रदेश में किसानों की क्या हालत है, हम देख रहे हैं। सरकारी बैंक से जो फ़सली ऋण वापिस मिलना चाहिए, वह नहीं मिलने से खरीफ की फसल की बुवाई के लिए खाद, बीज, इकाई, जुताई तक के लिए किसान के पास आज एक रुपया भी नहीं है। यह सब हमारी आंखों के सामने है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगी, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम, जब विपक्ष में बैठे थे तब आप लोग बात कर रहे थे कि किसान का क्या हाल हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या हम इस ओर अपना ध्यान अभी नहीं ले जा सकते? क्या हम सब मिलकर यह डिसिजन नहीं ले सकते कि किसान आखिर में आत्महत्या क्यों कर रहा है, सोहनलाल का उदाहरण अभी सम्माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने दिया, तारानगर से आने वाले विधायक साहब भी बोल रहे थे। मैं कहना चाहती हूं कि किसान की इतनी बड़ी मजबूरी हुई है उसको रोकने के लिए क्या सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो? 19 दिसम्बर, 2018 को सम्माननीय सचिव महोदय ने आदेश निकाला लेकिन अभी तक सरकारी बैंको ने बकाया अल्पकालीन फ़सली ऋण का माफ किया है या नहीं किया? राष्ट्रीकृत बैंको से दो लाख रुपये की सीमा तक अल्पकालीन फसल ऋण माफ किया गया है, दस दिनों की हमने बात कही थी वह अभी तक केवल घोषणा बनकर रह गई है।

सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को केवल कर्ज माफी के लिए प्रमाण पत्र जारी किए, यह कितनी बड़ी बात है। आपने मात्र कर्ज माफी के ही प्रमाण पत्र जारी किए हैं। जबकि आपको सीधे-सीधे बैंक के खाते में यह लिखवाना चाहिए ऋण माफी 2019 के पेटे जमा, तभी कोई बैंक किसान की इस बात को मान सकता है, या ऋण माफी कर सकता है बाकी यह सब बेकार है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज तक हमने यह कार्यवाही नहीं की है तो हम इस कार्यवाही को करें ताकि किसान को लगे कि हमारे लिए कुछ हुआ है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50 हजार तक का सहकारी बैंकों का अल्पकालीन फ़सली ऋण माफ किया था तथा ऋण माफी कर किसानों को तुरन्त वितरण भी किया था, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? हमने आज तक नहीं किया। केवल कर्ज माफी की घोषणा हमने कर दी लेकिन किसान को फसली ऋण का वितरण नहीं किया गया। उसका इंतजार किसान आज भी कर रहा है, यह आपके माध्यम से मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): साहब, मैं कोई और बात नहीं कर रही, केवल ऋण माफी की बात कर रही हूं। मुझे दो मिनट का समय दीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, दो मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें, काफी टाइम हो गया है। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): प्रदेश के किसानों को खरीफ की फसल का ऋण नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन माह बीत जाने के बाद भी अभी तक फ़सली ऋण का कोई अता पता नहीं है। यह पहली बार हुआ है। हम गांवों में रहते हैं, गांवों में जाते हैं, गांवों में घूमते हैं, पहली बार यह देखने को मिला है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सहकारी विभाग ने लक्ष्य तय किया कि दस हजार करोड़ का ख़रीफ़ का फ़सली ऋण बांटा जायेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि तीन माह के अंदर, तीन माह में अगर हम देखें तो कम से कम सात हजार करोड़ का कर्जा आप बांट सकते थे, लेकिन छह महीने में हमने कुछ नहीं बांटा। दस हजार करोड़ का आपका आंकड़ा है, इस दस हजार करोड़ को आज भी अगर हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रह गए तो मैं विश्वास के साथ बोल सकती हूं कि हम किसान को किसी तरह का कोई फ़सली ऋण नहीं बांट सकते। किसी तरह की कोई राशि उसको नहीं मिलने वाली है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त कीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि अगर हमें मात्र समय ही निकालना है और किसानों को मुंह ताकते देखना चाहते हैं तो हम ऐसे ही बैठे रहें, वर्ना हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए।

श्री सभापति: सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं...

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): साहब, एक मिनट दीजिए।

श्री सभापति: बार-बार कहने के बावजूद भी आप मानते ही नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): मैं अपनी बात रख रही हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ...

श्री सभापति: आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय सभापति जी, दो मिनट। प्रदेश में 33 लाख किसानों ने केसीसी ले रखी है। यह लोन मात्र 33 लाख में से 40 या 50 हजार किसानों को ...(व्यवधान) जहां तक मेरा आइडिया है, 16 हजार। अब आप देखिए, हम क्या कर्ज माफ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपने जो दो लाख रुपये की सीमा रखी है यह किसानों को तुरन्त दीजिए ताकि किसान मजबूत हो।

दूसरा सरकार यह स्पष्ट कर दे, मैं चार बिन्दु रख रही हूं। सरकार किसानों का कर्जा कब तक माफ करेगी यह हमें बता दीजिए? कर्ज माफी घोषणा को पूरा करने के लिए आपका वित्तीय प्रबंधन क्या होगा, किस तरह से किया जायेगा? यह भी माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से बताएंगे तो मुझे लगता है कि जो किसान अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है उसको खुशी होगी।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा। श्री संयम लोढ़ा। विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): 000

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) माननीय सदस्या... (व्यवधान) प्लीज, को-आपरेट करें। ऐसे बिलकुल नहीं होगा। (व्यवधान) बिलकुल नहीं होगा अब, अंकित नहीं होगा। बैठिये आप, काफी टाइम दे दिया, ऐसे नहीं। प्लीज, प्लीज, ऐसे नहीं। को-आपरेट करें, ऐसे नहीं। विराजिये, प्लीज। ऐसे नहीं हो सकता।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज किसान और कर्जे पर रखी गई इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया है।

माननीय सभापति महोदय, विगत 7 दशक में जितनी भी सरकारें आईं, मैं समझता हूं कि उन सभी ने किसानों के हित में अपने-अपने नजरिये से काम करने की कोशिश की है। लेकिन आज जब हम किसानों पर बात कर रहे हैं तो हमें स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा पंडित जवाहर लाल नेहरु का स्मरण करना पड़ेगा, जिन्होंने उस किसान को भूमि का मालिक बनाया और राजस्थान का यह पवित्र सदन, जिसने 1956 में जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया और जो किसान एक नौकर के रूप में काम कर रहा था, उसको किसान होने का और खातेदार होने का मौका दिया। हमारे साथ-साथ ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, लेकिन जो भूमि सुधार कानून हमारे महान नेता इस देश में लाये, लागू किये, पाकिस्तान नहीं कर सका। आज भी पाकिस्तान के लोग सामंतवाद का दंश झेल रहे हैं, उसी भूमि व्यवस्था को देख रहे हैं, और हम चाहे मानें या नहीं मानें, अगर 1947 की तुलना में देखेंगे तो देश में कृषि के क्षेत्र में किसान के हित में अद्भुत विकास हुआ है। यह अलग बात है कि राजनीतिक नजरिये से समर्थन, प्रशंसा, आलोचना हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हमें आने वाले समय में किसान का हित कैसे हो सकता है, उस दिशा में एक राय हो करके, एक मुखी हो करके आगे बढ़ना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में खाने के लिये गेहूं नहीं था। महान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अमेरिका गई थीं। सड़ा हुआ गेहूं उनको दिया गया था। वहां से वापस लौटते ही बाम्बे में उन्होंने सबसे पहले योजना आयोग की बैठक बुलाई और यह निर्देश दिये कि मैं देश का विद्युतीकरण देखना चाहती हूं। उन्हीं के नजरिये की देन है कि देश के अन्दर हरित क्रांति हुई और उस हरित क्रांति का नतीजा है कि भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन कर खड़ा है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी का जो आज का नेतृत्व है, इस देश को धन्यवाद देना पड़ेगा उनको, अंग्रेजों के जमाने का भूमि अधिग्रहण कानून, कौड़ियों के भाव में किसानों की जमीन ले लेते थे, किसान मारा-मारा फिरता था, धरने देता था, आन्दोलन करता था, अदालतों में

(श्री संयम लोढ़ा)

जाता था, कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को समझा, जाना और एक दृढ़ निश्चय के साथ यू.पी.ए.-2 की सरकार को बाध्य किया कि उस भूमि अधिग्रहण कानून के अन्दर बदलाव लाये। उस भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का नतीजा है कि आज किसान को डी.एल.सी. रेट का चार गुना पैसा मिलता है। आज किसान को सालाना पैसा मिलता है। आज किसान के लिये, उनके वापस पुनर्वास की, मनुष्य हित की एक व्यवस्था की गई है। नई कालोनी विकसित करना, वहां हास्पिटल बनाना, वहां सड़कें बनाना, यह परिवर्तन भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही किसानों के हित में आया है।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री +++ 2014 में भारत की सत्ता पर आसीन हुए। क्या किया उन्होंने, इसी भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त करने का बार-बार षड्यंत्र किया। एक के बाद एक ये अध्यादेश लेकर आये कि इस भूमि अधिग्रहण कानून को निष्प्रभावी कैसे करें। तीन बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह षड्यंत्र किया, लेकिन तब भी भले ही 44 सांसद थे, मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा और भारत की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और अपने आपको सर्वशक्तिमान प्रधान मंत्री समझने वाले +++ को झुकने के लिये बाध्य किया, कि वे किसानों के हित में साथ में खड़े रहे।

माननीय सभापति महोदय, यह एन.डी.ए. की सरकार, +++ बैंकों में जन-धन योजना ले करके आई। क्या फायदा हुआ जन-धन योजना का। वही लोगों का पैसा उस योजना के माध्यम से अमीरों तक पहुंचाने का आपने काम किया। एक पी.एम. आशा योजना ले करके आये आप, प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और उसमें कृषि उपज का जो सरप्लस है, उसके सिर्फ 25 प्रतिशत की खरीद का आपने प्रावधान किया। क्या मैं पूछ सकता हूं, बाकी 75 प्रतिशत का क्या होगा। क्या आप इस सोच के साथ देश की हुकूमत में आये थे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के उप नेता ने गंगानगर का वह वीडियो तो देख लिया कि उस किसान ने क्या कहा। क्योंकि उसके

(श्री संयम लोढ़ा)

माध्यम से मौजूदा सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनाने का मौका मिलता है, घड़ियाली आंसू बहाने का मौका मिलता है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने देश के प्रधान मंत्री पद के 2014 के आपकी पार्टी के दावेदार +++ का भाषण क्यों नहीं सुना, जो उन्होंने किसानों के लिये कहा था, भाइयों और बहनों, यह किसानों का जो आपका कर्जा है, मेरी सरकार आने के बाद यह कर्जा आपका नहीं रहेगा, यह कर्जा नरेन्द्र मोदी का कर्जा हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसने कहा था, किसने कहा था? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर ...(व्यवधान) मैं आपको यह वीडियो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठिये, बैठिये ... (व्यवधान) यह क्या तरीका है आपका? बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह क्या तरीका है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा व्यवस्था का सवाल है, सभापति महोदय।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। माननीय सदस्य अपने अधिकार के तहत इस सदन में अपनी बात रख रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है उनको रोकने का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय उप नेता महोदय, एक मिनट आप विराजिये। (व्यवधान) एक मिनट आप बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जो मैंने बात कही है, आप समय तय कर दीजिये, मैं वीडियो दिखा दूंगा, अगर वीडियो में प्रधान मंत्री बोलते हुए दिख जाये, तो माननीय उप नेता इस्तीफा दे दें, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन में गम्भीर चर्चा हो रही है। आपकी तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है। यदि ऐसी कोई बात होगी, जो उसमें अंकित नहीं होनी है, तो हम उस पर व्यवस्था देंगे। इसमें व्यवस्था का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य का अधिकार है, अपने अधिकार के तहत बात कर रहे हैं। इसमें कैसे रोक सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपसे कह दिया, यदि कोई ऐसा विषय होगा कि इसमें अंकित नहीं किया जाना है तो नहीं करेंगे। आप विराजिये, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक नई परम्परा डल रही है। (व्यवधान) इन नियमों में लिखा है ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप बोलते हैं तब नई परम्परा नहीं है! (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये हर बात पर इंटरवीन करते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उच्च पदों पर ...(व्यवधान) और जो इस विधान सभा के सदस्य न हों उनका नाम लेकर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते।

श्री सभापति: किस नियम में व्यवस्था मांग रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, किस नियम से बोल रहे हैं, आपका संरक्षण मिलना चाहिये उनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह व्यवस्थाओं में है, जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) यह हमारी व्यवस्थाओं में है।

श्री सभापति: किस नियम में व्यवस्था मांग रहे हैं? किस नियम के तहत आप मांग रहे हैं? ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर कहा है तो उसको अपलोपित करेंगे। माननीय सदस्य, ऐसे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने प्रधान मंत्री का नाम लेकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ऐसे नहीं, प्लीज, प्लीज। विराजिये आप। (व्यवधान) विराजो आप, यह कौनसा तरीका हुआ, नहीं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा मैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): प्रधान मंत्री का नाम कैसे ले सकते हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनके स्प्रिंग लगी हुई है क्या नीचे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने नहीं देते आप, यह क्या मजाक बनाया। (व्यवधान) बैठिये आप, माननीय उप नेता महोदय ने अपनी बात कह दी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): उसको हटाएं। (व्यवधान) उस नाम को हटवाएं।

श्री सभापति: विराजिये आप। विराजिये। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है। एक बार नहीं, एक हजार बार देश के प्रधान मंत्री का नाम लेंगे। उन्हें देश का नेतृत्व करना है, देश के लोगों की खुशहाली के लिये काम करना है। आने वाले वक्त में एक नया भारत बनाने का, पूरी दुनिया में भारत को एक नामवर राष्ट्र बनाने का लोगों ने उनको जनादेश दिया है। इस तरीके से अपना आत्म-लोचन करने से बचिये मत। आपको तो जा करके प्रधान मंत्रीजी को खुद को उनके भाषण का वीडियो दिखाना चाहिये कि राजस्थान में लोग हमसे पूछ रहे हैं, आपने यह भाषण दिया था। कब देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बताना चाहिये आपको उनको जाकर बताना चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किस तारीख को दिया था और कहां दिया था? (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको और सभापति महोदय को कह दिया है, वे तय करें, मैं वीडियो दिखाऊंगा उनके भाषण का। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढाजी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अंकित नहीं होगा, क्या अंकित नहीं होगा? यह कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री सभापति: माननीय संयम लोढ़ाजी के अलावा, आपका अंकित हो रहा है बाकी किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): 000

श्री सभापति: मंत्री महोदय, को-आपरेट करें। को-आपरेट करें। बैठिए। आप बैठिए। प्लीज, माननीय संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की +++ सरकार ने देश में उद्योगपतियों का 3.16 लाख करोड़ रुपये का कर्जा 2014 से 2018 के बीच में माफ किया। क्या वह कर्जा, जो पैसा उन उद्योगपतियों को दिया गया, वह भारत की जनता का नहीं था? क्या उनको जो पैसा दिया गया वह नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा नहीं दिया गया, जब उनके द्वारा दिया गया तो आपने जब 3.16 लाख करोड़ रुपये उनके माफ कर दिये तो किसानों का कर्जा माफ करने में आपका पेट क्यों दु:ख रहा है?

क्या आप बता सकते हैं कि आपकी सरकार ने, जिसने यह वादा किया था कि किसानों का एक रुपया का कर्जा भी इस भारत सरकार ने माफ किया हो, हमारे सामने उदाहरण मौजूद है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने इस देश के अंदर किसानों का 85 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था।

क्या हम यह उम्मीद नहीं रखें कि देश का रिजर्व बैंक इन नेशनालइज्ड बैंकों को यह निर्देश देगा कि जितना किसानों के ऊपर कर्जा है, वह कर्जा आप माफ करें, क्या हमें यह अपेक्षा करने का अधिकार नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यदि हम सब लोग यह चाहते हैं कि किसानों की स्थिति में बदलाव आये तो वह कैसे आएगा? सबसे पहले आपको वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जी.एस.डी.पी. का 3 परसेंट की वार्षिक उधारी की सीमा है। जब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, कोई सरकार, कोई स्टेट किसानों के हित में काम नहीं कर सकता। आज टोटल रेवेन्यू का पेंशन, तनख्वाह और ब्याज पर कितना खर्चा है? 93

(श्री संयम लोढ़ा)

परसेंट खर्चा छत्तीसगढ़ की सरकार का है, 116 परसेंट खर्चा राजस्थान की सरकार का है। पैसा जब बचेगा नहीं तो आप किसानों का भला क्या करेंगे? इसलिए मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि इस एफआर.बी.एम. एक्ट को फालो करने वालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है और आपकी सरकार भी है। आप दोनों ही किसानों का भला करना चाहते हो तो एकजुट हो जाये और सबसे पहले इस एफ.आर.बी.एम. एक्ट में बदलाव लाएं जिससे किसानों की भलाई का रास्ता आगे बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो-जो समय-समय पर राजनीतिक दलों ने वादे किए हैं, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरा लागू क्यों नहीं करते? आप क्यों किसान को 50 परसेंट लाभ उसकी लागत पर दिलाना नहीं चाहते? आप क्यों किसान की मासिक आय 18 हजार रुपये सुनिश्चित नहीं करना चाहते? इसके लिए सबसे पहले आपको कृषक आय आयोग की स्थापना करनी चाहिए। आपकी दिल्ली में सरकार है, यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सब मिलकर इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते?

आप यहां पर कर्जे पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपने प्रधान मंत्रीजी को पूछ लिया है कि कर्जे के बारे में या कर्ज माफी के बारे में क्या बात करनी है? पूछ कर आये हैं उनसे? नहीं पूछ कर आए तो मैं आपको एक स्टेटमैंट सुनाता हूं। प्रधान मंत्रीजी के प्रिय, नीति आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र ने 6 जनवरी, 2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रशांत साहू को जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहते हैं?

"When the spending on loan waiver is so huge while the benefit is limited to only 36%, there is no justification, even as farm loans waivers are the flavour of the season, with political parties vying to out do one another in write-offs, official data shows that in some States, fresh agricultural loans in 2015-16 were much higher than the estimated value of crop output in that year, clearly indicating that much of the funds don't really go into agriculture."

यह आपके नीति आयोग के मैम्बर का स्टेटमैंट है और जिस नीति आयोग का गठन देश के प्रधान मंत्री ने किया है, तो आपकी पार्टी को पहले

(श्री संयम लोढ़ा)

यह तय करना चाहिए कि किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर आपकी पार्टी की राय क्या है और आपकी पार्टी की सरकार की राय क्या है? यहां आकर घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऋण माफी राजस्थान में हुई इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट पिछली सरकार से ऋण माफी के मामले में बैटर है। दो दिन के अंदर इस सरकार ने यह निर्णय कर लिया कि हम कर्ज माफी करेंगे। मुख्य सचिव के माध्यम से आदेश जारी हो गया, 48 घंटे के भीतर। एक जनवरी को मंत्री-मंडलीय समूह का गठन हो गया, 11 जनवरी को मापदंड और पात्रता अंतर-विभागीय समिति तय हो गयी। आपने तो बहुत भेदभाव किया था कर्ज माफी करने में, 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने का आपने निर्णय किया, इस सरकार ने, आप क्या करते थे पहले, को-आपरेटिव बैंक, पुराना लोन को नया कर दो, नया पुराना कर दो और आ गये। यह पहली बार है जब किसान को इससे मुक्ति मिलेगी, इस नए पुराने से। अब नया ऋण इसको नकद मिलेगा। पहले नीचे से होता था, अंगूठा टिकवा देते थे, किसान को पता ही नहीं होता था कि लोन हुआ है कि नहीं हुआ है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन अब सैंट्रल आफिस से होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं। माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज। माननीय सदस्य, आप आपस में वार्ता नहीं करेंगे, इधर बात करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 50 हजार रुपये तक के कर्जे आपने माफ किये। इस सरकार ने दो लाख रुपये तक का कर्जा भी माफ किया। इस सरकार ने तीन लाख रुपये तक का कर्जा भी माफ किया। ओवर-ड्यूज है, वह भी माफ किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो राजस्थान सरकार के ...(व्यवधान) आपके आंसू पोंछने से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिए, विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): 000

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा। माननीय सदस्य, 20 माननीय सदस्य बोलने बाकी हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि मैं दो-दो मिनट लेकर इसको समाप्त करूं तो आप मुझे वह बता दें, वर्ना गम्भीर चर्चा करनी है तो आप चर्चा करें। एक दूसरे को इंटरवीन नहीं करेंगे आप, प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने क्या किया था? लघु सीमांत का माफ किया और दूसरे का आनुपातिक रूप से माफ किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए। आपको समझ में नहीं आती बात?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर उसकी जमीन बड़ी है तो 50 हजार की जगह पांच हजार, किसी का दस हजार, आप यह माफी लेकर आएं थे और वह भी आप इसलिए लेकर आए थे कि पूरे राजस्थान में नारे लगने लग गए थे कि- 'वसुन्धरा तेरी खैर नहीं, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं' तो चुनाव आ रहे हैं, लोगों को पटाएं कैसे? तो लोगों को यह पटाने के लिए आप एक ऋण माफी का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप आसन की तरफ बात करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं-नहीं, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो हजार करोड़ रुपये। सिर्फ दो हजार करोड़ रुपये। 'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने', क्या हुआ? सारी बैंकिंग व्यवस्था को आपने कोलैप्स कर दिया, कोलैप्स कर दिया। उसका ब्याज भी यह ही चुका रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: 20 आदमी हैं। माननीय सदस्य, आपस में वार्ता मत करें। आपस में वार्ता नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी किश्तें भी यह चुका रहे हैं।

श्री सभापति: आप आपस में वार्ता नहीं करें, आप अपनी बात रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बात ही रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब इनके पेट में दर्द हो रहा है तो वह इलाज तो आप करें। आप कर सकते हैं, मैं तो कर नहीं सकता।

बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, माननीय सभापति महोदय, नाबार्ड ने अभी तक सामान्य अल्पकालीन फसली ऋण की नीति जारी नहीं की है। यहां आकर खाली किसानों की कर्ज माफी पर बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। कैसे ऋण माफ किये? मर गये उनके ऋण माफ। जिन्होंने ऋण नहीं लिये उनके ऋण माफ। जिन्होंने ऋण लिया 10 हजार उसका ऋण कर दिया 50 हजार माफ। सरकारी कर्मचारी, उसका ऋण माफ। आपने यह ऋण माफ किया, यह किया था। उसका आंकड़ा है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 58 हजार ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें इन्होंने फर्जी ऋण माफ किये हैं और एक नहीं, माननीय सभापति महोदय, अनेक जिलों के अंदर यह फर्जी ऋण माफ करने का काम इन्होंने किया है।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये किसानों की कर्ज माफी का निर्णय है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति न आपसे छिपी हुई है, न इनसे छिपी हुई है, लेकिन आप और हम सब चाहते हैं कि राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ हो। कैसे माफ हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सरकार ने अलग-अलग समूह गठित किये, उस पर चर्चा की, वन टाइम सैटलमेंट की बात की, बैंकों से बात की, वित्त मंत्रीजी से बात की। अब मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से विनती करना चाहता हूं कि आप आगे आइये, आपकी सरकार बहुत ताकतवर है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर का देश है। भारत फल-सब्जी के मामले में दूसरे नंबर का देश है। देश में ढाई करोड़ टन चने की खपत है, लेकिन 3.7 करोड़ टन चने की पैदावार हो रही है, परन्तु एक्सपोर्ट घट रहा है, विदेशी व्यापार घट रहा है, 30 अरब डालर का हमारा व्यापार है।

(श्री संयम लोढ़ा)

आगे बढ़िये, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बेस बनाइये और आपके प्रधान मंत्रीजी को कहिये कि 2022 तक 60 अरब डालर के एक्सपोर्ट का टार्गेट रखकर आगे बढ़े तो किसानों का भला होगा और देश का भला होगा।

अब रही बात राजस्थान के किसानों की, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं 'वन टाइम सैटलमेंट' नेशनलाइज बैंक को इन्वाल्व करिये, आपके वित्त मंत्रीजी को भी बुलाइये, केन्द्र में राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुनकर भेजे हैं, आप पर मेहरबानी में कोई कमी नहीं रखी है। हालांकि वह आपके कर्म से नहीं आये, वह तो बालाकोट से आ गये आप। अभी वापस पता चल जायेगा, जब नगरपालिका और पंचायती राज के चुनाव लड़ोगे, तब सारी हवा निकल जायेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, गम्भीरता रखें। माननीय सदस्य, आप उनसे बात न करें। पांच मिनट में अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, इनको खुद को ही अंदाजा नहीं था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं वाइंड-अप कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है। हमारा सबका टाइम दे रहे हैं हम, तो कहां दिक्कत है? टाइम दे रहे हैं, तो इनको बोलने दीजिये।

श्री सभापति: मुझे कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय मंत्रीजी, इनसे मजदूरी ही कराओगे क्या? कभी प्रतिफल भी दे दिया करो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मजदूरी के हम तो फिर भी पैसे देते हैं, आप तो बेगार करवाते हो।

श्री सभापति: आप बैठिये। बोलने दें उन्हें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कई बार क्या होता है कि 'रेस के मैदान में शादी के घोड़े' भी खड़े कर दिये जाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात चालू रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन में मैं आपके माध्यम से यही विनती करना चाहता हूं कि यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी मेरा निवेदन है, माननीय सदस्यों से मेरी विनती है कि आप इसको राजनीतिक इश्यू नहीं बनाएं, यह राजनीतिक इश्यू नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में कोई किसान ऋण के कारण नहीं मरे और उन कठिनाइयों को नहीं झेले, जिसको उसे झेलनी पड़ रही है। आपके वक्त में भी लोगों ने आत्महत्या की है, आज भी लोग आत्महत्या कर रहे होंगे, लेकिन तब हम मुद्दा बना रहे थे, आज आप बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान का किसान कर्जे से मुक्त हो तो उसका एक ही तरीका है कि नेशनलाइज बैंकों का जो लोन है, उसका वन टाइम सैटलमेंट हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी पूरे उदार ह्रदय के साथ यह करना चाहते हैं, वर्ना वह माननीय वित्त मंत्रीजी से मिलने ही क्यों जाते। इसलिये मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप उधर उनसे बात मत करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि देश के प्रधान मंत्री ने स्वयं 2014 के लोक सभा चुनाव में रैलियों में यह खुलेआम भाषण दिया है कि किसानों का कर्जा सरकार बनने पर नरेन्द्र मोदी का कर्जा होगा।

अनेक माननीय सदस्य: +++

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिये आपको स्वयं आगे आना चाहिये। मैं वह वीडियो सारे माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा। अगली जब सदन की बैठक चालू हो, उससे पहले प्रधान मंत्रीजी को दिखाकर आप वापस आना और सदन में बताना कि प्रधान मंत्रीजी ने क्या कहा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख। माननीय सदस्य, मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 20 सदस्य बोलने वाले हैं। समय की सीमा यदि आप नहीं रखेंगे तो रात के 10 बजेंगे। यदि आप सब चाहते हैं कि 10 बजे तक बैठना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और यदि आप चाहते हैं कि समय पर कार्यवाही समाप्त हो तो आप मुझे सहयोग करें। 20 माननीय सदस्यों को बोलना है, मैं ज्यादा समय देने में असमर्थ हूं। मेहरबानी करके आप अपनी बात रखें और आपस में इंटरवीन नहीं करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधीजी की दो-तीन बार तारीफ की। उनकी तारीफ मैं भी करूंगा, क्योंकि यह उनका आदेश था अपनी सरकारों को, कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करो। यह उनका आदेश था और जब वह विधान सभा के चुनाव के दौरान राजस्थान में अपनी पार्टी के लिये सभाएं कर रहे थे, तो वादा किया था जनता से, कि 10 दिन के अंदर-अंदर सरकार आने के बाद हम किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। किसान का दो लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सम्पूर्ण कर्जे की कभी माफी की बात नहीं की, फसल ऋण माफ करने की बात कही है, आप गलत बता रहे हैं।

श्री सभापति: बोलिये-बोलिये, आप अपनी बात चालू रखें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): कोई बात नहीं, जो बात उन्होंने कही अपनी चुनावी सभाओं में, उतना भी यह कर देंगे तो शायद आने वाले कल में यह आत्महत्या का सिलसिला जो चालू होने वाला है, वह रूक जायेगा। कम से कम इतना काम वह कर दें। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की लोक सभा में भारी पराजय जिनकी वजह से हुई, वह तो खुद इस्तीफा दे नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति: वह चिंता छोड़िये, आप अपनी बात कहें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यह इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है।

श्री सभापति: यह उनका आपसी मामला है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं उनकी तारीफ करूंगा, मैं राहुल जी की नैतिकता की तारीफ करूंगा कि हार का जिम्मा अपने सिर लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, उन्होंने आग्रह भी किया, समझाइश भी की, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग हैं और अडिग रहेंगे, मुझे पता है वह युवा हैं, अडिग रहेंगे, पर कल एक बात उन्होंने जो कही, उन्होंने अपनी पीड़ा बतायी, अपनी व्यथा बतायी कि जो हार के वास्तविक जिम्मेवार हैं, ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह विषय है क्या? सभापति महोदय, यह विषय है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विषय से जैसे ही इतर होंगे, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, आप इधर देखिये। आप आसन की तरफ देखिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यह इसी से जुड़ा हुआ विषय है जो हार की वास्तविकता का कारण है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका कोई अंकित नहीं होगा। विषय से इतर जो कोई भी बात है, कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, फिर आग्रह कर रहा हूं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर-इधर, आसन की तरफ। बार-बार आग्रह कर रहा हूं, संयमित रहें, समय पर अपनी बात रखें। विषय से इतर नहीं हों। आप अपनी बात को समय में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संयमजी ने संयम रखा था क्या? प्रधान मंत्री का नाम ले रहे थे, तब आपने नहीं कहा।

श्री सभापति: प्रधान मंत्रीजी का नाम कोई असंसदीय भाषा में नहीं लिया।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): संयम लोढ़ा जी विषय पर बोल रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने क्या कह दिया? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रधान मंत्री का नाम नहीं लेंगे...(व्यवधान) एक हजार बार लेंगे प्रधान मंत्री का नाम।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात अपने विषय तक रखें। आप इधर देखिये, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अपने विषय पर आप रखिये। अपने विषय पर बात करिये आप। विषय पर बात करिये। अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। विषय से इतर कोई भी बात हो, अंकित नहीं होगी। विषय पर बात करिये आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, यह जो आज सत्ता में बैठे हैं न, जिसकी वजह से बैठे हैं उसमें मुख्य मुद्दा था ...

श्री सभापति: चर्चा समाप्त कर दूं, आप यदि उसको उचित नहीं मानते हैं, एक मिनट, आप सुनिये। कल मैं स्वयं कार्य सलाहकार समिति की बैठक में था। एक बात आप सुनिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेहरबानी करके मेरी बात पूरी सुनने के बाद में आप निर्णय दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठें। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, बात सुनिये।

माननीय उप नेता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री, आप सब थे कल, कर्जा माफी की गम्भीरता को देखते हुए आपने आज की विशेष चर्चा रखी। यदि आप लोग इसको गम्भीरता नहीं मान करके आपस में केवल चर्चा का विषय बना रहे हो, मैं अलाउ नहीं करूंगा और मैं अपना कोई निर्णय जारी करूंगा। मेहरबानी करके आप सारे गम्भीर लोग हैं, महत्वपूर्ण विषय है, देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप अपना सहयोग दें, अपने सुझाव दें, सरकार से आप क्या चाहते हैं, आपसे सरकार क्या चाहती है, ऐसा सुझाव दें। दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, यहां राजस्थान में, यह बैठे हुए हैं, आपस में मिल-जुल करके कोई किसान का भला कर सकते हैं तो करिये। इसको मजाक क्यों बना रहे हैं? मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा और गम्भीरता से कह रहा हूं यदि किसी माननीय सदस्य ने विषय से इतर बात की अंकित नहीं होगी और मैं उसको बैठने के लिए पाबंद करूंगा। माननीय ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कर्जा माफी का वादा, कर्जा माफी की घोषणा वो ही एक मात्र कारण था कि प्रदेश के किसानों ने आपके उस वादे का विश्वास करके आपको सत्ता सौंपी, हम यही चाहते हैं वादा पूरा कर दो, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते पर वादा करने के बाद में आपने जो गलियां निकालकर अधिकांश किसानों को उससे बाहर करने का प्रयास किया उसी का परिणाम है कि आज ये आत्महत्याएं हो रही हैं।

केन्द्र सरकार क्या करने वाली है, क्या करेगी, शायद आपसे ज्यादा चिंतित है और माननीय नरेन्द्र मोदी जी के पिछलें पांच साल के कार्यकाल को आप देखेंगे न तो किसानों के हित में जो फैसलें उन्होंने किये हैं, पहली बार किसानों की जिंस का समर्थन मूल्य दुगना कर दिया और राजस्थान में उसकी बम्पर खरीद हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, सहयोग करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पहले आपदा आती थी न, अतिवृष्टि से फसलों का कोई नुकसान होता था तो दायरा था, 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान होगा तो ही उस किसान को सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। यह वो ही सदन है जिसने यहां से पिछली बार प्रस्ताव पास करके माननीय प्रधान मंत्रीजी को भेजा था, तो उस दायरे को घटा कर 33 कर दिया कि 33 से भी ज्यादा खराबा हुआ तो उसको भी लाभ मिलेगा। पहले क्या नियम था छोटे, लघु और सीमांत काश्तकार को ही अनुदान की राशि दी जाती थी, बड़े काश्तकार के चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हुआ हो वो अनुदान की राशि से वंचित रहता था और प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने उस सीमा को हटा कर सब को एक समान कर दिया, चाहे कोई भी काश्तकार हो अगर उसको आपदा से नुकसान हुआ है वो भी अनुदान का हकदार होगा। राजस्थान के लाखों किसानों को उससे फायदा हुआ है। माननीय सभापति जी, उन्होंने अनुदान की राशि भी डेढ़ गुना की, यह भी मामूली बात नहीं। इसी सदन से हमने पिछली बार प्रस्ताव भिजवाया था और राशि डेढ़ गुना की।

माननीय सभापति जी, एक नहीं अनेक फैसले और सबसे आश्चर्य की बात है कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने एक नई घोषणा की थी आज से लगभग आठ महीने पहले, एक साल हो गया, 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' की। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को करना कुछ नहीं था, जो उस योजना के दायरे में आने वाले किसान थे उनकी सूची केन्द्र सरकार तक भिजवानी थी और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि जो किसानों की चिंता करते हैं, कर्ज माफी की बात करते हैं, 8 महीने तक उन किसानों की सूची वो अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं भिजवा सके। अगर यह सूची वहां चली जाती तो अब तक और प्रांतों की जैसे चार-चार हजार की राशि किसानों के खाते में आ गई होती। 'प्रधान मंत्री नई फसल बीमा योजना' लागू की और उसके बाद में राजस्थान में जो फसलों का नुकसान हुआ उसके क्लेम का अगर आप रिकार्ड देखोगे न तो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के दस साल में क्लेम की जितनी राशि आयी उससे दस गुना राशि हमको पिछले पांच साल के कार्यकाल में मिली।

किसान के लिए क्या करना है, हमारी बात हम करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं पर जो वादा आपने किया और जिस वादे को लेकर आप सत्ता में आये उस वादे की बात आपसे जरूर करना चाहेंगे कि जो वादा आपने किया

(श्री ज्ञानचंद पारख)

वो पूरा नहीं होने की वजह से आज किसान इतना व्यथित है, इतना दु:खी है और इतना मजबूर हो गया कि वो अपना जीवन भी समाप्त करने पर तुल गया और सरकार से मेरा यही आग्रह रहेगा जो वादा किया है वो निभा लो, भाई, यह जनता है, आप देख चुके हो। आपने लोक सभा का परिणाम देखा न, 25 की 25 सीटों में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या बात हो गयी, माननीय सभापति महोदय, मैं वादे निभाने की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप एक मिनट बात सुनिये। माननीय उप नेता महोदय, मैं साढ़े पांच बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष को बुलवाऊंगा और उसके बाद माननीय मंत्री का जवाब होगा। कल आप कार्य सलाहकार समिति में थे, आपने छह बजे का पाबंद किया था, यह उससे भी आगे जा रहा है। अभी 20 लोग बाकी हैं। आगे बोलने वाले जो वक्ता हैं उन्हें मैं पांच-पांच मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, यह मजबूरी है। आप बात करें, तय कर लें आप।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): टाइम बढ़ा दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्री महोदय।

एक माननीय सदस्य: 12 बजे तक टाइम बढ़ा दो।

श्री सभापति: बात करें आप, बात करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय है, पूरा राजस्थान का किसान चिंतित है, इस बहस को देख रहा है इसलिए मेरी प्रार्थना यही रहेगी, ट्रैजरी बैंचेज से भी यह रहेगी कि समय थोड़ा बढ़ा दें ताकि माननीय सदस्य को सात-सात, आठ-आठ मिनट दे दीजिए सब को अपनी बात कहने के लिए।

श्री सभापति: पांच मिनट से ज्यादा समय कैसे दे पाऊंगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दस मिनट में कनक्लूड कर दें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): समय बढ़ा दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि सामान तो है नहीं कुछ, अब वो बोले जा रहे हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर बोले जा रहे हैं, रिपीटीशन हो रहा है

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

और टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आप खुद मंजूर करके गये थे कि टाइम नहीं बढ़ेगा। आपने मंजूर किया था कि टाइम नहीं बढ़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बात कर लें, आपस में बात करें। आप बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आयी हैं। वो राजस्थान की जनता ने बता दिया, अभी 25 में से 25 सीटें आयी हैं। सामान एक नहीं, आपके सामने है और आने वाले दिनों में आज चुनाव हो जाये न तो 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आये। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कर्जा माफी में आप वादा पूरा कर नहीं सके और जो इस समय फसली ऋण बंट जाना चाहिए था, वहां भी शून्य पर खड़े हो शून्य पर। किसान आपके जीएसएस पर चक्कर लगा रहा है कि कब ऋण मिलेगा और अगर आने वाले चार-पांच दिनों में आपने ऋण देने का कोई निर्णय नहीं लिया न ...(व्यवधान) सामान तो पता लग गया, अभी 25 की 25 सीटें आयी हैं, मामूली बात थोड़ी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपने मुझे इंगित करके कुछ कहा है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 25 की 25 तो आयी हैं पर 163 से 76 पर रह गये, यह भी देख लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपने मुझे इंगित करके सामान की बात कही है क्या? नहीं, मुझे इंगित करके सामान की बात कर रहे हो?

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम तो देते हैं जब फुल हैंड देते हैं।

श्री सभापति: अब आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट में। माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने 163 से 76 पर बात की, उनकी बात करूंगा।

श्री सभापति: विषय पर बात करिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां हां, वो ही तो बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: बहुत लोग हैं बोलने वाले, मुझे मजबूरी में आपका यह बंद करना पड़ेगा। अब आप बात समाप्त करिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अगर माननीय राहुल गांधी जी अपनी चुनावी सभाओं में कर्जा माफी की बात नहीं करते तो यहां आपकी वो ही संख्या रहती जो पिछली बार थी, उससे ज्यादा आप बढ़ते नहीं, वो ही बड़ा कारण है।

मैं तो राहुल गांधी के नेतृत्व की बहुत तारीफ करता हूं।

श्री सभापति: अब आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें अन्यथा मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं तो उनके नेतृत्व की तारीफ कर रहा हूं। पिछली बार जब वह अध्यक्ष नहीं थे तो आपकी लोक सभा में 44 सीटें थीं। अध्यक्ष बनने के बाद 22 प्रतिशत सीटें उनके नेतृत्व में ज्यादा बढ़ी हैं।

श्री सभापति: अब आप बात समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हम तो मात्र 11 परसेंट ज्यादा बढ़े। हम कोई ज्यादा नहीं बढ़े। आप 22 परसेंट बढ़े।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं किसान की ही बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने जो वादा किया, मैं बात वही कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): राहुल गांधी जी ने जो विधान सभा चुनावों के दौरान वादा किया, उस वादे के मुताबिक यहां की सरकार पालना करे।

श्री सभापति: विराजें। श्री रामलाल जाट।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): कल जो राहुल गांधी जी ने इशारा किया, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को और अन्य को, उस इशारे की पालना करें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: विराजिए। श्री रामलाल जाट। माननीय उप नेता महोदय, मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। अपने साथियों से आप कहें कि वे संयमित रहें। माननीय सदस्य, कोई इंटरवीन नहीं करेगा। माननीय सदस्य, अपनी बात शांति से रखें वर्ना मुझे बाध्य होकर के बैठाना पड़ेगा। मेहरबानी करें। माननीय नेता महोदय, आप भी विराजे हुए हैं। उप नेता महोदय, आप भी बैठे हुए हैं। प्लीज, सहयोग करें। माननीय श्री रामलाल जी।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इतने गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज कर्जा माफी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? हकीकत में देखें तो यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है।

कृषि हमारी भारतीय संस्कृति की एक रिवाज है। इसका अंग्रेजी में नाम रखा गया एग्रीकल्चर, आप खुद व्याकरण के हिसाब से संधि विच्छेद कीजिए, एग्री आल कल्चर, दैट इज ए आल कल्चर। इसमें सारी संस्कृति, सारी जाति, सारा समाज, सारा दल, चाहे कोई भी पार्टी इसमें भाग ले रही हो, उन सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसका नाम एग्रीकल्चर, कृषि है।

सभापति महोदय, इतने गम्भीर विषय पर जो सभी माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। किसान का कैसे भला हो, इस बारे में उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। कई कटाक्ष भी हुए। उन सभी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन के लिए किसान, अन्नदाता जिंदा रहेगा तो पूरी दुनिया जिंदा रहेगी, हिन्दुस्तान जिंदा रहेगा, राजस्थान जिंदा रहेगा।

किसान की कमाई खरी मेहनत की कमाई है। जमीन का सीना फाड़कर सोना उगलता है। उसकी किस्मत में जो लकीरें निकलती हैं, वह जो तपती हुई धूप में इतनी मेहनत करता है उससे निकलती हैं। मैं भी किसान के एक परिवार से निकलकर के आया हूं। कई और माननीय सदस्य भी किसान परिवारों से निकलकर के आए हैं। हमने चड़स चलाते हुए हमारे पिताजी को, हमारे काका जी को जिनको कि हम अंकल बोलते हैं, हमारे मजदूरों को देखा है।

(श्री रामलाल जाट)

हम जब 10 साल के थे उस समय की स्थितियां और आज की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। जब हम आठवीं तक आए तो पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी। हमारी जो हाफ पैंट होती थी, उसके पीछे भी कारी लगी होती थी। तब हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। आज का किसान उस तकलीफ में से निकला हुआ है। उनमें से कई माननीय सदस्य आज हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में भी हैं और राजस्थान की विधान सभा में भी हैं। उनमें से मैं भी एक हूं।

सभापति महोदय, रोटी के बगैर कुछ भी नहीं है। आज कई नारे आते हैं, उनमें से एक 'बेटी बचाओ', अगर बेटी नहीं बची तो बहू कहां से लाओगे? अगर किसान नहीं बचा तो अन्न कहां से लाओगे? हकीकत में जो स्थिति आज किसान की बनी हुई है, उस पर सभी को मंथन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आज सभी को एक संकल्प पारित करना चाहिए। ठीक है, कर्जा माफी समय-समय पर होती आई है। हिन्दुस्तान के इतिहास में देखें तो अगर पंडित जवाहर लाल नेहरु जी को निकाल दें तो किसान का भला करने के लिए सरदार पटेल सहित कई ऐसे नेता थे जिन्होंने किसान के लिए इस देश में कुछ किया है। तभी जाकर के भारत आज आत्मनिर्भर बना है।

सभापति महोदय, आज किसान के कर्ज माफी की जो योजना चल रही है, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो योजना थी और अशोक गहलोत जी का जो फैसला था, वह काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ विसंगतियां रह जाती हैं, उनमें सुधार करने का सुझाव विपक्ष भी दे रहा है, लेकिन इनके टाइम में भी ऋण माफी हुई थी। लेकिन उस ऋण माफी में और इस ऋण माफी में काफी बड़ा अंतर है। वह आंकड़ों के माध्यम से सभी के सामने है।

सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज व्यापारी चाहे वह जूता बनाता है, चाहे कपड़ा बनाता है, चाहे कोई भी चीज बनाता है, उसका लागत मूल्य वह खुद तय करता है और उसके बाद उसका प्रोफिट तय करता है। किसान ही एक ऐसा है जो अपनी चीज का मूल्य खुद तय नहीं कर पाता है। इसके कारण से ही आज किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। मण्डी में जाता है तो उसके माल का भाव दूसरे व्यापारी तय करते हैं। वह किसान खुद तय नहीं कर पाता है। आज इस सदन के माध्यम से इन कमियों को मिटाने की भी बड़ी आवश्यकता है। तभी किसान का भला हो पाएगा।

(श्री रामलाल जाट)

सभापति महोदय, इंदिरा जी के समय पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने किसानों के हित के लिए समय-समय पर काम किया है, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वजह से किसान की माली हालत में सुधार आया है, लेकिन 90 के दशक के बाद में जिस तरह से किसान की हालत बनी है। उस समय भी 10 हजार करोड़ का कर्जा माफ हुआ था। उसके बाद में जब 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब 72 हजार करोड़ का ऋण उन्होंने माफ किया। वह एक योजना लेकर के आए थे। लेकिन धीरे-धीरे किसानों का कर्जा बढ़ता गया और 85 हजार करोड़ पर जाकर के वह ऋण माफी टिकी थी, लेकिन उसमें कई लोगों ने आक्षेप लगाए थे।

पिछली बार भी वसुंधरा जी की सरकार ने 50 हजार की ऋण माफी की थी। मैं उनकी भी तारीफ करुंगा, लेकिन उसमें पूरे 50 हजार का ही माफ नहीं हुआ। इसमें ठीक कहा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कि कहीं 10 हजार, कहीं 20 हजार माफ हुआ। उसमें मेरा नाम भी था। मेरे भी 10 हजार रुपए माफ हुए थे। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा अकाउंट है। आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन अभी की ऋण माफी में कोई विधायक, कोई कर्मचारी, अधिकारी नहीं आएगा। एक्चुअल किसान को देने की योजना अशोक गहलोत जी लेकर के आए वह वास्तव में काबिले तारीफ है, 2 लाख तक के ऋण माफी की जो घोषणा की, उसको पूरा कर रहे हैं।

लोक सभा के चुनाव हों, कोई किसान फंक्शन हो, प्रेस कांफ्रेंस हो, नेता की जब नीति अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है तो उसमें हो सकता है कि समय लग सकता है, लेकिन किसान को पूरा फायदा देने की नीयत आज हमारे नेता की है। राहुल गांधी जी ने जो 2 लाख तक के कर्ज माफी की जो घोषणा की, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। धीरे-धीरे किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा।

किसान के साथ दूध भी जुड़ा हुआ है। किसान के साथ सब्जी भी जुड़ी हुई है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय विराजे हुए हैं। इनको याद है। सभी माननीय सदस्यों को याद है कि अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट में जब हमारे मंत्री परसादीलाल जी थे, तो बिना ब्याज रुपए देने किसान को देने का प्रावधान किया। किसान को मदद के लिए नेता की नीयत सही थी ताकि कोई किसान आत्महत्या नहीं करे। यह एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने लिया। किसान

(श्री रामलाल जाट)

जो दूध पैदा करता है उसमें 2 रुपए लीटर, अलग से राज्य सरकार का अनुदान देने का काम किया। ऐसी कई योजनाएं जो किसान के हित के लिए कीं। अनाज के भण्डारण के लिए भारत सरकार की योजना, जगह-जगह वेयरहाउसेज को लगाने की योजना को आगे बढ़ाया, 2 बिस्वा तक की जमीन को वह बिना कन्वर्जन के अपना गोदाम कर सकता है, अपना वेयरहाउस कर सकता है। उसके लिए सब्सिडी देने का काम उस समय की सरकार ने किया।

किसान आत्महत्या कर रहा है उसको बचाने के लिए हमारे नेता ने हमेशा ही कानून-कायदे बनाए हैं। उसका फायदा निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों को हो रहा है। हमें कुछ चीजें आज राजनीति से ऊपर उठकर करने की जरूरत है। यहां एक संकल्प पारित होगा, तभी सही रूप में किसान का भला होगा। अन्यथा तो एक बार प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएगा तो कभी सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष पर आरोप लगाएगा। लेकिन उससे किसान का भला नहीं होगा।

सभापति महोदय, इसके लिए कुछ करना होगा। नेता की अगर नीति और नीयत सही है तो उसमें पूरे सदन को सहयोग करना होगा। तभी जाकर के हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। 2002 में किसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी मुझे पार्टी ने बनाया था। मुझे मौका मिला था। एक बार बाजरे का आंदोलन हुआ था। हमने 8-10 हजार किसानों को लेकर के स्टेच्यु सर्किल पर धरना दिया था। वह कई लोगों को याद है। जब हम वहां बैठे थे तो किसान की दुर्दशा को बयान करने के लिए एक वाकया हुआ था। जो मैं बता रहा हूं वह हकीकत है।

एक गाड़ी में एक कुत्ता मुंह निकालकर जा रहा था, वह कुत्ता जीभ लपलपा रहा था, वह कुत्ता क्या कह रहा था, कह रहा था कि रामलाल, आप कर्जे में पैदा हुए हो, आप कर्जे में ही मर जाओगे। कोई सरकार ऐसी आए जो किसानों के हित के लिए निर्णय करे। देख, मेरी हैसियत देख, मैं अच्छी-अच्छी लाखों, करोड़ रुपयों की गाड़ी में घूमता हूं, ए सी बंगले में रहता हूं, कुत्ता जो कह रहा है वह हैसियत किसान की, सरकार की गलत नीतियों से बनी है, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आज किसान को इस कर्जे से निकालना है, आत्महत्या से रोकना है तो कर्ज माफी की जो योजना आई है, वह सभी लोग मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में पूरे राजस्थान के किसानों को होगा और आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का

(श्री रामलाल जाट)

जिक्र हुआ, पूरे तरीके से भारत सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, नदियों को जोड़ने का मामला भी आ रहा है, कई बार प्रपोजल हुए, नेहरूजी के टाइम पर हुआ, अटलजी के टाइम पर हुआ, मोदीजी ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया, पर उस पर कुछ भी नहीं हुआ। किसान का लड़का जो पढ़ रहा है उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय खोलने का काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सब्जैक्ट खोलने का काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान की दुर्दशा पढ़ा-लिखा वर्ग नहीं समझ पाता, किसान की जो लोकल लैंग्वेज है, लोक संस्कृति है, उसमें समझाने वाला व्यक्ति, किसान की सरकार की जो नीति है उसको समझाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी जब तक उस लैंग्वेज में, उस संस्कृति में, उस एरिये में जाकर नहीं समझाएंगे तब तक किसान का सही भला नहीं हो पाएगा। आज राजस्थान का आप जिक्र कर रहे हैं हम सभी लोग मिलकर, आज राजस्थान में मेवाड़ अलग स्थिति में बसा हुआ है, शेखावाटी अलग स्थिति में है, भरतपुर अलग स्थिति में है, छोटी जोत किसान की है। अगर आज किसान की सही मायने में मदद करना चाहते हैं तो तीन एचपी हार्स पावर, पांच एचपी हार्स पावर, दस हार्स पावर की मोटरें हैं, उनके सबके बिजली के बिल कम करने पड़ेंगे, आपको किसान की मदद करनी पड़ेगी, उसको सर्टिफाइड बीज देना पड़ेगा, तब जाकर किसान की आय में वृद्धि होगी, अन्यथा आय दुगनी करने का तो सरकारें वोट लेने के समय कई तरह की बातें करती हैं, लेकिन नीति और नीयत में फर्क आएगा तो किसान का भला नहीं हो पाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, अशोक गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नीति और सही नीयत किसान के हित में रखी है, इसी का परिणाम है कि आज किसानों को फायदा मिल रहा है। आने वाले समय में जो उन्होंने कहा कि नेशनलाइज्ड बैंकों में भी जो एनपीए लोन है या और जो कोई वन टाइम सैटलमेंट की योजना है, उसको लागू करने से गांव के अंदर किसान का भला हो पाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): आज भी यह आदेश जारी किए हैं कि किसान की नीलामी कभी किसी तरह नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, आज आप देखिए, अख़बार में जो छपता है, अख़बार में आता है कि कारपोरेट घराने के 1990 से लेकर अब तक 18 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ हुए हैं। एनपीए अभी पिछले पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपए का है जिसमें एक कटिंग स्कीम है, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए जमा होंगे। वह बात अख़बार नहीं छापता। उसमें लोग नहीं बोलते हैं, नेता नहीं बोलते हैं लेकिन किसान का कर्जा अगर माफ होता है उसमें सारे नेता बोल रहे हैं, किसान का कर्ज माफ हुआ तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें और सहयोग करना चाहिए। किसान की आत्महत्या रोकने के लिए एक कदम है, इसी तरह के सुधार के और कदम इसमें लाने चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे से पहले बोलने वालों ने शुरु में खूब टाइम लिया। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अंत में यही बोलूंगा कि हरियाणा में हुड्डा सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहण की नई योजना शुरु की है, राहुलजी स्कीम लेकर आए थे। यदि अपने यहां जमीन अधिग्रहण होता है तो डीएलसी रेट का चार गुना मिलेगा। लेकिन हरियाणा में एक स्कीम आई उसमें उसको लीज का किया। जमीन कभी बिकती नहीं है। आज जमीन को बनाने वाले का पता नहीं, इसकी उम्र कितनी है किसी को पता नहीं, यह कब तक चलेगी, इसकी एमआरपी क्या है, यह किसी को पता नहीं। जमीन कोई बेच नहीं सकता, जमीन को कोई नीलाम नहीं कर सकता, ऐसी स्कीम राजस्थान में आए, मैं यह उम्मीद करूंगा सदन से कि ऐसा प्रस्ताव लेकर आए कि लीज पर किसान को उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिलता रहे ताकि किसान आगे बढ़ सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, अंत में एक छोटा-सा निवेदन और करना चाहता हूं कि आज जिस तरह बांध बनाए गए थे नदियों के ऊपर उस समय की वह जरूरत थी, पानी खूब बहता था, आज स्थिति यह हो गई कि एक बांध से दूसरे बांध के बीच का जो एरिया पड़ता है, उस पर कई पीएचईडी की स्कीम है अलग-अलग गांवों में, आप वहां की

(श्री रामलाल जाट)

स्थिति देखो, वहां कैचमेंट में आप पानी रोक नहीं सकते, ऐसी नीति है ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट की भी, लेकिन आज राजस्थान में जितने बांध हैं, अगर पहला पानी आते ही एक बांध से दूसरे बांध के छोर तक पूरे एरिये में थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ा जाये तो वहां कैचमेंट सुधरेगा और किसान की माली हालत सुधरेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर सभी सदस्यों से निवेदन है कि ऐसा संकल्प पारित करें कि किसान के हित के लिए सभी लोग मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से किसान का भला होगा। अभी ऋण माफी की जो स्कीम है उसका पुरजोर समर्थन करता हुआ, इसमें और सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों पर अमल करते हुए ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। समय सीमा में बोलेंगे आप।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने चालू नहीं किया है।

श्री सभापति: समय सीमा में बोलेंगे, अब आप अपनी बात चालू करिए। ऐसे नहीं। पांच मिनट बाद में आपको और कहूंगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका आशीर्वाद चाहिए।

श्री सभापति: बोलिए अब आप, प्लीज। अपनी बात चालू करिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इस ऋण माफी पर आपने जो बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

ऋण माफी पर काफी चर्चा पहले भी हुई। पहले वाले कार्यकाल में होती थी, अभी जो सत्ता में बैठे हैं वह पहले विपक्ष में थे और इस तरह की वह बातें करते थे कि सरकार उसमें माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी थे और इसी लाइन में बैठते थे, वह एक बात कहते थे ऋण माफी पर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यह करेंगे, वह करेंगे, आप 163 से कम हो जायेगे, आप इधर आयेगे, हम उधर चले जायेगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं ने तो यह कहा था कि आप अपने लक्खण सुधार लो वर्ना विपक्ष में जाओगे। आपने लक्खण सुधारे नहीं तो विपक्ष में आ गए।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार में कहीं न कहीं कमी रही है। उसी कारण आप सामने बैठे हैं और वही कमी छह महीने में पूर्ति हुई है और आज राजस्थान में 25 में से 25 सीटें हमें दी हैं, मैं जनता को धन्यवाद दूं कि उसने 25 में से 25 सीटें दी हैं। और तो और इनके सीएम साहिब खुद जोधपुर से चुनाव लड़े थे, उस सीट को कई लाखों वोटों से हारे थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, क्या सम्बन्ध है इस बात का? किसान की कर्ज माफी से इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): पूरी सरकार वहां लगी, पूरे प्रशासनिक अधिकारी वहां लगे, पूरा तंत्र वहां लगा, पर वह सब रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अंदर के अंदर यह भी समझ रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है।

श्री सभापति: दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने पांच मिनट दिए हैं, अभी शुरू तो कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें। दो ही मिनट में।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, पार्टी का टाइम है, पार्टी से बोल रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, वास्तव में ऋण राहत पहले वसुन्धराजी की सरकार में हुई। उन्होंने बजट में चालू की थी, बजट घोषणा में चालू किया, 50-50 हजार रुपए माफ करेंगे। उन्होंने वास्तव में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वसुन्धराजी की सरकार ने 50-50 हजार रुपए माफ किए। किसानों के खाते में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

गए। दो महीने के अंदर-अंदर 4500 करोड़ रुपए माफ हुए और कुल 7662 करोड़ रुपए माफ हुए थे। इस तरह से उन्होंने किया था और इसके बाद चुनाव का समय आया और थोथी घोषणाएं की गईं और उन थोथी घोषणाओं में किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और इस तरह की घोषणा करते हैं कि एक-दो-तीन-चार-पांच-छह-सात-आठ-नौ और दस, दस दिन में पूरा कर्जा माफ हो जायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आज उस समय को 190 दिन हो गए। वास्तव में उसकी सज़ा तो इन्होंने छह महीने में भुगत ली है और वह सज़ा वास्तव में आने वाले दिनों में नगरपालिका चुनावों में और पंचायती राज चुनावों में देखेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आज अगर राजस्थान में चुनाव करवाते हैं तो इन्होंने जो थोथी घोषणा ऋण माफी में की, इन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए भी घोषणा की थी लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज चुनाव होते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि 200 में से 200 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, वास्तव में इन्होंने 19 दिसम्बर, 2008 को घोषणा की थी कि दो-दो लाख रुपये का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लोग बहकावे में आ गये और उसके कारण आज जब सरकार सामने बैठी है, उसका रिजल्ट है और उनको भुगतना भी पड़ा और आने वाले दिनों में इस चीज को ये भुगतेंगे भी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक छोटा-सा उदाहरण आपको मैं केन्द्रीय सहकारी बैंक चित्तौड़गढ़ का देता हूं। उन्होंने जो पांच साल में ऋण दिया, उसके बारे में आंकड़ों सहित बताता हूं। चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक ने 2014-15 में 993.99 करोड़ रुपये का लोन दिया खरीफ फसल का। 2015-16 में 462.58 करोड़ का दिया। 2016-17 में 410.43 करोड़ का दिया। 2017-18 में 412.24 करोड़ का दिया और 2018-19 में 361.63 करोड़ का दिया। माननीय मंत्री महोदय चित्तौड़ से भी

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

हैं और उन्होंने देखा भी होगा 2019-20 में कुल 36 लाख रुपये इसमें हुआ है। हर साल 400 करोड़ रुपये जो माफ होते थे, 36 लाख रुपये का ऋण इन्होंने दिया है और लोग फसली ऋण इसलिये लेते हैं कि बुवाई के समय पर उनके खाद-बीज का पैसा आ जाये।

मंत्री महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश हो गई बहुत अच्छी। किसानों के पास बुवाई के पैसे नहीं हैं और वास्तव में उन लोगों की बुवाई नहीं हो पाई, क्योंकि जो कर्ज हर साल मिलता है, वह तो समझते हैं कि अभी भी सरकार चेंज हुई कि नहीं हुई और हर साल की तरह पैसा मिल जायेगा। सभापति महोदय, उन्हें पैसा नहीं मिला और वे आज फसल बो नहीं पाये हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं और आने वाले दिनों में और आत्महत्याएं बढ़ेंगी। मैं इस सरकार से मांग करता हूं, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, अभी चालू ही किया है। थोड़ा-सा तो बोलने दें। केवल दस मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। विराजिये। डा. राजकुमार शर्मा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट भी नहीं हुए। यह क्या नाराजगी है। बड़ा दिल रखिये।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, इन उक्त बैंकों में इन्होंने झूठे वादे भी किये, झूठे काम भी किये और लोन भी माफ नहीं हुआ। हर साल किसानों को एक अप्रैल को लोन मिलता है। एक अप्रैल से तीस जून तक मिलता है और इन्होंने अभी तक एक भी खरीफ का ऋण देने की घोषणा नहीं की है।

सभी कागजों में वह चल रहा है और इन्होंने केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक का लोन ही इन्होंने माफ करने के लिये कहा, एस.टी. लोन माफ करने के लिये कहा, एम.टी. लोन माफ करने के लिये कहा, एल.टी. लोन माफ करने के लिये कहा, पर जो कामर्शियल बैंक हैं, इन्होंने उनका लोन माफ करने की बात नहीं की है। इन्होंने जो योजना बनाई है, आप सभी बैंकों की योजना बनाएं और दो-दो लाख रुपये इनके माफ करें और ज्यादा से ज्यादा माफ करें।

श्री सभापति: डा. राजकुमार शर्मा। डा. राजकुमार शर्मा का अंकित होगा, बाकी नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये आप। विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: सहयोग करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है आपका। माननीय श्री राजकुमार शर्मा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, विराजिये आप। पहली बार आप आये हैं, कुछ सीखिये तो सही आसन से।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: आप पांच बार आइये, मेरा आशीर्वाद है आप पचास बार आइये। सीखिये कुछ। आपके नेताओं से पूछकर मैंने समय तय किया है। बात अपनी संक्षेप में रखें। मजबूरी है आसन की। प्लीज।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और चर्चा की शुरुआत विपक्ष के माननीय उप-नेता जी ने की और जब सत्ता पक्ष के सदस्य बोल रहे थे तो बार-बार इशारा कर रहे थे उस तरफ कि असत्य कोई न बोले, सत्य बोले, लेकिन जब शुरुआत ही असत्य पर टिक जाती है तो फिर शुरुआत आपने इतना असत्य बोल-बोलकर की कि फिर आगे मामला उसी तरह से चला जायेगा।

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, छह महीने पहले आपकी सरकार थी राजस्थान में। तब सब-कुछ ठीक था और इन छह महीने में राजस्थान से पानी भी खतम हो गया तो मटके फोड़ने लगे गांव-गांव में जाकर। बिजली भी गयी तो आप गांव-गांव में जाकर जी.एस.एस. पर धरना-प्रदर्शन करने लग गये।

दुर्भाग्य से हमारे अन्नदाता ने आत्महत्या की, दुर्भाग्य से ऐसे-ऐसे

(डा. राजकुमार शर्मा)

अपराध हुए कि आप लोगों ने कहा कि छह महीने पहले तो सबकुछ सही था, इन छह महीने में सब-कुछ खराब होने लग गया।

देखिये, अभी सच और झूठ की बात चल रही थी। यह सच्चाई है कि आप जिसके नेतृत्व में अभी सभी जगह मजे कर रहे हैं न, वह इसलिये कि जब आप लोग सत्ता में होते हैं तब भरे हुए होते हैं। गाल बजाना दो प्रकार का होता है। एक भरे हुए गाल, एक थोथे गाल। आप थोथे होने के बाद बहुत जबरदस्त बजाते हैं। किस रूप में बजाते हैं कि देश के प्रधान मंत्रीजी अबकी बार जैसे ही चुनाव जीते तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इस देश में दो ही प्रकार के लोग हैं। एक गरीब और दूसरे गरीबी को दूर करने वाले। गरीबी को दूर करने वाले तो आप भी समझते हैं कि कितने बचे हैं। यानी फैक्ट्री का मालिक तो एक होता है और उसके नीचे एक हजार से लेकर दस हजार जितने भी उसके कर्मचारी होते हैं, उसके काम करने वाले होते हैं।

90 प्रतिशत लोगों को तो गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। किसान की आत्म-हत्या कर्जे की वजह से करने पर जो सरकारी पैसा लिया, इसलिये हम चर्चा कर रहे हैं। आप कैसे भूल रहे हैं कि नोटबंदी के बाद परिवार के परिवार खतम हो गये। लाइनों में लगकर सैकड़ों लोग खतम हो गये। जो कर्ज लिया लोगों ने, चूंकि जुगाड़ पर चलता है हमारा देश, आज भी 70 प्रतिशत लोगों के पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं, पैरों में चप्पल नहीं हैं। हम लोग सिर्फ उन 10-15 प्रतिशत लोगों को देखते हैं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं।

आज स्थिति यह है कि नोटबंदी के बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं देश के प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि पचास दिन का समय दे दो, अगर नोटबंदी की वजह से आपको दिक्कत होगी तो चौराहे पर आकर मुझे फांसी पर लटका देना। यह तो आप सबने सुना है। आज मैं आपको बता दूं कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गयी हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कर्जा माफी पर बोलिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आज आप सोचिये, वह किसान अन्न तो यहां पर उगाता था, लेकिन उसका बच्चा सूरत में, अहमदाबाद में या दूसरी जगह पर जाकर फैक्ट्रियों में काम करता था।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: इनका अंकित नहीं होगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अशोक जी, आप बैठ जाये। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसान ने कर्ज माफी की वजह से आत्म-हत्या की, इसलिये बहस हो रही है न।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेहरबानी करके आप विषय पर बोलें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि नोटबंदी के बाद हजारों लोग खतम हो गये। परिवार के परिवार कर्जे में आकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्या वे इंसान नहीं हैं। सिर्फ जिसने सरकारी पैसा ले लिया और वे खतम हो गये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): संजय जी, प्लीज आप ऐसे न करें। आप सोच लें आपके आसपास के व्यापारियों की क्या हालत है आज।

श्री सभापति: आपसी वार्ता नहीं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, आज इन्होंने पचास हजार रुपया कर्ज माफी की घोषणा की और उसके बाद दो हजार करोड़ रुपये किसानों को दिये और छह हजार हम पर छोड़ गये। अब छह हजार हमारी सरकार चुका रही है और सवाल हम से कर रहे हैं।

आपको झूठ बेचना आता है। यह सच्चाई है। लाल बत्ती हटाई आपने पूरे देश से। देश को ऐसे गुमराह कर दिया जैसे लाल बत्ती हटने से उनके घर पर बिजली का बिल आना बंद हो जायेगा। यह नहीं कहा कि सुरक्षा में कमी कर दी है और जो दूसरा खर्चा होता है, वह हटा लिया है। लाल बत्ती स्टेटस सिंबल होता था, हर मां-बाप चाहते कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, उसके लाल बत्ती लगे। हमारा भी सपना था कि मंत्री बनेंगे, लाल बत्ती लगेगी। लाल बत्ती से क्या होना है। लाल बत्ती लोगों को दिखती थी। आपके नेता ने वह कमजोरी पकड़ी। अब लोगों को यह बता दिया कि लाल बत्ती हटाने से हमने सबको बराबर कर दिया, तो एक काम करें, सबकी गाड़ियां छीन लें और साइकल पकड़ा दें और साइकल पर चला दें सबको। आपको हमेशा ही लोग वोट देंगे।

(डा. राजकुमार शर्मा)

यह सच है कि राहुल गांधी जी को झूठ बोलना नहीं आता और आपके नेता को सच बोलना नहीं आता, यह सच है। (व्यवधान) मैं आपसे झुन्झुनूं जिले की बात करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के एक कैबिनैट मंत्री झुन्झुनूं में आते हैं..... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। कोई आरोप नहीं है। गलत बात अंकित नहीं होगी। आप विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री सभापति: बैठिये माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): ये संस्कार हैं आपके? मैं यह कहना चाहता हूं कि झुन्झुनूं के अन्दर केन्द्र सरकार के एक मंत्री आते हैं यह इसी से जुड़ा मामला है। आप विषय से भटकेंगे तो हमें भी भटकना आता है। मैं आपको बता दूं कि आपके एक मंत्री आकर कहते हैं कि झुन्झुनूं जिले के बच्चे इसलिए सेना में जाते हैं क्योंकि इनके यहां पर भुखमरी है, इनके यहां पर खेत में पानी नहीं है। क्या यह इस बात से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उस बात को प्रधान मंत्रीजी ने नहीं बोला और हमारे सहयोगी, पार्टनर कर्नाटक के सी.एम. ने कोई बात बोल दी तो पूरे एम.पी. चुनाव में पूरे देश में उस झूठ को वो लोग बोलते रहे।

श्री सभापति: प्लीज, को-आपरेट करें आप।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। कांग्रेस का समय 4 घंटे का है आपका 2 घंटे का है। विराजिये आप। (व्यवधान) समाप्त करें माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने 2012-13 के अन्दर आदरणीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अन्दर किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने का फैसला किया। आज 60 लाख के लगभग किसान हैं जिनमें 53 लाख के लगभग हमारे सहकारी समितियों के

(डा. राजकुमार शर्मा)

सदस्य हैं। आप सोचिये कि आपने जो पिछला 50 हजार रुपये का ऋण वाला मामला हुआ, मैं आपको कितने जिलों का नाम बताऊंगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आप चूरू भी, कितने जिले जहां आप लोगों ने आपके राज में ऋण का इतना दुरुपयोग किया कि पता नहीं किन-किन लोगों को दे दिया और वास्तविक लोगों को नहीं दे पाये। उनमें भी आज सच्चाई यह है कि जब हमारी सरकार आई और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम कर्जा माफ करेंगे तो पूरे एम.पी. के चुनाव में आपके लोगों ने पूरे जिलों में यह भ्रम फैला दिया कि यह 2 लाख का कर्जा माफ है यह झूठ बात है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को आपकी तरह ड्रामा करना नहीं आता, हम लोगों को आपकी तरह नाटक करना नहीं आता कि हम जाकर दो आदमियों को खड़ा करके कह दें कि कह दो। आज हम कहते हैं कि कर्जा माफ हुआ आपका, हुआ 100 लोगों का है लेकिन आपके 2 व्यक्ति खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, किसी का नहीं हुआ और सब लोग चुप हो जाते हैं। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने अभी तक 8 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी दे चुके हैं। उसके बाद जो फैसला जिसके बारे में आप बार-बार कह रहे हो कि अभी आने वाला ऋण आपने उनको क्यों नहीं दिया तो अब आपकी तरह मरे हुए लोगों को, विदेश में बैठे हुए लोगों को, सरकारी कर्मचारी या नेताओं को अब ऋण नहीं मिलने वाला है। अब सीधा आधार आधारित, प्रमाणित और लोन अब सीधे खाते में जायेगा, किसान के खाते में आएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, विराजिये आप। विराजिये आप। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सुनो आप। आप क्या कर देंगे इसी बात को तय कर लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य राजकुमार जी। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, आसन आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। आसन आपसे अपेक्षा रखता है, आप सदन को निर्देश नहीं देंगे। विराजिये आप। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप विराजिये। आपका अपना समय है तब आप अपनी बात कहें, अभी उनको अपनी बात कहने दें। (व्यवधान) मुझे मजबूरन माननीय नेता, प्रतिपक्ष को 5.30 बजे बुलवाना पड़ेगा और जो लोग रह जायेगे उनकी अपनी गलती होगी। मैं सही 5.30 बजे माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बुलवा लूंगा और फिर जवाब देंगे। इस तरह से नहीं हो सकता। (व्यवधान) मुझे किसको बताना है यह मुझे पता है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपके दर्द हो रहा है क्या गर्ग साहब? आपकी इतनी रेस्पेक्ट करता हूं।

श्री सभापति: अपनी बात समय पर रखिये आप। उनका समय ज्यादा है इसलिए ज्यादा दे रहा हूं। विराजिये आप। माननीय सदस्य, बात समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं निवेदन कर रहा हूं सभापति महोदय, पिछली सरकार ने एक ऐसा फैसला जिससे किसान अभी परेशान है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, यहां पर बैठे हैं....

श्री सभापति: आप इस चीज को गम्भीरता से नहीं ले रहे तो बन्द करें। चर्चा समाप्त करने की घोषणा करता हूं मैं। आप गम्भीरता से नहीं ले रहे और जब जिसके मन में आए खड़ा होता है। माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, ये इस चर्चा को इसलिए गम्भीरता से नहीं ले रहे कि गांव में एक कहावत थी कि बहुत अच्छी ढोलक बजाई तो उसने कहा कि धणी बिन बजाये बाज रही है तो ऐसे बज रही है इनकी, इसलिए इनको न जनता से लेना-देना है, न किसी ने आत्महत्या की है उससे लेना-देना है, न किसान से, न व्यापारी से लेना-देना है। लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आप सब लोग हरिशचन्द्र हैं और यह हम लोगों ने मान लिया। हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हो। मतलब किसी ने मोबाइल भी चैक कर लिया तो बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं। समाप्त करें अब आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, मैं यह कहना

(डा. राजकुमार शर्मा)

चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, इन्होंने फैसला लिया कि किसानों का जो बिजली का बिल आयेगा उसमें 10 हजार रुपये डायरेक्ट सब्सिडी देंगे पर वो खाते में 10 हजार रुपये भेजने लग गये जिससे किसानों में आपस में बहुत झगड़ा हो गया, परिवारों में झगड़ा होने लग गया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वो 10 हजार रुपये का अगर आप लाभ देना चाहते हो तो वो 10 हजार रुपये उसका जो बिल आता है उसमें ही माफ कर दो। आप उस खाते में मत भिजवाइये क्योंकि आपको पता है कि वो कनेक्शन एक व्यक्ति के नाम से है और उसमें 10 लोग पार्टनर है जिससे जो पैसे का लाभ आता है वो तो खुद रख लेता है और बिल आता है तो वह सबसे बंटवारा करने लग जाता है। इसका भी एक कारण है कि वहां किसानों के अन्दर आपस में झगड़े होते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज को आप गम्भीरता से लें ताकि किसानों को उस चीज का फायदा हो सके। हम तो यह दुआ करेंगे, आप और हम सब मिलकर दुआ करेंगे क्योंकि हम यहां पर आये हैं, यहां पर आये हैं तो लोगों के लिए आये हैं, उसमें किसान भी शामिल हैं, कर्मचारी भी शामिल हैं, व्यापारी भी शामिल हैं। लेकिन उस बात को भी आप गम्भीरता से लें कि नोटबन्दी के साइड इफेक्ट भी क्या हैं, गांवों के अन्दर आज क्या हालात हो गये हैं, आज परिवार के परिवार कर्ज में डूब गये हैं और दस-दस रुपये सैकड़े ब्याज पर लेकर लोग, आम जनता आज परेशान है तो हम सब दुआ करते हैं कि राजस्थान के अन्दर सब लोग खुशहाल रह सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): हम सब लोग मिलकर अगर एक-दूसरे पर लांछन लगाते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि वर्तमान में सभापति जी, जो दौर चल रहा है उसके लिए मुझे एक कहावत याद आती है- "रामचन्द्र कह गये सिया से कि ऐसा कलजुग आयेगा, हंस चुगेगा दाना-तिनका और कौआ मोती खायेगा।" जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर विचार

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां। मेरा फिर सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि समय की अपनी सीमा है बढ़ नहीं सकती और आप सब सहयोग करेंगे तो समय पर बात होगी। माननीय नेता, प्रतिपक्ष भी बोलेंगे, माननीय मंत्री महोदय भी जवाब देंगे इसलिए सहयोग करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति जी, धन्यवाद आपका कि एक बहुत महत्वपूर्ण किसानों की इस कर्जमाफी की बहस में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया। हालांकि ये मौके हमने संघर्षो के बल पर भी लिये हैं। 13 सितम्बर, 2017 की रात एक बजे गत भाजपा सरकार ने लिखकर दिया था कि 50 हजार रुपये राजस्थान प्रदेश के किसान का कर्ज माफ किया जायेगा। जो बड़ी-बड़ी बात इस सदन में कर रहे हैं वो केरल जाकर आये थे, वो कर्नाटक जाकर आये थे, वो पंजाब भी जाकर आये थे फिर भी फरवरी में इस सदन में उन्होंने +++ तब जाकर कोई दस हजार, बीस हजार, तीस हजार की फुलड़ी किसानों को दी थी। सभापति जी, इससे ज्यादा जलील करने की आप स्थिति देखिये कि किसान को इन्होंने फिर भी राजस्थान की राजधानी में नहीं घुसने दिया यह कहा कि सदन में तो +++ आ गये। इसलिए यहां तांत्रिक बुलाए गए। धन्यवाद राजस्थान की जनता का कि +++ को बाहर भगा दिया और कुछ ऐसे लोग आ गए जो किसानों पर गम्भीरता से चर्चा करना चाहते हैं।

(17.00 बजे)

मित्रो, भाइयों और बहनों, 2022 में आय दुगनी कर दी जायेगी। मेरे

(श्री बलवान पूनियां)

पास एक बैंक का कागज है। ये कागज क्या कह रहा। रामगढ़ बैंक जिसमें 2018 के अक्टूबर 1 को हमने समझौता किया कि किसान का फसल बीमा क्लेम बकाया, आप जारी करो, बीमा क्लेम जारी हुआ। हम विधायक भी बने। उस समय ढाई करोड़ रुपये, 1300 किसानों के खातों से ब्याज वापस हमने लिया। गये 17 जून को मैं समीक्षा बैठक में रामगढ़ फिर किसानों का इकट्ठा करके बैंक के एजीएम को बुलाया। यह कागज है मेरे पास सिर्फ 97 लोगों की लिस्ट है। हर 15वें दिन 97 लोगों के ब्याज रिवर्स होंगे, किसान के खाते में।

सभापति जी, सिर्फ 600 किसानों के खातों में 76 लाख रुपये एसबीआई बैंक ने ब्याज के लूट लिए। किस बात की उखली मार रहे हो आप, शर्म नहीं आती आपको। कैसे कह सकते हो कि आप गम्भीर है। फसल बीमा प्रीमियम में आपने 2 से लेकर 5 गुना प्रीमियम बढ़ा दिया। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में, आप कैसे कह सकते हो कि फसल बीमा योजना आपने ढंग से लागू की है। 2018 के अक्टूबर में मेरे क्षेत्र में फसल बीमा की प्रीमियम काटने के बाद जब बारी आई क्रोप कटिंग की। मेरे पास कागज है जनाब, कागज कह रहा है मरे हुए किसान के दस्तखत कर लिए गए, मरे हुए किसान से अंगूठे लगवा लिए गए। जो किसान 5 साल पहले मर गया था, क्रोप कटिंग के आंकड़े बदलवा लिए गए और उस अनूपशहर गांव में बीमा नहीं आया। मेरी तहसील के 7 पंचायतों में बीमा नहीं आया। मैं चुनाव में लगा था, मेरी गलती यह थी पर अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, उस किसान के साथ न्याय कीजिए। हम केन्द्र और राज्य में नहीं उलझना चाहते। किसान के सामने जो स्थिति है, मैं सारे सदन से कहना चाहता हूं। मेरे साथी पहले कह रहे थे कि इस सदन से मांग गई थी केन्द्र को और केन्द्र में मांग जाने के बाद केन्द्र ने क्या किया कि किसान को बहुत फायदा दिया। राशि बढ़ाई 5 साल में, न एक किसान को गत सरकार ने ऋण नहीं दिया, पर उदयलाल जी, अभी आपने भी नहीं दिया।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): देंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): देंगे, दिया नहीं। मैं इस बात से नाराज हूं। सोसायटी में नये किसान को ऋण नहीं दिया। हम किसान की कर्ज माफी की बात पर लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई झूठी, हम सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

हम चाहते हैं सही कह रहे थे नरेन्द्र बुडानिया, बार-बार उसकी बात काटी जा रही थी। किसान पर कर्ज चढ़ा कैसे। किसान को कर्ज लेना पड़ा क्यों। आप कह रहे हो कि एमएसपी बढ़ गया। क्या बढ़ गया एमएसपी 25 क्विंटल से फालतू अगर कहीं जींस आपने खरीदी है तो लोगों ने धरने प्रदर्शन जुलूस किए हैं। तब आपने 40 प्रतिशत खरीदी है। उससे फालतू न आपने खरीदी, न इन्होंने खरीदी। लोगों की जिंसें मण्डी में गल कर रह गई, सड़ गई, लोगों की उठ गई। कभी धरने पर राजेन्द्र राठौड़ गए, कभी अमराराम गए, कभी बलवान पूनिया गया, कभी कोई गया। जिसका राज होता है वो चुप्पी मार जाता है। जिसका राज नहीं होता है, वह चुटकी लेने जाता है। पर मैं बीदासर गया था, राठौड़ साहब वहां वार्ता में थे। मैं विषय से हटाना नहीं चाहता, लेकिन हट इसलिए रहा हूं कि किसान पर कर्ज चढ़ता कैसे है। किसान बीमार होता है तो उस पर कर्ज चढ़ता है। उसका बेटा पढ़ता है तो उस पर कर्ज चढ़ता है। उसकी बेटी पढ़ती है तो उस पर कर्ज चढ़ता है। उसकी सारी तरफ से जो खिंचाई हो रही है। नोटंबदी को आप इंकार कर सकते हो कि नोटबंदी की चर्चा आप कर्जे में नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे? नोटबंदी के बाद बाजार पिट गए, इसलिए किसान पर कर्ज चढ़ा है। किसान इस देश में 70 प्रतिशत है, उस पर कर्ज बाजार की चीजों से चढ़ता है। कर्ज सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से नहीं चढ़ेगा, कौन कह सकता है? अरे, जीएसटी सरसों पर 6 बार लगती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति जी, 6 बार जीएसटी सरसों पर लगती है। किसान के बीज लाने से लेकर वापस तेल निकालने तक, किसान पर 6 बार जीएसटी लगती है। जीएसटी के नाम पर देश को गुमराह कर रहे थे। आज मेरी सदन से मांग है जो मैंने कल एक बैनर के जरिए की थी। सबसे पहले आप किसान की भूमि नीलामी और कुर्की रोकिए और उसके बाद सम्पूर्ण कर्ज माफी कीजिए। 200 के 200 विधायक केन्द्र की सरकार के पास जाइए और प्रधान मंत्रीजी को यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने घोषणा नहीं की। उन्होंने 2022 में ज्यादा से ज्यादा लोगों की आय दुगनी करने की घोषणा की थी तो फिर कर्ज माफी अलग नहीं बच जाती है।

इसलिए मेरा निवेदन है सभापति जी, कि राजस्थान का पूरा सदन अगर किसानों के लिए चिंतित है तो किसान की सम्पूर्ण कर्ज मुक्ति के लिए

(श्री बलवान पूनियां)

फसलों के लाभकारी दाम के लिए पहले कदम राजस्थान की सरकार उठाए। जो-जो आपने नीलामी के नोटिस दिए हैं, कुर्की के नोटिस दिए हैं, वो नोटिस फौरन रोकिए। यहीं रोकिए जैसे हनुमानगढ़ जिले में 22 तारीख को सुरजाराम की आत्महत्या के बाद हमने वहां के कलेक्टर से रुकवाए। पूरे राजस्थान में रुकवाइए। मेरी एक इल्तिजा है, सभापति जी, आप राजस्थान की सरकार को कहिए कि आज के दिन से ही पूरे राजस्थान में भूमि नीलामी की कुर्की के वारंट रोकिए और किसान की सम्पूर्ण कर्ज मुक्ति की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): किसानों पर जो चर्चा हो रही है और किसानों के लिए सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष अन्य सभी दलों के माननीय सदस्य अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं और चिंतन भी हो रहा है। माननीय सदस्य स्वतंत्र निर्दलीय पार्टी के संयम जी लोढ़ा जो कह रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। रामलाल जी ने भी हमारे किसानों की देश आजादी के वक्त जो स्थिति थी उस पर चर्चा की। ये स्वयं एक किसान के बेटे हैं और यह वास्तविकता है और इस वास्तविकता को सभी को समझना पड़ेगा। देश आजादी के वक्त न इस हिन्दुस्तान में कोई अनाज था, न कोई सब्जी, न कोई कपास की खेती होती थी, न कोई रेशम की खेती होती थी। ये हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी नेहरू, लाल बहादुर जी शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने हरित क्रांति लाई, इन लोगों की देन है। इन लोगों की सोच है और सबसे बड़ी बात मैं खुद अपनी बता रहा हूं। जब मैं, बचपन में सन् 1958-59 में मुझे समझ आई और जब मुझे खाना खिलाया गया, पहला निवाला जो मैंने लिया वो लाल ज्वार का लिया। उस जमाने में लाल ज्वार अमेरिका से आती थी और लाल ज्वार को हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता खाती थी। गेहूं कहीं-कहीं देखने को मिलता था, लेकिन भला हो उन नेताओं का जिन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए, बैंकों से किसानों को जोड़ा, जमीन की खातेदारी दी, जमीनों का अधिकार दिया और खेती के उपकरणों पर सभी तरह की छूटें देकर के सारी व्यवस्था करके राजस्थान और हिन्दुस्तान के किसान को खेती के लिए प्रेरित करने का काम सरकारों ने किया है। तो ये जो भाई अभी बोल रहे थे कि किसान पर कर्ज क्यों, किसान पर कर्ज इसलिए कि किसान ने विदेशों से जो लाल ज्वार खाते थे, उसकी जगह हरी सब्जियां और किसान ने गेहूं का

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

उत्पादन करके आज उसने अन्नदाता करके इस हिन्दुस्तान को राजस्थान को आत्मनिर्भर किया। उस पर अगर कोई कर्ज चढ़ता है तो सभी सरकारों को चिंतन करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं आरोप नहीं लगा करके किसान की समस्याओं का जो समाधान होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए।

पूर्ववर्ती सरकार ने भी किसानों के लिए काम किया, बहुत अच्छा काम किया। राजेन्द्र जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। जब राजस्थान में आंदोलन हुआ। माननीय सदस्य भी बोल रहे थे किसानों की भीड़ हुई लाठीचार्ज हुए, कई आत्महत्याएं हुईं, कई तरह की समस्याओं से जब राजस्थान जूझ रहा था, उस जूझते हुए राजस्थान में आननफानन में आपकी सरकार ने भी किसानों के भले की बात सोची।

कैसा भला सोचा। पांच साल में पांच बार किसानों के खेती के बिजली के बिल बढ़ाने का काम किया है। पांच साल में पांच बार और वर्तमान मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत और ऊर्जा मंत्रीजी ने यह फैसला किया है कि पांच साल कांग्रेस की सरकार रहेगी तो एक पैसा किसान का नहीं बढ़ेगा। यह फैसला है। यह राजस्थान के हक में फैसला है। राजस्थान की जनता के लिए फैसला है कि पांच साल में उस पर बोझ नहीं पड़े यह सोच है हमारे मुख्य मंत्री और हमारे मंत्री की। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): किसान की आप जो योजना लाए, आपने पचास हजार लघु सीमान्त कृषक के माफ करने का फैसला किया और आपने माफ किये। माफ किये उसका चिट्ठा भी आपका है। 21 बैंक राजस्थान के ऐसे हैं जिनमें 58,013 अपात्र आदमियों के आपने कर्जे माफ किये। जो कई तो मरे हुए हैं और कई उसकी पात्रता नहीं रखते। किसी ने फसली ऋण उठाया ही नहीं और उसका आपने कर्जा माफ किया। यह रिकार्ड तोड़ गबन-घोटाला जो आपकी कर्जा माफी में हुआ है उसकी सारी जांच सरकार कर रही है और वह आपके सामने सम्पूर्ण आंकड़ा है। इसके साथ ही आपने उन लोगों के कर्जे माफ किये जो ओवरड्यू है और उसमें भी आपने 2 हजार करोड़ रुपये दिये, 6 हजार करोड़ रुपये वर्तमान सरकार को देने हैं। साथ ही मैं आपको निवेदन कर दूं कि राजस्थान के इतिहास में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने इस

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

बार जो कर्जा की माफी की बात हुई है और दो लाख रुपये तक के जो कर्जे माफ करने का फैसला किया है उसमें ओवरड्यू के तो हैं ही, लेकिन वह किसान जो साहूकारों से कर्जा लेकर के और अपने बैंक में उसने राशि जमा कराई या सहकारी समिति में राशि जमा कराई उन किसानों के जिनके ओवरड्यू नहीं है जिनके खाते में राशि लोन की उठाई हुई है तो ऐसे किसानों को राजस्थान की विधान सभा में पहली बार अशोक जी गहलोत और हमारे मंत्रीजी ने उनके भी कर्जे माफ करने का फैसला किया है। यह पहला फैसला है तो इस तरह के फैसले हमारी सरकार ने किये हैं।

दूसरी बात राजेन्द्र जी व्यवस्थापकों की पैरवी बहुत कर रहे थे। वे यह कह रहे थे कि यह आनलाइन और कम्प्यूटर नहीं होगा। यह तो मोदी जी से पूछो।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): एक मिनट। आपके व्यवस्थापकों ने आपके समय में जो गड़बड़ हुई इस पर आपको चिन्ता जाहिर करनी चहिए और आपको यह सोचना चाहिए कि यह जो हुआ भविष्य में न हो। इसके लिए सरकार और विपक्ष बैठकर चिन्तन करे। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को सदन की तरफ धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने यह फैसला लिया है कि जितने भी काश्तकार हैं उनका आनलाइन लोन सैंक्शन होगा और 6 जुलाई से सबको फसली ऋण वितरण किया जायेगा। मेरे यहां भीलवाड़ा जिले में टोटल 94244 काश्तकारों के कर्जा माफी के बैंक ने सर्टिफिकेट दे दिये। अभी वो रामलाल जी बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं। माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मैं उन माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं। आप तो अभी बाहर ही घूम रहे हो यहां। रामलला प्यारे हो आप हमारे। आप इधर-उधर ही क्यों घूम रहे हो। अभी वहां थे, यहां आ गये। अब कहां जाओगे। उनको पूछो वे कभी न कभी तो ठिकाने बैठाएंगे आपको। हमारे 311 करोड़ का कर्जा माफ हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मेरे क्षेत्र की दो मिनट की बात कह

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वह काम किया कि गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा, कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल जो किसानों का कपास पैदा होता था और उन मिलों में जाता था और धागा बन कर के विदेशों में जाता था उन मिलों को बंद करके उन किसानों को बहुत प्रोत्साहन किया और वहां जो हजारों मजदूर काम करते थे उनको बेघर कर दिया। वो किसानों के बच्चे थे। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करता हूं कि वर्तमान सरकार उन मजदूरों को व्यवस्थित करे और उन मिलों को पीपीपी मोड पर चलाये ताकि किसान का बेटा वहां रोटी खा सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): धन्यवाद। समाप्त।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग। समय-सीमा का ध्यान रखेंगे, माननीय सदस्य। काफी वरिष्ठ हैं आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद। आज जब हम यह चर्चा कर रहे हैं, यह पवित्र सदन जब चर्चा कर रहा है तो आज 28 तारीख है, कल 29 को शनिवार है और 30 तारीख को रविवार है। 1 जुलाई को राजस्थान के सहकारी संस्थाओं से ऋण लिये हुए सारे के सारे काश्तकार डिफाल्टर घोषित हो जायेगे। हमारे सिस्टम के हिसाब से। 30 जून रिकवरी की तारीख होती है, 1 तारीख को वो सारे खाते ओवरड्यू हो जायेगे उन पर पैनल इंट्रेस्ट शुरु हो जायेगा और यह इसलिए हो पा रहा है कि पिछले साढ़े 6 महीने में इस सरकार ने ऋण माफी के नाम पर सिवाय इस प्रमाण पत्र के किसान के हाथ में कुछ नहीं दिया। अभी तक 28 तारीख तक किसी किसान के खाते में एक रुपया जमा नहीं हुआ है और किसान इंतजार कर रहा है कि प्रमाण पत्र दिया तो आयेगा ही, लेकिन अभी तक आया नहीं है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो रहा है और उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं पैदा होने वाली हैं उससे शायद यह सरकार सजग है या नहीं पता नहीं मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन यह समस्या बिलकुल मुंह बायें सामने खड़ी है।

सभापति महोदय, यह जो परिस्थितियां बनी हैं। अभी बात कर रहे थे पिछले 2018 में ऋण माफी हुई उसमें घोटाले हुए इस 2019 की ऋण माफी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

के घोटाले का सबूत मेरे हाथ में है। यह एक प्रमाण पत्र है श्रीमती प्यारी देवी पत्नी आसाराम। आसाणा एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है सायला पंचायत समिति में हमारे जालौर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में वहां की रहने वाली है। वहां की जीएसएस की मैम्बर है। वहां उसकी जमीन है और वहां उसने लोन लिया है। ठीक इसी व्यक्ति ने वहां से कोई 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव और है बालवाड़ा वहां से भी लोन लिया है। वहां का राशनकार्ड नहीं। वहां कोई जमीन नहीं। वहां उसका मकान नहीं। कुछ नहीं और वहां से भी लोन ले लिया। यहां से भी माफी हो रही है वहां भी माफी हो रही है। यह लिस्ट मेरे पास पड़ी है और दोनों जगह उसका नाम है। दोनों सोसाइटियों की माफी की लिस्ट में उसका नाम है। 1 लाख 50 हजार करीब उसका माफ हो रहा है कागजों में। खाते में क्या होगा, कब होगा, पता नहीं। लेकिन दोनों जगह है। एक इंसान दो जगह कैसे ले सकता है। एक काश्तकार दो सोसाइटी का मैम्बर तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों जगह उसकी जमीन नहीं हो। इसकी जमीन नहीं है वहां। यह एक नमूना मैं दे रहा हूं। ऐसेऐसे हजारों नमूने हैं। जहां आपके इस ऋण माफी में भी घोटाले हुए हैं और वो घोटाले इसलिए हो रहे हैं कि आपने अक्षम लोगों को ये सारे काम सौंप रखे हैं। अपने चहेते लोगों को ये काम सौंप रखे हैं। एक सोसाइटी का मैनेजर चार-चार सोसाइटी संभाल रहा है और सोसाइटी संभाले वहां तक तो ठीक है वह उस कोआपरेटिव बैंक का ऋण सुपरवाइजर भी बना हुआ है। आज अभी प्रश्नकाल में आया था सोसाइटी का कर्मचारी बैंक का कर्मचारी होता ही नहीं है। जब वो व्यवस्थापक सोसाइटी का है बैंक का कर्मचारी ही नहीं है तो उसको आपने ऋण पर्यवेक्षक बना कैसे दिया। उसको कई सारी सोसाइटीज का पर्यवेक्षक बनाकर आपने बैठा रखा है और वह यह घोटाले कर रहा है उसके अपने परिवार के अपने रिश्तेदारों के और मिलने वालों के उसने सब इस तरह से कर्जे माफ किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर बात आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। चौथी बार विधायक हूं मैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जैसा यह पत्र मेरे हाथ में है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, हार गये। हारने के बाद सरकार आपकी बन गई। संयोग या सौभाग्य से जैसे भी बन गई। उसके बाद उस उम्मीदवार ने एक पत्र लिखा एक मंत्री को। 'मंत्री महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जालौर जिले में समस्त सहकारिता बैंकों के मैनेजरों एवं एमडी को मेरे कहे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अनुसार कार्य करने के लिए पाबंद कराएं एवं जिन उपभोक्ताओं को मेरे द्वारा सिफारिश की जाती है उनको ही ऋण स्वीकृत कराएं एवं जो उपभोक्ता सीधे बैंक में चले जाते हैं उनको पहले मेरे पास भेजें एवं मेरे द्वारा सिफारिश करने पर ही उन उपभोक्ताओं का ऋण स्वीकृत करने के लिए पाबंद कराएं एवं एमडी को विशेष रूप से निर्देश प्रदान करें कि सहकारिता विभाग के किसी भी कर्मचारी ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ...एवं मैनेजर को हटाने के लिए कहने पर तुरन्त प्रभाव से हटाएं। अन्यथा मेरा कहना नहीं मानने पर मेरे द्वारा शिकायत की जायेगी।' और भी इसमें बातें लिखी हैं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी वक्ता बोल रहे हैं उनसे आप कम से कम यह आग्रह करे कि रेलेवेंस ही बोले, नहीं तो इतने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं कि रात का कितना भी टाइम हो सकता है तो रेलेवेंस ही बोले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय मुख्य सचेतक महोदय, यह पत्र उस उम्मीदवार ने लिखा वहां तक तो ठीक है, होता है, पर दुर्भाग्य है और इस सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न है, सारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, यह पत्र मंत्रीजी के आफिस से डील हुआ, वहां से सैक्रेटेरिएट में गया, सैक्रेटेरिएट से सहकारिता विभाग में गया और वहां से डील होते-होते डिप्टी सैक्रेटरी लेवल के एक आफिसर ने कहा कि यह उचित नहीं है, तब यह पत्र वहां से विथड्रा हुआ और पत्र विथड्रा होने के साथ उस अफसर को भी हटा दिया। यह आपकी कार्यशैली है? आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस तरह से आपकी सरकार चल रही है, यह मैं जिंदा सबूत हाथ में लेकर खड़ा हूं, कोई भी मंत्री इसका जवाब दे सकता हो तो दे और नहीं तो जनता ने तो आपको जवाब दे ही दिया, 23 मई को आपने सारा देख ही लिया। इन 6 महीनों में अगर ईमानदारी से अगर ऋण माफी कर ली होती तो शायद लोक सभा चुनाव में यह हालत नहीं होती। जो कुछ हुआ आपने भुगत लिया, देख लिया, आगे और आप भुगतेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, आत्महत्याओं की बात ...

श्री सभापति: समाप्त करे माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सिर्फ एक लाइन, पहले सत्र में आत्महत्या के बारे में इस तरफ से कहा गया कि पांच सालों में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। मैंने प्रश्न लगाया और इस पवित्र सदन के माध्यम से इस सरकार ने मुझे लिखित में जवाब दिया है, सिर्फ चार की सूची मिली मुझे। पूरे पांच सालों में सिर्फ चार लोगों की सूची मिली, उधर से कहा जा रहा है हजार, अब असत्य भाषण इधर से हो रहा है या उधर से हो रहा है। मैं हर बात प्रमाण के साथ कह रहा हूं, मेरे हाथ में सारे कागज हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस तरह से हवा बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ कीजिए, खातों में पैसा डालिए, केवल प्रमाण पत्र मत बांटिये, काश्तकार परेशान है, नया लोन उसको मिल नहीं रहा, एनओसी उसको मिल नहीं रही, नो ड्यूज उसको मिल नहीं रहा। इस स्थिति से बाहर निकालिए, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या-6)

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डाक्टर महेश जोशी, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28 जून, 2019 को मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 8 जुलाई, 2019 से 10 जुलाई, 2019 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :-

(डा. महेश जोशी)

शनिवार, दिनांक 29 जून, 2019 रविवार, दिनांक 30 जून, 2019 सोमवार, दिनांक 01 जुलाई, 2019 मंगलवार, दिनांक 02 जुलाई, 2019 बुधवार, दिनांक 03 जुलाई, 2019 गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई, 2019 शुक्रवार, दिनांक 05 जुलाई, 2019 शनिवार, दिनांक 06 जुलाई, 2019 रविवार, दिनांक 07 जुलाई, 2019	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 08 जुलाई, 2019	1. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। 2. राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार।
मंगलवार, दिनांक 09 जुलाई, 2019	1. राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। 2. राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार।
बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2019	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 का उपस्थापन।

श्री सभापति: सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

सदन द्वारा कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री मदन प्रजापत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया। श्री मदन प्रजापत।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर विचार

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा में जब शुरुआत हुई और बड़ा गम्भीर मुद्दा था, किसान की बात हो रही थी, अन्नदाता की बात हो रही थी और जब शुरुआत राजेन्द्र राठौड़ जी ने की तो हमारे मन में था कि कुछ बात में दम होगा और वह बोलेंगे और हमें समझने का कुछ मौका मिलेगा। लेकिन न तो बात में दम था, न गम्भीरता थी। ऐसा लग रहा था दुकान में सामान था ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अन्नदाता को, किसान को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। किसानों की बातें सभी करते हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि मजदूर से किसान अगर किसी ने बनाया तो उनका नाम है कांग्रेस। आज किसान जमीन का मालिक है, किसान जो चाहता है वह कर सकता है, पूरी पावर है, आजादी है। किसान को अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने दिया है। माननीय सभापति महोदय, किसान अन्नदाता की चर्चा सभी कर रहे थे, वास्तव में आज इस पर पूरे दिन का समय देकर यह साबित कर दिया कि मंत्रीजी भी किसान के बेटे हैं, मुख्य मंत्रीजी भी किसान

(श्री मदन प्रजापत)

के बेटे हैं और किसानों का दर्द कोई समझता है, आज समय देकर यह साबित कर दिया। आज जिस तरह से बनावटी बातें की जा रही थीं, जैसे लग रहा था मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि वास्तव में इनके मन में पीड़ा है। बोलने का अंदाज और कला भले ही हो लेकिन किसान का दर्द इनके मन में नहीं है, पीड़ा नहीं है। यह दुनिया जानती है कि अगर हमेशा किसानों की कोई पार्टी रही है तो वह कांग्रेस रही है। इनके संबंध बड़े-बड़े पूंजीपति घरानों से रहे हैं, इनको किसान की नहीं, इनको पीड़ा विजय माल्या, मेहुल चोकसी, अंबानी, अडाणी की रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज काफी वक्ताओं ने इस संबंध में जो बात की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी को मंत्रीजी को कि आपने यह घोषणा की और पूरे जीएसएस का किसानों का कर्जा माफ करने की जो हिम्मत आपने दिखाई, पहले भारतीय जनता पार्टी के समय चुनाव के ऐन वक्त पहले आनन फानन में वोट बटोरने के लिये 50 हजार की घोषणा तो इन्होंने जरूर की लेकिन 8 हजार में से मात्र 2 हजार करोड़ रुपये और उस समय के 6 हजार करोड़ रुपये की भरपाई भी अगर किसी ने पूरी की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने और वर्तमान सरकार ने की। माननीय सभापति महोदय, वोट बटोरने के लिये उसमें कई शर्तें, चाहे दो हैक्टेयर का नियम लागू करना हो, अन्य कई उलझनें पैदा करके आज बाड़मेर और विशेषकर मेवाड़ में जो जोत छोटी है, उसमें जरूर कुछ फायदा हुआ होगा लेकिन जोधपुर संभाग में जमीन बड़ी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी की सरकार में जो 50 हजार की घोषणा नाम मात्र की घोषणा ही, जमीन की जोत बड़ी होने के कारण लोगों को लाभ नहीं मिला। आप जानते हैं कि पूर्व यूपीए सरकार में माननीय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ करके हिम्मत और हौसला दिखाकर यह साबित कर दिया कि किसानों के हित में कोई फैसला ले सकते हैं तो वह क्रांतिकारी फैसला कांग्रेस पार्टी ले सकती है।

मनमोहन सिंह जी ने यह करके दिखाया और आज ये बातें भले ही करें। माननीय सभापति महोदय, सरकारें आती हैं, जाती हैं। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में घमण्ड और अहंकार किसी का नहीं चला। एक समय था, जब मात्र दो सीटें। इंदिरा को याद करते हैं, अटल जी को जिता कर सदन में लाये, ऐसे विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है। आज ये कांग्रेस मुक्त की बात

(श्री मदन प्रजापत)

करते हैं। कांग्रेस ने कभी भाजपा मुक्त की बात नहीं की। घमण्ड आज से कई सदियों पहले भी नहीं चला। ये वक्ता जो बोल रहे थे कि 25 में से 25 जीत गये। आपने यह जो अहंकार और घमण्ड की बात की है और किसानों के साथ में, चुनावों से पहले मात्र 2 हजार रुपये की किश्त देकर आपने किसानों का जो मजाक उड़ाया है, किसानों के साथ जो अनीति आपने की है कि 2 हजार रुपये में वोट खरीदने का प्रयास जो आपने किया है और कहावत भी है:-

अनीति सूं जात है, राज, तेज अरु वंश...

पहले हम सब देख चुके, रावण, कौरव, कंस।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की दुगनी आय की बात करने वाले, 2022 में वह होगा, 2023 में होगा। वास्तव में अशोक गहलोत जी ने पूर्व में भी कहा किसानों के लिये बिजली की दरें पांच साल तक नहीं बढ़ायी जायेगी। इस बार भी यह घोषणा की है कि किसानों की बिजली की दरें पांच साल तक नहीं बढ़ाई जायेगी। ये 2022 की बात करते हैं और जब 2022 आएगा तो ये 2030 की बात कर देंगे। ये आगे झुनझुना और फिजूल की बातें करके मोदी जी पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का लाखों करोड़ का यदि कर्जा माफ कर सकते हैं तो किसानों का क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि मनमोहन सिंह जी ने किया है। आज मैं निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर किसान हित में सभी निवेदन करें। दिल्ली में आपकी सरकार है और किसानों का तमाम कर्जा माफ हो। किसान का भला उसी में है। नहीं तो आप हमारी करें, हम आपकी करें। आज आपने भले ही कई बातें कीं, लेकिन वास्तव में बाहर जनता जो देख रही है, आज आपकी जबान में न सम्मान था, न ही गम्भीरता थी, न बात में वज़न था। वास्तव में, चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले भी कर्जा माफ किया है और लोगों को राहत मिली है। एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जसौल की घटना की बात भी आयी, किसानों की बात भी आयी, लेकिन आज मैं उस बात को याद दिलाता हूं कि 2018 में किसान के तीन बेटे खेती करके आते वक्त तालाब में डूबने से मरे और मुख्य मंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार रुपये दिये गये, लेकिन आज दिन तक वे कागज लेकर ठोकरें खा रहे हैं और आज घूम रहे हैं और वे ही लोग 20 लाख की बातें करते हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, यह उनके मुंह से शोभा नहीं देता। धन्यवाद। जय हिन्द। जय किसान।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं इस सभा का गरीबी रेखा का अंतिम व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरा काफी देर से नंबर आया। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मेरे बड़े भाई उन्हीं हालात में अभी भी खेती करते हैं, जिनसे किसान को रूबरू होना पड़ता है।

सभापति महोदय, आजादी के 72 वर्ष और लोकतंत्र के 67 वर्ष। हिन्दी का एक शब्द आता है - सिंहावलोकन। इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरणसिंह जी को उद्धृत करना चाहूंगा। जो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। यहां बैठे तमाम लोग इस बात से इत्तफाक रखते होंगे कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो किताब में एक वाक्य आता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। मुद्दा कर्ज माफी से जुड़ा है, लेकिन किसान से सीधे तौर पर जुड़ा है। 2022 में आजादी के 75 वर्ष होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारों पर एवं दलों पर जनमत का यह दबाव निश्चित रूप से पैदा हुआ है कि सदन में किसानों की चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। खुशी होती और बेहतर चर्चा होती। जिस तरीके से किसान बादलों की तरफ देखता है, बरसने का इंतजार करता है, बाहर बैठा किसान इस सदन की सार्थक चर्चा से अपने समाधान का भी इंतजार करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जिस सिंहावलोकन की चर्चा की है। यह देश लोकतंत्र से खूबसूरत बना है। जिसमें मुगलों का शासन इस देश ने झेला, अंग्रेजों का झेला, जागीरदारों और सामंतों का झेला। इस वोट की ताकत ने इस हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत किया है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि देश में 52 करोड़ लोग जो खेती और खेती से जुड़े धंधों से जुड़े हुए हैं, 52 करोड़ बड़ी आबादी है, लगभग आधी आबादी है, जो कि खेती से जुड़ी हुई है। मैं सिंहावलोकन इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरीके से शेर जंगल में शिकार की तलाश में कई योजन दूर चला जाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन ठिठक कर पीछे मुड़कर देखता है कि अपने शिकार की यात्रा में कितनी दूर आ गया। मुझे लगता है कि राजनैतिक दलों को, सरकारों को

(श्री सतीश पूनियां)

निश्चित रूप से इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि जिसको अन्नदाता आपने कहा। उस किसान की तीन भूमिका हैं। मैंने जिस लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कही, शहरों में मतदान कम होता है, लेकिन इस लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिये वही किसान गांवों में लाइन लगाकर कभी आपको और कभी हमको मतदान करता है। आपको सत्ता में बैठाता है या बेदखल करता है, लेकिन वह लोकतंत्र के उस यज्ञ को पूर्ण करता है, उसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई बेटा। लोकतंत्र के बाद भारत की दूसरी बड़ी खूबसूरती थल सेना है उस थल सेना में अपने खून से इस देश की रक्षा करता है, वह उस किसान के घर में पैदा होता है। मैं समझता हूं तीसरी बात, इस देश की अर्थव्यवस्था में वह किसान सबसे बड़ा कारक है।

मैंने सारी बहस सुनी है। कुछ चीजें मेरे जहन में भी थीं, लेकिन समय की नैतिक मर्यादा का मुझे भी ध्यान है, मैं सिर्फ मुद्दों पर आऊंगा। किसान की समस्याओं का सीधे तौर पर विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि पुरातन खेती की परम्परा जो कि किसी गांव बड़ा आधार थी। उसी से पनपे हुए कुटीर उद्योग-धंधे, उसी से पनपी हुई तमाम चीजें, उसी से पनपा हुआ सद्भाव, लेकिन समय की मार पड़ी, जोत छोटी होती चली गयी। लोग कहते हैं कि खेती फायदे का सौदा नहीं, खेती घाटे का सौदा है।

मुझे लगता है तीन बातें खेती में खास तौर पर मायने रखती हैं। एक, उसकी लागत कम हो। दूसरी, उसको वाजिब कीमत मिले। तीसरी, उसकी जोखिम तय हो। मैं कई बार देखता हूं कि गाड़ी का बीमा होता है, क्लेम ले लेता है, दुकान में आग लग जाती है, व्यापारी को क्लेम मिल जाता है। मकान में चोरी होती है, क्लेम मिल जाता है। बकरी का भी बीमा होता है, मोटर का भी बीमा होता है, लेकिन किसान जीती-जागती फसल के लिये जिस तरह से बीमा का इंतजार करता है, मुझे लगता है कि उसमें अच्छे संशोधन की जरूरत है। भूगर्भ जल बहुत नीचे चला गया। एक विकट समस्या किसानों के सामने है। मैं समझता हूं कि जो बारानी का किसान है, जो मानसून की खेती करता है, उसकी चुनौतियां तो बहुत प्रतिकूल हैं लेकिन जहां सिंचित क्षेत्र है वहां पर भी इस किस्म की चुनौतियां हैं। इसलिए किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये किसी भी सरकार ने, मुझे लगता है कि जल संसाधन के लिये इससे पूर्ववर्ती सरकार ने जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट बनाया, इस सरकार

(श्री सतीश पूनियां)

को चाहिए कि निश्चित रूप से उन 13 जिलों को जोड़ने के लिए उस महत्वाकांक्षी परियोजना को वह पूरा करें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं यहां पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कर्ज माफी का जिक्र हुआ है और कर्ज माफी से पैदा हुआ जो दंश है, जिसके कारण किसानों ने आत्महत्याएं कीं। कोई भी जिम्मेवार सरकार उससे बच नहीं सकती। कोई सोहनलाल, कोई व्रजलाल, कोई राधेश्याम, उसकी आत्मा जवाब जरूर मांगेगी। मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार को इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात से यह सरकार इन्कार नहीं कर सकती दो पहलू हैं, जब आप चुनाव में गये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सम्पूर्ण कर्जा माफ होगा, दस दिन में होगा। आपके प्रवक्ता जयपुर में आए दिसम्बर में, उन्होंने कहा पूरा कर्जा माफ होगा, दीर्घकालीन ऋण दिया जायेगा। आपके जन-घोषणापत्र में लिखा पूरा कर्जा माफ किया जायेगा। जब यह बातें कही गयीं तो मतदाता को निश्चित रूप से यह भ्रम हुआ कि यह सरकार आयेगी तो निश्चित रूप से हमारा कर्जा माफ करेगी। ऐसे किसान थे 59 लाख, जिनको उम्मीद थी कि मेरे ट्रैक्टर का भी कर्जा माफ होगा। मुझे लगता है कि उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सरकार को निश्चित रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि झूठ से वोट बटोरे गए होंगे लेकिन इस लोक सभा के चुनाव ने, उसमें कारक कई रहे होंगे, राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा होगा। कहीं न कहीं किसानों का आक्रोश इस सरकार के खिलाफ रहा होगा कि जिसमें 25 की 25 सीटें एक दल को आईं और 184 विधान सभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, केवल 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। मैं यदि थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाऊं तो 1990 और 2008 यह ऐसे सन् थे जब वी.पी. सिंह जी और चिदंबरम जी की सरकार ने यह लालीपोप दिया था। कुल

(श्री सतीश पूनियां)

मिलाकर उस समय किसानों के बीच में यह आंकड़ों का मकड़जाल था। न तो उनकी दशा बदली और न उनकी दिशा बदली। मुझे लगता है कि किसानों की मौत को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं वह किसानों की भलाई की है, सरकार की भलाई की है, मेरी खुद की भलाई की है और सदन की भलाई की है। इस समय देश में कर्जदार जो लोग हैं, राजस्थान तीसरा ऐसा प्रांत है जहां सबसे ज्यादा कर्जदार किसान हैं। केन्द्र की जो रिपोर्ट कृषि मंत्रालय की है, उसमें देश भर के किसान को 70 हजार 500 रुपए का कर्ज है और राजस्थान ऐसा तीसरा प्रदेश है, जहां एक किसान का एवरेज 30 हजार 921 रुपए का कर्जा है। इसलिए मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उन आत्माओं के प्रति न्याय कीजिए। इस 80 लाख की आबादी का, जो राजस्थान का किसान है, उसके साथ न्याय कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से चर्चा चल रही है किसानों की कर्जमाफी की। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान के नाम को सार्थक करने के लिए किसी भी तरह से, कैसे भी भाषण दे दिये जाते हैं लेकिन मेरा मानना यह है कि -

आसमां की शान तारों से होती है,
धरती की शान सूरज से होती है,
नदियों की शान पानी से होती है और
राजस्थान की शान किसान से होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कौन से कवि का है यह?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह शकुन्तला रावत कवि। यह मन की भावना है, आपके जैसे नहीं।

श्री सभापति: अपनी बात कहें आप। समय की सीमा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह मन की बात जो आज देश के मुखिया बोल रहे हैं, वह सम्माननीय जवाहर लाल नेहरू जी पहले रेडियो पर बात करते थे। बच्चों के साथ मुलाकात करते थे। यह उन्हीं की प्रेरणा है, आपको ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर जन्म देता है लेकिन पालन-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पोषण, भरण-पोषण किसान करता है। चर्चाएं तो बहुत होती हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से लेकिन उस पर नीति बननी चाहिए, नियम बनने चाहिए। किसान प्रकृति पर आधारित है और प्रकृति को आज तक कोई वैज्ञानिक या कोई ज्ञानी भी परख नहीं पाया कि प्रकृति क्या है, उस पर किसान निर्भर रहता है। आज हम इस बड़ी पंचायत में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा सारगर्भित हो, सार्थक हो। चर्चा करके चले जायेगे। पिछली बार भाजपा की सरकार थी तो किसानों के लिए बड़ी-बड़ी नीतियां बना दीं कि उनकी बुकिंग कराई जाये नैट से, वह कराया दूसरी तहसील में बहरोड़ में, फिर उसको भेजा जा रहा है कि आप खैरथल जाये, आप बानसूर जाये, वहां आपकी फसल समर्थन मूल्य पर बिकेगी। वह ट्रैक्टर और ट्रोली लेकर चक्कर काटता रहा। यह करतूत पिछली सरकार की थी। यह किसान को राहत देने वाली नहीं थी। यह किसान को परेशानी में डालने वाली थी। किसान चाहता है तुरन्त पैसा। लेकिन इससे कई महीनों तक उसके साथ क्या गुजरती है, यह नहीं जानते। देश के मुखियाजी बड़े आराम से भाषण देते हैं। अभी जब संयम जी ने बोला तो तारीख और वार पूछ रहे थे। सबके पास में मोबाइल है, नैट भी चलता है, निकालकर देख लीजिए। सांच को आंच नहीं होती है। आय को दुगना करना और नोटबंदी जैसी बात कर रहे थे, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो वह किसान हुआ। उस पर पाबंदी लगा दी गई कि शादी करनी है तो सिर्फ ढाई लाख में। यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं, कौन किसानों की समस्याओं से अनभिज्ञ है। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं। यह सारी चीजें किसानों पर लागू कर दी। फरमान जारी कर दिया। उन्हें पता नहीं है कि गांव और ढाणी में बैठे किसान पर क्या गुजर रही होगी? आज कहते हैं कि सराहना की है। इसे सराहना कहा जाता है? नीम का खाद मिलेगा। राजस्थान के कौनसे गांव में, माननीय सदस्यों की कौनसी ढाणी में खाद आया है। जहां मेरे बानसूर में भी पहुंचा देना, मैं धन्यवाद दूंगी। यह आपके वायदे थे। यह बार-बार बीच में उछलना, कहते हैं "खेतारा धोरां माय, चूहा फुदका करयां बार-बार और यहां बीजेपी के कुछ माननीय सदस्य सीटा माल्हे फुदका करयां बार-बार, टोकयां करयां बार-बार"।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, अभी तो मैंने थोड़ा-सा ही बोला है। बड़ी विडम्बना है कि किसान के माल की रेट...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): शकुन्तला जी, आपके मुहावरे की पुस्तक कब आएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात चालू रखें। आपस में वार्ता नहीं करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था के लिए मैं बताती हूं कि कांग्रेस में 4.2 प्रतिशत थी और बीजेपी की अब घटकर के आ गयी है 1.9 प्रतिशत। किसानों का कर्जा माफ करते, हम धन्यवाद देते। लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के कर्जे माफ किए हैं। अडाणी, अम्बानी और भगौड़ों के कर्जे माफ किए। यह करतूत थी। किसानों के लिए भी कर देते। किसान की फसल की लागत के हिसाब से रेट तय करने का अधिकार किसान को नहीं है। कंपनियां तय करती हैं। यह बड़ी विडम्बना है। इसके लिए नीति तय होनी चाहिए कि किसान कर्जा लेकर खाद-बीज खरीदकर, पानी और बिजली का बिल देकर अपनी फसल पैदावार करता है। जब उसकी बम्पर पैदावार होती है तब उसकी फसल का मूल्य सस्ता हो जाता है। उसका किराया भी नहीं निकलता। जब कम पैदावार होती है तब वह बर्बाद हो जाता है। जिस तरह पिछली बार हजारों टन गेहूं गोदामों में बर्बाद हो गया लेकिन गरीबों के काम नहीं आया। किसान की आज बात करते हैं। लाठियां और गोलियां चलाई थीं, शायद वह वक्त यह भूल गये हैं।

सभापति महोदय, जब किसान सब्जी पैदा करता है तो सोचता है कि उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, वह मण्डी में बेचने जाता है तो उसकी फसल एक से दो रुपये किलो बिकती है, लेकिन उसी सब्जी को बाद में 20 से 30 रुपए किलो बेचा जाता है। इसलिए किसान से उसकी मेहनत के आधार पर, उसकी लागत के आधार पर निर्धारित मूल्य तय होना चाहिए। अगर किसान को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसके दूध का मूल्य भी तय होना चाहिए। वन विभाग से लगते हुए जो किसान व्यवसाय करते हैं, उन्हें अगर वन से, जंगली जानवरों से हानि होती है, फसल बर्बाद होती है तो तुरन्त मुआवजा देने की कोई नीति ऐसी बने क्योंकि कर्ज माफी मिल सकती है, उससे क्षणिक सहायता मिलेगी, सम्पन्नता नहीं मिलेगी।

छोटे किसानों को, उनके बच्चों को सम्पन्नता नहीं मिलेगी। चाहे बी टैक हो, एबीबीएस हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो उनके बेटे-बेटियों को वहां पर फीस माफ होनी चाहिए जिससे किसान ऊंचा उठ सके।

श्री सभापति: माननीया सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ऐसी नीति लागू हो जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जननी सुरक्षा और फ्री दवा योजना जो हमारी सरकार ने शुरु की थी, ऐसी कठोर नीति बननी चाहिए, जिससे किसान का भला हो सके। किसान को दूसरी तहसील में फसल के लिए नहीं भेजकर अपने हैड क्वार्टर पर ही समर्थन मूल्य में खरीदने के लिए कैम्प लगाना चाहिए, जिससे किसान को परेशान नहीं होना पड़े। ओलावृष्टि, बारिश या किसी भी तरीके की आपदा हो जाती है तो फसल बीमा में सरलीकरण होना चाहिए। पशुओं के बीमा में भी सरलीकरण होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मैं थोड़ी देर और बोलना चाहूंगी। किसान की आवाज बाहर और अंदर उठाई जाती है...

श्री सभापति: अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): किसान को बिजली के कनेक्शन तुरन्त मिलने का सरलीकरण होना चाहिए। कई-कई दिनों तक जब ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। इन सभी चीजों पर एक-एक करके अपने को नीति बनानी पड़ेगी। पिछली सरकार ने पिछली बार बिल में माफ करने का बनाया था कि दादा के नाम कनेक्शन है, दादा गुजर गए, अब उनके पांच बेटे हैं तो किसके खाते में पैसे जायेंगे, सिर्फ और सिर्फ यह दिखावा था, इसको सुधारना चाहिए। उनकी नीति किसान के प्रति नहीं थी। सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। किसानों की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया। वर्तमान सरकार को देने के लिए बहुत कुछ बताया, मगर इसकी हकीकत सामने है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार में किसानों के लिए जो किया गया था उसको देखकर इन्होंने सोचा कि किसान वापस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आ जाये, तो इन्होंने झूठा वादा करके किसानों को कहा था कि सम्पूर्ण कर्जा

(श्री फूल सिंह मीणा)

माफ करेंगे। पहले इन्होंने कहा था कि दस दिन में कर देंगे मगर इस झूठे वादे में मेवाड़ की जनता तो समझ गई कि यह सरकार +++ है।

श्री सभापति: जो भी असंसदीय शब्द हैं वे सब विलोपित करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अब आ गयी है तो पहले जैसा हमारे साथ किया वैसा ही अब करेगी। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिये लेकिन इधर दूसरे संभागों के किसान भोले थे और इनके झांसे में आ गए और अपना अमूल्य वोट देकर, इनको सरकार में लाकर यह विश्वास जताया कि हमारे किसानों का भला करेंगे। मगर मेवाड़ संभाग में नहीं आए हैं, 27 सीटों में से आपको केवल 10 सीटें ही मिली हैं। इसलिए मेवाड़ की जनता तो समझती है क्योंकि ट्राइबल बैल्ट है। आदिवासी एरिया में किसानों के साथ इन्होंने बहुत अत्याचार किया, उसका उन्होंने जवाब दिया कि हम आपके झांसे में नहीं आयेगे। पूर्व सरकार ने 50-50 हजार का कर्जा माफ किया था। 50 हजार से ज्यादा जो कर्जा था, मैं झाड़ौल और गिर्बा की बात करता हूं, 28 किसान झाड़ौल व 06 किसान गिर्बा के हैं, उनका 50 हजार से ऊपर कर्जा था उसकी मेरे पास लिस्ट है। उनका कर्जा माफ नहीं किया गया। पूर्व सरकार ने 50 हजार तक का कर्जा माफ कर दिया था परन्तु इस सरकार ने सम्पूर्ण कर्जे का झूठा वादा करके उन किसानों के साथ धोखा किया है। आज भी वह लिस्ट पड़ी है जिनका कर्जा माफ नहीं किया गया है।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। एक मिनट में।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, यूं क्या करते हो? मैंने 12 साल खेती की है और किसान का दर्द अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने खेती इसलिए छोड़ी क्योंकि साल भर का हिसाब लगाया, हिसाब लगाया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। मजदूरों को देने के लिए कटाई और निराई के पैसे भी बराबर नहीं आते थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं आपसे किसानों की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बोला ही नहीं उससे पहले ही समाप्त करा रहे हो, यह कौनसा न्याय है?

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, दो मिनट का समय, मेरी बात तो मैंने कही ही नहीं।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय.....

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): प्लीज, सदस्य महोदय हमारा भी नम्बर है, कैसे आएगा।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय दो मिनट। किसानों ने लोक सभा के अंदर यह बता दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप तो मुझे पहले से ही रोक रहे हो, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ और पहले ही रोक रहे हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन्होंने झूठे वादे किए और सौ विधायक बनकर आ गए मगर छह महीने के अंदर ही किसान झूठे वादो से वाकिफ हो गए और 185 सीटों पर इनको हरा कर बता दिया। यहां तक कि मुख्य मंत्रीजी को भी उनकी विधान सभा में हराकर, उप मुख्य मंत्रीजी को भी बता दिया।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। आप विराजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: बैठिए प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: आप सहयोग करें। सहयोग कीजिए, विराजिए। इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: लगता नहीं कि आप लोग गम्भीर हैं इस विषय पर ... (व्यवधान) आपस में वार्ता नहीं। माननीय सदस्य.....

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, विधान सभा के इतिहास में, इसकी राजनीति में, इस लोकतंत्र में जिस किसान ने, जिस अन्नदाता ने, इस देश का निर्माण किया आज उस पर गम्भीर रूप से चर्चा हो रही है। पिछले पांच-सात साल से, जब से किसानों का मुद्दा उठा है, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, कर्ज़ माफी का मामला हो, आज किसान के मुद्दे पर लोक सभा में बहस होती है, विधान सभा में बहस होती है, किसान के मुद्दे पर देश के इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीड़िया में बहस होती है, यह किसान के लिए गर्व की बात है। आज देश में किसान के जो हालात हैं, विशेषकर राजस्थान में, जिस कर्ज माफी की बात हम सब लोग कर रहे हैं तो यह कर्ज माफी की नौबत किसान के साथ आई क्यों। ज्यादातर हम सब लोग किसान परिवार से हैं। इस मुद्दे को नजदीकी से जानते हैं कि आज इस देश में हालात ऐसे हैं। राजस्थान में खेतों में पानी सूख गया, बिजली के बिल महंगे हो गए, खाद-बीज महंगे हो गए, किसान की लागत बढ़ गई और आमदनी उतनी की उतनी ही है। लागत बढ़ गई, आमदनी नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ गए, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ गई, किराने का सामान बढ़ गया, धीरे-धीरे किसान कर्जे के नीचे चला गया, यह हम सब लोगों के लिए सोचने की बात है। इस मुद्दे के ऊपर पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर काम करना चाहिए। हम लोग इस जगह बैठे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा रोल किसान का भी है। सभापति महोदय, इस देश में, राजस्थान में, किसान के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं।

(18.00 बजे)

सभापति महोदय, आज मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं कि हमारे काफी साथी, विपक्ष के साथी किसान के मुद्दे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन किसान के मुद्दे पर जो बात कर रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, उप मुख्य मंत्रीजी को कि राजस्थान की सरकार बनने के दस दिन के भीतर-भीतर किसान कर्ज माफी के ऊपर उन्होंने काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि किसान के कर्ज माफी की बात क्यों पैदा हुई। पिछले पांच साल बी.जे.पी. की सरकार थी, कितने किसानों ने आत्महत्या की, आप सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है। सभापति महोदय, सीकर में एक किसान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सीकर में एक किसान 15 हजार रुपये का बिजली का बिल नहीं चुका पाया। उस वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। धोद में एक किसान, जिसकी जमीन की नीलामी के नोटिस निकल गये थे, शर्म के मारे उसने आत्महत्या की, कांग्रेस पार्टी ने उस किसान का कर्जा चुकाया, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं।

सभापति महोदय, आज अगर किसान को सहकारी लोन डेढ़ लाख रुपये तक का बिना ब्याज पर देने का काम किया तो पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। सभापति महोदय, आज सब लोग किसान पर डिबेट कर रहे हैं। मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज बाजार में कोई भी सामान हम लोग खरीदने जाते हैं, उसका मूल्य तय करता है वह व्यापारी, जो बाजार में बैठा है। किसान अपनी फसल पैदा करता है, उसका मूल्य तय करता है मण्डी का दलाल वहां बैठ करके। कितनी बड़ी विडम्बना है इस देश की, किसान अपनी उपज का दाम खुद तय नहीं कर सकता। इसलिये आज हालात इस किसान के बद से बदतर हुए हैं। सभापति महोदय, किसान को खुद की उपज का मूल्य खुद तय करने का अधिकार होना चाहिये ताकि उचित मूल्य पर ही पर वह अपनी फसल को बेचने का काम कर सके।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, बी.जे.पी. को कोई अधिकार नहीं है। पिछले पांच साल में हम लोग गवाह थे इस बात के, 56 किसानों ने आत्महत्या की। एक भी मंत्री, एक भी विधायक बी.जे.पी. का अगर किसी किसान के आंसू पोंछने गया हो तो आप लोग गवाह हैं, इस बात को बता सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता उन किसानों के घर पर गये। धोद में जिस किसान के घर पर गये कांग्रेस पार्टी ने उस किसान का कर्जा वहां खड़े हो करके चुकाया। किसी मंत्री ने और किसी विधायक ने वहां जाने की हिम्मत तक नहीं की।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को, उप मुख्य मंत्री सचिन पायलटजी को कि किसान के मामले में संवेदनशील

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

होते हुए बिजली के बिल का एक पैसा नहीं बढ़ाने की घोषणा की तो कांग्रेस पार्टी वाली सरकार ने की। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं थोड़ा आपसे निवेदन कर दूं, मैं धीमी गति के समाचार वाला बंदा हूं, मुझे समय थोड़ा डबल, अक्षर उतने ही होंगे, जो दूसरे बोल रहे हैं।

(18.03 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, किसान कर्ज माफी को ले करके राजस्थान के अन्दर आये दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं और विशेष करके पिछले दो-तीन महीने में हनुमानगढ़ और गंगानगर के अन्दर चार किसानों ने आत्महत्या की है।

अध्यक्ष महोदय, एक किसान सोहन लाल कड़ेला, उसने मरने से पहले सरकार पर आरोप लगाया कि मैं माननीय गहलोत साहब और उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट, उन्होंने अपने किये हुए वादे के अनुसार कर्जा माफ नहीं किया, इसलिये मैं सारे किसानों का दु:ख मिटाने के लिये, कर्जा माफ करवाने के लिये अपने आपको आत्महत्या के हवाले करता हूं और बड़े स्पष्ट शब्दों में हाथ से लैटर भी लिखा है, वीडियो भी जारी किया है। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परिस्थिति पैदा क्यों हो गई। यह परिस्थिति आप और हमने कर दी। इस देश के अन्दर, इस प्रांत के अन्दर रेवड़ियां बांट-बांटकर सरकारों का दिवाला निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कर्ज माफी करना किसान का कोई इलाज नहीं मानता। वर्षों से अरबों-करोड़ रुपये हमने किसान के नाम से सब्सिडी बर्बाद कर दी। आज तक हम एक भी किसान का भला नहीं कर पाये। अध्यक्ष महोदय, अगर वाकई में ही किसान का भला करना है तो सर्वप्रथम उसको पानी सही समय पर मिलना चाहिये, बिजली मिलनी चाहिये, भाव मिलने चाहिये। यह व्यवस्था, आप और हम, जो कर सकते हैं राजस्थान के अन्दर, वह तो अपने स्तर पर करें। बाकी हम केन्द्र सरकार को प्रस्ताव पास करके भेजें। मेरे सुनने में आया है कि बार-बार हमने केन्द्र को पत्र लिखा। पहले आपको किसने निमंत्रण दिया, क्यों कर्ज माफी करने की घोषणा की। आप

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लोगों ने आम सभाओं में जा करके दस दिन में कर्ज माफ करने की घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया है, वह तो आपको निभाना पड़ेगा, और भविष्य में यह जो कर्ज माफी वाली प्रथा है इसको बंद किया जाये। रेवड़ियां बांटना भी बंद करो। तरह-तरह की योजनाएं ला करके, रेवड़ी बांटने के लिये, महज राज प्राप्त करने के लिये हम देश और प्रांत का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही दु:ख के साथ कहना चाहता हूं। मैं कई योजनाओं का नाम लूं, पर मैं भी वोट का मरीज हूं। पर मुझे कोई परवाह नहीं, मैं हारूं या जीतूं, इस देश और प्रांत का अगर भला करना चाहते हो तो रेवड़ियां बांटना बिलकुल बंद करो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, दूसरा, एक-दो सुझाव।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, हाउस का टाइम हो गया, प्लीज। धन्यवाद। थैंक्यू। (व्यवधान) चेतनसिंहजी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर काश्तकारों का ऋण माफ भी हो जायेगा..(व्यवधान) आप आवारा पशुओं का प्रबन्ध करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: श्री चेतनसिंह चौधरी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हमारी खुशहाली का आधार है। राजस्थान में किसान खेती कर रहा है, मेरा यह मानना है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में खेती कर रहा है। क्लाइमेट साथ नहीं देता है, बारिश कम होती है, रेगिस्तान का ज्यादा एरिया पड़ता है। आज

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

हम लोग किसान के लिये कुछ कर सकें, यह बहुत महती जरूरत है। कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है, उसने जो यह ऋण माफी का कदम उठाया है, यह किसानों के लिये बड़ा ही फायदेमंद और जो बहुत बड़ी जरूरत है, मेरा यह मानना है। मैं इसके लिये मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सदन में पहले सत्र से यहां पर मौजूद हूं और लगातार यह सुन रहा हूं कि वोटों के लिये यह घोषणा कर दी गई, वह घोषणा कर दी गई, वोटों के लिये बोल दिया गया कि ऋण माफी की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं खुद मेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हूं। मेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कागजों में चाहे कुछ भी हो, मेरे यहां पर किसी भी किसान से एक पैसा वसूली के नाम पर नहीं लिया गया है। इसको अगर ऋण माफी नहीं कहेंगे तो आप लोग ऋण माफी किसको कहते हैं। मैं जब से पढ़ता हूं, वकालत की, तब से मैं देखता था पार्लियामेंट में कौन सदस्य जा रहे हैं, या विधान सभा में कौन सदस्य जा रहे हैं, 80 प्रतिशत आज जो माननीय सदस्य मौजूद हैं, वे सारे के सारे किसान परिवार से आते हैं, लेकिन जब आज यहां बहस सुनते हैं तो मुझे लगता है कि उस बहस के अन्दर किसानी की बात कम, किसान की बात कम, सिर्फ यह बात होती है कि वोट किस माध्यम से मिले और वोट किस माध्यम से लिये गये।

बड़ा दु:ख होता है कि अगर इसी टाइप की हमें बहस करनी है तो मेरे हिसाब से जो यहां पर बातें कही गईं, चाहे बुड़ानियाजी ने कहीं, चाहे प्रजापतजी ने कहीं, वह सारी की सारी बातें कहीं न कहीं नजरंदाज करके सिर्फ आकड़ों का मकड़जाल पैदा किया जा रहा है।

अगर आज हम लोग किसान की मजबूती की बात नहीं कर सकते, किसान की तरक्की की बात नहीं कर सकते तो आजादी के इतने साल बाद भी कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। यहां बात चल रही थी किसान को पानी देने की, मैं अपने जिले की बात करता हूं, वहां पानी जमीन को देने की बात तो अलग है, यहां पर पीने के पानी के लिए हम लोगों को त्रस्त होना पड़ रहा है। बहुत बड़ी हालात से इस क़दर गुजर रहे हैं, अगर यह नहीं रोका गया, किसान की बहबूदी और किसान की अच्छी तरक्की के लिए हमने बात नहीं

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

की तो आज जो समस्या हमारे सामने बड़ी खड़ी होती है, शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। युवाओं का किसानी की तरफ रुझान कम हो रहा है, उन सब चीजों को हम लोग कैसे रोक पाएंगे?

मेरा बहुत गम्भीरता से यह मानना है कि कहीं न कहीं सदन में जितने भी लोग बैठे हैं इनको कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ेंगे, ऐसे फैसले, ऐसा सोच विचार करना पड़ेगा, क्यों नहीं हम यहां पर बैठकर बात करते हैं कि राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाये और देना होगा। राजस्थान जो मरुभूमि है, जहां पर पानी की किल्लत है, जमीन कुछ ऐसी नहीं है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। पहली दफा ही बोल रहा हूं ज्यादा बात नहीं करके अध्यक्षजी को ढेर सारा धन्यवाद दूंगा लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर मुख्य मंत्रीजी को, सरकार को यह धन्यवाद दें कि उन्होंने किसानों के लिए कहीं न कहीं सोचा।

मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो मुझे आंकड़े मिले हैं, मेरे नागौर के अंदर 1 लाख 20 हजार 446 किसानों को इसके तहत 348.54 करोड़ रुपये की माफी मिली है तो मैं आप लोगों को, सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बार फिर से अध्यक्षजी को ढेर सारा धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: अमृतलालजी मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्षजी मेरे हाड़ा रानी की पवित्र भूमि सलूम्बर में 4 दिसम्बर, 2018 को आये थे। आम सभा में जनता के सामने उस आदिवासी भोली-भाली जनता के सामने और इसमें बैठे हुए कई आज की तारीख में मेवाड़ से जो मंत्री हैं, कई विधायक हैं, वह भी उस सभा में थे और उन्होंने एक से लेकर दस तक गिनती जो की और राष्ट्रीय अध्यक्षजी ने की, जिम्मेदार पर्सन ने की और उस एरिये में की जहां पर हाड़ा रानी ने अपना सिर कटाया, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। यह समस्या आप सत्ता पक्ष वालों ने की है और जिसकी वजह से हमने, हमारी पूर्व सरकार ने 50 हजार का कर्जा माफ किया। आपने अभी प्रमाण पत्र बांटे हैं, उन सोसाइटी समितियों में एक भी रुपया नहीं गया है। लोग दर-दर ठोकरें खा रहे हैं और बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। उस समय

(श्री अमृतलाल मीणा)

यह स्पष्ट कहा था कि सहकारी बैंक के, भूमि विकास बैंक के और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करेंगे क्योंकि वहां की जनता, जो भाषण दिया उसका रिकार्डिंग मैं ला सकता हूं, इस प्रकार झांसे में देकर आपने सत्ता हासिल की। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जो प्रमाण पत्र 7, 8 और 9 अप्रैल को बांटे हैं और 10 तारीख को आचार संहिता लोक सभा की लगी, उससे पहले आज तक कोई पैसा वहां नहीं पहुंचा, किसान परेशान है।

मैं पूर्व की सरकार, भाजपा की सरकार को धन्यवाद दूंगा, पूर्व मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 50 परसेंट से 33 परसेंट का, इस हाउस के माध्यम से मीटिंग करके भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी के पास ले जाने के बाद जो 33 परसेंट के फसल खराबे पर जो किसानों को, इस राजस्थान के किसानों को, पूरे देश के किसानों को जो फायदा हुआ, इतना ही नहीं प्रत्येक गाय-भैंस का भी पैसा आकलन किया, उसकी भी व्यवस्था की, जो भी इसमें नुकसान होने वाला है, बरसात में बिजली गिरने से इस प्रकार के जितना भी था।

मैं एक सुझाव के तौर पर यह कहना चाहूंगा कि 90 परसेंट से अधिक किसान इस सदन में उपस्थित हैं लेकिन हमारे राजस्थान में जहां पर खेत-खलिहान जल जाते हैं। बाड़ों में गाय-भैंसें जल जाती हैं तार से या आग लगने से और पटवारी और तहसील से जब चक्कर काटते हैं तो उसकी नीति बननी चाहिए ताकि हम 90 परसेंट किसान हैं, किसी की गाय मरती है, किसी की भैंस मरती है, किसी का खेत-खलिहान जलता है, खड़ी फसल जल जाती है, आज तक उसके मुआवजे के संबंध में कोई नीति-नियम नहीं हैं, उसको हंड्रेड परसेंट लागू करना चाहिए क्योंकि 90 परसेंट से ज्यादा सारे किसान हैं।

माननीय अध्यक्षजी, शायद आप भी किसान होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है लेकिन यह सामने जो विराजमान हैं, वह सारे हंड्रेड परसेंट किसान हैं, कोई ऐसा नकार नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): धारीवाल साहब का थोड़ा व्यापार का मामला है, बाकी इन सबका खेती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अति संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने पचास हजार रुपये का ऋण माफ करने की बात की, पिछले टेन्योर में। 2013 में इनकी सरकार बनी, चार साल बाद, 48 महीने बाद इनको ध्यान आया कि 48 महीने बाद में किसान की हालत खराब है और किसानों को कर्ज देने की जरूरत है। उसी दरमियान उन्हीं के टेन्योर में नोटबंदी आई। नोटबंदी के अंदर प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा कि हम कैश-लैस इकोनोमी चाहते हैं। मार्केट से कैश गायब हो गया। किसान अपनी फसलों को सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हो गये। मैं खेती करता हूं, कुछ जमीन, कुछ खेत मेरे चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनके एरिए में है। मैं ऐसे कम से कम सैकड़ों एग्जाम्पल पेश कर सकता हूं, इनके एरिये के हैं, जिनको यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सतीशजी पूनियां अभी बैठे थे, वह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोगों ने अपने खाद-बीज तक का पैसा अपनी जमीन का भाग बेच कर चुकाया। किसान भूखे मरने पर मजबूर हुए। 2018 में वसुन्धराजी ने एक डिफेक्टिव पालिसी बनाई और पचास हजार रुपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा की। पचास हजार रुपये में दो हैक्टेयर जमीन तक की एक लिमिटेशन रखी और अगर इससे अधिक भूमि हुई तो उसको पांच हजार और दस हजार रुपये का ऋण माफ हुआ। अगर वह जमीन दस हैक्टेयर हुई तो उस आदमी को दस हजार रुपये मिले। उनका दस हजार रुपये का ऋण माफ हुआ। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी द्वारा विधान सभा चुनाव के दौरान प्रदेश के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए एक जन घोषणा पत्र जारी किया गया। उसमें गरीब, गांव, युवा और किसानों के उत्थान के लिए प्रायोरिटी दी गयी, उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया। पूर्व सरकार के समय किसानों के कर्ज के तले दबे होने, नोटबंदी का शिकार होने की बात को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया गया।

यह माना गया कि किसानों को बहुत सख्त जरूरत इस बात की है, इन्होंने जो पालिसी बनायी, उसमें सिर्फ दो हजार करोड़ का ऋण इन्होंने माफ किया, तो यह तय किया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम किसानों का दो लाख रुपये तक का ऋण माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकार

(श्री रफीक खान)

आयी। हमने ऋण माफी में पहल की। 17 तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने अपना पद भार संभाला और महज 48 घंटे के अंदर उन्होंने ऋण माफी लागू की। हाल ही में आठ हजार करोड़ रुपये हमारे ही नहीं, जो इनके टैन्योर के छह हजार करोड़ रुपये बाकी थे, वह भी ऋण माफ करने की बात कही। एक सरकार वह थी, जिसने 48 महीनों तक किसानों की सुध नहीं ली और एक सरकार वह आयी जिसने आते ही 48 घंटों के अंदर किसानों का ऋण माफ किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर) चूरू से आने वाले विधायक महोदय ने यह कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं एक शेर से उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा-

'कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नज़रों में

लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पायी।'

यह नोटबंदी की खताएं थीं, यह डिमोनिटाइजेशन की खताएं थीं, जिसकी वजह से किसान अपने कर्ज से उबर नहीं पाये और उन्हें आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपकी नजर में लाना चाहूंगा। सदन में सब तरह की बातें हुईं। किसानों से रिलेटेड बातें हुईं किसानों को सहयोग करने की बातें हुईं। मुख्य मंत्रीजी ने आते ही जो फैसले लिये, उसमें एक फैसला किसानों के लिये और किया, जिसको सदन के सभी सदस्य, मैं उम्मीद करता हूं, समर्थन देंगे और कहेंगे कि एक बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किसानों के हक में किया। उन्होंने कहा कि जब तक वह मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, पांच साल तक हम बिजली की दरों में एक रुपये की वृद्धि नहीं करेंगे। पांच साल तक का यह रिलेक्सेशन दिया गया किसानों को, कि आने वाले पांच साल तक हम बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड-अप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बढ़ाया नहीं गया, कम किया गया। यह घोषणा की गयी कि पांच साल तक नहीं बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं अध्यक्षजी का बहुत आभारी हूं कि अति संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज संवेदनशील विषय 'ऋण माफी' को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही है और पूरे राज्य के जो किसान हैं, वह बड़ी आस लगाकर आज इस चर्चा को देख रहे होंगे। लेकिन मुझे इस चर्चा से मेरी कालेज लाइफ याद आ रही है कि जब मैं कालेज में प्रेसीडेंट था तो वाद-विवाद प्रतियोगिता करायी जाती थी, उसका मुख्य उद्देश्य यह होता था कि जो सदस्य हैं, वह उस प्रतियोगिता में अपनी वाक्-शैली, वाद-विवाद का जो प्रोग्राम है, उसमें मजबूत करें। उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि जो मुद्दा लिया गया है, उसका निचोड़ क्या निकाला जाये। लेकिन आज एक संवेदनशील मुद्दा है किसानों के भविष्य के लिये, पर उस विषय में स्पष्ट जो निचोड़ निकालना चाहिये, वह कोई भी पार्टी नहीं निकाल पा रही है। इसके बारे में, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस सदन में दो तरह की बातें हो रही हैं, एक तो यह कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिये। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा और दूसरी तरफ मेरे एरिये की तरफ इस सदन का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूं कि वहां की जनता यह सोचती है कि किसका ऋण माफ हो रहा है और किसका ऋण माफ नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि दिसम्बर-जनवरी महीने में राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और डूंगरपुर जिले में 4400 शिकायतें दर्ज हुईं। डूंगरपुर जिले में ऋण माफी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन आज इस सदन में उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहां पर जो 13 साल की बालिका है, उसके नाम से ऋण मिला हुआ है, जिसकी 2012 में मृत्यु हो चुकी है, उसके नाम से ऋण मिला हुआ है। मैं आज यह जानना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ, वह आज विपक्ष में बैठी हुई है और वह कांग्रेस सरकार को चैलेंज कर रही है कि आपने जो ऋण माफी का आश्वासन दिया था, तो ऋण माफी करें तो कांग्रेस सरकार को भी पूरे राज्य में जो ऋण माफी में घोटाला हुआ, उसको उजागर करना चाहिये।

(श्री राजकुमार रोत)

अभी कुछ समय पहले हमारे मंत्री महोदय ने हमारे जिले का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने ऋण माफी घोटाले में कागजी कार्यवाही मांगी तो पूरा जिला प्रशासन बात टालता रहा। लास्ट में, मतलब 4400 शिकायतें दर्ज हुई उसमें से 2700 ऐसे केसेज थे, जिनमें भ्रष्टाचार हुआ था, तो वहां छोटी-मोटी कागजी कार्यवाही की गयी और कुछेक व्यवस्थापक हटाये गये। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो ऋण माफी में घोटाला हुआ, उस घोटाले में जो दोषी लोग हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिये। अब विशेषकर, हमारे इलाके में, क्योंकि लोग इतने सक्षम नहीं हैं, वहां शिक्षा का अभाव है, अधिकतर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आदिवासी लोन लेता है, वह गवर्नमेंट नहीं देती है। वह लोन जेवरात पर और जमीन रखकर लोन देता है। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे एरिये में ऋण माफी में जो घोटाला हुआ, वह उजागर होना चाहिये और जो दोषी अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचंक घंटी)

अब आगे की कड़ी में मुझे समय तो ज्यादा नहीं मिला है, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे एरिये में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और जिन्होंने लोन लिया है, उन लोगों को आज बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन-कौनसी बैंक का लोन माफ किया जायेगा और कौन-कौनसी बैंक का लोन माफ नहीं किया जायेगा। सरकार जल्द से जल्द यह स्पष्ट करे आगे की कड़ी में। अन्त में, जय जवान, जय किसान, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आज दिल से आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय को आपने सदन में चर्चा के लिये रखा। लेकिन इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, यहां चर्चा नहीं होती है, यहां वाद-विवाद होते हैं और उसके कारण से मैंने अच्छा कहा कि उसने अच्छा कहा, इसी में जनता का बेड़ा गर्क हो जाता है। कितना अच्छा होता कि कहीं दो कमियां बताकर, समझ में आ सकती है कि ये दो कमियां हैं। दो गलतियां हुईं तो उसको भी आज समझाएं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आखिर इसका हल क्या है, किस कारण से आज हम इस परिस्थिति में आये हैं, इसका भविष्य में भी कोई हल निकालने का प्रयत्न हो सकता है या नहीं। केवल और केवल वाद-विवाद के आधार पर अगर अपन विषय को बढ़ायेंगे तो हम यहां भले ही अख़बार में छा जायेंगे, लेकिन उस गरीब किसान का भला अपने इस वाद-विवाद से तो नहीं हो पायेगा। कृपा करके मेरी माननीय सदस्यों से, कोई जोर से बोलकर, कोई धाकड़ बोलकर, इस पर पत्थर फेंका, उस पर पत्थर फेंका और वह पत्थर अपने को ही लगता है, क्योंकि पत्थर, पत्थर का काम करता है, हम हमारा काम करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ था उस समय हमारे गांव में जो हम कहते थे -'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी' आज यह 72 साल के बाद सच नहीं है -'उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती'। खेती वह करता है जिसके पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, मजबूरी है उसकी। पेट भरने के लिये उसको वहां झक मारना ही है।

जिस देश की आजादी के बाद आपने और मैंने भी, प्रारम्भ में जब भाषण सुनता था कि सोने-सी परहणी से हल हकायेंगे, ऐसा हो जायेगा, 72 साल में हो गया न और 72 साल में अगर 11-12 साल का दोष हमारा है तो मिला दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस 72 साल की आजादी के बाद, इतने विद्वानों की चर्चा के बाद, इतने बजट पेश कर देने के बाद, इतने वर्ष गुजार देने के बाद क्या हम किसान की स्थिति को सुधार पाये? यह जो आत्महत्या करता है। कौन पागल होगा जो आत्महत्या करने जायेगा? मजबूरी में करता है। लेकिन पता नहीं, हम अपने-अपने विषयों को घुमा-फिरा करके वाद-विवाद कैसे अच्छा हुआ, इसके ऊपर निश्चित रूप से करते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब किसान का जो कर्ज है ये कर्ज में मरता है, कर्ज में जिंदा रहता है, यह इस देश में सिद्ध है। पहले जो व्यापारी या सूदखोर होते थे उनसे कर्जा लेकर के बर्बाद होता था और उसके बाद धीरे-धीरे देश की आजादी में उनसे तो मुक्ति दिलाने का प्रयास किया और इन सारे बैंक और सोसायटी के माध्यम से हमने व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, वो अच्छा था लेकिन सोसायटी नया सूदखोर हो गया। चाहे जिसका नाम लिख लें, चाहे जिसको, अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पीड़ा कही, सही है। अगर किसी ने गड़बड़ घोटाला किया है, गुलाब चन्द ने किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करो। बोल करके केवल अपने मन को संतोष कर देना समस्या का समाधान नहीं है।

अगर यह आनलाइन पेमेंट का रास्ता नहीं अपनाते तो क्या यह उजागर होता? यह आनलाइन पेमेंट करने का सोचा किसने, सरकार ने ही सोचा था और उसके कारण से लोग पकड़े गये कि वास्तव में हुआ है। आपदा राहत के अन्दर जब मैंने आनलाइन पेमेंट के बारे में, खाते में जब पैसे ट्रांसफर करता हूं तो बाड़मेर और जैसलमेर में इतनी बड़ी फेहरिस्त मिलती है कि जिसका अता-पता ही नहीं है और जो उठाने वाले लोग हैं कलाकार भी इतने हैं कि कुछ इस महीने उठाते हैं, कुछ अगले महीने उठाते हैं, कुछ अगले महीने उठाते हैं मतलब उनको पता भी है कि यह कर्जा है किसका और उठाने वाला कौन है। लेकिन आज दिन तक इन घटनाओं पर भाषण खूब हो गये लेकिन कहीं न कहीं दो-चार भी ऊंदे लटकते तब तो जाकर के समस्या का सुधार होता बाकी तो केवल वाणी को जो भी जोश दिखाना था वो हमने दिखा दिया और बात खतम हो गयी।

जिस भावना से आपने किया, यह अच्छा होता कि हम वास्तव में उसकी जड़ तक जाते कि किसान कर्जदार कैसे होता है। अब इसमें आप और हम क्या तर्क देंगे, मुझे आप थोड़ा-सा इसमें समझाने का प्रयास करें। यह हमने सौगंध दिलाई दी थी क्या कि आप यह लाइन लिखना? राजस्थान की जनता ने आपको सौगंध दिलाई थी क्या? आज दिन तक मैंने भी कई घोषणा पत्र देखे हैं और पढ़े हैं लेकिन ऐसे घोषणा पत्र के शब्द पहली बार विद्वानों ने तैयार किया है, यह अच्छे मन से किया या बुरे मन से किया? अपने-अपने ईमान से अपने अन्दर झांक करके देखो कि हमने यह लाइन जो डाली, क्या इसकी पालना हो सकती है, क्या इस लाइन के आधार पर काम हो सकता है। आपको दस दिन में यही पता नहीं लगेगा कि कर्ज है किसका, आपको दस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिन में यही पता नहीं लगेगा कि कर्ज है कितना, आपको यही पता नहीं लगेगा कि देना क्या है और लेना क्या है? आपने शब्द जो लिखा है, आप अपना जो चश्मा है वो पार्टी का चश्मा हम भी उतार दें, आप भी उतार दो। पार्टी का चश्मा उतार करके देखने की कोशिश करो तब तो किसान के भले के लिए कोई रास्ता निकालोगे बाकी यहां भाषण देकर के चले जाना, रिकार्ड पर बन जायेगा, कभी जिंदगी में कोई पढ़ेगा तो कहेगा कि उस समय गुलाब जी ने भी यह भाषण दिया था। इसके अतिरिक्त और कुछ नफा नहीं निकलेगा।

किसने कहा था आपको यह? आपने पहला ही पहला दस दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना, वर्तमान भा.ज.पा. सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान के किसानों पर आये हुए आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना, 72 साल तक सब पाप हमने ही किये हैं, हमने ही कर्जा पैदा किया, यह देश आजाद हुआ तब से लेकर हम ही थे, हम ही ने सब कुछ कर दिया न? यह केवल शब्दों का जाल बनाकर जनता को गुमराह करने का राजनीति में जो धंधा चला है न यह इस देश को रसातल में ले जायेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सच्चाई पर आना पड़ेगा।

फिर यह जो दो दिन में, 48 घंटे में आपने बड़ा कमाल कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने 17 को शपथ ली, 19 को एक आदेश जारी किया, इससे और इससे मिलान करो। किसी कम समझदार से भी पूछो कि इस लाइन का अर्थ क्या होता है? किसान का खेती का कर्जा माफ करेंगे, मतलब क्या, कौनसा, कितना? अब आप इसमें से आदेश निकाल रहे हो 19 तारीख के दिन, सरकार के आते ही कमाल कर दिया आपने तो, 48 घंटे में, उधर 10 दिन में इधर 48 घंटे में। आप लिखते क्या हो, राजस्थान राज्य के सहकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार, यह शब्द इसमें ही डाल देते न कि हम पात्रता अनुसार करेंगे, काहे को जनता को भ्रमित करते हो, पात्रता अनुसार पाये गये ऋण कृषकों को दिनांक 30.11.2018, यह पहले ही लिख देते न इस घोषणा पत्र में कि 30.11.2018 के पहले जो ओवरड्यूज होंगे, उन्हीं के हम माफ करेंगे और लघु और सीमांत के करेंगे, तो आपकी बात में बहुत सच्चाई होती। हमारे मन में ही पाप है। हम इस पाप के आधार पर अपनी खेती पकाने का धंधा करते हैं और उसका परिणाम देश भुगतता है। आप और हम नहीं भुगतेंगे, इसका परिणाम देश भुगतेगा। नीचे आपने लिखा, और राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के भी सभी कृषक को, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं, अब यह तो आपको पता है कि यह आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त हैं, 10 दिन में तो पता लगा लोगे आप कि संकटग्रस्त कौन है। मतलब कोई न कोई थर्मामीटर ऐसा है जो जनता के ऊपर फट घुमाओगे और 10 दिन में समझ में आता जायेगा कि यह आर्थिक दृष्टि से संकट में है इसलिए इसका कर्जा माफ करो। क्या कमाल है, क्या शब्दों की रचना करते हैं, क्या सोच करके करते हैं, भगवान जाने। संकटग्रस्त है, अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, यह भी आप उनसे पूछ कर पता करोगे, दादा, बोल, चुका पा रहा है कि नहीं, वह कहेगा, नहीं चुका पा रहा हूं तो माफ, वो कह रहा है नहीं, नहीं, चुका पा रहा हूं तो माफ नहीं। डिफाल्टर हैं उनका सरकार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्र पाये जाने पर दिनांक 30.11.2018, यहां भी वो ही 30.11.2018 डाली, दो लाख रुपये तक की सीमा तक का कालातीत/अवधिपार अल्पकालीन यह जो ऋण है वो माफ करेंगे।

मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं आलोचना करने नहीं खड़ा था, मैं अपने मन की पीड़ा को कह रहा हूं कि हम लोग चाहे इधर हों चाहे उधर हों, हम यह समझते हैं कि जनता तो कुछ समझती नहीं है। वास्तव में आपने बड़ा कमाल यह किया कि एक, दो, तीन पहाड़ा गिन करके, पहले कभी गिना कि नहीं गिना मुझे मालूम नहीं, पर उस दिन जरूर गिना और जनता ने सोचा, मजा आ गया, दस दिन में सरकार आयी ऋण माफ, इससे बढ़िया और लाभ क्या मिल सकता है। यह जो कमाल है न यह कमाल आपको बहुत भारी पड़ा, आप भले ही मानो या न मानो। यह लाइन अगर आप नहीं लिखते, आप यह कर देते हम किसान का ऋण माफ करेंगे, एक साल में करते, दो साल में करते, पांच साल में करते, तब तक तो आपके पास समय रहता। यह दस दिन का शब्द पहली बार कहां से लाए, कैसे लाए, इसके बारे में विचार करना चाहिए।

मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आज मेरे मन की पीड़ा को निकाल देना, मुझे आप कल या आज एक ऐसी सूची दे देना कि इस जिले में यह-यह किसान इस-इस तहसील में कर्जदार हैं जो इस सूची में हैं, ये नाम हैं मोहन लाल, सोहन लाल, राम लाल जो भी है और उसका इतना कर्जा है और इतना कर्जा हमने उसके खाते में डाल करके वो ओवरड्यूज खतम हो डाल दिया। वो लिस्ट जारी कर देना तब तो मैं आज की बहस का सही अर्थ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समझूंगा बाकी ...(व्यवधान) एक सैकण्ड, आपको बोलने का मौका है न, क्यों घबरा रहे हो। मेरे भैया, मौका है। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, आपने कहा कि कल या आज शाम को इसलिए मैंने जवाब दिया। नहीं, इन्होंने आज शाम कहा इसलिए ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मौका है, दे देना न। आज ही लिस्ट दे देना, आप सदन में यहां रखवा देना। यहां रखवा देना जिले के अनुसार उदयपुर में कितने, डूंगरपुर में कितने हैं जिनका कर्जा आपने माफ कर दिया और जिनका पैसा आपने उनके खाते में डाल दिया? कागज को चाटें, क्या करें? सात, आठ, नौ का आपने, जब चुनाव का दबाव आया, हमने इधर आन्दोलन किया, आपने कहा क्या करें, आफत आ गयी तो धड़ाधड़ में सात, आठ, नौ को क्या करो कैम्प लगाओ और कैम्प लगाकर क्या किया, एक कागज पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? उस कागज में पैसा गया है क्या? गया तो आप बता देना, मैं आपको ना थोड़ी कह रहा हूं। मैं आपको ना नहीं कह रहा हूं। मैं आपकी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरे मन में अभी भी यह संशय है कि वास्तव में अभी भी रियल में उसके पास कर्जा पहुंचा या उसके खाते में जमा हुआ कि नहीं हुआ।

अब मैं आपको बताता हूं। यह जो आपने देखा होगा न क्या कर्जा माफ है, मैंने थोड़ी-सी रिपोर्ट कहीं से इकट्ठी की है, 32 परसेंट किसान जिसके अन्तर्गत छह लाख किसान आते हैं, छह लाख किसान आते हैं 32 परसेंट, टोटल जो आप कह रहे हो न कि हमने इतने का कर्जा माफ किया, आप कह रहे हो कि हमने 20 लाख के लगभग कर्जा माफ किया, उसमें से छह लाख किसानों के मात्र 50 रुपये से लेकर 15 हजार तक के ऋण माफ हुए।

जो आपका कोआपरेटिव का रिकार्ड है, उसमें से हमने उठाया है। आपके कोआपरेटिव का जो आदेश है, उस आदेश में से हमने इसको आनलाइन उठाया है। उसमें यह लिखा हुआ है कि कुल 20 लाख लोगों का कर्जा माफ, जो आप बता रहे हो, वह भी है या नहीं है, वह भी रिकार्ड बताएगा, 50 रुपए से लेकर के 15 हजार तक के ऋण माफ हुए हैं।, 1.70 अर्थात् 1 लाख 70 हजार किसानों का 50 हजार रुपए से लेकर के 5 हजार तक का ऋण माफ हुआ है। यह आपकी वेबसाइट कह रही है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वेबसाइट यह भी कह रही है कि 64 हजार किसानों के लगभग 7 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके इस राजस्थान के किसान पर मेहरबानी करो कि जिलेवाइज, तहसीलवाइज, किसान, उसका कर्जा और उसके खाते में डाल दिया पैसा, जो पैसा उसके पास चला गया, रिकार्ड में इधर-उधर घूम रहा है वह नहीं मानूंगा, जो उसके खाते में चला गया और बैंक ने उसको एक तरह से यह मान लिया कि उसका पैसा जमा हो गया, वह सूची आप मुझे कृपा करके दे दें।

अध्यक्ष महोदय, अब आप यह कहेंगे कि हमारे टाइम पर भी किसान कर्जे के कारण मरे हैं। अब इस बहस से कोई अर्थ निकलेगा? आप कहोगे कि हमारे टाइम में इतने मर गए कि नहीं मर गए? मेरे पास में वह भी रिकार्ड है। हमारे टाइम पर भी जो क्वेश्चन का आंसर हुआ, उसमें 2015 में 3 किसान, हमारी सरकार के समय में भी, सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर 3 किसानों ने आत्महत्या की और उसके केस दर्ज हुए। हमारा उसके अलावा कोई नहीं है। यह प्रश्न का उत्तर भी है और आपका लिखा हुआ भी है। जो इसमें सबसे बड़ा गम्भीर मामला है, सुसाइड नोट एक तरह से इतना पुख्ता एविडेंस है, चाहे वह कैसा भी है, उसको कानून यह मानता है कि वह अधिकृत एविडेंस है। उसने नामजद अपना कर्जा और अपनी डिटेल लिखकर के जो सुसाइड नोट चूरू से आने वाले माननीय सदस्य पढ़कर इस हाउस के रिकार्ड पर लाए हैं, उसको आप टटोल लीजिए और उसके बाद बताइए कि वास्तव में यह किस प्रकार से है।

इसी प्रकार से अभी आपने देखा कि जो हनुमानगढ़ का व्यक्ति है, उसका भी दर्ज है। तो यह जो आत्महत्याएं हुई हैं, वह आपके लिए भी कष्टकारी हैं और हमारे लिए भी कष्टकारी हैं। चाहे वह हमारे राज में हुई या किसी में भी हुई, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे जो कारण हैं, उनको समझने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम केवल और केवल बातों के आधार पर कहते रहेंगे। यह हमारे 5 साल की किसानों के बारे में सीआईडी की रिपोर्ट मेरे पास में है। जिसमें 2015 में 3 किसानों ने आत्महत्याएं कीं, यह बात प्रमाणित है। आपने जो प्रश्न का उत्तर माननीय सदस्य को दिया, उसमें भी आपने उनके नाम लिखकर के दिए। यह आपने ही दिए। इसी समय पूछा है। इस सरकार के आने के बाद पूछा है, तब आपने यह जवाब दिया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने प्रयत्न किया है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस ने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन यह बात सच है कि किसान को वास्तव में उसकी मेहनत का दाम इतने वर्षों के बाद भी मिल नहीं पा रहा है। वह कर्ज से तो मुक्त तभी होगा जब उसकी जो पैदावार है उसके दाम को आप किसी तरह से कंट्रोल करोगे। उसका खर्चा कम से कम होगा और बाजार में जब वह अपना माल बेचने जाये तो उसका दाम उसको ठीक मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब 1968 में अध्यापक बनकर के गया था, उस समय सोना 200 रुपए तोला था और गेहूं 40 रुपए मण था। उस समय जो चलता था वह मण के हिसाब से चलता था, अर्थात् 1 रुपए किलो मान लो, 1 रुपए किलो गेहूं था और 200 रुपए का एक तोला सोना था। आज सोना 34 हजार रुपए है। उसका 170 गुणा दाम बढ़ा है, लेकिन किसान का जो गेहूं का दाम है, वह आज सपोर्ट प्राइज इतना बढ़ाने के बाद भी केवल 70 परसेंट बढ़ा है। जब तक इस बीमारी का हल नहीं निकालोगे, क्योंकि किसान जिस चीज को काम में लेता है, उसकी रेट तो बढ़ती ही जा रही है। उसको भी अपने बच्चों के लिए कपड़े भी लाने हैं। किताबें भी लानी हैं, उसको छोटा-मोटा घर भी बनाना है, साइकिल भी दिलानी है। जो चीजें बाजार में उसको मिलती हैं उसका दाम बेशुमार बढ़ रहा है। उसको कोई चैक नहीं करता। अगर किसान की चीज का दाम थोड़ा-सा भी बढ़ जाता है तो हल्ला हो जाता है कि महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या वह अपने बच्चों को भूखे मारकर के पढ़ाएगा। मेरा आज जितना महीने का खर्चा है, उसमें से मेरी रसोई का खर्चा सिर्फ 20 परसेंट है। बाकी सब मेरे आमोद-प्रमोद के खर्चे हैं। उस 20 परसेट के लिए तो आप पकड़कर के बैठे हो, महंगाई, महंगाई। किसान को उसकी फसल का दाम दो न।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख नहीं होता है कि किसान जिस टमाटर को पैदा कर रहा है वह तो 2 रुपए किलो में जा रहा है और जो हम मण्डी से, बाजार से टमाटर लेकर के आ रहे हैं वह 30 रुपए किलो का लेकर के आ रहे हैं? क्या इतने सालों के बाद भी समझ में नहीं आता है कि किसान 2 रुपए में बेचता है तो कंज़ूमर को 30 रुपए में क्यों मिलता है? कौन है यह बीच का आदमी जो इस प्रकार से दामों के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और उस किसान को मजबूर कर रहा है? इतना हम नहीं कर सकते? क्या हम इतनी व्यवस्था करने में भी समर्थ नहीं हैं?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, मैं 1977 में एमएलए बनकर आया। यह भैरोंसिंह जी शेखावत थे, जिन्होंने पहली बार किसान का लगान माफ करके उसकी छोटी सी मदद करने का काम किया। पैसे कोई ज्यादा नहीं थे। किसी के ढाई रुपए था, किसी को 5 रुपए आता, किसी को 12 रुपए आता, लेकिन उससे मुक्ति दिलाने का काम उस व्यक्ति ने पहली बार किया। बिजली का मिनिमम चार्ज भी उन्होंने उस समय समाप्त किया। उनके मन में पीड़ा थी। वह जाति से राजपूत जरूर थे लेकिन खेत में हल पकड़ा था। गरीबी भुगती थी इसलिए वह इसको जानता था। उनके समय में 10 हजार तक का कर्जा देवीलाल जी ने केन्द्र में जब वह कृषि मंत्री थे, तब राजस्थान में माफ किया था।

अध्यक्ष महोदय, गेहूं की लेवियां तुलती थीं। हम तो जेल में बंद थे। गेहूं तौलना पड़ता था। किसान रोते हुए जाता था। बनिए की दुकान से डेढ़ रुपए में गेहूं खरीदता था और सरकारी कांटे में 1 रुपया 5 पैसे में तौलकर के, झक मारकर के देता था। आपने देखा होगा कि अपने खरसान में गोलियां चलीं इस कारण से। उस लेवी को समाप्त करने का काम उस व्यक्ति ने पहली बार किया। अंत्योदय योजना को लागू करने का उसने पहली बार प्रयास किया। जिसके मन में वास्तव में उस किसान के प्रति दर्द है, वह तो सोचता है। हम सब लोग तो दुकानदारी चलाने के लिए किसान, किसान चिल्लाते हैं। मन में तो यह भाव है नहीं और न ही मन में कुछ करने की इच्छा है। केवल बहस करते रहो और अपना काम चलाते रहे। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो पाएगा।

यह मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन मानता हूं कि पहली बार फसल बीमा योजना लागू की। हिन्दुस्तान में किसी ने फसल बीमा के लिए कदम उठाया तो उन्होंने उठाया था कि नहीं उठाया था? आप ना कर देना, अगर नहीं उठाया हो तो। किसान क्रेडिट कार्ड का पहली बार प्रचलन किसी ने किया तो उस व्यक्ति ने ही किया। किसान को क्रेडिट कार्ड देकर के उसकी जमीन की एवज में बैंक से कुछ लोन मिल जाये, ऐसा काम किया। प्रधान मंत्री सड़क योजना इस किसान के लिए वरदान साबित हुई है। इस बात को समझने का प्रयास करो। एक छोटा बच्चा भी 2 किलो दूध जो उसकी मां दुहती है, उसको भी साइकिल पर लेकर के पास की होटल में जाकर 50-60 रुपए लेकर के आता है। जिससे उसका घर खर्च चलता है। यह देन भी देश के उस प्रधान मंत्री की थी। यह राजनीतिक आधार पर नहीं कि बीजेपी की सरकार है या बीजेपी का एमएलए है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हिन्दुस्तान को आबादी के आधार पर सड़क से जोड़ने का काम कोई ऐसा इंसान कर सकता है जो राजनीति से ऊपर उठकर के देश के बारे में सोचता है। लेकिन आपको तो उसका भी कुछ समझ में नहीं आता है। दीनदयाल ज्योति के आधार पर 18 हजार ग्रामों को हमने जोड़ा, उसके बारे में भी कुछ नहीं, बस कमियां निकालो। आप कमियों के भाषण दो और हम अपने अच्छे भाषण दें। दोनों अपना काम करो। चलो, कोई बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में किसान की मदद करने की मंशा है तो अटल जी ने जिस नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, उसको आपको, हमको, सबको मिलकर के, प्रधान मंत्रीजी भी इस बात के लिए सहमत हैं कि अगर हिन्दुस्तान के किसान को उसके खेत तक पानी पहुंचा दो और उसको बिजली दे दो तो फिर वह अपनी मेहनत का अपने आप परिणाम लेकर के आएगा। उसके बाद भावों पर कंट्रोल करो। तब तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हो।

अध्यक्ष महोदय, यह ऋण माफी की बात दो सवालों में ही कर दी। उसका जवाब आप आज दें तो ठीक। मैं समझता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश के इस प्रधान मंत्री ने आने के बाद किसान को कुछ कामों से जोड़कर उसे मदद करने का प्रयास किया। इसको कोई नकार सकता है क्या? यह जो आपका पहला है, किसान सम्मान निधि, यह हमेशा-हमेशा चलेगी। पहले केवल 2 हैक्टेयर, लघु और सीमांत ही था। बाद में इसको सारे किसानों के लिए ओपन कर दिया। इसमें कितना जायेगा, 1 लाख करोड़ रुपया हर साल किसान के खाते में जायेगा। हर 4 महीने के बाद किश्त के रूप में जायेगा। इसमें क्या गुनाह कर दिया? हो क्या गया है? जिसके कारण से आप एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोल सकते। केवल और केवल आलोचना करनी है। मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको कुछ सम्मान निधि के आंकड़े बताना चाहता हूं। आप देखो, मन में ऐसा है कि कहीं वोट की खेती न पक जाये।

यह सम्मान निधि घोषित हो गई थी दिसम्बर, 2018 से और उस समय से हिन्दुस्तान के अधिकांश राज्यों में अपने किसानों को सूची में डाल दिया उसके कारण से उनको दो किश्तें मिल गई। गुजरात में 29 लाख 82 हजार कुल किसान हैं, उसमें से 28 लाख 43 हजार को पहली किश्त मिल गई, 28 लाख 21 हजार को दूसरी किश्त भी मिल गई। हिमाचल प्रदेश में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आबादी कम है, 5 लाख किसानों की आबादी है उनकी, 5 में से 4 लाख 97 हजार किसानों को पहली किश्त मिल गई, दूसरी किश्त भी 4 लाख 38 हजार को मिल गई। अर्थात् 95 प्रतिशत किसानों को पहली और दूसरी किश्त मिल गई। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख किसान हैं उनमें से 1 करोड़ 11 लाख को पहली किश्त, 1 करोड़ 8 लाख को दूसरी किश्त मिल गई। तमिलनाडु में कुल 22 लाख किसान हैं उसमें से 21 लाख किसानों को मिल गया। दूसरी किश्त भी 20 लाख किसानों को मिल गई।

माननीय सभापति महोदय, हमारा नक्शा देखें। हमारे मन में, दिमाग में यह है कि 2 हजार किसानों के खाते में पड़ जायेगे तो पता नहीं वोट इधर जायेगा या कि उधर जायेगा, यह वोट की खेती रोज पकाते हैं ताकि अपना काम चलता रहे, दुनिया डूबे तो डूबने दो, अपने कोई चिंता की बात नहीं। अपने घर से नहीं जा रहा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके पास वह फिगर भी होगी कि राजस्थान सरकार ने कितने किसानों के नाम भेजे वहां पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको बता रहा हूं, आपका नक्शा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह भी बता दें। पहली किश्त कितनों को मिल गई और दूसरी किश्त कितनों को मिली। यह भी बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी-अभी। आपको जानकारी नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने भैंरोंसिंहजी के दस हजार रुपए के कर्ज की माफी की तो बात कर दी पर 82 हजार करोड़ रुपए मनमोहन सिंहजी ने माफ किया किसानों का उसके बारे में जिक्र नहीं किया। ईमानदारी रखिए। ईमानदारी रखिए, साफ-साफ बोलिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 82 हजार में आपको 4500 रुपया यानी चार हजार पांच सौ रुपया राजस्थान को मिला है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है और कितने किसानों को मिला इसका भी पता कर लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 1300 करोड़, सिर्फ 1300 करोड़।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान का। यह तो केन्द्र सरकार दे रही है, इसमें तो आपको कोई शेयर नहीं लगाना, शेयर नहीं लगाना तो फिर कंजूसी क्यों की इसमें आपने? आपने इसलिए कंजूसी की कि उस समय डाल देंगे तो वोट की खेती पकेगी कि नहीं पकेगी। राजस्थान में 28 लाख किसान हैं, जो इसकी पात्रता में उस समय थे, उसमें से आपके 14 लाख 93 हजार को पहली किश्त मिली है और सैकिंड किश्त 49 थाउजेंड, सैकिंड किश्त कितनी मिली 49 हजार को, यह है आपकी तारीफ का रास्ता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको एक निवेदन कर दूं, करेक्ट कर दूं कि 29 लाख किसानों के नाम केन्द्र को भेजे जा चुके हैं और केन्द्र ने अब तक सिर्फ 15 लाख किसानों के खाते में ही पहली किश्त जमा करवाई है। दूसरी किश्त सिर्फ 50 हजार किसानों को ही मिल पाई है अभी तक। यह आज तक की फीगर बता रहा हूं आपको, आज तक की फीगर बता रहा हूं आपको, आपकी फीगर गलत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ज्यादा जोर से मत बोलो, ऐसा है कि मैं 49 हजार बता रहा हूं और आप 50 हजार बता रहे हो, क्या इसमें जमीन आसमान का अंतर है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो 34 लाख का कहां बताया आपने? 34 लाख कहां से बताए? पहली किश्त मिली है वह भी 15 लाख को ही मिली है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बता रहा हूं कि पहली किश्त मिली केवल 14 लाख 93 हजार को, मैं भी कोई आंकड़े पढ़कर लाया हूं, अपने घर से नहीं बनाकर लाया हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब आप रिलीफ मिनिस्टर थे, आपने अपने डिपार्टमेंट को देखा था? 2017 की फसल खराबे में 106 करोड़ रुपए ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जवाब देना पड़ेगा इनको। (व्यवधान) जवाब देना पड़ेगा इनको। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अकेला ही पर्याप्त हूं इनको। आप चिंता न करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्यों बोल रहे हैं, ये कमजोर हैं क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप चिंता न करें मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब बोलो क्या बोलना चाहते हो? (व्यवधान) क्या जवाब चाहते हो बोलो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मदनजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये प्रोवोक करते हैं इसलिए पूछता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। इन्होंने यील्ड नहीं किया, आप बैठें प्लीज। लीडर आफ अपोजिशन बोल रहे हैं, आप बैठें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बाद में बोल लेना। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) बैठ जाएं प्लीज। (व्यवधान) बोल दिया न अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) बैठें प्लीज। (व्यवधान) आप अपने स्थान पर बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप सीनियर हैं, माननीय लोढ़ा साहब, (व्यवधान) नीचे बैठिए प्लीज। अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको। (व्यवधान) गलत बात है।

(श्री अध्यक्ष)

जब लीडर आफ अपोजिशन बोल रहे हैं, इन्होंने यील्ड नहीं किया, आप मेहरबानी करके इंटरवीन न करें। Please don't set a wrong precedence. आप, कटारियाजी, प्लीज बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की, जिसका मेरे पास कोई अर्थ न हो। मैं आज भी सदन से बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं। मैं पक्षविपक्ष में डिबेट करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं समस्या को मन से समझकर उसके हल के लिए जो कुछ रास्ता बन सकता है उसके बारे में विचार करने के लिए आपके ध्यान में ला रहा हूं। केवल और केवल उस दृष्टि से न लिया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं इस योजना से लगभग 1 लाख करोड़ रुपया हर साल किसान के खाते में जाने वाला है। राजस्थान के ही इतने किसानों को ही हर वर्ष अगर इतनी मदद मिलेगी तो हमें इसमें एतराज क्या हो सकता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपने देखा होगा कि फसल बीमा योजना जो प्रधान मंत्रीजी ने लागू की, प्रारम्भ की अटलजी ने, वह योजना इतनी मौसम आधारित थी कि उसमें किसानों को कई समस्याएं थीं उस किसान को बराबर उसका लाभ नहीं मिलता था। प्रधान मंत्रीजी ने नई फसल बीमा सबको सुनने के बाद उन्होंने जो लागू की 1.5 प्रतिशत पैसा देना है खरीफ की फसल में, 2 प्रतिशत देना है रबी की फसल में किसान को, बाकी 4 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी, 4 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। टोटल जो फंड बनेगा उसके एवज में उसका जो इन्श्योरेंस कराया उसका मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें आपको राजस्थान का फीगर दे रहा हूं। राजस्थान के 6231514 किसानों ने फसल बीमा करवाया। यह मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं वह वर्ष 2016 के हुए हैं। 2017 के भी दे रहा हूं। किसानों ने उसके पेटे जो अपनी प्रीमियम जमा करवाई वह 220 करोड़ रुपए करवाई। किसानों को उस साल जो नुकसान हुआ उसके एवज में मिला 1636 करोड़ रुपया। 1636 करोड़ रुपया मिला किसान को, उसको मदद करने के लिए किया। इस योजना के कारण से किसान को जो भी इंश्योरेंस कम्पनी से लाभ हो सके उसको देने का प्रयास किया है। यह सारे के सारे फिगर मैं एक-एक स्टेट के साथ लेकर आया हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार आपने देखा, सॉइल हैल्थ कार्ड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनाने के बारे में हम वर्षों से सोचते थे लेकिन इस प्रधान मंत्री ने अगुवाई की। वास्तव में जमीन चाहती क्या है, जमीन कैसी होनी चाहिए, इसके लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रयत्न किया और मैं सोचता हूं कि राजस्थान में 50 लाख किसानों की जमीन का सॉइल हैल्थ कार्ड बना। यह किसके लिए किया? किसान की बहबूदी के लिए और उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने बहुत बातें कीं, आपने कुछ नहीं किया। मैं सदन से निवेदन ही कर सकता हूं, आपने देखा होगा कि सत्र शुरु हुआ था 2015 में, माननीय सदस्यों में से कई उस हाउस में थे। अपने यहां भारी ओलावृष्टि हुई थी और उसके कारण से फसलों में तबाही हुई। अपन ने दो दिन सत्र को सस्पैंड किया था। सभी लोगों को भेजा था कि अपने-अपने फील्ड में जाकर रिपोर्ट लाओ। उन रिपोर्टों को इकट्ठा करने के बाद, उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद मैं और मुख्य मंत्रीजी स्वयं, वित्त मंत्रीजी के पास भी गए और गृह मंत्रीजी के पास भी गए और हमने कहा कि यह जो आपका मापदण्ड है जिससे आप हमें आपदा में सहयोग करते हैं, यह 50 प्रतिशत का कितने जमाने पूर्व आपने तय कर लिया, इसमें 49 प्रतिशत का जिसका खराबा हो उस किसान को तो कुछ भी नहीं मिल सकता। हमने प्रयत्न करके राजस्थान की इस अगुवाई के कारण हिन्दुस्तान के सारे किसानों को 33 प्रतिशत से अधिक खराबे को सम्मिलित करवाया। यह सम्मिलित ही नहीं करवाया, जितना पैसा उनको पहले मिलता था, उसका डेढ़ गुना पैसा मिला। उसको पहले 4500 रुपया पर हैक्टेयर मिलता था, उसको हमने 6700 किया। हम किसानों के लिए मदद की दृष्टि से जो कुछ कर सकते थे वह हमने करने का प्रयत्न किया।

(19.00 बजे)

अब यह सबसे बड़ी बात जो कई माननीय सदस्य बोले थे, मैं भी इस पक्ष का हूं कि जब तक किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, किसान मर भी जाये तो कभी भी इस कर्जे से मुक्त नहीं होगा। उसका एकमात्र आधार यह है, यह जो माननीय सदस्य ने कहा, मैं इस पक्ष में हूं कि यह खैरात बांटने से किसान मजबूती से खड़ा नहीं होगा। आपको उसे उन साधनों से परिपूर्ण करना होगा जिससे उसकी फसल की लागत को कम किया जा सकता है या उसे घटाया जा सकता है। आपने यह देखा होगा यह जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समर्थन मूल्य उन्होंने जो कहा कि डेढ़ गुना लागत का होना चाहिये, यह पहली बार इतने साल से मैं भी विधान सभा में हूं, कभी समर्थन मूल्य 20 रुपया बढ़ता है, कभी 25 रुपया, कभी 30 रुपया।

यह हर साल का था, लेकिन इस आदमी ने रबी की फसल में 2017 में जो समर्थन मूल्य आपका इसका लागत मूल्य था 2017 और 2018 में, 866 रुपया गेहूं का था, लागत मूल्य जो आंका गया सरकार के द्वारा, उसकी जगह समर्थन मूल्य जो इन्होंने दिया, वह 1840 रुपया दिया, अर्थात 112 परसेंट लागत से अधिक समर्थन मूल्य गेहूं को देकर के उन्होंने किसान को मजबूत करने का प्रयास किया। इसी तरह से आप देखें जौ में जो लागत मूल्य है, वह 860 रुपया है, उसकी जगह 2018-19 में 1440 रुपया दिया। लगभग 67 परसेंट। वह जो डेढ़ा था, उन्होंने कहा कि लागत मूल्य से समर्थन मूल्य डेढ़ा हो। चने की 2637 रुपये लागत मूल्य है और जो मूल्य 2018-19 में दिया, वह 4620, 75 परसेंट समर्थन मूल्य से लागत से अप किया।

इसी तरह से मसूर, इसका मूल्य जो है खर्चा आता है, वह 2532 रुपये आता है, उसे उन्होंने सीधा 4475 रुपया समर्थन मूल्य किया, जो 76 प्रतिशत अधिक है। यह सारा आपने देखा होगा कि जो अपना सरसों का समर्थन मूल्य जो उन्होंने निकाला, 2212 रुपया उसकी लागत आती है। समर्थन मूल्य मिला 4200, यह 89 परसेंट यानी लागत मूल्य से अधिक देने का प्रयत्न किया है। इस व्यक्ति ने जो बात कही है कि मैं 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करूंगा, यह मेरा मिशन है कि मैं उसको बढ़ाऊंगा हर हालत में, तब जाकर के किसान को हम किसी प्रकार से सपोर्ट कर पाएंगे।

मैं सोचता हूं, माननीय सदस्य, तर्क-वितर्क की बातों में मत पड़ें, कोई अपने आपको साबित करने का प्रयास करेंगे, मन खुश हो जायेगा, लेकिन मैं इस तर्क में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो माननीय मंत्री महोदय, आप से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर राजस्थान के किसान की ओर से बिना किसान का बेटा हुए, मैं कोई खेती नहीं करता हूं, मेरे पिताजी ने खेती नहीं की, लेकिन मैं उस गांव में रहता हूं जहां किसान रहता है। मेरी जिंदगी में मैंने वे टापरे देखें हैं कि जब मैं लोक सभा का चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था जहां-जहां इस बच्चे को गेरू का एक डिब्बा दे दो और एक गुमटी बनाकर दे दो, जहां-जहां टेढ़ा-मेढ़ा मकान मिले, ऊपर छप्पर मिले, तू बेटा लिख आना वो सब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसान का है और जहां तुझे पक्का मकान मिले, अच्छा मकान मिले तो किसी व्यापारी का है, मेरी यह बात 80 परसेंट सही साबित हुई, उस समय 89 के चुनाव में।

मैं आज भी यह कहता हूं कि हम सब लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं। आज हमारी तनख्वाह एक लाख हो गयी है, लेकिन किसान का बेटा दो सौ रुपये के लिए फांसी खाता है। क्या आपको और हमें नहीं लगता है कि आखिर इसमें कहीं न कहीं परिवर्तन करने के लिये हमें मन-मस्तिष्क बनाना पड़ेगा। हम सब लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, इसकी रेट बढ़ गयी, इसकी रेट बढ़ गयी। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है क्योंकि मैं इस बात को देखता हूं कि बाजार में वह किसान दो रुपये किलो भिंडी बेचकर जाता है और वही भिंडी मैं 18 रुपये किलो में खरीदकर लाता हूं।

यह जो बीच का इतना बड़ा गैप है, क्या इसकी पूर्ति नहीं कर सकते? क्या इसका साधन नहीं दे सकते? जिसके कारण से उसकी आमदनी को भी बढ़ाया जा सके। मैं आपका फिर मन से आभार कर रहा हूं, ऊपरी मन से नहीं कि मैं कोई आपकी तारीफ करना चाहता हूं। कम से कम पहली बार इस किसान के बारे में सोचकर इस हाउस में चर्चा की।

अगर माननीय सदस्य अपनी-अपनी पार्टी के चश्मे से बाहर निकलकर इस पर विचार करते हैं और इसको सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, तब तो हम राजस्थान के किसान का भला कर पाएंगे, बाकी तर्क-वितर्क में कुछ नहीं पड़ा है। इसने क्या किया और हमने क्या किया। हमने 50 हजार का कर्जा माफ किया, 30 लाख किसान का कर दिया। उसने किया, आपने किया। मैंने तो इतना ही सवाल पूछा है कि आपने कहा कि हमने माफ कर दिया। आपका जो शब्द है, वह तो किसान के सब प्रकार के कर्जे हैं, खेती के, लेकिन आपने उसमें से गलियां निकालीं। गलियां निकालने के बाद भी कह रहे हो, कम से कम एक लिस्ट तो लगा दें जिला केन्द्र पर, जिससे पता लगे कि यह तो किसान है, यह कर्जा है और यह हमने चुका दिया उसके खाते में।

कागज पकड़ाकर उसको मूर्ख बनाने का काम किया, इसलिए जनता ने आपकी जो धुलाई की है, वह उस कारण से की है। आपको लगता नहीं होगा कि हमारी धुलाई क्यों हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विधान सभा शुरू होने के दूसरे ही दिन किसानों के कर्ज माफी की भावना जो सदस्यों के मन में थी, उसको समझते हुए विधान सभा सत्र के पहले ही दिन आपने यह चर्चा रखवा ली, इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं। दोनों पक्षों के सदस्यों ने ढ़ाई बजे से लगातार अब तक अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, व्यंग्यात्मक बातें भी कहीं, आरोप भी लगाये। नि:संदेह इस प्रकार का डिस्कशन सरकार की कार्य प्रणाली में श्रेष्ठता लायेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, इसलिए आज की चर्चा को मैं सार्थक मानता हूं।

आरोप-प्रत्यारोप को भूलकर हम किसानों के हित में काम करेंगे, यह हम सबका प्रण है। अभी कटारिया साहब ने बहुत ही वेदना के साथ अपनी बातें कहीं हैं। कटारिया साहब के कहने का लहजा बहुत ही शांत रहता है, लेकिन कहीं-कहीं जैसी बात बताते हैं, वैसा महसूस नहीं होता है। इन्होंने अभी किसान क्रेडिट कार्ड की बात की। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड शुरु किया। यह भी साथ में कह देते कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके किसानों के लिये दरवाजे खोल दिये थे, जिससे पूरा किसान वर्ग आगे बढ़ गया था तो हमें भी अच्छा लगता कि जितनी भावना से आप बातें सदन में कहते हैं, मेरी पीड़ा है, मैं किसान हूं, मैं साफ मन से काम करता हूं तो हमें भी खुशी होती कि एक नेता तो कम से कम नाप लिया।

आज किसान बैंक के दरवाजे पर जा सकता है तो केवल इंदिरा गांधी की वजह से जा सकता है, अन्यथा किसान दरवाजे पर जा नहीं सकता था। यह स्थिति हिन्दुस्तान की थी। हरित क्रांति लायी तो इंदिरा गांधी लायी। अगर हरित क्रांति नहीं होती तो..। पहले गेहूं आयात करना पड़ता था। आपने गेहूं की सब बातें अभी की हैं कि किस प्रकार से हिन्दुस्तान की हालत थी, जब देश आजाद हुआ था तब गेहूं आयात करना पड़ता था। हरित क्रांति लायी तो इंदिरा गांधी लायी है तो जो नेताओं ने कुछ किया, उनका नाम भी अगर आप लेते तो अच्छा लगता।

आप कहते हैं कि अटल बिहारी जी ने यह किया, भैरोंसिंह जी ने यह किया, वे हमारे आदर्श थे और रहेंगे, लेकिन जिन्होंने देश का निर्माण किया है, देश को इतनी बड़ी शक्ति बनाया है तो उनका मान-सम्मान भी आपको करना चाहिये। वे दो शब्द भी बोलते थे तो हम समझते थे कि जैसा भाषण आप दे

(श्री अंजना उदयलाल)

रहे हैं, वैसी ही आपके मन में पीड़ा भी है, लेकिन वह शब्द आपने यहां पर एक भी नहीं बोला। इसका जरूर दु:ख रहेगा।

आपने अभी बहुत अच्छी साहित्यिक भाषा में कहा कि आपने कहां से यह घोषणा पत्र तैयार किया। बहुत अच्छी भाषा लाये, यह कैसे हुआ, कहां से शब्द चुने। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 में जब आपकी सरकार बनी और जैसे देश की जनता से वादे किये थे, वे सार्थक नहीं हुए। किसान मरने लग गये, देश में आत्महत्याएं होने लग गयीं, किसान का समर्थन मूल्य गिरने लग गया।

जब राहुल गांधी जी ने पूरे देश में दौरा किया और जब गुजरात का चुनाव आ रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आयी तो दस दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। कर्नाटक की सरकार आयी तो वहां माफ किया है और यह वादा पूरा किया है। सरकार का केवल हुक्म चलता है और सत्ता संभालते ही, मन में पीड़ा थी, इसलिये सबसे पहले यह संदेश दिया कि हमने जो घोषणा पत्र में किया है,...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आप जब बोल रहे थे तब मैं बोल गया था, तब तो आपको पीड़ा हो गयी थी। आप काफी सीनियर आदमी हैं, काफी लम्ब समय तक विभाग संभाले हैं, पक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं तो जब आप बोल रहे थे, मैं कुछ बोला तो मुझे तो अध्यक्ष महोदय ने डांटकर बैठा दिया था। आप सरीखा सीनियर आदमी मेरे सामने बोलने के लिये क्यों खड़ा हो रहा है। मुझे भी थोड़ा बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये आप मंत्रीजी बोलिये।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भ्रमण करने के बाद यह पता लगाया कि समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिलने से खेती की लागत बढ़ने से किसानों की हालत बहुत खराब है। देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस कारण से उन्होंने विचार करके दस दिन में कर्ज माफी की घोषणा गुजरात चुनाव के दौरान ही कर दी थी और उसके बाद जब हमारी कर्नाटक में सरकार बनी तो वहां भी उन्होंने दस दिन में कर्जा माफ करके साबित कर दिया और उसके बाद जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें बनीं तो यहां भी घोषणाएं की हैं।

(श्री अंजना उदयलाल)

आपने कहा कि सोचा न समझा, वैसे ही घोषणाएं कर दीं। राज का हुक्म चलता है, सरकार ने जिस दिन आदेश निकाला, उसी दिन यह बोल दिया था कि 30.11.2018 के बाद किसान निश्चिंत रहे, उनसे किसी प्रकार का ऋण वसूल नहीं किया जायेगा। आपने कहा कि 30.11.2018 की तारीख कहां से आयी, आपने देर कैसे कर दी। 30.11.2018 के बाद 19.12.2018 को सरकार ने आदेश किया।

30.11.2018 के दिन जो खातों की स्थिति थी उसके बाद किसी भी किसान को कोई कर्ज देने की आवश्यकता नहीं है, यह सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। आज किसानों का 7800 करोड़ माफ कर दिये हैं वो फीगर हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो पूरी की पूरी जैसा आपने कहा तब मैंने उसी समय कहा था.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): खातों में कितने डाल दिये यह बताओ आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आप सीनियर आदमी इंटरफेयर कर रहे हैं। प्लीज, नहीं। मंत्रीजी, बोलें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, गलत परम्परा नहीं। आप बैठें, प्लीज।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आपने भी ऋण माफ किया था और विलम्ब हुआ। जिस दिन मैं मंत्री बना उसके बाद सबसे पहले खबर डूंगरपुर की आई थी जिसकी बात अभी माननीय सदस्य ने उठायी है, उसकी जांच चल रही है और 6-7 आदमियों को सस्पैंड भी किया है, चार्जशीट भी दी है, कार्यवाही हो रही है। अगर आप भी तसल्ली से देखकर ऋण माफ पारदर्शिता के साथ करते तो शायद इतने बड़े घोटाले सामने नहीं आते और किसानों को लाभ मिलता। आपने घोषणा तो कर दी, 8 हजार करोड़ का ढिंढोरा तो चुनाव को देखते हुए किया कि चुनाव में जाना था। फरवरी में घोषणा की और चुनाव में वोट लेना था इसलिए आपने 8 हजार करोड़ का ढकोसला किया लेकिन आप 2 हजार करोड़ रुपया ही दे पाये तथा 6 हजार करोड़ रुपये आज इस सरकार को वहन करने पड़ रहे हैं।

विलम्ब से होने का मुद्दा माननीय राठौड़ साहब ने उठाया कि किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, खेतीबाड़ी का समय है। हमारे चन्द्रभान जी ने भी मुद्दा उठाया। मैं भी किसान हूं, मुझे जानकारी है और जब अधिकारियों से बात

(श्री अंजना उदयलाल)

कर रहा था उस समय उनसे मैंने यही निवेदन किया कि बुआई का समय तो जा रहा है और किसानों को इस प्रकार से लेट पैसा मिलेगा तो किस प्रकार किसान अपनी खेतीबाड़ी कर पायेगा तब मुझे यही जानकारी उपलब्ध करायी कि वर्षों से यही होता आ रहा है और आपके समय भी यही हुआ जिसके ये पर्चे आपके सामने हैं कि आपने किस प्रकार से ऋण बांटे थे। आपने जून में 2800 करोड़ बांटे, जुलाई में 1800 करोड़ बांटे, अगस्त में 1300 करोड़ बांटे, सितम्बर में 900 करोड़ बांटे तो आपकी भी यही परिपाटी रही है। अप्रैल और मई में 400-400 करोड़ रुपये बांटे थे। सही है कि इस बार विलम्ब हुआ उसका तो मुझे भी खेद है, इसमें कोई दोराय नहीं है। विलम्ब होने की जो बात है वो मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिक्कत आर्थिक प्रबन्धन करने में यह हुई है कि जब आपने 8 हजार करोड़ रुपये माफ करने की घोषणा की, पर 2 हजार का ही आपका प्रावधान था और 6 हजार करोड़ रुपये का इस सरकार पर वज़न आया तो आज भी हमारे वित्तीय प्रबन्धन के अनुसार साढ़े 3 हजार करोड़ हमारे पास उपलब्ध हैं, बाकी आपका वज़न ढो रहे हैं इस कारण से लेट हुआ है। इसके साथ ही पारदर्शिता भी लानी थी ताकि आधार आधारित सत्यापन करके उसके बाद ऋण वितरण करें ताकि गलत हाथों में अपना पैसा नहीं जाये और सही किसान को पैसा मिल सके तथा उसका किसी प्रकार का शोषण नहीं हो सके। कटारिया जी जो लिस्ट मांग रहे हैं वो वेब पोर्टल पर सभी डाल रखी हैं जिनको आप देख सकते हैं। जब इतने आंकड़े आपने इकट्ठे किये हैं तो निःसन्देह वो भी देख सकते थे लेकिन बोलने के लिए है। मिली नहीं? 19 लाख 40 हजार किसानों के कर्जे माफ करके उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं और सब लिस्ट उपलब्ध है, कोई बाकी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बोलें। प्लीज बोलें। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। मंत्रीजी, बोलें। (व्यवधान) राजेन्द्र जी, यह गलत है। राठौड़ साहब, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। बैठो प्लीज। यह गलत परम्परा है। प्लीज, आज सुबह से क्या हो रहा है आपको?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आपने गंगानगर से आने वाले किसान के मामले में भी मुद्दा उठाया है। आपने यह बोला कि उसने आत्महत्या की है लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार उसके सिंडिकेट बैंक से लोन था। उस लोन के बावजूद भी उसको किसी ने भी

(श्री अंजना उदयलाल)

प्रताड़ित नहीं किया, कभी उसके बाद नोटिस नहीं गया, रेगुलर अकाउंट था। जो वीडियो और जिस सुसाइड नोट की आप बात कर रहे हैं उस नोट के अनुसार यह जांच का विषय है कि वाकई में वह सही है या कहीं गलत तो नहीं बनाया गया है। (व्यवधान) लीपापोती नहीं है, जांच होगी तो सब मामला सामने आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप बोलो। आप इधर चेयर की तरफ देखो। चेयर की तरफ देखकर बोलो आप। (व्यवधान) मंत्रीजी को एनकरेज करो, बोलने दो। पुराने-पुराने मंत्री नये मंत्रियों को नहीं बोलने दे रहे, आप प्लीज, बोलने दो उनको। मंत्रीजी, बोलिये।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आपने आई.पी.सी. की धारा का भी वर्णन किया कि धारा 306 में आता है जिसमें यह है कि उसको किसने उकसाया। यह भी पता लगाया जायेगा कि उसको किसने उकसाया और आत्महत्या के लिए किसने प्रेरित किया। यह सब जांच का विषय है और बराबर जानकारी ली जायेगी। (व्यवधान) ऋण माफी के मामले में सब तैयारी पूरी कर ली गई है और ऋण बांटना 10 तारीख के आस-पास से शुरु कर दिया जायेगा और आधार आधारित सत्यापन के बाद ऋण दिया जायेगा ताकि गलत हाथों में पैसे नहीं जाये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप हाउस की टेबल पर तो जिले वाइज सूची रख दो ताकि कम से कम पता तो लगे कि हमने चर्चा क्या की। हाउस के ऊपर या टेबल पर तो रख दो। जिले वाइज सूची तो रख दो जिनका माफ किया। जिले वाइज सूची तो रख दो। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): पोर्टल पर उपलब्ध है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सूची तो रखो। सूची रखो न। (व्यवधान) कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: मदन जी, बैठें प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, शांत रहें। प्लीज।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): ...21 लाख किसानों का बकाया ऋण का सत्यापन करा लिया है, 19 लाख 20 हजार लोगों को ऋण माफी पत्र जारी कर दिये गये हैं, 7810 करोड़ का फसली ऋण चुका दिया गया है। इस निर्णय से 68 हजार किसानों को लाभ मिलेगा, 4 लाख बीघा जमीन को रहनमुक्त कर दिया गया है और राजस्व खातों में चढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। इससे लगभग 600 करोड़ का ऋण माफ हो जायेगा और अब तक 16911 किसानों का 184 करोड़ रुपये का ऋण माफ होकर उनकी 80 हजार बीघा जमीन को रहनमुक्त करा दिया गया है।

खरीफ की सीजन के लिए किसानों को 10 हजार करोड़ रुपये वितरित किये जायेगे। जुलाई 6 के आस-पास का कार्यक्रम था लेकिन उसको बढ़ाकर 10 तारीख के आस-पास ऋण वितरण का कार्यक्रम किया जायेगा। डेढ़ लाख तक का ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरित किया जायेगा। पहले जो ऋणमुक्ति का कार्यक्रम जारी था वो आगे भी बराबर जारी रहेगा और किसान को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अब तक 2 लाख 30 हजार किसानों का पंजीयन हो चुका है। 3 जून को आनलाइन की व्यवस्था आरम्भ कर दी गई थी और 2 लाख 30 हजार आज दिन तक हो चुके हैं। आनलाइन पंजीयन के बाद पंजीकृत किसानों को फसली ऋण वितरण किये जाने की योजना आरम्भ कर दी जायेगी।

डूंगरपुर में ऋण घोटाला भाजपा की पूर्व सरकार के समय हुआ था जिसकी जांच मेरे द्वारा आरम्भ करा दी गई है जिसमें अभी तक 6 कर्मियों को निलम्बित किया जा चुका है और एम.डी. को चार्जशीट दी जा चुकी है। इन घटनाओं से सबक लेकर हमने आधार आधारित व्यवस्था कर ऋण व्यवस्था को लागू किया है।

माननीय कटारिया साहब जिस प्रकार के आरोप लगा रहे थे, अब वो वाकआउट कर गये हैं लेकिन भाजपा सरकार जब 2013 में आई थी उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कृषि निर्यात 4323 करोड़ डालर का था जो वापस इनके राज में 2016-17 में घटकर 3387 करोड़ डालर रह गया। दूसरी तरह 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 1503 करोड़ डालर का आयात था जो बढ़कर 2509 करोड़ डालर तक पहुंच गया है।

(श्री अंजना उदयलाल)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के बजाय बीमा कंपनियों ने काफी मुनाफा कमाया है। खरीफ 2016 और रबी 2017-18 के दौरान 14248 करोड़ रुपये का फायदा कंम्पनियों को हुआ है। जबकि मुआवजा केवल 5650 करोड़ का ही किसानों को मिला है। इस प्रकार से भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को पनपाया है और उद्योगपतियों का तो 28 हजार करोड़ रुपये तक का ऋण माफ करती है और जब किसानों का ऋण माफ करने का अवसर आता है तो इस प्रकार के अवरोध पैदा करती है और इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। कांग्रेस की सरकार ही किसानों की सच्ची सरकार हो सकती है और वो ही आगे किसानों का साथ देगी, भला करेगी। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2019 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.21 बजे सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

9. **श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनायें संचालित की जा रही हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कितने श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये गये जिला पाली के विधान-सभावार बनाये गये श्रमिक कार्डों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में गत 5 वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कितने श्रमिक कार्ड बनाकर क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) असंगठित क्षेत्र में "भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित" अथवा "निर्माण श्रमिकों" हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पाली जिले में 68954 निर्माण श्रमिकों का आनलाइन पंजीयन किया गया। विधान सभावार पंजीयन का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) मारवाड़ जंक्शन विधान सभा में 9621 का निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीयन किया गया जिसमें से 218 पंजीकृत हिताधिकारियों को 82.95 लाख रुपये से लाभान्वित किया गया। (परिशिष्ट-3)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर, जोधपुर व सीकर जिले में फसल बीमा का क्लेम

10. **श्री पुखराज** (भोपालगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पुखराज)

(1) फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में नागौर तथा जोधपुर जिले में कार्यरत कंपनियों का उनके द्वारा स्थापित जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय कार्यालयों का पता व संबंधित कार्मिकों के नाम व दूरभाष नंबर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर, जोधपुर व सीकर जिले में फसल बीमा योजना लागू होने के पश्चात से लेकर जून, 2019 तक संबंधित फसल बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की एवज में वसूली गई राशि का कंपनी के नाम सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में वसूल की गई कुल प्रीमियम की राशि की तुलना में कितनी राशि का क्लेम किसानों को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना रबी 2018-19 में नागौर जिले में एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि. तथा जोधपुर जिले में एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. द्वारा क्रियान्वित की गयी। वांछित विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	जिला/तहसील स्तरीय कार्मिकों के नाम मय कार्यालय पता
नागौर	1. हंसराज, 22/7 लक्ष्मीनगर, समता बस स्टोप के पीछे, तौसर रोड, नागौर 2. नवरंग सिंह 3. खेताराम
जोधपुर	1. जितेन्द्र तिवारी, एसबीआई जीआईसी लिमिटेड, नारायणम, द्वितीय तल, चोपासनी मुख्य रोड, बोम्बे मोटर सर्किल के पास, जोधपुर 2. चन्द्र शेखर, एसबीआई जीआईसी लिमिटेड, नारायणम, द्वितीय तल, चोपासनी मुख्य रोड, बोम्बे मोटर सर्किल के पास, जोधपुर 3. नारायण राम, एसबीआई भोपालगढ़ 4. परसाराम, एसबीआई बिलाड़ा 5. मोहन लाल, एसबीआई, फलौदी 6. महिपाल गोदारा, एसबीआई, बावड़ी 7. नरेन्द्र, एसबीआई, पिपाड़ शहर

(कृषि मंत्री)

जिला	जिला/तहसील स्तरीय कार्मिकों के नाम मय कार्यालय पता
	8. सागर राम, एसबीआई, बापणी 9. सुखदेव सारण, एसबीआई, बाप
कार्मिकों के दूरभाष नम्बर परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।	

(2) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना राज्य में खरीफ 2016 से लागू है। नागौर, जोधपुर व सीकर जिले की प्रीमियम राशि की सूचना खरीफ 2016 से रबी 2018-19 तक की सूचना मय बीमा कम्पनी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) खरीफ 2016 से रबी 2018-19 तक नागौर, जोधपुर तथा सीकर जिले में क्रमश: 504.76 करोड़, 704.12 करोड़ तथा 221.49 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम बीमा कम्पनियों को देय है जिसके विरुद्ध अब तक क्रमश: 212.45 करोड़, 251.19 करोड़ तथा 85.58 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। जिसमें नागौर के रबी 2018-19, जोधपुर के रबी 2017-18, खरीफ 2018 तथा रबी 2018-19 और सीकर जिले के खरीफ 2018 तथा रबी 2018-19 के बीमा क्लेमों का भुगतान सम्मिलित नहीं है। साथ ही सीकर जिले में रबी 2017-18 के बीमा क्लेमों का आंशिक भुगतान सम्मिलित है। विस्तृत विवरण की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गौशाला को देय अनुदान

11. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है प्रदेश में गौशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता हैं? यदि हां, तो अनुदान देने के क्या-क्या मानदण्ड हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की गौशालाओं को विगत सरकार द्वारा वर्ष 2017 से दिसम्बर, 2018 तक अनुदान दिया गया? यदि हां, तो किस-किस गौशाला को कितना-कितना अनुदान दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में दिसम्बर, 2018 से जून, 2019 तक किस-किस

(श्री रामलाल शर्मा)

गौशाला को कितना-कितना अनुदान दिया गया। यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राजस्थान गौवंश संरक्षण अधिभार उपयोग सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुरूप गौशालाओं को सहायता राशि की दर एवं अवधि का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गौशालाओं को 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें बड़े गौवंश हेतु 32/- रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 16/- रु. प्रतिदिन की दर से सहायता राशि उपलब्ध करवायी जा रही है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 15966 दिनांक 09.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये पूर्व में दी जा रही बड़े गौवंश हेतु 32/- रु. एवं छोटे गौवंश हेतु 16/- रु. की सहायता राशि को बढ़ाकर 40/- रु. तथा 20/- रु. किया जा चुका है।

गौशालाओं को सहायता राशि दिये जाने के मापदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। प्रदेश की गौशालाओं को जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2018 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम चरण अप्रैल, मई व जून 2018 हेतु देय सहायता का विवरण परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश की गौशालाओं/कांजी हाउस को वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय चरण (जनवरी, फरवरी व मार्च 2019) की देय सहायता राशि हेतु निदेशालय द्वारा राशि 208.43 करोड़ का बजट जिलों को आबंटित किया जा चुका है। वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, सहायता प्राप्त करने वाली गौशालाओं की सूचना परिशिष्ट-4 पर संलग्न है, जो कि जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा अनुबंधित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना

12. **श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोराराम कुमावत)

(1) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण जो शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा रहा था, को पुन: देने एवं ऋण का दायरा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सहकारी समितियों को अन्य बैंको से ऑनलाईन जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) का गठन किया जाता है।

(2) जी हां। प्रदेश में ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना वर्ष 2012-13 से निरन्तर जारी है।

(3) भारत सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत राज्य में नाबार्ड के सहयोग से 6300 पैक्स को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सीबीएस के माध्यम से जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सहकारी समितियों का जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सीबीएस के माध्यम से जुड़ने पर ये आनलाइन कार्य कर सकेंगी।

निजी बसों की निविदा का रोडवेज में निरस्तीकरण

13. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा रोडवेज में ठेके पर ली जा रही प्राइवेट बसों के टेण्डर निरस्त करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा रोक लगाने के उपरान्त भी प्राइवेट बसों के टेण्डर लेने की प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया गया और

(श्री कालीचरण सराफ)

टेण्डर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नई सरकार के गठन के पश्चात राजस्थान परिवहन निगम में निजी बसों को अनुबंध पर लिये जाने की निविदा प्रकाशित की गई थी। निविदा को दिनांक 24.04.2019 को निरस्त किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। निजी बसों को अनुबंध पर लिये जाने वाले टेण्डर को निरस्त किया जा चुका है तथा टेण्डर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से वंचितों को लाभ देने की योजना

14. **श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु सभी आवेदनकर्ताओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? यदि हां, तो छात्रवृत्ति से वंचित रहे अल्पसंख्यक छात्रों को सरकार कोई लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एससी/एसटी की तरह अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति सभी आवेदनकर्ताओं को देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को निम्न छात्रवृतियां प्रदान की जाती हैं:-

I. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

II. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

III. मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति

ये समस्त छात्रवृत्तियां पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा प्रवृतित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं में प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य के अनुसार पात्र आवेदकों को वरीयता के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से वंचित रहे छात्रों के लिये भौतिक लक्ष्यों में वृद्धि कर लाभ देने का निर्णय केन्द्र सरकार के स्तर को है लेकिन इन

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

योजनाओं को लक्ष्य आधारित के स्थान पर मांग आधारित करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की कार्ययोजना

15. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें किस-किस प्रकार के कितने-कितने पद वर्तमान में स्वीकृत हैं तथा कितने पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे आंगनबाड़ी केन्द्र किराये या अन्य संस्थानों के भवनों में कब से संचालित हैं? क्या सरकार ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास अन्तर्गत 325 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालन की स्थिति एवं पदों का विवरण आंगनबाड़ी केन्द्र वार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। किराये के भवन, सरकारी स्कूल, सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य नि:शुल्क भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) आशा सहयोगिनी का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़गांव उप खण्ड में खनन से हो रहे प्रदूषण को रोकने की कार्ययोजना

16. **श्री प्रताप लाल भील** (गमेती) (गोगुन्दा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड बड़गांव क्षेत्र में खनन व माइनिंग के खदान स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खदानों में आबंटियों द्वारा प्रदूषण व हैवी ब्लास्टिंग किये जा रहे हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में लीज धारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उप खण्ड बड़गांव क्षेत्र में 63 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त 63 खनन पट्टों में से 40 कार्यशील खनन पट्टों में पट्टेधारियों द्वारा सक्षम स्तर से पर्यावरण अनुमति एवं अन्य वांछित सहमतियां प्राप्त कर खनन कार्य संचालित किया जा रहा है, विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है। इनमें से खनन पट्टा सं. 4/1997 में पट्टेधारी द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। शेष खनन पट्टों में पट्टेधारियों द्वारा हैवी ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। अपितु 31 खदानों में सक्षम व्यक्तियों की देखरेख में साधारण किस्म की ब्लास्टिंग की जा रही है एवं प्रदूषण फैलाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

(3) जी नहीं। पट्टाधारियों द्वारा प्रश्न के भाग-2 के उत्तर अनुसार इस संबंध में उल्लंघन का मामला नहीं पाया जाने के कारण लीजधारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेलों के प्रोत्साहन व संवर्धन हेतु कार्ययोजना

17. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन व संवर्धन हेतु खेल नीति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत पंचायतों में खेल मैदान तैयार करने व अंशकालीन खेल प्रशिक्षक, क्रीड़ाश्री लगाये जाने थे? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कितनी पंचायतों में खेल मैदान तैयार करने व अंशकालीन खेल प्रशिक्षक क्रीड़ाश्री लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा लक्ष्यों की अनुपालना में कितनी पंचायतों में उक्त मैदान व अंशकालीन खेल प्रशिक्षक क्रीड़ाश्री तैयार हो गए? जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त अवधि में राज्य में किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या खेलकूद उपकरण उपलब्ध कराए गए तथा कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां यह सही है कि प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन व संवर्घन हेतु 2013 में खेल नीति लागू की गई थी। परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) परिषद में विभिन्न संवर्ग में कुल 339 पद स्वीकृत हैं विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

प्रत्येक जिले में खेल अधिकारी, क्लर्क ग्रेड द्वितीय, चौकीदार एवं गेम्सबाय का एक-एक पद स्वीकृत है। जिलों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रचलित खेल एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

जिलों में कार्यरत कार्मिकों की सूची परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(3) जी हां। केन्द्र प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक राज्य के सभी 8686 ग्राम पंचायतों पर खेल मैदान तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्यों की अनुपालना में वर्ष 2008-09 में 818 ग्राम पंचायतों एवं वर्ष 2009-10 में 502 ग्राम पंचायतों पर खेल मैदान तैयार करवाये गये। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-च पर संलग्न है।

प्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत एवं ब्लाक मुख्यालय जहां खेल मैदानों का निर्माण योजना अन्तर्गत करवाया जाना था, वहां क्रीड़ाश्री लगाये जाने का प्रावधान था, अंशकालीन खेल प्रशिक्षक लगाये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। वर्ष 2008-09 में तैयार खेल मैदानों के अनुसार कुल 718 क्रीड़ाश्री लगाये गये। आगामी वर्षों हेतु प्रस्तावित खेल मैदानों का निर्माण पूर्ण नहीं होने एवं केन्द्र सरकार द्वारा योजना वर्ष 01.04.2014 को बन्द कर दिये जाने के कारण आगामी चरणों (वर्ष 2009-10) हेतु क्रीड़ाश्री नही लगाये गये। वर्ष 2008-09 में जिलेवार लगाये गये क्रीड़ाश्रीयों की सूची परिशिट-छ पर संलग्न है।

(4) प्रदेश में पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान कार्यकम के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गये खेल उपकरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-ज पर संलग्न है। योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाये जाने का प्रावधान नहीं था।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पशु चिकित्सा केन्द्रों का क्रमोन्नयन

18. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक कितने नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये तथा कितने पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पशु चिकित्सालय की कोई इकाई क्रियाशील नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) क्या सरकार उक्त सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त अवधि में कितने नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये तथा किन-किन पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया? चिकित्सा केन्द्रवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक खोले एवं क्रमोन्नत किये गये पशु चिकित्सा केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रदेश की 1478 ग्राम पंचायतों में पशुपालन विभाग की कोई चिकित्सा इकाई स्वीकृत नहीं है। जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं को आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोला जाता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक नव स्वीकृत एवं क्रमोन्नत की गई पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने की कार्ययोजना

19. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नदी-नालों से बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हां, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्रों के भवनों, सड़कों, पुलियाओं के निर्माण जारी हैं? यदि हां, तो इनके निर्माण में काम आने वाली बजरी कहां से आ रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(3) क्या सरकार अवैध बजरी खनन को रोकने हेतु बजरी खनन माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2017 से बिना रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी एवं ई.सी. के नदियों में बजरी खनन पर रोक लगा रखी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्रों में भवनों, सड़कों, पुलियाओं के निर्माण चल रहे हैं। निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाली बजरी पेलियो चैनल्स एवं खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों से आ रही है। सरकारी निर्माण कार्यों हेतु बजरी खनन बाबत् राज्य सरकार द्वारा खातेदारी भूमि में एक हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के अल्पावधि अनुमति पत्र भी जारी किये जा रहे हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्यों में मैन्यूफेक्चर्ड सेण्ड व क्रेशर डस्ट का भी उपयोग हो रहा है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अवैध बजरी खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु सभी जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा विशेष जांच दल गठित किये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नदियों में बजरी खनन पर रोक के आदेश पारित होने की दिनांक 16.11.2017 से मई, 2019 तक 20397 प्रकरण बनाये गये, 1882 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं रुपये 118.98 करोड़ की शास्ति वसूल की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के घोटाले की जांच रिपोर्ट

20. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के ऋण घोटाले की जांच के लिए कोई जांच समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गयी? जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की? जांच रिपोर्ट सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. के ऋण घोटाले की जांच के लिए विभागीय आदेश दिनांक 12.02.2018 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था तथा उक्त आदेश में संशोधन कर संशोधित आदेश दिनांक 07.05.2018 के द्वारा क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उनके द्वारा अपने सहयोग हेतु जांच दल गठित कर जांच सम्पादित करवायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2019 को जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपी गयी, जो परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.06.2019 (परिशिष्ट-2) जांच परिणाम एवं निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिनका विवरण संक्षेप में निम्न है :-

1. एनपीए में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्रचलित सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
2. अनियमित ऋण वितरण हेतु दोषी पदाधिकरियों/कार्मिकों से वसूली की कार्यवाही हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 में प्रकरण दर्ज कर वसूली हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
   संचालक मण्डल के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा ऋण उप समिति के सदस्य सचिव के रूप में प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध सीसीए रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
3. बैंक की शेष एनपीए खातों की पत्रावलियों की जांच एवं भौतिक सत्यापन प्रबन्ध निदेशक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा तीन माह में कर रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने की कार्ययोजना

21. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्षों से घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो वर्तमान में निगम का कुल घाटा कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) क्या सरकार वर्षों से घाटे में चल रहे उक्त निगम को यथावत रखने का विचार रखती है तथा निगम को घाटे से उबारने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वित्तीय वर्ष 1997-98 से लगातार घाटे में चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक निगम का कुल संकलित घाटा 4833.81 करोड़ रुपये है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन को घाटे से उबारने के लिए निगम द्वारा राज्य सरकार से बजट हेतु मांग की गयी। राजस्थान परिवहन निगम स्तर पर घाटे से उबारने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजना

22. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में तेल एवं कोयला क्षेत्र में कार्य कर रही कैयर्न इंडिया एवं राज वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पर्यावरणीय अनुमति कब प्राप्त की गई एवं इसके लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में कार्यरत उक्त कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का पालन किए बिना लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं एवं जहरीली गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है जिससे उक्त क्षेत्र में अनेक बीमारियां फैल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में इन कंपनियों द्वारा लगातार पर्यावरण के प्रति बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त उद्योगों/कम्पनियों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों की सूची मय प्रतिलिपि परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। संबंधित एजेंसी द्वारा वृक्षारोपण भी कराया गया है।

मैसर्स कैयर्न इण्डिया द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से समय-समय पर जांच कराई जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसके अनुसार वायु प्रदूषक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यरत उक्त कम्पनियों के क्षेत्र स्थित चिकित्सा संस्थानों व उच्चतर चिकित्सा संस्थानों में जहरीली गैसों के उत्सर्जन से बीमारी फैलने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

(3) उक्त उद्योगों का समय-समय पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निरीक्षण मण्डल के आपरेटिंग मैनुअल में वर्णित प्रावधानानुसार किया जाता है। साथ ही उद्योग राजवेस्ट लाल श्रेणी में आने से उस पर पर्यावरण प्रदूषण तत्वों के उत्सर्जन को मोनिटर करने हेतु आनलाइन कंटिन्यूअस एमीशन मोनिटरिंग सिस्टम (ओ.सी.ई.एम.एस.) स्थापित है जिससे निरन्तर डेटा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सर्वर पर आनलाइन मोनिटर किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किसानों को तारबंदी हेतु अनुदान

1. **श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी हेतु सरकार से अनुदान की मांग की जाती रही है? यदि हां, तो क्या सरकार तारबंदी हेतु किसानों को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए कोई स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किसानों द्वारा खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी हेतु सरकार से अनुदान की मांग की जाती रही है।

कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन के अन्तर्गत नीलगाय व अन्य जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया है जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पेरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40,000/- जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है। वर्ष 2019-20 में राज्य के समस्त जिलों में तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल को मद्देनजर रखते हुए राशि रु. 562.200 लाख का वित्तीय एवं 5 लाख 62 हजार 250 मीटर भौतिक लक्ष्यों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(2) जी हां। प्रदेश में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजड़ों को कृषकों द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (बी) के अन्तर्गत मारने हेतु अधिसूचना दिनांक 03.03.1994 से उप वन संरक्षकों को, दिनांक 19.01.1996 व दिनांक 30.04.1997 से क्षेत्रीय वन अधिकारियों रैंजर्स एवं अधिसूचना दिनांक 31.08.2000 द्वारा राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलेक्टर,

(कृषि मंत्री)

पुलिस अधीक्षक, उप खण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अधिकारी को परमिट देने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है।

इसी प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सुअरों को मारने की अनुमति देने हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.03.1998 की पालना में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर द्वारा उप वन संरक्षकों को जिला कोटा, बून्दी, सवाईमाधोपुर, करौली, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, डूंगरपुर, जालौर, बीकानेर, तथा श्रीगंगानगर, में अपने-अपने अधिकर क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों से 15 किलोमीटर की परिधि के बाहर प्राधिकृत किया गया है। साथ ही उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/क्षेत्र निदेशक/उप निदेशक तथा उप वन संरक्षक (वन्यजीव) को अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले जिलों में वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 15 किलोमीटर तक की परिधि में प्राधिकृत किया गया है।

शाहपुरा बनेड़ा के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

2. **श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में स्वीकृत पशु चिकित्सा केन्द्रों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ कृषि उपज मण्डी के तहत नवीन गौण मण्डी की स्थापना

3. **श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक सूरजगढ़ कृषि उपज मण्डी में कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी के तहत कुल कितनी गौण मण्डी कार्यरत है और क्या सरकार आगामी वित्तिय वर्ष में नवीन गौण मण्डी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मण्डी क्षेत्र में वित्तिय वर्ष 2013 से 2018 तक सम्पर्क सड़कों द्वारा कौन-कौनसे गांवों को जोड़ा गया व कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजगढ़ की वर्षवार आय का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	**आय (लाख रु में)**
2013-14	35.53
2014-15	44.83
2015-16	67.11
2016-17	70.83
2017-18	57.32

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजगढ़ अन्तर्गत दो गौण मण्डियां सिघाना एवं पिलानी है।

जी नहीं।

(3) वर्ष 2013 से 2018 तक 4 सम्पर्क सड़कों द्वारा जोडे गये गांव व व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संचालित गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन

4. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकारी एवं निजी स्तर पर कहां–कहां पर कितनी गौशालाएं कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की गौशालाओं को सरकार द्वारा कितना–कितना अनुदान किस–किस मद में दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश की गौशालाओं के रख–रखाव एवं गायों की देखरेख के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गायों के दूध एवं दूध से बने उत्पाद के साथ ही गोमूत्र, गोबर से भी राजस्व प्राप्त होता है? यदि हां, तो गत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रदेश में जितनी भी गोचर भूमि है उसको गौशालाओं के नाम रजिस्टर्ड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार निजी स्तर पर संचालित गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन तहसील स्तर पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा गौशालाओं का संचालन नहीं किया जाता है। गौशालाओं का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों के माध्यम से हो रहा है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 से गौशालाओं की सूचना के आधार पर कुल 2727 गौशाला संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश की गौशालाओं में संधारित गौवंश को राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अंतर्गत नियमानुसार सहायता राशि दी जाती है जिसमें बड़े गौवंश हेतु 32/- तथा छोटे गौवंश हेतु 16/- प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से सहायता राशि राज्य निधि मद से दिये जाने का प्रावधान है जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 09.03.2019 द्वारा बड़े गौवंश हेतु 40/- तथा छोटे गौवंश हेतु 20/- किया गया है।

(गोपालन मंत्री)

(3) गौशालाओं में संधारित गौवंश को नियमानुसार निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसके सम्बन्ध में निर्णय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में लिये जाते है। इसके अतिरिक्त गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पतियों जैसे चारा भण्डार, गृह शैड निर्माण, खेली निर्माण, गोपालक आवास निर्माण हेतु गौशाला विकास योजना अन्तर्गत अधिकतम 10 लाख रु. की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में गौमूत्र एवं गोबर से राजस्व प्राप्ति नहीं होती है।

(5) जी नहीं। रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा गौचर भूमि गौशाला प्रयोजनार्थ आबंटित करने हेतु जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम, 1957 के तहत गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर भूमि आबंटन की कार्यवाही की जाती है।

उक्त नियमों के नियम 6 में यह प्रावधान है कि यदि गौशालाओं के लिए आबंटन के लिए उपयुक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है और गांव में (चरागाह) पशु चराने के लिए (सफिशियेंट) काफी भूमि उपलब्ध हो तो इन नियमों के अधीन चरागाह भूमि का आबंटन किया जा सकेगा।

(6) जी नहीं। निजी स्तर पर संचालित गौशालाओं का पंजीयन राज्य स्तर पर ही किया जाता है तथा सीमित पंजीकरण होने की वजह से तहसील स्तर पर पंजीकरण की उपादेयता प्रतीत नहीं होती। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बजरी खनन रोक से प्रभावित मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्य योजना

5. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजरी खनन पर न्यायालय की रोक लगने से मजदूरों एवं कारीगरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है?

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) इस परिस्थिति के निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि नदियों से बजरी के खनन पर माननीय न्यायालय की रोक के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं एवं मजदूरों एवं कारीगरों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है।

(2) राज्य सरकार द्वारा खातेदारी भूमि में निश्चित प्रीमियम पर सम्बन्धित खातेदार को 1.00 हेक्टेयर से 4.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे आवंटित किये जाने तथा सरकारी निर्माण कार्यों हेतु खातेदारी भूमि में अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किये जाने बाबत् नियमों में प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के तहत खनन पट्टे एवं अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किये जा रहे हैं। | विभाग द्वारा खनिज बजरी के छोटे-छोटे (5 से अधिक व 50 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के) प्लॉट बनाये जाकर ई-नीलामी हेतु 63 प्लॉटों के लिये बिड आमंत्रित की गयी थी परन्तु उक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.03.2018 से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुये स्थगित किया गया। इस आदेश के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस. एल.पी. संख्या 34134/2013 में ई-नीलामी की अनुमति हेतु आई.ए. दायर की गयी है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके अलावा बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सेण्ड (एम-सैण्ड) को प्रोत्साहित करने हेतु एम-सेण्ड नीति प्रक्रियाधीन है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति बामनवास द्वारा खाद व बीज का वितरण

6. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा विगत तीन वर्षों में कितना-कितना खाद एवं बीज का वितरण कहां-कहां किया गया? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों की मांग के अनुरूप उचित मात्रा में खाद एवं बीज समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों की मांग के अनुसार उचित मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत बामनवास एवं बौंली क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा अपने क्षेत्र में किसानों को वितरित किये गये खाद एवं बीज की सूचना परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कृषकों को मांग अनुसार यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरकों के साथ-साथ बीज भी निजी एवं सहकारी दोनों ही क्षेत्रों के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराये गये हैं एवं निरन्तर आपूर्ति जारी है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में किसानों की मांग के अनुसार खाद एवं बीज सहकारी समितियों एवं निजी आदान विक्रेताओं के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान में बौंली पंचायत समिति में 900 मै. टन यूरिया, 620 मै. टन डीएपी, 250 मै. टन एसएसपी एवं बामनवास पंचायत समिति में 900 मै. टन यूरिया, 150 मै. टन डीएपी एवं 150 मै. टन एसएसपी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मैसर्स इफ्को का 2500 मै. टन डीएपी हिण्डौन वेयरहाउस में अतिरिक्त भण्डारण के रूप में उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में प्रधान मंत्री फसल बीमा की राशि का भुगतान

7. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2017 में खरीफ की फसल में हुई क्षति को लेकर प्रधान मंत्री

(श्री संयम लोढ़ा)

फसल बीमा में सिरोही जिले को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और उक्त राशि किसान के किस श्रेणी के खाते में जमा की गई? इस राशि को ऋण खाते में जमा करने से किसान को क्या लाभ हुआ?

(2) वर्ष 2017 में प्रधान मंत्री फसल बीमा की राशि राज्य में अन्य किस जिले में किसान के ऋण खाते में जमा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जोगापुरा समिति में उक्त बीमा राशि किसानों के खाते में कब जमा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवाकर जिम्मेदारी तय करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ 2017 में सिरोही जिले में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन यूनाइटेड इण्डिया इन्योरेंस कम्पनी लि. द्वारा किया गया। उक्त बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2017 में 77.07 करोड़ रुपये के कुल बीमा क्लेम सिरोही जिले में वितरित किये गये। प्राप्त बीमा क्लेम राशि में से जिन सदस्यों के समिति स्तर पर ब्याज मुक्त फसली ऋण बकाया होने से संबंधित ऋणी के ऋण खाते में जमा किया गया एवं जिन सदस्यों के फसली ऋण बकाया नहीं थे उनके संबंधित बचत/अमानत खाते में राशि जमा की गई। ऋण खाते में जमा खर्च होने से किसान को नगद राशि ऋण के रूप में प्राप्ती उपरान्त चुकारे के समय बीमा क्लेम से ऋण राशि के समायोजन से ऋण नहीं चुकाना पड़ा जिससे ऋणी को फायदा हुआ।

(2) प्राप्त बीमा क्लेम राशि में से जिन सदस्यों के समिति स्तर पर ब्याज मुक्त फसली ऋण बकाया होने से संबंधित ऋणी के ऋण खाते में जमा किया गया एवं जिन सदस्यों के फसली ऋण बकाया नहीं थे उनके संबंधित बचत/अमानत खाते में राशि जमा की गई।

(3) जोगापुरा समिति में किसानों के ऋण/बचत खातों में दिनांक 15.01.2018, 31.07.2018 एवं 25.02.2019 को जमा की गई।

(4) लागू नहीं।

खाजूवाला में रोडवेज की बसों का संचालन

8. **श्री गोविन्द राम** (खाजूवाला): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कितनी रोडवेज बसें चल रही हैं? प्रत्येक रूट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी प्राइवेट बसों को परमिट किस-किस रूट में दिया हुआ है? बसों के नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आर.टी.ओ. एवं डी.टी.ओ. के द्वारा बसों व ट्रकों की जांच करने के क्या-क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में राजस्थान परिवहन निगम की संचालित बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में कुल 97 निजी वाहनों को स्टेज कैरिज मार्ग पर वाहन चलाने के परमिट जारी हैं जिनकी मार्गवार व वाहनवार सूची परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है।

(3) आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. को बसों व ट्रकों की जांच निम्नांकित अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है:-

1. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989
2. मोटर यान अधिनियम, 1988
3. राजस्थान मोटर यान नियम, 1990
4. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951
5. राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ शहर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना

9. **श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ शहर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाने हेतु नगरपालिका द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भूमि आबंटित की गयी थी? यदि हां, तो उसे निरस्त करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बलजीत यादव)

(2) क्या सरकार बहरोड़ शहर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भूमि का आबंटन निरस्त नहीं किया गया है।

(2) बहरोड में बस स्टैण्ड बनाने की योजना है। इस संबंध में ट्रांजेक्शनल एवं टैक्नीकल एडवाइजर से भी राय प्राप्त की गयी परन्तु नगरपालिका द्वारा आबंटित जमीन के अग्रभाग में बने दो मकान निर्मित होने तथा दिल्ली से आने वाली वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान में नेशनल हाई वे पर कट नहीं होने के कारण, बस स्टैण्ड बनाना व्यवहार्य नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में नगरपालिका बहरोड़ को अग्रभाग में बने दोनों निर्मित मकानों को अन्यत्र शिफ्ट करने या अन्यत्र जमीन आबंटित करने हेतु लिखा गया है। ट्रांजेक्शनल एवं टैक्नीकल एडवाइजर ने यह भी राय दी है कि पी.पी.पी. मोड पर बस टर्मिनल बनाने के लिए अभी बाजार स्थिति ठीक नहीं है इसलिए प्रस्ताव को दो वर्ष के लिए स्थगित किया हुआ है।

बीकानेर जिले में शहीदों के नाम से स्कूल का नामकरण

10. **श्री बिहारीलाल** (नोखा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में 1962 से दिसम्बर 2018 तक शहीद हुए सैनिकों की शहादत की स्थिति व उनके पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में शहीदों के नाम पर स्कूलों का नामकरण किये जाने के प्रकरण सरकार के पास लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने व कब से विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 1971 से पहले शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सरकारी सेवा देने का नियम बनाया गया था? यदि हां, तो बीकानेर जिले में ऐसे प्रकरणों की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में 1962 से दिसम्बर, 2018 तक शहीद सैनिकों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सैनिक कल्याण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। बीकानेर जिले में ऐसे प्रकरणों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

निवर्तमान सरकार द्वारा विगत छह माह में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात व 1971 से पूर्व के शहीदों के परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में नियेाजन हेतु प्रकरण समिति के पास समीक्षा हेतु विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

11. **श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की कौनसी-कौनसी योजनाएं लागू हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का अल्पसंख्यकों को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुआ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार उक्त योजनाओं का किस प्रकार अल्पसंख्यकों को लाभ देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अल्पसंख्यक कल्याण एवं उनके विकास हेतु कोई नई योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं:-

केन्द्र प्रवर्तित योजना :-

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के 15 ब्लाक, 17 कस्बें तथा 2 जिला मुख्यालय में संचालित है जिसमें कि शिक्षा, स्वाथ्य, कौशल विकास एवं अन्य से जुडे आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य करवाऐं जाने का प्रावधान है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

2. नया सवेरा: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यार्थियों/ विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग एवं संबंद्ध योजना।

3. ''नई रोशनी'' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना।

4. अवसरंचनात्मक विकास के लिये योजना (IDMI)।

5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स योजना अन्तर्गत छात्रवृति दी जाती है।

राज्य प्रवर्तित योजना :-

1. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये नि:शुल्क आवासीय छात्रावास की योजना।

2. अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IIT"s AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s CLAT, IIM"s, IISAR (Kolkata & Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कॉलेजों आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

3. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता।

(इस योजना के तहत वित्तीय अनुदान का प्रावधान नहीं है अपितु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनकी पात्रता के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है)।

4. कौशल विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के युवाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से नि:शुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. मदरसा शिक्षा योजनान्तर्गत मदरसों में दीनी तालीम, दुनियावी तालीम एवं कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती हैं।

(2) केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं प्रचलित नियमों के अन्तर्गत यथागती संचालित की जा रही हैं।

(3) विभाग में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए वर्तमान में कई योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जन अभियोग निराकरण समिति में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

12. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2014 से 2018 तक प्रदेश में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई और बैठकों में कितने लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई और दर्ज शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कब-कब किया गया एवं किन-किनके द्वारा जन सुनवाई की गई? जन सुनवाई शिविरों में कितने लोगों द्वारा अपनी समस्या दर्ज करवाई गई एवं कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया व कितने शेष हैं? संख्यावार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में पारित निर्णय पर आपत्ति होने व अपील/पुनरावलोकन संबंधी क्या प्रावधान है? नियम/परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के निर्णय के उपरांत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा स्वयं के स्तर पर निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित की जाकर पुन: जांच के आदेश पारित किये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014 से 2018 तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2014 से 2018 तक जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजन संबंधी जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के पारित निर्णय पर आपत्ति होने पर अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नही।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड जंक्शन में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

13. **श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र रहित स्थानों पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं? क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: रानी एवं खारची संचालित हैं। परियोजना रानी के अन्तर्गत कुल 121 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त नहीं है। परियोजना खारची के अन्तर्गत कुल 224 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 01 पद रिक्त है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड सभा द्वारा दी जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(2) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(3) मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना रानी में 34 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं खारची में 17 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

रेवदर में आगंनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं

14. **श्री जगसी राम** (सिरोही): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने सैक्टर हैं और उक्त सैक्टरों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रों में काम करने वाली कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं सुपरवाइजरों की संख्या सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने बच्चे व महिलायें किस-किस केन्द्र पर नामांकित हैं? गत दो वर्षों की अवधि में केन्द्रवार किये गये भुगतान एवं उपलब्ध कराई गयी सुविधाओं, पोषाहार, औषधियों व अन्य उपयोगी वस्तुएं किस माध्यम से कितनी मात्रा में उपलब्ध करवाई गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: रेवदर एवं आबूरोड संचालित हैं। जिसके अन्तर्गत परियोजना रेवदर में 164 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना आबूरोड़ में 204 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। परियोजना रेवदर व आबूरोड़ में 6-6 सैक्टर हैं। उक्त आंगनबाड़ी पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं महिला पर्यवेक्षकों का आंगनबाड़ी केन्द्र विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में लाभार्थियों का विवरण एवं गत दो वर्ष में किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय कठूमर में स्वीकृत पद

15. **श्री बाबूलाल** (कठूमर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में आशा सहयोगिनी, महिला सुपरवाइजर व लिपिकों के कितने पद स्वीकृत हैं? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कठूमर के अन्तर्गत दो परियोजना क्रमश: परियोजना कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ संचालित हैं। उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समदड़ी खण्ड में बाल विकास कार्यालय खोलने की योजना

16. **श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के खण्ड सिणधरी को दो खण्डों में तथा सिवाना को मात्र एक ही खण्ड में विभाजित करने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार समदड़ी खण्ड को अलग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार समितिवार महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे? यदि हां, तो सिवाना विधान सभा क्षेत्र में कितने केन्द्र एवं कहां-कहां खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के सिणधरी खण्ड को दो भागों में विभाजित किया था। विभागीय परिपत्र दिनांक 07.06.2018 के तहत जिले की परियोजनाओं का पुर्नसीमांकन की कार्यवाही के अन्तर्गत परियोजनाओं को पंचायत समिति के समरूप किये जाने के फलस्वरूप सिणधरी खण्ड के नोखड़ा परियोजना को विलोपित किया जा चुका है। पंचायत समितियों का परीसीमन के दौरान समदड़ी नई पंचायत समिति बनी थी तथा सिवाणा पंचायत समिति पूर्व से संचालित है लेकिन दोनों पचांयत समितियों को मिलाकर बाल विकास परियोजना सिवाणा के नाम से संचालित है तथा प्रशासनिक दृष्टि से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

वर्तमान में समदडी खण्ड को अलग करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि वर्तमान में नवीन बाल विकास कार्यालय खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(2) वर्तमान में नवीन बाल विकास कार्यालय खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(3) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

दरा अभयारण्य के गांवों का विस्थापन

17. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के दरा अभयारण्य में आने वाले गांव वहीं बसे हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को पुन: अन्यत्र विस्थापित करने व मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ जिले के दरा अभयारण्य में आने वाले गांव निम्नानुसार हैं:-

मशालपुरा, नारायणपुरा, प्रेमपुरा (लक्ष्मीपुरा) एवं नौलाव।

(2) जी हां। मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत झालावाड़ जिले के दरा अभयारण्य में आने वाले गांवों का विस्थापन किया जाना है। विस्थापन स्वैच्छिक है एवं विस्थापन हेतु आवश्यक बजट प्राप्त होने पर विस्थापन किया जायेगा।

शुष्क नदियों में प्रदूषण रोकने की कार्ययोजना

18. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की शुष्क नदियों में औद्योगिक इकाइयों का ठोस एवं तरल कचरा प्रवाहित किया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश की कौन-कौनसी नदियों में प्रदूषित तत्व प्रवाहित किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) क्या यह सही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को प्रदेश की शुष्क नदियों की समीक्षा कर इनमें प्रवाहित औद्योगिक प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने समीक्षा कर ली है व इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किसी भी औद्योगिक इकाई को शुष्क नदियों में औद्योगिक उच्छिष्ठ एवं ठोस एवं तरल कचरे को प्रवाहित करने की अनुमति नहीं दी जाती है तदापि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के संज्ञान में समय-समय पर इकाइयों द्वारा तरल कचरे को नदियों में प्रवाहित करने की जानकारी आती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इन प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार रीको द्वारा विकसित किये गये पाली के औद्योगिक क्षेत्र पाली प्रथम चरण, द्वितीय चरण, मंडिया रोड एवं पुनायता मे कार्यरत टैक्सटाइल्स इकाइयों से निष्कासित दूषित जल संयुक्त उपचार संयंत्र से उपचारित होने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित क्षमता तक बांडी नदी में प्रवाहित हो रहा है।

रीको द्वारा विकसित किये गये जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र बासनी एवं स्थानान्तरित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत टैक्सटाइल्स एवं स्टील आधारित इकाइयों से निष्कासित दूषित जल आंशिक मात्रा में संयुक्त उपचार संयंत्र से उपचारित होने के पश्चात एवं शेष जल अनुपचारित जोजरी नदी में प्रवाहित हो रहा है।

(2) जी हां। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 329/2015 ग्राम पंचायत अराबा बनाम राजस्थान सरकार में जारी आदेश दिनांक 10.05.2019 के द्वारा राज्य की सभी शुष्क नदियों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि इन नदियों का दुरुपयोग औद्योगिक इकाइयों का ठोस एवं तरल कचरा निस्तारण हेतु नहीं किया जाए।

प्रदेश की शुष्क नदियों में औद्योगिक इकाइयो से निकलने वाले अनुपचारित जलीय अपशिष्ट के नदियो में प्रवाह के रोकथाम के लिए रीको

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

द्वारा जोधपुर, पाली, बालोतरा, भिवाड़ी एवं जयपुर में औद्योगिक इकाईयों के निकलने वाले जलीय अपशिष्ट के उपचार हेतु संयुक्त उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के लिए आवश्यक भूमि का आबंटन इकाइयों द्वारा गठित ट्रस्ट को किया जाता है। आज दिनांक तक उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 60.7 हैक्टेयर भूमि का आबंटन संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु किया जा चुका है।

निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ही संयंत्रों का औचक एवं नियमित निरीक्षण भी किया जाता है।

नवीन अभयारण्यों की स्थापना

19. **श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं व उनका क्षेत्रफल कितना-कितना है? अभयारण्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में नवीन अभयारण्य बनाये जाने भी प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वन्य जीव अभयारण्यों में विचरण करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा व स्वतंत्रता के लिए कितने दायरे एवं दूरी तक औद्योगिक एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रतिबन्धित किये जाने के प्रावधान हैं? नियम व आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनका क्षेत्रफलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) जी नहीं।

(3) वन्य जीव अभयारण्यों एवं संरक्षित क्षेत्रों में विचरण करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स (प्रति संलग्न परिशिष्ट-बी) अनुसार इन क्षेत्रों के चारों ओर "ईको सैन्सिटिव जोन" घोषित करवाने का प्रावधान है। "ईको सैन्सिटिव जोन" की चौड़ाई संरक्षित क्षेत्र विशेष के आधार पर शून्य से दस किलामीटर तक हो सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में आउटडोस्इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

20. **श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सुमेरपुर में आउटडोर-इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में सुमेरपुर मे आउटडोर इन्डोर स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना विकास कार्यक्रम 2015) के तहत तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय पर एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खो-खो/कबड्डी के मैदान सहित स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है। चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

पाली जिले में भवन सैस कर के नोटिस

21. **श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2019 के बाद किस-किस स्थान पर किस-किस व्यक्ति को भवन निर्माण सैस कर का कितनी-कितनी राशि जमा कराने का नोटिस किस-किस तारीख को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किस-किस व्यक्ति ने किस-किस तारीख को सैस कर नोटिस को निरस्त करने हेतु, किस-किस साक्ष्य के साथ पत्र दिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से किस-किस भवन निर्माण सैस कर नोटिस को किन-किन साक्ष्यों के कारण कब-कब निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत जारी नोटिस में राशि का उल्लेख नहीं किया जाता है। पाली

(राज्य मंत्री, श्रम)

जिले में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात कुल 1355 नोटिस प्रेषित किये गये। नोटिसों की सूची परिशिष्ट (अ) एवं (ब) हैं।

(2) नोटिस निरस्त करने हेतु साक्ष्यों के साथ सलग्न प्रकरण 21 है जिनकी सूचना परिशिष्ट (स) पर है।

(3) सूचना उपरोक्तानुसार परिशिष्ट (स) के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत लम्बित प्रकरण

22. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शुभ शक्ति योजना क्या है? क्या यह सही है कि उक्त योजना में बाड़मेर जिले में प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो उक्त योजना के लम्बित प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बकाया प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) असंगठित क्षेत्र के "भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित'' अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिसके अन्तर्गत शुभ शक्ति योजना का विवरण परिशिष्ट-**1** पर संलग्न है।

शुभशक्ति योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में 14131 प्रकरण लम्बित हैं। जिले में लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) अत्यधिक पेन्डेन्सी के मद्देनजर चरणबद्ध आधार पर निस्तारण का निर्णय लिया जाकर सर्वप्रथम सिलिकोसिस सहायता योजना, मृत्यु योजना, शिक्षा सहायता योजना आदि का निस्तारण "पहले आओ पहले पाओ" (फीफो) पद्धति से नलाइन किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)